

अनुक्रमणिका

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	कृषि—खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण.....	01 - 20
2.	स्वास्थ्य एवं कल्याण.....	21 - 32
3.	शिक्षा एवं ज्ञान—आधारित अर्थव्यवस्था.....	33 - 49
4.	सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन.....	50 - 78
5.	औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि	79 - 112
6.	पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास.....	113 - 125
7.	आधारभूत अवसंरचना.....	126 - 151
8.	जल सुरक्षा एवं अनुकूलता.....	152 - 166
9.	पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता.....	167 - 180
10.	ग्रामीण विकास.....	181 - 195
11.	शहरी विकास.....	196 - 208
12.	प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं.....	209 - 220
13.	वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति.....	221 - 232
14.	बजट 2026 – 27 तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर 27 फरवरी, 2026 को की गई घोषणाएं.....	233

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

RAS Pre पाठ्यक्रम, 2026

पाठ्यक्रम संबंधी अध्याय

☞ अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य और राज्य बजट।

☞ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, मुद्दे और सरकारी पहल।

☞ आधारभूत संरचना का विकास : ऊर्जा, परिवहन और संचार।

☞ ग्रामीण विकास, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग।

☞ मूलभूत सामाजिक सेवाएँ शिक्षा और स्वास्थ्य।

☞ राजस्थान सरकार की मुख्य कल्याणकारी योजनाएं।

अध्याय 13 : वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति
राजस्थान बजट 2026–27

अध्याय 1 : कृषि—खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

अध्याय 5 : औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

अध्याय 6 : पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

अध्याय 7 : आधारभूत संरचना

अध्याय 10 : ग्रामीण विकास

अध्याय 3 : शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था

अध्याय 2 : स्वास्थ्य एवं कल्याण

अध्याय 4 : सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन
सभी मुख्य बिन्दुओं के अंतिम भाग की योजनाएं आदि।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

RAS Mains पाठ्यक्रम, 2026

पाठ्यक्रम संबंधी अध्याय

1. राजस्थान के आर्थिक संवृद्धि संकेतक राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और समावेशी संवृद्धि। विकसित राजस्थान 2047। हरित संवृद्धि तथा पर्यावरणीय संधारणीयता। संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान की स्थिति।
2. राज्य बजट राजकोषीय प्रबंधन और बजट घाटा
3. कृषि विकास : उत्पादन और उत्पादकता। जल संसाधन और सिंचाई। पशुपालन और सहायक गतिविधियां। कृषि विपणन। कृषकों के कल्याण की सरकारी योजनाएँ।
4. ग्रामीण विकास और ग्रामीण आधारभूत संरचना। पंचायतीराज संस्थाएँ और राज्य वित्त आयोग।
5. औद्योगिक विकास के लिये संस्थागत तन्त्र। निवेश प्रोत्साहन नीति। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों का महत्व और उनके विकास के लिए नीतिगत पहल। राज्य में पेट्रोलियम और तेल संसाधन।

अध्याय 13 : वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

अध्याय 9 : पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

अध्याय 13 : वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

राजस्थान बजट 2026–27

अध्याय 1 : कृषि – खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

अध्याय 8 : जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

अध्याय 10 : ग्रामीण विकास

अध्याय 5 : औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि क्षेत्र

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

RAS Mains पाठ्यक्रम, 2026

पाठ्यक्रम संबंधी अध्याय

6. आधारभूत संरचना का विकास ऊर्जा और परिवहन। सार्वजनिक व निजी सहभागिता परियोजनाएं। बाहरी सहायता से वित्त पोषित राज्य परियोजनाएं
7. मानव संसाधन विकास निवारण योजनाएं। स्वास्थ्य और शिक्षा। बेरोजगारी और गरीबी। रोजगार सृजन और गरीबी
8. सुशासन और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए डिजिटल रुपान्तरण
9. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यकों / दिव्यांगजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों के कल्याण के लिये राज्य सरकार की मुख्य योजनाएं।

अध्याय 7 : आधारभूत संरचना

अध्याय 2 : स्वास्थ्य एवं कल्याण

अध्याय 3 : शिक्षा एवं ज्ञान
आधारित अर्थव्यवस्था

अध्याय 5 : औद्योगिक, खनन एवं
आर्थिक वृद्धि क्षेत्र

अध्याय 12 : प्रभावी शासन एवं
सार्वजनिक सेवाएं

अध्याय 4 : सामाजिक
सशक्तीकरण एवं समावेशन
सभी मुख्य बिन्दुओं के अंतिम भाग
की योजनाएं आदि।

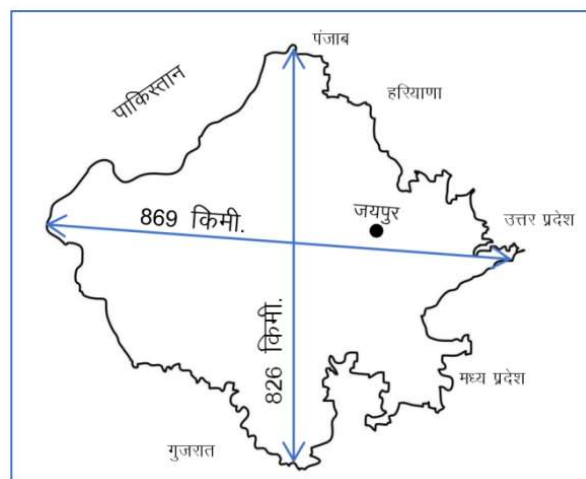
फलैगशिप योजनाएं

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	31
2.	लाडो प्रोत्साहन योजना	महिला अधिकारिता	36
3.	मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान	स्कूल शिक्षा	42
4.	लाडो प्रोत्साहन योजना	महिला अधिकारिता	36
5.	नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	72
6.	पीएम विश्वकर्मा योजना	उद्योग विभाग	88
7.	कुसुम योजना- घटक बी एवं सी	ऊर्जा विभाग	129
8.	संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Scheme- RDSS)	ऊर्जा विभाग	131
9.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सार्वजनिक निर्माण विभाग	135
10.	अटल प्रगति पथ	सार्वजनिक निर्माण विभाग	136
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कृषि और उद्यानिकी विभाग	158
12.	कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान	भूजल विभाग	163
13.	जल जीवन मिशन	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	164
14.	अमृत योजना	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	164
15.	पंचगौरव योजना	आयोजना विभाग	171
16.	नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी	ग्रामीण विकास विभाग	183-184
17.	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	ग्रामीण विकास विभाग	186
18.	पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना	ग्रामीण विकास विभाग	187
19.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	पंचायती राज विभाग	192
20.	स्वामित्व योजना	पंचायती राज विभाग	194
21.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0	पंचायती राज विभाग	195
22.	अटल ज्ञान केन्द्र	पंचायती राज विभाग	195
23.	मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना	स्वायत्त शासन विभाग	205
24.	स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)	स्वायत्त शासन विभाग	207
25.	प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी	स्वायत्त शासन विभाग	208

राजस्थान का संक्षिप्त परिचय

राजस्थान परंपरा और आधुनिकता का संगम है। जहाँ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सशक्त आर्थिक विकास से मिलती है। अवसंरचना नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ, राज्य भारत के विकास गाथा में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार बने रहने के लिए तैयार है।

- क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत)।
- राज्य का दक्षिणी क्षेत्र कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है।
- राज्य की भौगोलिक स्थिति चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है
 1. पश्चिमी रेगिस्तान, हालांकि शुष्क है परन्तु राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है।
 2. अरावली पर्वतमाला, जैव विविधता से समृद्ध, कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ, पर्यटन का भी केंद्र है।
 3. पूर्वी मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है।
 4. दक्षिण-पूर्वी पठार औद्योगिक विकास की संभावनाएँ प्रदान करता है।
- 1 अक्टूबर, 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है, जो इसे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में आधुनिक विकास का अनूठा मिश्रण है।
- कृषि आज भी इसकी आधारशिला है, और राजस्थान गेहूं, जौ, सरसों और दालों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है।
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था को हस्तशिल्प क्षेत्र का भी समर्थन प्राप्त है, जो लाखों लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजीविका प्रदान करता है।
- पर्यटन उद्योग अपने ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों और जीवंत त्योहारों के कारण लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जिससे खुदरा और अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
- राज्य खनन क्षेत्र में अग्रणी रहकर सौर एवं पवन ऊर्जा में निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है।
- राजस्थान ई-गवर्नेंस और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- आधुनिक अवसंरचना, औद्योगिक विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। राज्य ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और औद्योगीकरण जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसरों को अपनाने के बीच संतुलन बनाए रखा है।



राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग कि.मी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001–2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग कि.मी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	75.1	68.8
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2023*	प्रति हजार मध्य-वर्ष जनसंख्या	22.9	18.4
अशोधित मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या	5.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	2023*	प्रति हजार जीवित जन्म	29	25
मातृ मृत्यु अनुपात	2021–23*	प्रति लाख जीवित जन्म	86	88
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2019–23*	आयु वर्षों में	70.4	70.3

आर्थिक समीक्षा 2025–26

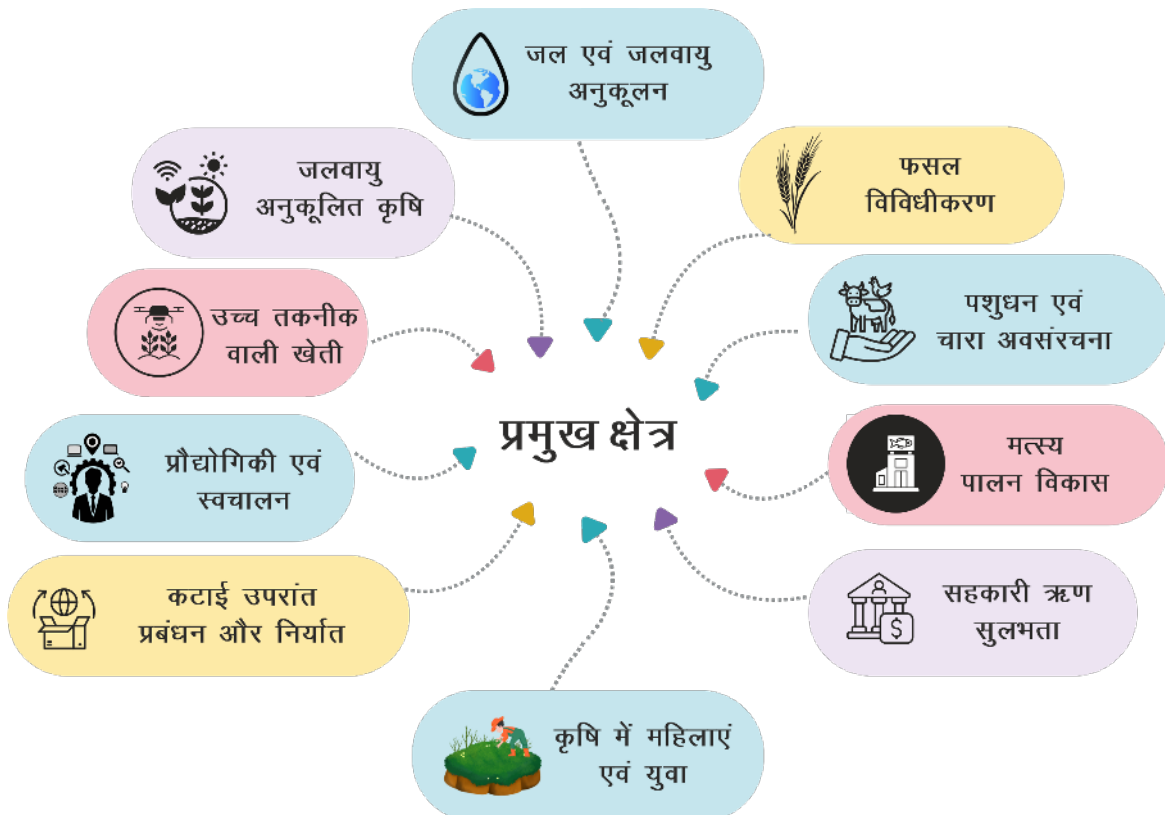
- आर्थिक समीक्षा का निर्माण :—
 - ✓ विभाग वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
 - ✓ निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार
- दृष्टि/विजन : विकसित राजस्थान
 - ✓ राजस्थान की परिकल्पना है कि 2047 तक, राज्य समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों, विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन द्वारा चिह्नित नए भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत में निहित और राज्य की जनता की अग्रणी भावना से प्रेरित होगा।
 - ✓ विकसित राजस्थान की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए, राज्य ने –विकसित राजस्थान/2047’ नामक एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्य को आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी विकास का प्रतीक बनाने के लिए एक दीर्घकालिक विकास रणनीति है।
 - ✓ इस दृष्टि के अनुरूप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने, हरित अवसंरचना को बढ़ावा देने और हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है।
- विकसित राजस्थान/2047 के 13 क्षेत्र



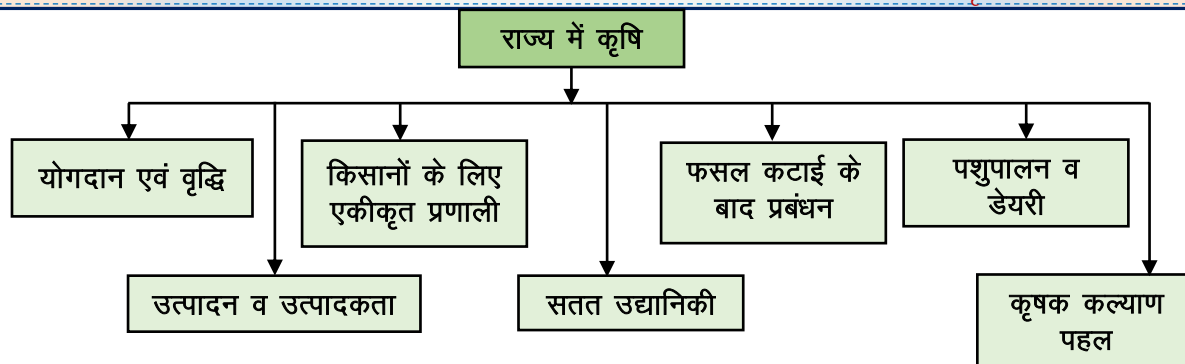
कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

दृष्टि वक्तव्य – विकसित राजस्थान @2047

- वर्ष 2047 तक राजस्थान भारत का अग्रणी कृषि शक्ति बनेगा, जिससे बेहतर उत्पादकता, किसानों की आय और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होगी।
- हम पशुधन सशक्तिकरण, सहकारी संचालित अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत कृषि-प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समतापूर्ण ग्रामीण विकास की परिकल्पना करते हैं। संतृप्ति-आधारित जलग्रहण हस्तक्षेप, वनारोपण, जैव-विविधता संरक्षण और जलवायु-अनुकूलित कृषि द्वारा क्षरित भूमि का पुनर्स्थापन एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म सिंचाई, कटाई उपरांत नवाचारों स्वशासी प्रक्षेत्र प्रक्रियाओं की समन्वित प्रथाओं द्वारा राजस्थान एक आत्मनिर्भर, अनुकूलित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, जो राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करेगी



- कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करती है।



राज्य में कृषि की स्थिति – कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान व वृद्धि

A. GVA -

कृषि व संबद्ध क्षेत्र	स्थिर मूल्यों पर	वृद्धि	प्रचलित मूल्यों पर	वृद्धि
GVA में योगदान (% में)	25.33%	0.22%	25.74%	3.47%
GVA में योगदान(₹ में)	2.23 लाख करोड़		4.41 लाख करोड़	
वार्षिक वृद्धि (2021-22 से 2025-26 के बीच) (CAGR)	3.82%		8.10%	

B. कृषि के उपक्षेत्रों का योगदान – (प्रचलित मूल्यों पर)

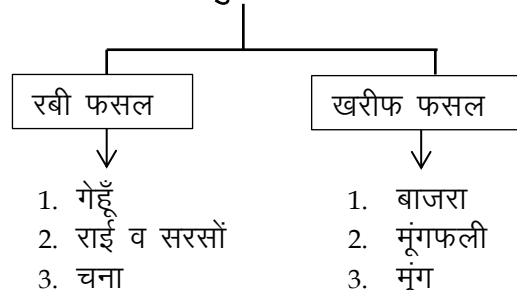
क्षेत्र	योगदान	परिवर्तन
1. पशुधन	49.35%	5.20% वृद्धि
2. फसल क्षेत्र	42.61%	5.01% कमी
3. वानिकी एवं लॉगिंग	7.49%	2.67% वृद्धि
4. मत्स्य क्षेत्र	0.54%	0.87% वृद्धि

नोट : वर्ष 2025-26 में फसल क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर रुपये 1.88 लाख करोड़ रहा है। एवं पशुधन क्षेत्र का रुपये 2.17 लाख करोड़ रुपये रहा है। पशुधन क्षेत्र की आय में दूध का प्रमुख योगदान है।

- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2025-26 में सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.) में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत हिस्सा

दूध	79.60%
अन्य	12.27%
पोल्ट्री सहित मांस	7.46%
अण्डे	0.67%

- फसल क्षेत्र में प्रमुख योगदान



वर्ष 2024-25	फल	सब्जी	मसालें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	92993	204755	1364822
उत्पादन (मैट्रिक टन में)	1384606	2860484	1469559
उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर में)	14889	13970	1077

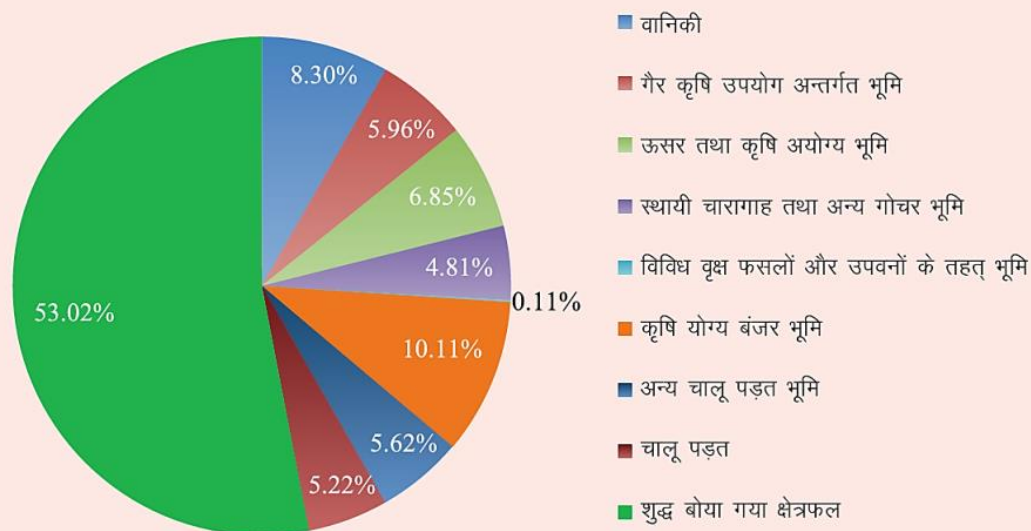
समृद्ध कृषि के लिए कुशल भूमि उपयोग और फसल पैटर्न

भू-उपयोग (Land Use) :

- राज्य का कुल क्षेत्रफल : 343.43 लाख हेक्टेयर

भूमि प्रकार	प्रतिशत
1. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	53.02%
2. बंजर भूमि	10.11%
3. वानिकी	8.30%
4. ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि	6.85%
5. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि	5.96%
6. अन्य चालू पड़त भूमि	5.62%
7. स्थायी चारागाह	4.81%
8. चालू पड़त	5.22%
9. वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	0.11%

भू-उपयोग सांख्यिकी 2024-25 (प्रावधानिक)



- प्रचलित जोतधारक :

	कृषि गणना (2015-16)	परिवर्तन (2010-11 से)
1. कुल जोतों का क्षेत्रफल	208.73 लाख हेक्टेयर	1.24% कमी
2. कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या	76.55 लाख	11.14% वृद्धि
3. भूमि जोतों का औसत आकार	2.73 हेक्टेयर	11.07% कमी

जोतधारक	आकार	परिवर्तन (क्षेत्रफल)
सीमान्त भूमि जोत (1 हैक्टेयर से कम)	40.12%	19.79% वृद्धि
लघु (Small) (1-2 हैक्टेयर)	21.90%	10.50% वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	18.50%	5.67% वृद्धि
मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	14.79%	0.27% कमी
बड़े आकार (10 हैक्टेयर से अधिक)	4.69%	13.20% कमी

नोट : वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में सीमांत लघु अर्द्ध-मध्यम एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

• **महिला प्रचलित जोतधारक :** (2015-16)

संख्या – 7.75 लाख (41.94% वृद्धि)

क्षेत्रफल – 16.55 लाख हेक्टेयर (24.44% वृद्धि)

महिला जोतधारक	आकार	परिवर्तन
सीमान्त भूमि जोत (1 हैक्टेयर से कम)	49.55	वृद्धि
लघु (Small) (1-2 हैक्टेयर)	20.77	वृद्धि
अर्द्ध मध्यम (2-4 हैक्टेयर)	14.97	वृद्धि
मध्यम (4-10 हैक्टेयर)	11.74	वृद्धि
बड़े आकार (10 हैक्टेयर से अधिक)	2.97	वृद्धि

कृषि जलवायु क्षेत्र

• **राज्य में 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों की विशेषता :-**

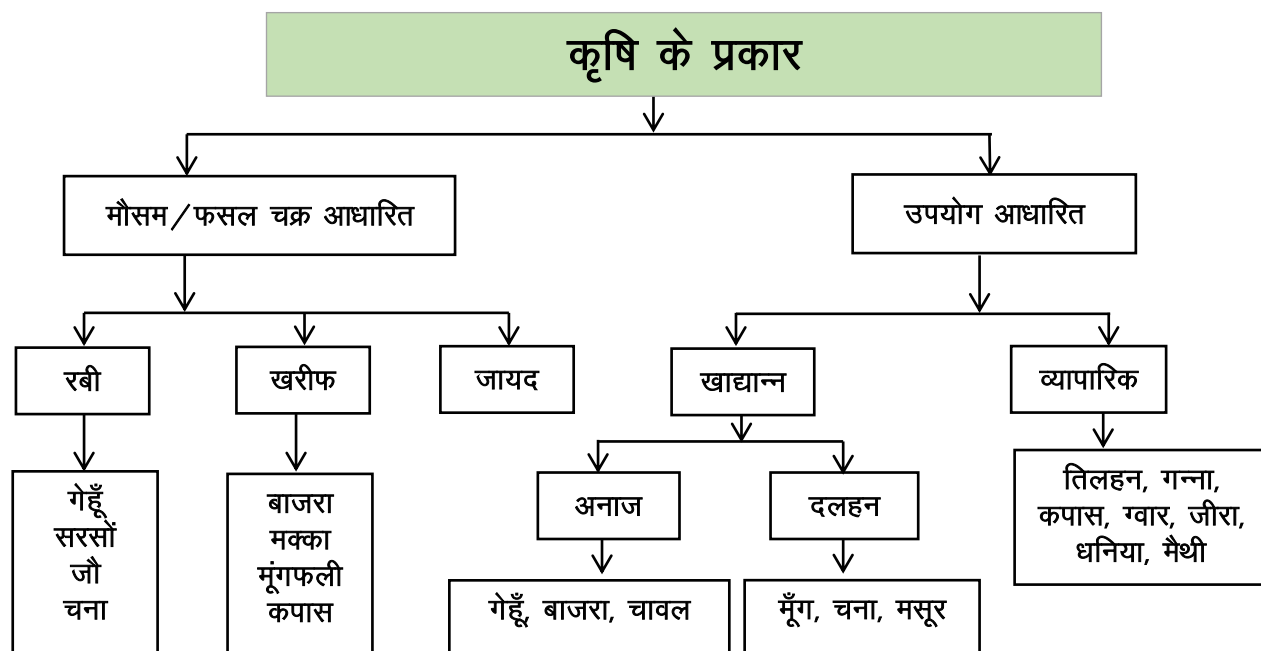
1. विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा करने की क्षमता जैसे – खाद्यान्न, नकदी, बागवानी आदि।
2. मिश्रित खेती की सम्भावना।
3. आय के स्रोतों में विविधता।
4. जलवायु व आर्थिक चुनौतियों के प्रति सहनशीलता के प्रति बढ़ोतरी।

• **10 कृषि क्षेत्र परिभाषित करने का आधार :-**

1. जलवायु
2. मिट्टी के प्रकार
3. स्थलाकृति
4. फसल पैटर्न

- राज्य के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 61 प्रतिशत भाग रेगिस्तानी या अर्द्धरेगिस्तानी है जो वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र जो राज्य के 39 प्रतिशत भू-भाग पर फैला है, उपजाऊ है।

क्र. सं.	जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिलें	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1.	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर एवं बालोतरा	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2.	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (1-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3.	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू आंशिक (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील)	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4.	अन्तः स्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	सीकर, चुरू (रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील छोड़कर), झुन्झुनू, नागौर एवं डीडवाना-कुचामन	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5.	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	पाली, जालोर, सिरोही (पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ तहसील छोड़कर) एवं ब्यावर आंशिक (जैतारण एवं ब्यावर तहसील)	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6.	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल-तिजारा, तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ एवं ब्यावर (जैतारण, ब्यावर तहसील छोड़कर)	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7.	बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8.	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	उदयपुर, चित्तौड़गढ़ (बडी सादडी तहसील छोड़कर) राजसमंद, भीलवाड़ा एवं सिरोही आंशिक (पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड़ तहसील)	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9.	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़ आंशिक (बडी सादडी तहसील)	मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10.	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं चना



परिदृश्य – यह समझ विकसित करने हेतु दर्शाया गया है।

कृषि उत्पादन

फसल उत्पादन	(LMT - लाख मैट्रिक टन)	
	खाद्यान्न उत्पादन (2025-26) 283.98 LMT (8.28% की कमी)	
	अनाज 236.85 LMT	
	दलहन 47.13 LMT	
	खरीफ 69.03 LMT (26.71% की कमी)	रबी 167.82 LMT (3.35% की कमी)
	खरीफ 20.52 LMT (2.34% की वृद्धि)	रबी 26.61 LMT (22.34% की वृद्धि)
तिलहन	2025-26 (LMT) 100.46	परिवर्तन 7.18% वृद्धि
गन्ना	2025-26 (LMT) 3.61	परिवर्तन 22.37% कमी
कपास	2025-26 17.94 लाख गांठें	परिवर्तन 0.34% वृद्धि

- विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान :

राजस्थान प्रथम	— बाजरा, राई/सरसों, कुल तिलहन, ग्वार, मोटा अनाज
राजस्थान द्वितीय	— मूंगफली
राजस्थान तृतीय	— कुल दलहन, चना, सोयाबीन

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (%) में
1.	ग्वार	राजस्थान	हरियाणा	गुजरात	88.80
2.	राई/सरसों	राजस्थान	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	43.43
3.	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	गुजरात	41.34
4.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्य प्रदेश	गुजरात	23.61
5.	मोटा अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	14.21
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	मध्य प्रदेश	19.91
7.	चना	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	17.39
8.	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	13.76
9.	सोयाबीन	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	8.96

❖ स्रोत — भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी — 2024 के आधार पर

- राज्य में पहली बार पृथक रूप से कृषि बजट (2022-23) को “समृद्ध किसान — खुशहाल राजस्थान” विचार के साथ प्रस्तुत किया गया।

उत्पादन एवं उत्पादकता :- कृषि वृद्धि के प्रेरक तत्व

राज्य में कृषि उत्पादकता कम होने के कारण

कृषि क्षेत्र (उत्पादकता) के समक्ष चुनौतियाँ —	राज्य में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय :-
✓ जल संकट — अनियमित मानसून ✓ जलवायु परिवर्तन—शुष्क जलवायु प्रदेश ✓ वित्तीय संसाधनों का अभाव ✓ भण्डार व विपणन समस्याएं ✓ तकनीकी नवाचार से असहजता ✓ सीमित कृषि योग्य भूमि	✓ जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना — ड्रिप सिंचाई ✓ सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा — बाजरा, दालें ✓ कृषि वानिकी व पशुपालन का एकीकरण ✓ मिट्टी का क्षरण रोकना :- ▪ फसल चक्र ▪ शून्य जुताई (पड़त भूमि) ▪ वर्षा जल संचयन ▪ रासायनिक व जैविक उर्वरकों का संतुलित उपयोग

उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए:- किसानों के लिए एकीकृत सहायता प्रणाली



बीज

- मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना :
 - ✓ **शुरूआत:-** 2017
 - वर्ष 2018-19 = 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में (पूरे राज्य में लागू)
 - ✓ **उद्देश्य:-**
 - कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण करना।
 - गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ व उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन।
 - किसानों में विभिन्न फसलों की नवीन जारी किस्मों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क बीज मिनीकिट उपलब्ध कराये जाते हैं।
- उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन व उत्पादकता दोनों को बढ़ाते हैं।
- राज्य में बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण एवं आपूर्ति की नोडल एजेंसी –
 - ✓ राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL)
- बीज प्रमाणन संस्था :-** राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणन एजेंसी द्वारा।

उर्वरक और मृदा स्वास्थ्य

मृदा स्वास्थ्य कार्ड :-

- शुरूआत – 19 फरवरी 2015,
 - ✓ सूरतगढ़ (गंगानगर) से
 - ✓ मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस – 19 फरवरी
 - ✓ 2022-23 में इसका विलय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किया गया है।
 - ✓ वर्ष 2025-26 में 4.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को जारी किये गए।

• उद्देश्य –

- ✓ मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ाना।
- ✓ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
- ✓ विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबन्धन।
- ✓ राज्य के सभी 352 ब्लॉक में लागू।

गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना :-

- **उद्देश्य :-** रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने तथा जैविक उर्वरक, जैविक खाद और नैनो उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को पशु अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) के उत्पादन हेतु प्रति किसान ₹ 10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके आवेदन – राज किसान पोर्टल पर ऑनलाईन किए जा सकते हैं।

कृषि क्लीनिक –

- **उद्देश्य:-** किसानों को सेवायें उपलब्ध करवाना जैसे – मृदा परीक्षण, फसलों की जानकारी, कीट/रोग उपचार जानकारी।
- सभी जिला मुख्यालयों पर एग्री क्लीनिक स्थापित किये जायेंगे।

• प्रस्तावित –

- ✓ 2024-25 में 20 (स्थापित)
- ✓ 2025-26 में 13 (प्रगतिशील)

नमो ड्रोन दीदी योजना – (अध्याय 10 में विस्तार से वर्णित)

- **उद्देश्य :-** कृषि में नवाचारों का समावेश जैसे— ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया व कीटनाशकों का छिड़काव।
- इसके अंतर्गत भारत सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 1070 कृषि ड्रोन तथा उनके परिवहन हेतु वाहन क्रय करने के लिए ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेगी।

पशु सखी और कृषि सखी – (अध्याय 10 में विस्तार से वर्णित)

- राजीविका की गतिविधियां मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा संचालित
- पशु सखी – 37,369 कार्यरत
- कृषि सखी – 36,787 कार्यरत

कृषि ऋण/साख

- यह किसानों को कृषि में उत्पादकता तथा स्थिरता को बढ़ाने के लिए इनपुट, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सहकारी ऋण द्वारा समावेशी विकास –

- केन्द्रीय सहकारी बैंक (अल्पकालिक ऋण हेतु) = 29
- प्राथमिक भूमि विकास बैंक (दीर्घकालिक ऋण हेतु) = 36
- **42,858 – सहकारी समितियाँ : –**
 - ✓ 23 – संघ
 - ✓ 24 – दुग्ध संघ
 - ✓ 38 – उपभोक्ता थोक दुकानें
 - ✓ 285 – सामान्य विपणन तथा फल व सब्जी सहकारी विपणन समितियाँ
 - ✓ 9086 – प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ

- वर्ष 2025-26 में 1432 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), 288 वृहद आदिवासी बहुउद्देश्य समिति (LAMPS) तथा 32 महिला बहुउद्देश्य समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई है।
- **महिला सहकारिता :-** 1035 राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियों के माध्यम से राशि प्रदान की गई है। इनके माध्यम से 8.70 लाख से अधिक महिला लाभान्वित।
- **शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण** केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि फसली ऋण वितरित किया गया है।
 - ✓ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में फसल ऋण की राशि चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
- **राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना :-**
 - ✓ **शुरूआत :-** अक्टूबर 2022
 - ✓ लघु एवं सीमांत कृषक परिवार के सदस्य को गैर कृषक गतिविधियों के लिए ₹2 लाख तक ऋण उपलब्ध करवाना।
- **सहकार किसान कल्याण योजना :-**
 - ✓ **उद्देश्य:-**
 - फसल ऋण के अतिरिक्त कृषि संबंधित आवश्यकताओं हेतु ऋण।
 - केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की शाखाओं द्वारा अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण।
- **कृषि उपज गिरवी ऋण योजना :-** कृषकों को कृषि उपज गिरवी रखने पर 3 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) -** इसके माध्यम से अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किये जा रहे हैं।
- **स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा**
- **स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना-** राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित
 - ✓ गैर कृषि गतिविधियों के लिए ₹ 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध।
 - ✓ ऋण की अवधि 5 वर्ष।
- **राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना (GCC)-**
 - ✓ **उद्देश्य:-**कृषि एवं डेयरी/दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों को सहयोग प्रदान करना तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु।
 - ✓ **ऋण-** ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण
 - ✓ **लक्ष्य-** 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक कृषक परिवार।
 - ✓ RAJSSO पोर्टल (राज सहकार एप के माध्यम से)
 - ✓ **बजट : 150 करोड़**
- **कृषि अवसंरचना निधि (AIF) के अंतर्गत 3 प्रतिशत तक ब्याज सहायता :-** 15 मई, 2020
 - ✓ अवधि- 2020 से 2032
 - ✓ उद्देश्य- फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण करना।
 - ✓ ₹ 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि
 - ✓ प्रावधान- ₹2 करोड़ की सीमा तक के सभी ऋणों पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता।
- **अल्पकालीन कृषि ऋण की** समय पर अदायगी वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा व्याज अनुदान।

फसल बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –

- प्रारम्भ – 18 फरवरी, 2016
- इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें) तिलहन और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया।

फसलें	प्रीमियम राशि
खरीफ	2%
रबी	1.5%
वाणिज्यिक/बागवानी	5%

- भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

सतत कृषि एवं बागवानी

राजस्थान में उद्यानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)

- उद्देश्य— फलोद्यान, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, जल संग्रहण संरचना व प्याज भण्डारण संरचना निर्माण पर बल।
- राजस्थान के 41 जिलों में
- फल-फूलों, मसालों का उत्पादन बढ़ाना।
- 2358 हेक्टेयर में फलोद्यान स्थापित।
- 9 वर्मी-कम्पोस्ट इकाईयां स्थापित।
- 19 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
- 1129 कम लागत वाली प्याज भण्डारण संरचना स्थापित।

दिसम्बर 2025 तक

2. राष्ट्रीय बांस मिशन – केन्द्रीय प्रायोजित योजना

- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बांस पौधों के उत्पादन हेतु उच्च तकनीक एवं लघु नर्सरियों का विकास किया जायेगा।
- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सेमिनार का आयोजन किया जायेगा।

3. एग्रो फोरेस्ट्री योजना –

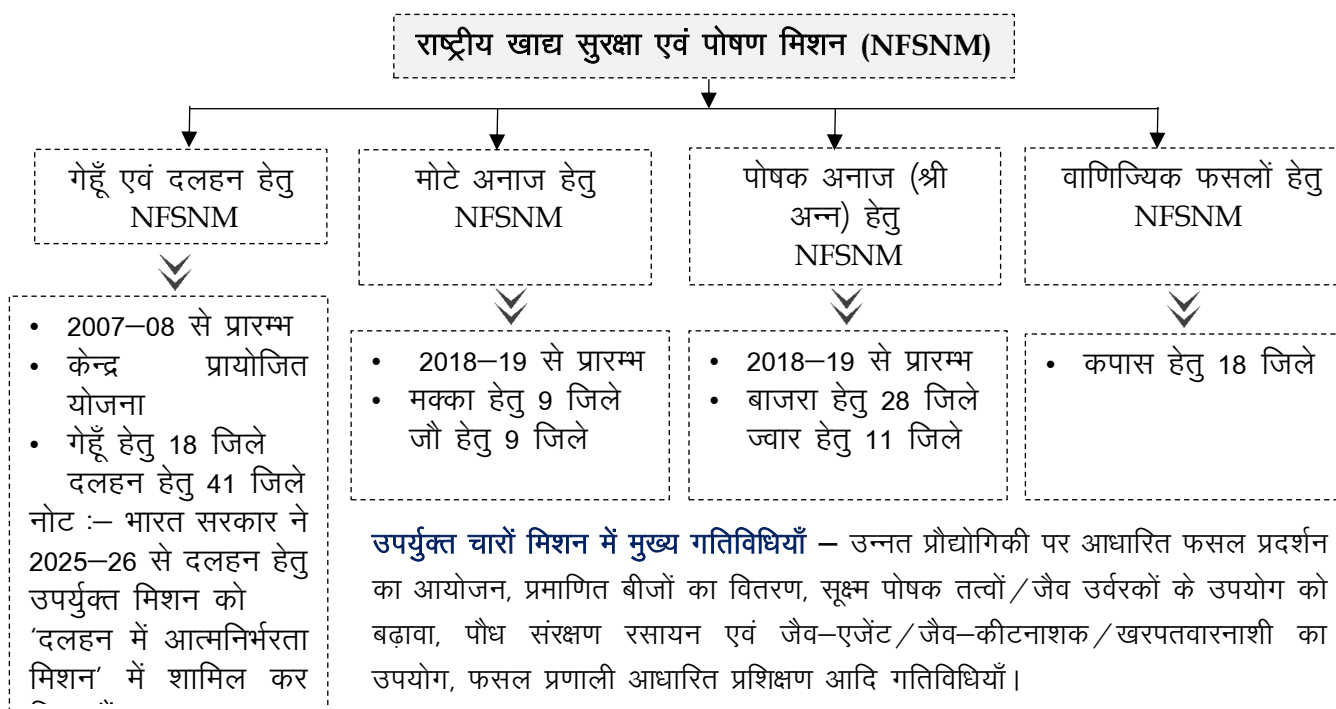
- सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च तकनीक वाली नई नर्सरियों की स्थापना एवं विद्यमान नर्सरियों में पौध उत्पादन का प्रावधान।
- वर्ष 2025-26 में राज्य के तीन अलग-अलग स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्रों में 4 उच्च तकनीक वाली नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं।
- वर्ष 2025-26 में ₹285 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- शुरूआत 2007-08
- केन्द्र : राज्य – 60 : 40
- उद्देश्य – कृषि में निवेश को बढ़ाना।
- संरक्षित खेती को बढ़ावा देने तथा नर्सरी विकास के लिए धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बरसी (जयपुर) एवं नांता (कोटा) में उत्कृष्टता केंद्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित।

कृषि सुधार के लिए प्रमुख पहलें

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM) –



दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन –

- अवधि— वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक।
- उद्देश्य—
 - ✓ राज्य में दलहन उत्पादन को बढ़ाना (विशेष रूप से तुअर, उड़द एवं मसूर)
 - ✓ जलवायु-अनुकूल बीजों के उत्पादन एवं उपलब्धता को बढ़ाना
 - ✓ दलहन की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना
 - ✓ भंडारण एवं प्रबंधन तकनीकों को प्रोत्साहित करना
 - ✓ NAFED द्वारा तुअर, उड़द एवं मसूर की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करना
 - ✓ पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (PSS) के मानदंडों के अनुसार अन्य दलहनों की खरीद सुनिश्चित करना
 - ✓ प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करना आदि।

2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन

- वित्त पोषण – 60 : 40 (केन्द्र : राज्य)
- ब्रीडर बीज की खरीद (100% केन्द्रीय सहायता), प्रमाणित बीज वितरण, किसान प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास आदि गतिविधियाँ शामिल।
- 6 TBO - ट्री बॉन ऑयलसीड्स (TBO) के तहत 6 TBO यथा ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज और जेट्रोफा की बुआई के लिए सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

- **वित्त पोषण** – 60 : 40 (केन्द्र : राज्य)
- **उद्देश्य** – राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार एकीकृत कृषि प्रणालियों (IFS) को बढ़ावा देना जैसे—
 - ✓ पशुधन आधारित
 - ✓ बागवानी आधारित
 - ✓ कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियां
 - ✓ वर्मीकपोस्ट इकाईयाँ
 - ✓ मधुमक्खी पालन आदि

- जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन।
- क्लस्टर व पार्टिसिपेटरी गारण्टी सिस्टम आधारित जैविक कृषि को बढ़ावा।

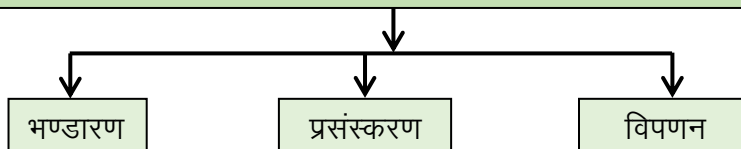
- नई कृषि तकनीकों की अनुकूलता एवं आर्थिक व्यवहार्यता का परीक्षण।
- जैविक खेती अपनाने वाले 3 किसानों को प्रत्येक वर्ष ₹ 1 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार।

- **शुरुआत** : वर्ष 2025–26
- केन्द्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य** : राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
- इसके अंतर्गत राज्य में कुल 2000 कलस्टर गठित किये गए हैं। (केन्द्रीय – 1800, राज्य – 200)
- 2.50 लाख किसानों के साथ ₹ 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

- **शुरूआत** : 11 अक्टूबर, 2025
- **अवधि** : 6 वर्ष
- **उद्देश्य** : कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, विविधता, आय एवं सततता को बढ़ावा देना।
- 11 मंत्रालयों एवं विभागों की 36 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत किया गया है।
- देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में लागू।
- राजस्थान के 8 जिलों में लागू (बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चुरू और नागौर)।
- **जिले चयन के आधार—**
 - ✓ निम्न उत्पादकता
 - ✓ फसल सघनता
 - ✓ औसत से कम क्रेडिट मानक



कटाई के बाद प्रबंधन



• प्रबन्धन के उद्देश्य :-

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ✓ गुणवत्ता बढ़ाना/पोषण | ✓ अपशिष्ट कम करना। |
| ✓ कीटों से होने वाले नुकसान को रोकना। | ✓ खाद्य सुरक्षा में योगदान। |
| ✓ उत्पादों का बाजार मूल्य बढ़ाना। | ✓ आर्थिक स्थिरता प्रदान करना। |
| ✓ आर्थिक विकास | ✓ रोजगार सृजन |

भण्डारण

- **प्रमुख एजेंसी** – राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (Rajasthan State Ware House Corporation)
- 36 जिलों में 97 गोदाम (भण्डार गृह) जिनकी दिसम्बर, 2025 तक कुल भण्डारण क्षमता – 17.25 लाख मैट्रिक टन।
- वर्ष 2025–26 में गोदाम क्षमता का उपयोग 8.25 लाख मैट्रिक टन था जो कुल भण्डारण का 48% उपयोग हुआ।
- राज्य अन्य सभी राज्य व केन्द्र की तुलना में सर्वाधिक भण्डार शुल्क छूट प्रदान करता है।
- **छूट :-**

SC/ST किसान	70%
किसान उत्पादक संगठनों	60%
सामान्य किसान	30%
सहकारी समितियाँ	10%

प्रसंस्करण

आर्थिक विकास व प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रयास :-

1. Rising Rajasthan Summit, 2024 – कुल 2524 समझौता ज्ञापन (MoU) को अंतिम रूप दिया गया है।
2. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (PM-FME)
 - खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित।
 - **उद्देश्य**– देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए।
 - **राज्य में नोडल एजेंसी** – राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB)।
 - **वित्त पोषण**– केन्द्र : राज्य – 60 : 40
 - **अवधि**– 5 वर्ष (2021 से 2025–26 तक विस्तारित)।
 - **प्रावधान**–
 - ✓ व्यक्तिगत श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अथवा विस्तार हेतु परियोजना लागत का 35% या अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान।

- ✓ स्वयं सहायता समूहों को ₹40,000 की सीड मनी।
 - ✓ साझा अवसंरचना निर्माण हेतु 35% या अधिकतम ₹3 करोड़ की सब्सिडी।
 - ✓ ब्रांडिंग व मार्केटिंग हेतु 50% अनुदान।
 - ✓ अनुदान राशि संबंधित बैंक शाखा को हस्तांतरित की जाती है तथा तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि के पश्चात ऋण खाते में समायोजित की जाती है।
 - इसके अंतर्गत राज्य के 8 जिलों में आठ इन्क्यूबेशन सेंटर स्वीकृत किये गए हैं।
3. राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव, 2025 –
- आयोजन – 8 सितम्बर, 2025 को
 - बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर
 - राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) द्वारा विकसित 'राज स्पाइस एप' का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा।
4. फूड पार्क विकास और भूमि आवंटन नीति, 2024
5. राजस्थान निवेश संवर्धन नीति (RIPS), 2024 :- एग्रो और फूड प्रोसेसिंग उद्यम इकाई को प्रोत्साहन
- सामान्य – पूँजी निवेश का 50% या ₹1.5 करोड़ (अधिकतम)
 - SC/ST/ महिला – अतिरिक्त 5% पूँजी सब्सिडी

विपणन

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड – 1974

कृषि विपणन निदेशालय – 1980

1. कृषक उपहार योजना – जनवरी, 2022

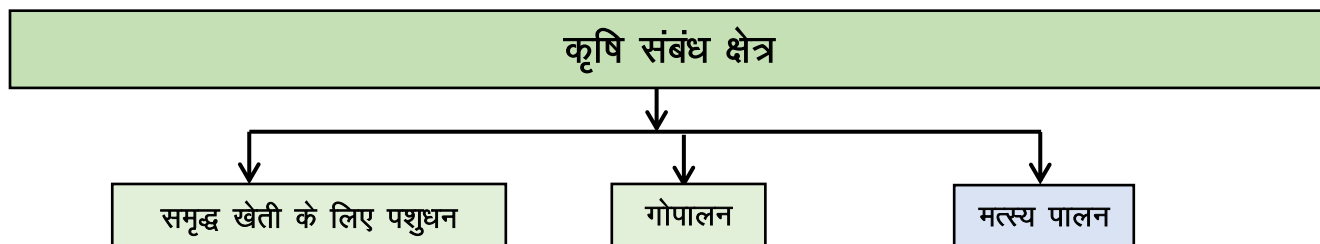
- ई-नाम पोर्टल से उपज विक्रय करने पर लाभ–
- ✓ प्रति ₹ 10,000 की बिक्री पर 1 कूपन
- ✓ उपज के मूल्य के गुणक के अनुसार अतिरिक्त कूपन।

2. सहकारी विपणन संरचना:- 285 क्रय-विक्रय समितियाँ व फल-सब्जी विपणन समितियाँ।

3. राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2025 – 9 से 18 मई, 2025, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

4. सहकारी उपभोक्ता संरचना :-

- उद्देश्य- उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी से बचाने हेतु।
- इसके लिए कुल 38 सहकारी थोक भंडार पंजीकृत किए गए हैं, जो 33 जिला स्तर पर कार्यरत हैं।
- उपभोक्ता क्षेत्र में राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ (CONFED) एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।



समृद्ध खेती के लिए पशुधन

- यह कृषि की सहायता गतिविधि ही नहीं बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो कि अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- पशुगणना 2019 के अनुसार – 568.01 लाख पशुधन (देश का कुल 10.60%)
- देश का $\approx 84.43\%$ ऊंट
 - $\approx 14.00\%$ बकरियां $\approx 10.64\%$ भेड़
 - $\approx 12.47\%$ भैंस $\approx 7.24\%$ गौवंश
- राज्य का योगदान देश के (2023–24)– दुग्ध उत्पादन 14.51%
 - ऊन उत्पादन 47.53%

उत्पादन (2023–24)	दूध 34733 हजार टन	अण्डे 3087 मिलियन	मांस 247 हजार टन	ऊन 160 लाख किग्रा
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

- कुक्कुट विकास – 146 लाख
 - प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर

पशुधन विकास :-

उद्देश्य :- विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण में सुधार करना।

- पशुपालकों के लिए कॉल सेंटर –1962 – 24 फरवरी 2024 से।** राज्य भर में कुल 536, मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित हो रहे हैं, जो टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से प्राप्त कॉल के आधार पर रोगों के निदान और उपचार जैसी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। (चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज पर)
- पशुमित्र योजना :-**
 - उद्देश्य :-** पशुपालन सेवाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा कृत्रिम गर्भाधान (नस्ल सुधार) आदि को किसानों तक पहुँचाना।
- ऊँट संरक्षण अनुदान–**
 - नवजात ऊँटों के लिए सहायता– ऊँट प्रजनन को प्रोत्साहन देने हेतु 2 किशतों में ₹20,000 की सहायता (प्रत्येक बछड़े के लिए, जन्म के 0–2 महीने की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर)
- पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बीमार पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।**



- 700 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र
- 2 नए पशु चिकित्सालय
- 151 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को क्रमोन्नत कर पशु चिकित्सालय
- 101 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय
- 50 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर पॉलीक्लिनिक पशु चिकित्सालय बनाया गया आरआईडीएफ ट्रेव 31 के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा वर्ष 2025–26 में 310 पशु चिकित्सालयों के नवीन भवन निर्माण हेतु ₹144.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई
- 2,423 नवीन पद सृजित

- पशुपालकों को कॉल सेंटर–1962 के माध्यम से 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- वर्ष 2025–26 में 59.82 लाख पशुओं के उपचार से 15.30 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित हुए।
- पशुपालकों के घर तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए, चिकित्सा आपातकालीन सेवा 108 की तर्ज पर 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू की गई है।



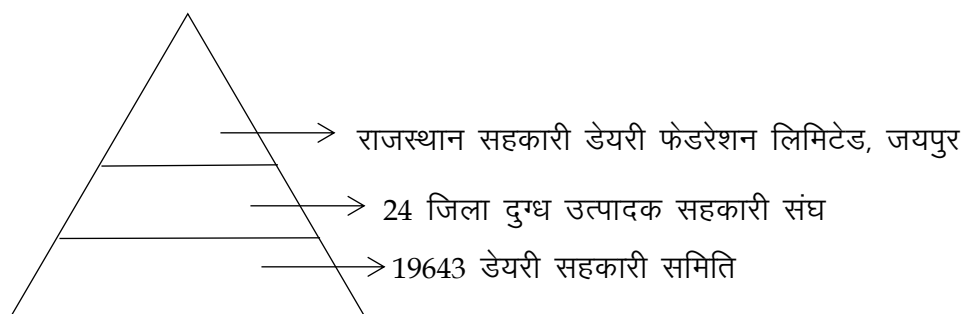


- खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) की रोकथाम कार्यक्रम के 5वें चरण के अंतर्गत 1.86 करोड़ गाय एवं भैंसों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।
- लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) की रोकथाम के लिए वर्ष 2025–26 के दौरान 108.30 लाख गायों का भी निःशुल्क टीकाकरण किया गया है।

पशुधन किसान कल्याण पहल:-

1. **मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना** – 1 दिसम्बर, 2025 से गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊँट जैसी देशी पशुओं के लिए निःशुल्क बीमा कवरेज प्रारंभ।
 - 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा कवरेज (बजट 2025-26 का लक्ष्य)
 - **प्रीमियम रेट-**
 - ✓ गाय, भैंस, ऊँट- ₹40,000 प्रति पशु
 - ✓ भेड़, बकरी – ₹4,000 प्रति पशु
 - बीमा प्रीमियम का 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन
2. **पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा** –
 - 24 जून से 9 जुलाई, 2025 तक
 - **उद्देश्य** : राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अन्त्योदय वर्ग तक पहुँचाना।
 - बीमार पशुओं का उपचार, पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण।
3. **ग्रामीण सेवा शिविर अभियान, 2025** – इसके अंतर्गत 21 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया।
4. **राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना :-**
 - **प्रावधान-**
 - ✓ दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर- ₹5 लाख
 - ✓ आंशिक स्थायी विकलांगता पर ₹ 2.5 लाख
 - **नवाँ चरण** 1 फरवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक लागू।
5. **सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना:-**
 - **कुल** – 19 चरण
 - जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जाता है।
6. **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना :-**
 - 1 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ
 - ₹ 2 से बढ़ाकर ₹ 5 प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। (2022-23 से)
7. **सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना:** राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद के तहत राज्य के मछुआरों को कवर किया गया है।
8. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) :-** 2014-15
 - भेड़ व बकरी वंश हेतु नस्ल सुधार योजना
 - पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण

डेयरी विकास :- सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित



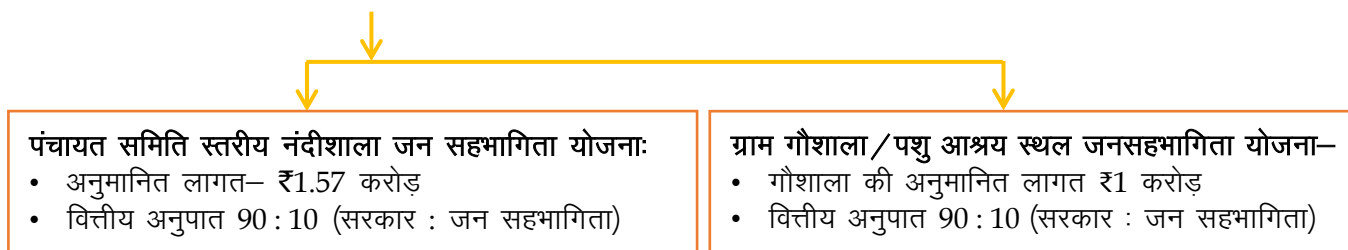
गोपालन

गोपालन विभाग

- **स्थापना** – 13 मार्च 2014
- राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने गोपालन विभाग स्थापित किया।
- **उद्देश्य** :- राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार संरक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम।

राज्य गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन निधि 2016 एवं 2021 के अंतर्गत गौशाला एवं नंदीशालाओं के माध्यम से देशी गौवंश नस्लों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देता है।

1. **गौशाला विकास योजना** :- पंजीकृत गौशालाओं के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (राज्य : जनता – 90 : 10)
2. **पंजीकृत गौशालाओं के लिए सहायता अनुदान** :-
 - अनुत्पादक व बीमार गौवंश के लिए चारा, खाद्य और पानी की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता।
 - 1 अप्रैल, 2025 से बड़े पशुओं के लिए ₹ 44 प्रतिदिन से ₹50 प्रति पशु प्रतिदिन तथा छोटे पशुओं के लिए ₹22 प्रतिदिन से ₹25 प्रति पशु प्रतिदिन कर दी गई है। (270 दिनों की अवधि के लिए)
3. **आवारा/निराश्रित मवेशियों की समस्या के समाधान हेतु**



4. **वध/तस्करी से बचाए गए गौवंश हेतु अनुदान** – गौवंश की देखभाल हेतु अधिकतम 1 वर्ष तक सहायता।
5. **मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम** – गौ उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन— जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और पाली में।
6. ई-न्यूजलेटर '**गोपालक वाणी**'— गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्था में हो रहे नवाचारों की जानकारी हेतु।

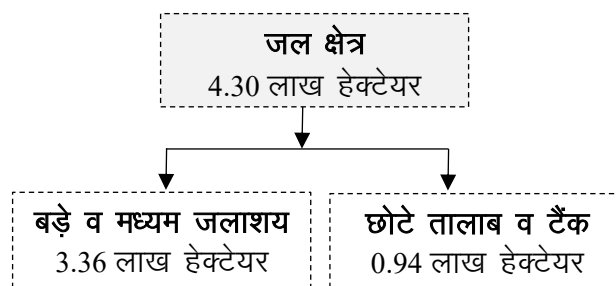
जलीय कृषि और मत्स्य पालन विकास

उद्देश्य :-

- सस्ता व प्रोटीन युक्त आहार
- जल संसाधन उपयोग से विकास को बढ़ावा देना
- ग्रामीण एवं वंचित वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवाना।

राज्य में जल की उपलब्धता

- जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है।



योजनाएँ –

1. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):- वर्ष 2020-21

• उद्देश्य –

- ✓ मत्स्य उत्पादन बढ़ाना।
- ✓ मत्स्य पालन हेतु बुनियादी ढाँचा विकसित करना।
- ✓ मत्स्य किसानों/मछुआरों की आजीविका बढ़ाना।
- ✓ जन आधार DBT प्रणाली के माध्यम से SNA स्पर्श पोर्टल द्वारा अनुदान राशि हस्तांतरण।

2. खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला- चूरु

- उद्देश्य – शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों (खारे पानी) में जलीय कृषि संभावना को बढ़ावा देना।

किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण

किसान और कृषि श्रमिकों के लिए कल्याणकारी पहल मुख्यतः निम्न कारणों से आवश्यक है :-

- किसानों को वित्तीय सहायता व समर्थन सेवाएँ प्रदान करने हेतु।
- किसानों द्वारा बेहतर कृषि पद्धतियों और तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु।
- उत्पादकता और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने हेतु।
- कृषि क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद समूहों, जैसे छोटे किसान और भूमिहीन श्रमिकों का सशक्तीकरण करने हेतु।
- किसानों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु।

मुख्य पहलें/योजनाएँ –

1. मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :-

- घोषणा- बजट 2024-25
- उद्देश्य-राज्य सरकार द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- बजट 2025-26 वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई
- 71.79 लाख किसान लाभान्वित
- प्रति किसान ₹1,000 की सहायता डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभान्तरण) के माध्यम से भेजी गई

2. PM किसान पोर्टल :-

- राजस्थान सरकार के “सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग” द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु ‘किसान सेवा पोर्टल’ की शुरुआत की गई। (2019-2021 तक)
- ‘किसान सेवा पोर्टल’ के बाद भारत सरकार द्वारा ‘PM किसान पोर्टल’ शुरू किया गया।
- PM किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों को लाभ प्राप्त करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
- लाभार्थियों की संख्या के मामले में राज्य देश में 5वें स्थान पर है।
- 69.42 लाख किसानों द्वारा ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग पूर्ण की गई।

3. लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना :-

किसान	आयु	पेंशन
पुरुष	58 वर्ष	₹ 1,250 प्रति माह
महिला	55 वर्ष	

- नोट:- 1 जनवरी 2026 से न्यूनतम पेंशन ₹1250 + 50 प्रति माह कर दी गई।

4. राजस्थान कृषक समर्थन योजना :-

- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर प्रति क्विंटल ₹ 150 (बोनस) की दर से भुगतान।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद:-

- राज्य में 327 क्रय केंद्रों पर रबी विपणन मौसम 2025-26 (10 मार्च से 30 जून, 2025) के दौरान खरीद की गई।
- एमएसपी ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित

6. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना :-

- 30 नवंबर 2018 तक बकाया अल्पकालिक फसल ऋणों की माफी
- योजना 2019 के अंतर्गत अतिदेय मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋणों पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राहत

7. समेकित बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण सामग्री की आपूर्ति :-

- महिला एवं बाल विकास विभाग
- कॉन्फेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषण की आपूर्ति
- लगभग 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर किया गया

8. किसान कलेवा योजना :- जनवरी 2014

- ✓ **उद्देश्य-** राज्य में 'सुपर', 'अ' व 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों में ₹ 5 में कृषकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना।
- फल एवं सब्जी मंडी प्रांगणों को छोड़कर।

9. महिला प्रशिक्षण -

- ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों को कृषि प्रौद्योगिकी हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण।
- 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹ 3000 देने का प्रावधान।

10. कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि -

उच्च माध्यमिक (कृषि)	प्रतिवर्ष ₹ 15000 प्रति छात्रा
स्नातक & स्नातकोत्तर	प्रतिवर्ष ₹ 25000 प्रति छात्रा
स्नातकोत्तर - PhD	₹ 40000 प्रति छात्रा

11. मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना 2009 से प्रारम्भ

- कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर ₹ 2 लाख की सहायता।
- लाभार्थी-** कृषक, खेतिहर मजदूर, हम्माल

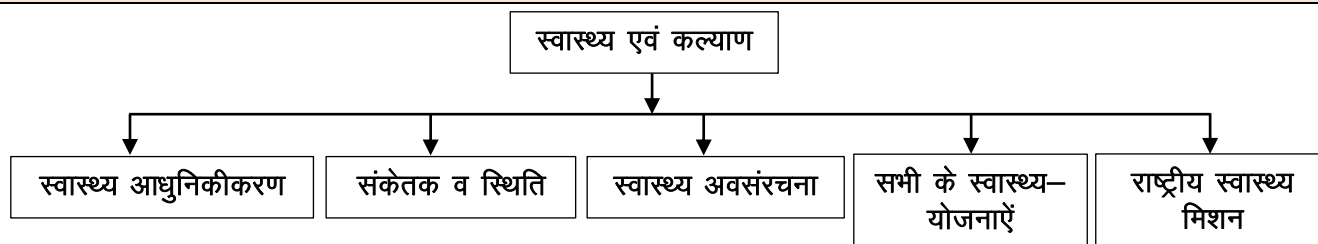
12. महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना - 2015

विशेषताएँ -

- प्रसूति सहायता** - दो प्रसूति अवधि हेतु 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि।
- विवाह सहायता** - महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह के लिए ₹ 75 हजार या दो पुत्रियों तक के विवाह के लिए ₹ 75 हजार।
- छात्रवृत्ति** - श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को 60% से अधिक अंक लाने पर।
- चिकित्सा सहायता** - गम्भीर बीमारी पर → अधिकतम ₹ 20 हजार।
- पितृत्व अवकाश** - 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि।

दृष्टि वक्तव्य—विकसित राजस्थान@2047

2047 तक राजस्थान सभी नागरिकों के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से समग्र कल्याण की परिकल्पना करता है, जिसे एक सार्वभौमिक, सुलभ एवं एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाएगा। एक पारदर्शी, समावेशी एवं नवाचार आधारित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रणाली आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करेगी, जिससे सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक स्थिरता सुदृढ़ होगी।



राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण:—

- उद्देश्य — उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग से स्वास्थ्य तंत्र की उत्पादकता व दक्षता को बढ़ाना।

आधुनिकीकरण के लिए प्रयास—

- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन — राजस्थान सरकार द्वारा प्रारम्भ।
 - ✓ उद्देश्य—स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करना।

- **आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) –**
 - ✓ उद्देश्य – स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक केन्द्रीकृत डिजिटल संग्रह बनाना।
 - ✓ मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
 - ✓ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (शुरू 2020) के तहत लॉन्च डिजिटल हेल्थ आईडी।
 - ✓ राजस्थान में 6.52 करोड़ से अधिक आभा आईडी जारी (दिसम्बर, 2025 तक)।
- **स्वास्थ्य सेवा का अधिकार अधिनियम 2023**
 - ✓ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने हेतु।
 - ✓ इस प्रकार का कानून बनाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच –

- राजस्थान स्वास्थ्य संकेतक प्रवृत्तियाँ

संकेतक	राजस्थान		भारत	
	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2019-21)
1. नवजात मृत्यु दर (NNMR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	29.8	20.2	29.5	24.9
2. शिशु मृत्यु दर (IMR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	41.3	30.3	40.7	35.2
3. 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु (U5MR) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	50.7	37.6	49.7	41.9
4. कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की संख्या)	2.4	2.0	2.2	2.0
5. संस्थागत जन्म प्रतिशत	84.0	94.9	78.9	88.6
6. पूर्ण टीकाकरण प्रतिशत	54.8	80.4	62.0	76.4
7. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कद में कम है। (प्रतिशत)	39.1	31.8	38.4	35.5
8. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबले है। (प्रतिशत)	23.0	16.8	21.0	19.3
9. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे जो वजन में कम है। (प्रतिशत)	36.7	27.6	35.8	32.1
10. गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता (आयु समूह 15-49 वर्ष)	46.6	46.3	50.4	52.2

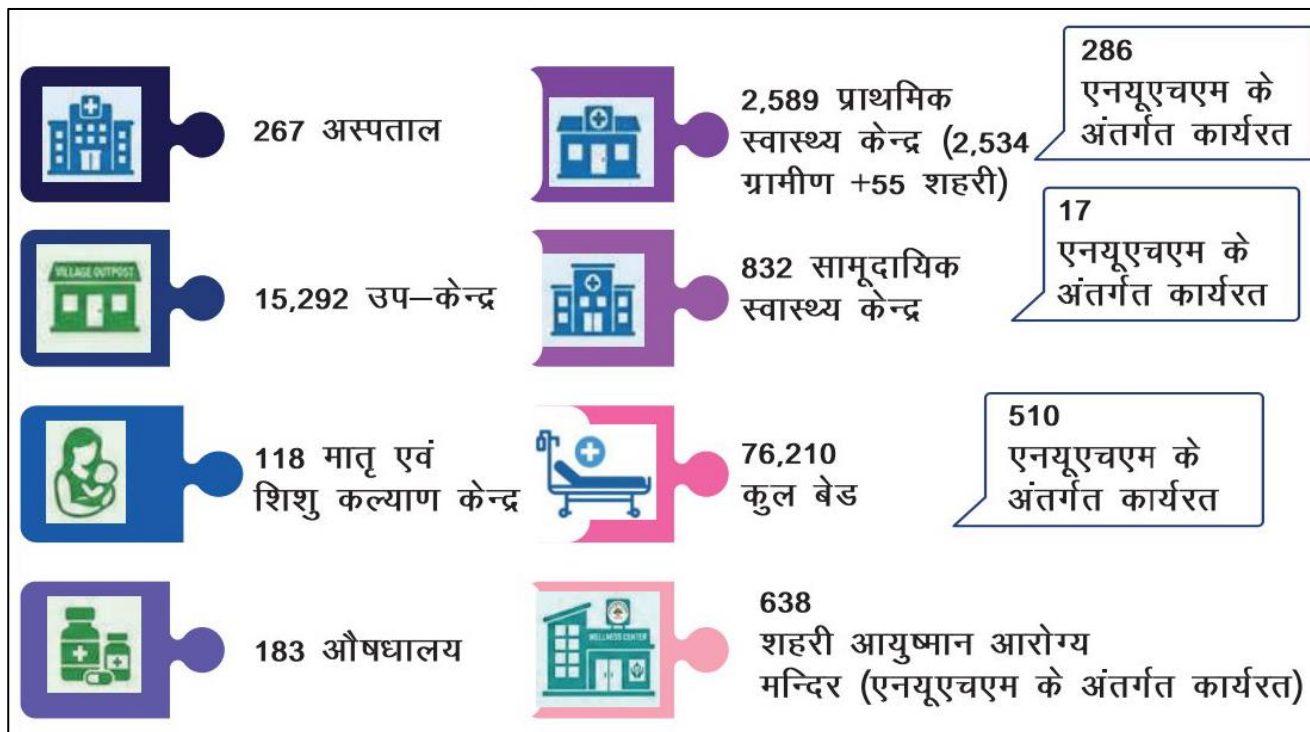
- **मातृ मृत्यु दर (MMR) की प्रवृत्ति**

क्र.स.	सूचकांक	राजस्थान		भारत	
		एसआरएस (2018-20)	एसआरएस (2021-23)	एसआरएस (2018-20)	एसआरएस (2021-23)
1.	मातृ मृत्यु दर (MMR) (प्रति लाख जीवित जन्म)	113	86	97	88

राज्य स्वास्थ्य अवसंरचना —

- भौतिक अवसंरचना :-

राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों की स्थिति



राज्य में आयुर्वेद एवं अन्य संस्थाएं (दिसम्बर, 2025 तक)

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	आयुर्वेद अस्पताल	127
2.	ब्लॉक आयुष अस्पताल	86
3.	आयुर्वेद औषधालय	3575
4.	मोबाइल इकाइयाँ	14
5.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र	33
6.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल	3
7.	योग और प्राकृतिक चिकित्सा औषधालय	3
8.	सर्जिकल एंबुलेटरी थेरेपी यूनिट	1
9.	एंबुलेटरी थेरेपी इकाइयाँ	13
10.	आंचल प्रसूता केन्द्र	45
11.	जरावस्था ज्ञान व्याधि निवारण केन्द्र	45
12.	पंचकर्म केन्द्र	82
13.	क्षारसूत्र केन्द्र	10

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल/आयुष्मान आरोग्य मंदिर

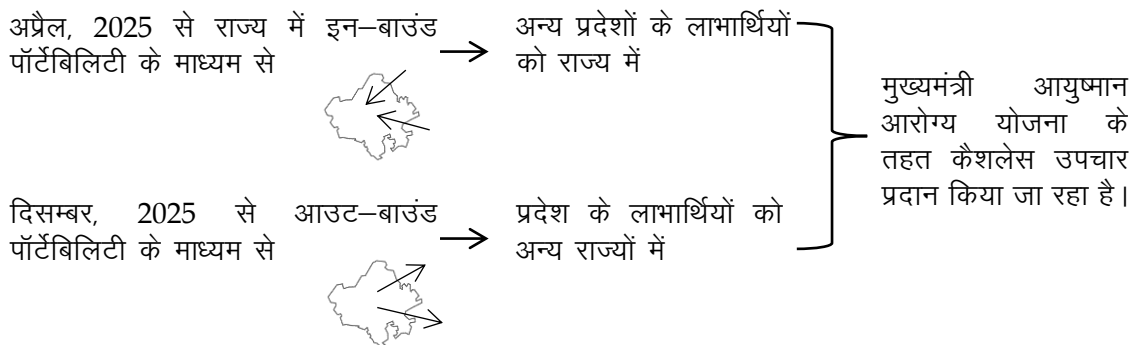
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में "स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों" की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं से भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई हिस्सा समर्पित किया जायेगा।
- इसमें देखभाल के निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सम्बंधी पहलू शामिल हैं।
- नवम्बर 2023 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों का नाम बदलकर **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)** कर दिया है।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (CPHC) के तहत प्रदान की जाने वाली 12 सेवाओं की सूची निम्नलिखित है:-**
 - गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के समय देखभाल।
 - नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
 - बाल्यकाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
 - परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
 - संचारी रोगों का प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम।
 - एक्यूट सिम्पल इन्फेक्शन एवं मामूली बीमारियों के लिए सामान्य ओपीडी सेवाएं।
 - गैर-संचारी बीमारियों की जाँच, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन।
 - सामान्य नेत्र एवं नाक, कान, गला रोग सेवाएं।
 - बुनियादी मुख स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
 - प्रौढ़ एवं उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं।
 - जलने एवं आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं।
 - मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की जाँच एवं बुनियादी प्रबंधन।

सभी के लिए स्वास्थ्य**1. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना –**

- प्रारम्भ :** 1 मई 2021
- पूर्व नाम :** "मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना"
- उद्देश्य :**
 - ✓ सभी लोगों को बिना वित्तीय कठिनाईया का सामना किये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना।
 - ✓ इसके तहत परिवारों को उच्च आउट ऑफ पॉकेट खर्च (OOPE) से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को सरकारी व्यय निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है।
- लाभार्थी :-** NFSA के अंतर्गत पंजीकृत परिवार
 - ✓ SECC में पात्र लाभार्थी
 - ✓ लघु और सीमांत किसान
 - ✓ संविदा श्रमिक
 - ✓ COVID अनुग्रह योजना से प्रभावित व्यक्ति
 - ✓ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
 - ✓ वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से अधिक आयु वाले)
 - ✓ शेष आबादी को 850 रु. प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर स्वास्थ्य बीमा।

को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

- ✓ प्रीमियम की शेष राशि (₹ 1115) का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
प्रति परिवार कुल प्रीमियम – ₹ 1965
- **लाभार्थी लक्ष्य :-** 2.86 करोड़
- **प्रावधान :-**
 - ✓ प्रति परिवार प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार
 - बीमा मोड – ₹5 लाख
 - ट्रस्ट मोड – ₹20 लाख
 - ✓ अंग प्रत्यारोपण और कोविलयर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है तथा अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति का विकल्प भी उपलब्ध है।
 - ✓ कुल 2179 उपचार पैकेज
 - बीमा मोड – 2002 पैकेज
 - ट्रस्ट मोड – 177 पैकेज
 - ✓ सर्जरियाँ, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष तथा जेरियाट्रिक (वृद्धजन) देखभाल से संबंधित **132** नए पैकेज शामिल।
 - ✓ चिकित्सालयों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व तथा 15 दिन पश्चात् का खर्च शामिल।
 - ✓



- ✓ बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर के 73 Day कैंसर पैकेज योजना में शामिल है।
- ✓ **बजट – 2025–26**
 - MAA कोष – निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3500 करोड़ रुपये का
 - Interstate Portability लागू कर राज्य के बाहर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना –

- **प्रारम्भ :** 1 अप्रैल, 2022 से
- **उद्देश्य :** सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- **योजनान्तर्गत मेडिकल कॉलेज**
 - ✓ जिला अस्पताल
 - ✓ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (CHC)
 - ✓ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC)
 - ✓ उप-स्वास्थ्य केन्द्र (SHC)
 - ✓ आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)
- 1238 दवाइयाँ + 428 सर्जिकल आइटम + 156 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध है।

3. मुख्यमंत्री बाल संबल योजना/मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सहायता योजना :

- **उद्देश्य:** दुर्लभ लोगों से पीड़ित बच्चों (18 वर्ष तक की आयु) को स्वास्थ्य संबल देना।
- **लाभ:-**
 - ✓ ₹50 लाख तक की उपचार सहायता।
 - ✓ 5 हजार रुपये प्रति माह।

4. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) – (CGHS की तर्ज पर)

- **प्रारम्भ :** 1 जुलाई 2021 से
- **उद्देश्य :** राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना।
- **पात्र लाभार्थी :** राज्य के मंत्री
 - ✓ विधायक, पूर्व विधायक
 - ✓ अखिल भारतीय सेवाओं में सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी
 - ✓ राज्य सरकार के सेवारत कर्मचारी व पेंशनभोगी कर्मचारी
 - ✓ राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी तथा उन पर आश्रित
- **विशेषताएँ :**
 - ✓ सरकारी/सूचीबद्ध निजी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध।
 - ✓ पंजीकरण जन आधार के माध्यम से।
 - ✓ ऐलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित। (योग नहीं)
 - ✓ यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन स्वचालित, पेपरलेस योजना।
 - ✓ मोबाइल App-RGHS कनेक्ट के माध्यम से सहज और त्वरित सुविधा प्रदान।

5. आयुष्मान वय वंदन योजना –

- **प्रारम्भ :** 29 अक्टूबर 2024
- **उद्देश्य :** बुजुर्गों को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करना।
- **पात्र लाभार्थी :** 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को।
- **लाभ:-** ₹ 5 लाख तक का कवरेज प्रदान कर कैशलेस उपचार प्रदान करना।

6. आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना –

- **उद्देश्य –** ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आदर्श-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में नामित किया गया है।
- 2025-26 के लिए ₹ 300 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी।

7. “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान –

- **प्रारम्भ :** 15 फरवरी, 2024
- **उद्देश्य :-** राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।

8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- **उद्देश्य :-** स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच को बढ़ाना और मरीजों के लिए समर्थन प्रदान करना।
- इसके अन्तर्गत कुल 645 शिविर आयोजित कर रोगियों का उपचार किया गया।

9. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम (NPPCF) –

- विशेषरूप से पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित है।
- वर्तमान में 30 जिलों में कार्यक्रम संचालित।
- राज्य के कुल 1020 गाँव फ्लोराइड से प्रभावित है। (जल शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार)

10. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- प्रारम्भ : 2014–15 में।
- उद्देश्य :
 - ✓ मुख स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना।
 - ✓ ग्रामीण एवं शहरी आबादी में मुख स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना।

सिलिकोसिस नीति-2019:

- **सिलिकोसिस रोग** : खदानों, कारखानों, पत्थर कटाई, ग्राइंडिंग, पाउडर निर्माण, गिट्टी, बलुआ पत्थर की मूर्तिकला आदि कार्यों में उत्पन्न धूल के लम्बे समय तक सम्पर्क में आने से होने वाला एक असाध्य रोग है।
- **उद्देश्य** :
 - ✓ सिलिकोसिस से पीड़ितों की वित्तीय सहायता करना
 - ✓ रोग की पहचान, पुनर्वास, रोकथाम एवं नियंत्रण तथा संबंधित कार्यस्थलों एवं श्रमिकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करना।
- **प्रावधान** :
 - ✓ **पीड़ित** : सिलिकोसिस रोग के प्रमाणन पर पीड़ित को पुनर्वास हेतु ₹3 लाख की सहायता राशि तथा ₹1,500 प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है।
 - ✓ **मृत्यु** : पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को ₹2 लाख की सहायता दी जाती है।
 - ✓ **विधवा** : दिवंगत की विधवा को आयु वर्ग के अनुसार ₹1,250 से ₹1,500 प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जाती है।
 - ✓ **अंतिम संस्कार** : पीड़ित के परिवार को ₹10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
 - ✓ पालनहार योजना के अन्तर्गत परिवार को आयु वर्ग के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।
 - ✓ पीड़ित एवं उसका परिवार 'आस्था कार्ड' धारक परिवार की भांति सभी बीपीएल सुविधाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करता है।
- **नवाचार:-**
 - ✓ सिलिकोसिस की शीघ्र पहचान हेतु AI आधारित टेली- रेडियोलॉजी पहल

11. राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण कार्यक्रम :

- **उद्देश्य:**
 - ✓ सुनने की क्षमता को बढ़ावा देना।
 - ✓ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहरापन की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना।
- इसके तहत दिसम्बर 2025 तक कुल 1554 शिविर आयोजित किये गये।

12 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTPC)

- राज्य सरकार द्वारा 60 दिवसीय तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का आयोजन किया गया
- इसके अन्तर्गत राज्यभर में निम्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं—
 - ✓ तम्बाकू मुक्त विद्यालय
 - ✓ सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही
 - ✓ तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायतें
 - ✓ सोशल मीडिया अभियान
 - ✓ क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम

13. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP)

- प्रारम्भ : 2019 में
- उद्देश्य :
 - ✓ वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस-C का उन्मूलन करना
 - ✓ हेपेटाइटिस-B एवं C के साथ-साथ हेपेटाइटिस-A एवं E से होने वाली मृत्यु दर तथा रोगों को कम करना है।
- हेपेटाइटिस जांच हेतु 4 राज्य स्तरीय मॉडल उपचार प्रयोगशालाएं संचालित—
 - ✓ जयपुर
 - ✓ जोधपुर
 - ✓ उदयपुर
 - ✓ अजमेर

14. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (जाँच) योजना

- उद्देश्य : राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में समग्र उपचार उपलब्ध कराना

15. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)

- उद्देश्य : संक्रामक एवं गैरसंक्रामक रोगों की नियमित निगरानी के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को नियंत्रित करना।
- भारत सरकार द्वारा विकसित संचार प्रणाली (वर्तमान में IDSP पोर्टल) के माध्यम से उपकेन्द्र स्तर से ही रियल-टाइम में आंकड़ों का संकलन।
- विशेषताएँ :
 - ✓ राज्य एवं जिला स्तर पर जिला निगरानी समितियों तथा उपकेन्द्र स्तर तक निगरानी इकाइयों का गठन।
 - ✓ 27 जिला चिकित्सालयों का जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के रूप में विकास।
 - ✓ रेफरल नेटवर्क के अन्तर्गत 7 चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना।

16. अन्य प्रमुख गतिविधियां एवं कार्यक्रम—**मिशन मधुहारी कार्यक्रम**

- शुभारम्भ : 29 नवम्बर, 2024 को जिला चिकित्सालय, नागौर से।
- उद्देश्य : टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- कार्यक्रम के अंतर्गत 70 जिला एवं उप-जिला चिकित्सालयों के बाल रोग विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- रोगियों को निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर व ग्लूकोज स्ट्रिप्स का वितरण।

मिशन मधुनेत्र

- मधुमेह रोगियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच हेतु।
- 1st चरण— 5 चिकित्सा संस्थानों में प्रारम्भ यथा— 4 जिला चिकित्सालय—पाली, ब्यावर, करौली, जालौर।
1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक (बीकानेर)।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

- राज्य के 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलिसिस सेवाओं का संचालन।

17. वर्ष 2025–26 के दौरान चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत नवीन गतिविधियां—**क्रमोन्नत अस्पताल :**

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) डीग को 150 शैयाओं वाले जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- रामगंज मंडी (कोटा) स्थित उप-जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप-जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 78 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

नवीन सैटेलाइट अस्पताल

- पृथ्वीराजनगर-जयपुर (शिवदासपुरा, टोंक रोड पर स्थित) और बालमुकुंदपुरा (अजमेर रोड) में 50 शैयाओं वाले दो नवीन सैटेलाइट अस्पताल खोले जायेंगे।
- मुरलीपुरा और प्रतापनगर (जयपुर) तथा कमला नेहरू अस्पताल, कांकरोली (राजसमंद) को 50 शैयाओं वाले सैटेलाइट अस्पतालों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सुनेल (झालावाड़) स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 75 शैयाओं वाले सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

18. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- **लागू :** राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा
- **उद्देश्य :**
 - ✓ एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकना और कम करना है।
 - ✓ मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों एवं चयनित केन्द्रों में कार्यरत सभी 53 यौन संचारित संक्रमण (STI) क्लिनिकों पर निःशुल्क परामर्श, परीक्षण और दवाएं प्रदान की जा रही हैं।

19. आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को सशक्त बनाना (आयुष)

- आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (AYUSH) के व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में संस्थाएं –
 - ✓ राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी
 - ✓ राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय
- आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में परिवर्तित किया गया है।
 - ✓ इन केन्द्रों में नियमित योगाभ्यास, आयुष उपचार, सामान्य प्रयोगशाला सेवाएं, प्रकृति परीक्षण और औषधीय उद्यान तथा गैर संक्रामक रोगों की सर्वे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (आयुष) को NABH प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है।
- 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2025 को “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग” थीम के साथ आयोजित किया गया।
- **जायल-नागौर एवं नवलगढ़-झुंझुनूं** में आयुर्वेद औषधालयों को **ब्लॉक आयुष** चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।
- कोटा में **नवीन राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय** स्थापित किया गया है।
- “शहर चलो एवं गाँव चलो” अभियान के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।
- **संभाग स्तर पर नारी निकेतन केन्द्रों** में प्रतिमाह निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।

20. मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना:

- **उद्देश्य:**
 - ✓ राज्य में शिशु मृत्यु दर व प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना।
 - ✓ गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशु को निःशुल्क दवा, उपभोग्य वस्तुएँ, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधा व यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना।

21. कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS) –

- **उद्देश्य :-**
 - ✓ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
 - ✓ सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- **पात्र संस्थान :** न्यूनतम 10 कर्मचारियों वाली संस्थान पर जिनका वेतन 21 हजार रुपये प्रतिमाह तक हो।
- **लाभार्थी :** कर्मचारी के साथ-साथ उनके पति/पत्नी, आश्रित पुत्र (21 वर्ष तक), आश्रित अविवाहित पुत्रियाँ, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चे व आश्रित माता-पिता को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
- **वित्तीय भागीदारी :** ESI कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के बीच 7 : 1 के अनुपात में।
- **अंशदान :** नियोक्ता का 3.25% और कर्मचारी का 0.75%
- यह योजना 3 चिकित्सालय (जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा) और 76 औषधालयों के माध्यम से संचालित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- उद्देश्य :
 - ✓ ग्रामीण और शहरी दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना।
 - ✓ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रभावी देखभाल प्रदान करना।
- वित्त पोषण— केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- मुख्य घटक— RMNCH+A
 - संचारी व गैर संचारी रोग
- NHM में दो उपमिशन शामिल हैं—
 - ✓ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
 - ✓ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन।

i. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005)

आशा कार्यक्रम :

- यह मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है।
- राजस्थान में आशा सहयोगिनी के रूप में जाना जाता।
- ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच संयुक्त कार्यकर्ता।
- यह ANM और AWW (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) के समन्वय से कार्य करती है।
- यह स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विभाग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।
- चयन :- ग्रामसभा द्वारा
- कार्य:
 - ✓ स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है।
 - ✓ सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप का घटक।

नोट : उषा :- शहरों में आशा सहयोगिनी का नाम।

ii. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

- उद्देश्य :
 - ✓ शहरी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
 - ✓ स्वास्थ्य नीति के तहत सुनियोजित ढाँचे का विकास करना।
 - ✓ चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाना।
- दिसम्बर 2025 तक 31893 शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित किये गये।
- दिसम्बर 2025 तक 1693 आउटरिच शिविरों का आयोजन किया गया।
- गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर 2025 तक 71 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को नेशनल सर्टिफाइड तथा 7 संस्थाओं को स्टेट सर्टिफाइड करवाया गया।

NHM के तहत विभिन्न अन्य गतिविधियाँ क्रियान्वित हैं—

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) —

- उद्देश्य : बच्चों में जन्म दोष और विकास में देरी जैसे 40 पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करना।
- इसके तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों तथा मदरसों पर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की 4 D's की जाँच समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जा रही है।
- 4D's-

✓ Defects at birth	✓ Disease
✓ Deficiencies	✓ Developmental delays

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम –

- प्रारम्भ : 7 जनवरी, 2014
- 10–19 वर्ष की आयु के किशोरों के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- गतिविधियाँ—
 - ✓ उजाला क्लिनिक
 - ✓ आउटरीच गतिविधियाँ
 - ✓ आयरन फोलिक एसिड अनुपूर्ण
 - ✓ शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उजाला क्लीनिकस : किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक का विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया गया।

104 जननी एक्सप्रेस सेवा :

- यह योजना गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं हेतु समय पर परिवहन प्रदान करती है।

108 एम्बुलेंस सेवा योजना :

- प्रारम्भ : सितम्बर 2008
- उद्देश्य: राज्य के लोगों को निःशुल्क और प्रभावी आपातकालीन सेवा प्रदान करना।
- वर्तमान में राज्य में 1094 एम्बुलेंस संचालित है।

मोबाइल मेडिकल सेवा योजना

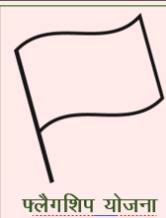
- 2008-09 में शुरू
- उद्देश्य : स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।
- प्रत्येक महीने 20 निःशुल्क मेडिकल कैम्पों का आयोजन किया जाता है।
- कैम्पों का आयोजन रेगिस्तानी, आदिवासी, अविकसित गाँवों, क्षेत्रों, ब्लॉकों में होता है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) वाउचर योजना

- प्रारम्भ : 2024
- उद्देश्य : विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्रति सोनोग्राफी सरकार द्वारा ₹450 का भुगतान।
- प्रदेश में 1462 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केन्द्र क्यूआर कोड वाले वाउचरों के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM)

- लॉन्च :- 25 अक्टूबर 2021
- राजस्थान में क्रियान्वयन— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा।
- उद्देश्य:
 - ✓ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना है।
 - ✓ यह मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।
- इसके तहत निम्न संरचनाओं का निर्माण करवाया गया—
 - ✓ 131 ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयाँ (BPHU)
 - ✓ 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (IPHL)
 - ✓ 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB)
 - ✓ 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM)



फ्लैगशिप योजना

शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर – (पूर्व नाम–“जनता क्लिनिक”)

- **उद्देश्य** – राजस्थान की शहरी गरीब और कमजोर आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है।
- प्रत्येक आयुष्मान मन्दिर लगभग 20,000 जनसंख्या को कवर करेगा।

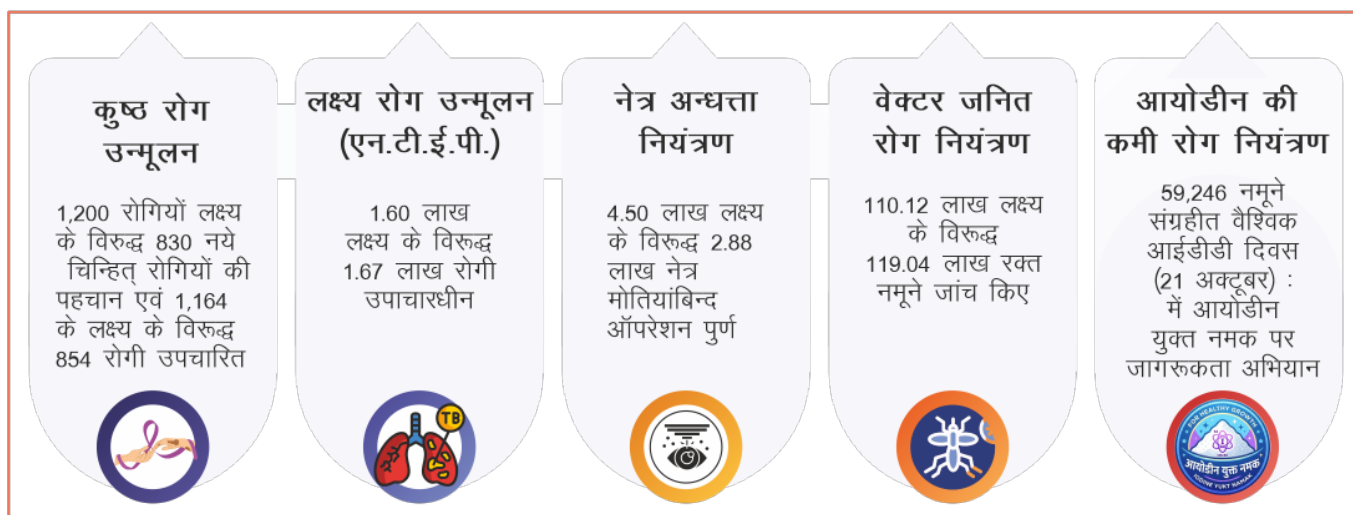
क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	वर्तमान में संचालित
1.	शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	17
2.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	286
3.	शहरी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर	638

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियाँ –

- **उद्देश्य** : स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को व्यवसायिक बनाना और स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाना।
- **अध्यक्षता** : सरपंच/वार्डपंच
- **संयोजक** : आशा सहयोगिनी।
- **सदस्य**:
 - ✓ आशा सहयोगिनी
 - ✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
 - ✓ ANM
 - ✓ स्वयं सहायता समूह, NGO तथा महिला स्वास्थ्य संघ आदि के प्रतिनिधि।
- 43,440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन।

टेलीमेडिसिन (ई-संजीवनी) –

- **Esanjeevanihwc (ई-संजीवनी) पोर्टल लॉन्च**:- भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई।
 - ✓ इसमें हब & स्पोक मॉडल के तहत पदानुक्रमित परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अर्थात् निम्न सुविधा से उच्च सुविधा (PHC-CHC-जिला अस्पताल-मेडिकल कॉलेज) तक
 - ✓ टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी।

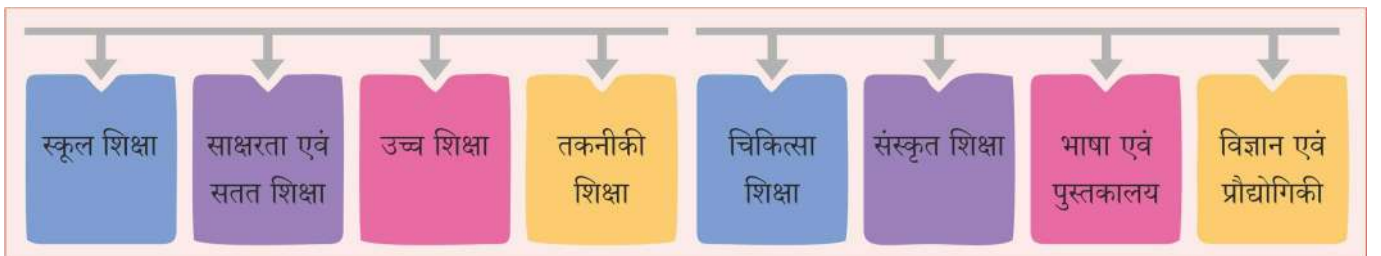
स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

दृष्टि वक्तव्य-विकसित राजस्थान@2047

- तक राजस्थान में विद्यार्थी-केंद्रित, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षण प्रणाली होगी, जो पहुँच, समानता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगी। स्कूल और तकनीकी शिक्षा, क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और बहुविषयी शिक्षण को बढ़ावा देगी, जिससे छात्रों को कार्यात्मक, क्रिटिकल और सॉफ्ट स्किल्स से सक्षम किया जाएगा।
- संस्कृत को आधुनिक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी। एक जीवंत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र फन लर्निंग, अनुसंधान और नवाचार पर बल देगा, जिससे राजस्थान वैश्विक मानकों के अनुरूप ज्ञान, अत्याधुनिक अनुसंधान और परिवर्तनकारी शिक्षा का केंद्र बनेगा।



राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र

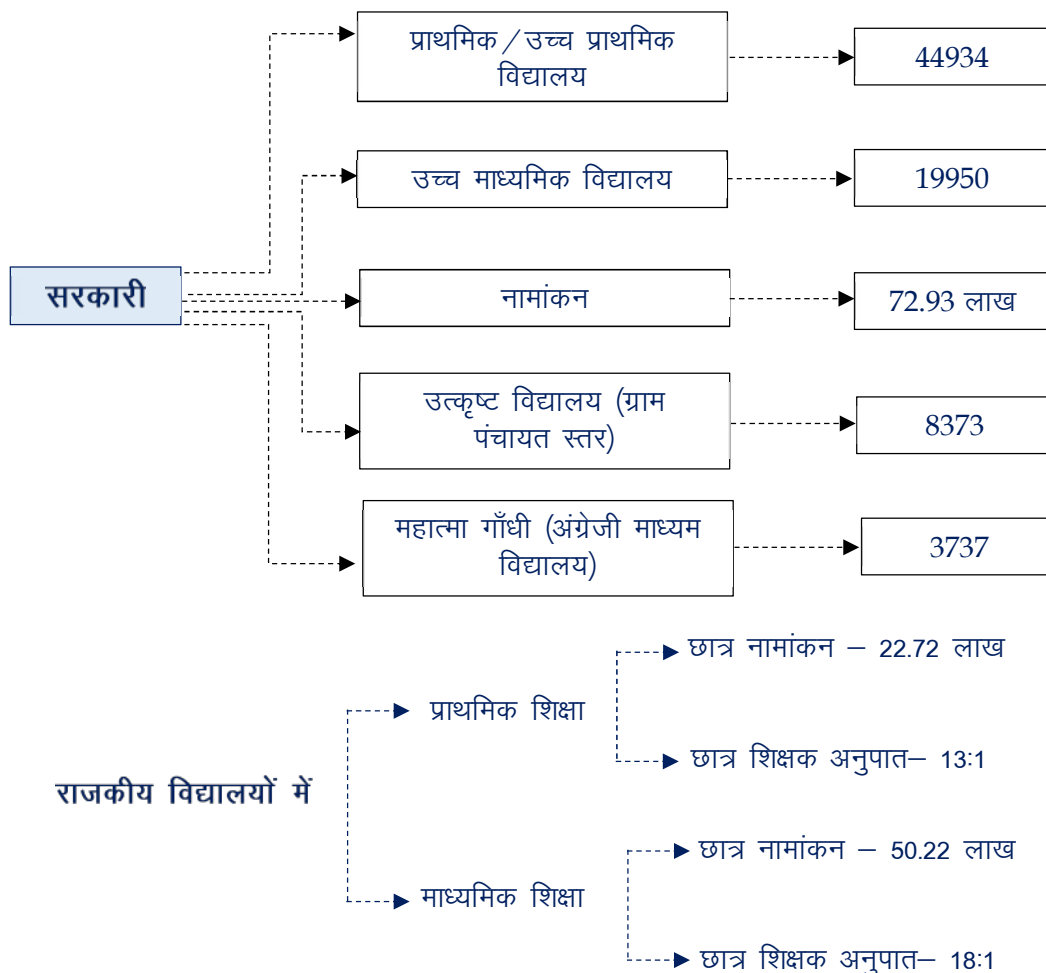


उद्देश्य :-

- प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना जिससे :-
 - ✓ सामाजिक, लैंगिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम हो।
 - ✓ न्यूनतम शैक्षिक मानकों की उपलब्धता हो।
 - ✓ व्यावसायिक, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा मिले।

स्कूली शिक्षा

- शिक्षा न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आवश्यक जीवन कौशल भी विकसित करता है जिससे वे समाज में योगदान देने के लिए तैयार होते हैं।



नोट :- ये दोनों अनुपात **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** की सिफारिश के अनुसार अनुशंसित 30:1 छात्र-शिक्षक अनुपात से बेहतर है।

राजस्थान में सकल नामांकन अनुपात:-

स्कूली शिक्षा के किसी विशेष स्तर में कुल नामांकन, आयु की परवाह किए बिना, आधिकारिक आयु-समूह की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जो किसी दिए गए स्कूल वर्ष में स्कूली शिक्षा के दिए गए स्तर के अनुरूप होता है।

2024-25	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	प्रारम्भिक (1-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
सकल नामांकन अनुपात	88.3	92.1	89.7	82.2	66.1

राजस्थान में छात्र-शिक्षक अनुपात :-

किसी दिए गए स्कूल वर्ष में प्रति शिक्षक (शिक्षा के उस स्तर पर पढ़ाने वाले) छात्रों (शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर पर) की औसत संख्या है।

2024-25	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
छात्र शिक्षक अनुपात	18	12	11	15

राजस्थान में संक्रमण दर :-

उन छात्रों का अनुपात जो एक शैक्षिक स्तर के अंतिम ग्रेड से अगले स्तर के पहले ग्रेड में प्रवेश करते हैं।

2024-25	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक (कक्षा 5-6)	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक (कक्षा 8-9)	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक (कक्षा 10-11)
प्रवेश दर	93.8	90.2	88.2

राजस्थान में ठहराव दर :-

किसी दिए गए स्कूल वर्ष में शिक्षा के किसी दिए गए स्तर की पहली कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों (या स्कूलों) के समूह का प्रतिशत, जिनके उस स्तर की अंतिम कक्षा तक पहुंचने की उम्मीद है।

2024-25	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	प्रारम्भिक (कक्षा 1-8)	माध्यमिक (कक्षा 1-10)	उच्च माध्यमिक (कक्षा 1-12)
ठहराव दर	83.1	78.7	55.9	51.9

राजस्थान में ड्रॉपआउट दर :-

किसी दिए गए स्कूल वर्ष में किसी दिए गए स्तर में नामांकित समूह के विद्यार्थियों का अनुपात, जो अगले स्कूल वर्ष में किसी भी कक्षा में नामांकित नहीं हैं।

2024-25	प्राथमिक (कक्षा 1-5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8)	माध्यमिक (कक्षा 9-10)
ड्रॉपआउट दर	3.6	3.6	7.7

स्कूली शिक्षा के तहत उन्नत पहल**1. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना :-**

- **उद्देश्य** : शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने एवं सीखने में निरंतरता को बनाए रखने के लिए
- **संचालन** : राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड, जयपुर
- **प्रावधान** : राजकीय विद्यालयों के निम्न विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध-
 - ✓ कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी
 - ✓ कक्षा- 9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राएं
 - ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी
 - ✓ वह छात्र जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हैं।

2. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना :-

- **उद्देश्य** : बालिकाओं की विद्यालय तक पहुँच सुलभ बनाना व ड्रॉपआउट की समस्या का समाधान करना।

- **प्रावधान** : राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त वर्ग की स्कूली बालिकाओं को साइकिलें वितरण।

3. ज्ञान संकल्प पोर्टल :

- **प्रारम्भ** : 5 अगस्त 2017
- **उद्देश्य** : राजकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आधारभूत ढांचे को मजबूत करना।
- **स्थापना** : शिक्षा विभाग
- **योगदानकर्ता** : विद्यालयों में विकास कार्य हेतु दानदाताओं/भामाशाहों/CSR के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा विद्यालयों में ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग किया जाता है।

Note: वर्ष 2025 में आयोजित 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कुल 135 भामाशाहों और 91 प्रेरकों को सम्मानित किया गया।

4. लाड़ो प्रोत्साहन योजना :

- **प्रभावी** — 1 अगस्त, 2024
- **विभाग** — महिला आधिकारिता विभाग
- **उद्देश्य** :
 - ✓ बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार करना।
- प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को अधिकतम कुल राशि ₹ 1.50 लाख का भुगतान 7 किश्तों में किया जाता है।
- **स्कूल शिक्षा विभाग** द्वारा तीसरी से छठी किस्त और **उच्च शिक्षा विभाग** द्वारा सातवीं किस्त दी जा रही है।



फ्लेगशिप योजना

7 किश्तें :-

1. संस्थागत प्रसव पर — ₹ 2500
2. 1 वर्ष की उम्र व पूर्ण टीककरण होने पर — ₹ 2500
3. पहली कक्षा में प्रवेश पर — ₹ 4,000
4. छठवीं कक्षा में प्रवेश पर — ₹ 5,000
5. 10वीं कक्षा में प्रवेश पर — ₹ 11,000
6. 12वीं कक्षा में प्रवेश पर — ₹ 25,000
7. स्नातक उत्तीर्ण व 21 वर्ष पूर्ण होने पर — ₹ 1 लाख

5. मुख्यमंत्री सम्बल योजना :

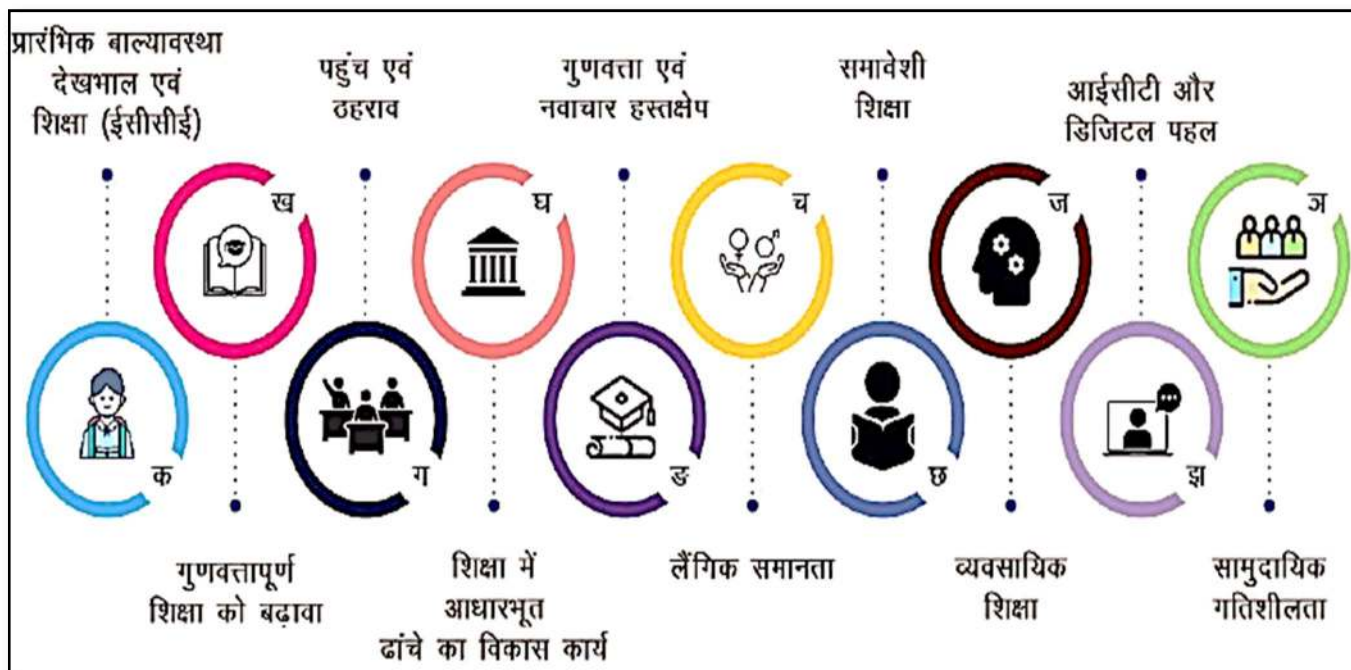
- **प्रावधान** : विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन (DELED) अध्ययन करने पर ₹9000 राशि (शिक्षण शुल्क) दी जाती है।

- 41 लाख विद्यार्थियों के लिए **राज्य स्तरीय समान परीक्षा प्रणाली** लागू की गई।
- **मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठकें (PTM)** —कक्षा - 3 से 8 के विद्यार्थियों के क्षमता मूल्यांकन परिणाम साझा करने के लिए।
- **AI आधारित 'मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम'**— पढ़ने के कौशल को सुधारने के लिए।
- **'वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम'**— छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल किया। राज्यव्यापी **सूर्य नमस्कार कार्यक्रम** में 1.53 करोड़ छात्रों ने भाग लेकर **विश्व रिकॉर्ड** स्थापित किया।

6. मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना :

- **घोषणा :-** बजट 2022-23
- **उद्देश्य:-** पंजीकृत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों से उन्नत करना है, जिसमें कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं, फर्नीचर एवं ई-लर्निंग उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।
- **प्रावधान :**
 - ✓ प्राथमिक स्तर के मदरसों को वित्तीय सहायता – ₹ 15 लाख तक
 - ✓ उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को वित्तीय सहायता – ₹ 25 लाख तक
- **वित्तीय प्रावधान :** राज्य सरकार : मदरसा प्रबंधन समिति
90 : 10
- इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2025 तक कुल 305 मदरसों को लाभ प्रदान किया जा चुका है।

समग्र शिक्षा : समग्र विकास की दिशा में



समग्र शिक्षा अभियान

- **उद्देश्य :-**
 - ✓ प्री-स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों के लिए समावेशी, समानतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
 - ✓ सीखने के परिणामों में सुधार, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना।
 - ✓ समानता और न्यूनतम स्कूली मानकों को सुनिश्चित करना।
 - ✓ व्यावसायिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
 - ✓ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन को समर्थन देना
 - ✓ SCERT और DIET जैसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना है।

- **राजस्थान में क्रियान्वयन** — राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य कार्यान्वयन समिति के रूप में किया जाता है।
- **वित्तीय भागीदारी** — केंद्र और राज्य सरकार = 60 : 40
- **विशेषताएँ :**
 - ✓ यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
 - ✓ यह योजना पूर्व-नर्सरी से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है।
 - ✓ **सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा** जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं का एकीकरण।

क. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE)

- **राज्य में ICDS के अन्तर्गत पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** :— आँगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत 62,000 आँगनवाड़ी केन्द्रों में 3-6 वर्ष आयु वर्ग के 11.90 लाख बच्चे पूर्व-विद्यालय शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य में 962 बाल वाटिकाएं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा 629 बाल वाटिकाएं पीएम श्री विद्यालयों में संचालित की जा रही हैं।

ख. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का संवर्धन

1. निपुण भारत मिशन (मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान) :-

- **उद्देश्य** : कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) प्रदान करना।
- 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने व अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करें।
- **प्रावधान** :
 - ✓ पंचायत स्तर पर **निपुण मेलों** का आयोजन।
 - ✓ कक्षा 1 के लिए विद्या प्रवेश और कक्षा 3 से 5 के लिए कार्यपुस्तिका वितरण।
 - ✓ कक्षा 1 व 2 के छात्रों के लिए संरचित शिक्षा पद्धति आधारित पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं। जिसमें चार ब्लॉक शिक्षा पद्धति का पालन किया जाता है।
 - ✓ NISHTA (NATIONAL INITIATIVE FOR SCHOOL HEADS AND TEACHERS HOLISTIC ADVANCEMENT) शिक्षक प्रशिक्षण हेतु NCERT की एक पहल।

2. शिक्षक संसाधन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) सामग्री :

- कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों को बाल-केंद्रित शिक्षण पद्धति में सहायता हेतु गतिविधि पुस्तिकाएं एवं सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) सामग्री प्रदान की जाती है।

3. क्षमता संवर्धन कार्यशालाएँ :-

- FLN (Foundational Literacy & Numeracy) कार्यक्रम के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक शैक्षणिक कार्य बलों (SATF, DATF, BATF) के सदस्यों एवं FLN सलाहकारों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।
- शिक्षक क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से शिक्षकों के साथ क्लस्टर स्तरीय कार्यशालायें (तिमाही) आयोजित की जा रही हैं।
- समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

अभिनव कार्यक्रम :-

प्रखर राजस्थान कार्यक्रम : बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत राज्य स्तर पर प्रारम्भ।

मेगा (अभिभावक एवं शिक्षक बैठक) :

- **उद्देश्य :** कक्षा 3 से 8 के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, पठन के कौशल की स्थिति और सीखने की चुनौतियों को अभिभावकों के साथ साझा करना था।
- **आयोजन :-** राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर, को राज्य के सभी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन।

निपुण राजस्थान अभियान :

- **प्रारम्भ :** 30 अक्टूबर, 2029
- **उद्देश्य :** कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशलों को मजबूत करने के लिए, निपुण भारत मिशन के तहत शुरू किया गया।

PRABAL कार्यक्रम (प्रोग्राम टू रिकोगनाईज एबिलिटिज एण्ड बिल्ड अप एडेप्टिव लाईफ स्कील्स)

- **उद्देश्य :** किशोर विद्यार्थियों को 21वीं सदी के जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता, नागरिकता और भविष्य के करियर कौशल से सशक्त बनाना।
- सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम।

ग. पहुंच एवं ठहराव

स्कूली शिक्षा में पहुंच एवं ठहराव में सुधार के लिए राज्य में निम्नलिखित नवाचारों को अपनाया गया है:-

1. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल :-

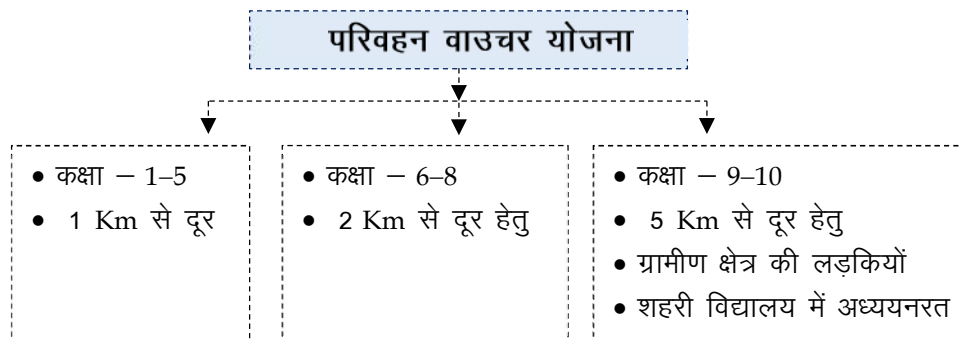
- **उद्देश्य :**
 - ✓ पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना।
 - ✓ वंचित वर्गों, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिकतम लाभ प्रदायगी।
- **संबद्ध :** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली
- **विशेषताएँ :**
 - ✓ कक्षा 1 से 12 तक
 - ✓ कम से कम 55 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित।
 - ✓ पाठ्यक्रम NCERT के दिशा-निर्देशों पर आधारित।
 - ✓ 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 विद्यालय संचालित हैं।

2. आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास :-

- 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय जिनमें-
 - ✓ 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय,
 - ✓ 20 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावास
 - ✓ 11 बेघर, बेसहारा अनाथ श्रेणी के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास।
- कुल छात्रावास प्रवेश क्षमता :- 3,900

3. परिवहन वाउचर योजना :-

- उद्देश्य — सभी छात्रों के लिए विद्यालय तक सुरक्षित और विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करना।



- वाउचर स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा दिया जाता है।

4. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम :-

- प्रारंभ — राज्य में 1 अप्रैल 2010 से
- कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है।
- आय पात्रता सीमा ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 2.5 लाख कर दी गई।

घ. शिक्षा में आधारभूत ढांचे का विकास कार्य

- समग्र शिक्षा अभियान के तहत आधारभूत ढांचे के विकास हेतु विद्यालयों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं—
 - ✓ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा कक्ष निर्माण।
 - ✓ भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण
 - ✓ जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण
 - ✓ अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण
 - ✓ शौचालय इकाई
 - ✓ पेयजल सुविधा
 - ✓ मॉडल स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का निर्माण
 - ✓ मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण
 - ✓ KGBV भवन निर्माण, सुदृढीकरण एवं चारदीवारी कार्य

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत

ङ. गुणवत्ता एवं नवाचार हस्तक्षेप

1. निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना :

- उद्देश्य : शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने एवं सीखने में निरंतरता को बनाए रखने के लिए
- प्रावधान :

कक्षा	लाभ
1 से 8 के सभी विद्यार्थियों को	यूनिफॉर्म हेतु प्रति विद्यार्थी ₹ 600 DBT के माध्यम से प्रदान
9 से 12 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को	यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग हेतु सहायता राशि ₹ 800 प्रति विद्यार्थी DBT के माध्यम से प्रदान

2. कला उत्सव (कला महोत्सव) :-

- **उद्देश्य** : भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **आयोजन** : जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर
- **गतिविधि** :
 - ✓ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषयों (गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना) में कला प्रदर्शन।
 - ✓ इसमें राजस्थान से कुल 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।

3. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना

- **प्रारम्भ** : 7 सितम्बर, 2022
- **उद्देश्य** :
 - ✓ चयनित सरकारी विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना।
 - ✓ हरित, डिजिटल एवं नवाचार-आधारित विद्यालय वातावरण तैयार करना।
 - ✓ गुणवत्तापूर्ण समान समावेशी शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना।
- **चयन** : प्रत्येक ब्लॉक/ULB से 2 विद्यालयों (एक माध्यमिक शिक्षा व एक प्रारम्भिक शिक्षा से) का चयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- **प्रमुख विशेषताएँ**
 - ✓ सोलर पैनल एवं ऊर्जा दक्षता
 - ✓ जल संरक्षण एवं अपशिष्ट प्रबंधन
 - ✓ डिजिटल कक्षाएँ एवं स्मार्ट लर्निंग
 - ✓ कौशल, पर्यावरण एवं मूल्य-आधारित शिक्षा
 - ✓ पीएमश्री योजना राजस्थान के 639 स्कूलों में लागू है

90 प्रारंभिक शिक्षा के

549 माध्यमिक शिक्षा के

1 संस्कृत शिक्षा के विद्यालय

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 :-

- **प्रारम्भ** : 29 जुलाई, 2020
- **उद्देश्य** : समग्र शिक्षा के माध्यम से भारत की विकास की जरूरतों को पूरा करना।
- **विशेषता** :
 - ✓ NEP 2020 को लागू करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सार्थक (SARTHAQ) पहल के अंतर्गत 27 चेप्टर में 297 कार्य बताए हैं।
 - ✓ इनमें से 202 कार्य राज्यों को दिए गए हैं। राजस्थान में, दिसंबर, 2025 तक 73 कार्य पूरे हो चुके हैं।
 - ✓ राजस्थान में उपर्युक्त कार्य हेतु निर्मित समितियाँ = 6
जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति— अध्यक्ष : जिला कलेक्टर
 - ✓ मासिक प्रगति समीक्षा— गूगल 202 टास्क ट्रेकर द्वारा (शिक्षा मंत्रालय द्वारा)

SARTHAQ

(Students' and Teachers' Holistic Advancement through Quality Education)

- 8 अप्रैल, 2021 को जारी
- NEP को लागू करने के लिए 10 वर्षों की क्रियान्वयन योजना।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) :

- **विभाग** — स्कूल शिक्षा विभाग
 - राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 को लागू करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम।
 - **उद्देश्य :**
 - ✓ राज्य को एक मॉडल के रूप में विकसित करना
 - ✓ नामांकन बढ़ाना
 - ✓ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना।
 - ✓ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना
 - राजस्थान ने इस योजना के तहत NEP बालक, NEP शिक्षक और NEP स्कूल को बहुवर्षीय कार्यक्रम के रूप में लागू करने की रणनीति बनाई गई है।
 - **मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 2025 से निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं—**
 - ✓ राज्य **AI – आधारित मौखिक पठन प्रवाह (ORF – Oral Reading Fluency)** – मूल्यांकन
 - ✓ छात्र उपस्थिति एप
 - ✓ NIOS के लिए ऑन डिमांड परीक्षाएं (ODE)
 - ✓ डिजिटल पहलें
- उक्त में से दो गतिविधियाँ (ORF और डिजिटल पहल) जिला स्तर पर लागू की जा रही हैं।



फ्लेगशिप योजना

च. लैंगिक समानता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल:

1. **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय :- 364 विद्यालय**

2. **बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम :-** किशोरी बालिकाओं के लिए 628 PM श्री विद्यालयों में क्रियान्वयन।

3. 639 PM श्री विद्यालयों में सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।

4. **शैक्षणिक किशोरी मेला :-**

• **उद्देश्य —**

- ✓ रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करना।
- ✓ विज्ञान और गणित विषय पर विशेष ध्यान देना।

5. **मीना-राजू एवं गार्गी मंच —**

• **उद्देश्य :**

- ✓ बालिका शिक्षा, नामांकन व उहराव को बढ़ावा देना।
- ✓ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना।

• कक्षा 6 से 8वीं की बालिकाओं हेतु — मीना राजू मंच।

• कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु — गार्गी मंच।

- **11 अक्टूबर** — अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
- **24 जनवरी** — राष्ट्रीय बालिका दिवस

6. बालिका शिक्षा फाउण्डेशन –

- स्थापना – 30 मार्च 1995
- मुख्यालय – जयपुर
- अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
- उपाध्यक्ष – उपमुख्यमंत्री
- उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

छ. समावेशी शिक्षा

- उद्देश्य :
 - ✓ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मुख्यधारा में लाना।
 - ✓ सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनके नामांकन, प्रतिधारण एवं एकीकरण में सुधार करना।
- नवाचार :
- राज्य मॉडल संसाधन कक्ष (2) की स्थापना : i. जयपुर
ii. उदयपुर में
 - ✓ इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ज. व्यावसायिक शिक्षा

- उद्देश्य : विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल, रोजगार क्षमता में वृद्धि कर युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- राजस्थान में 16 क्षेत्रों को कवर करते हुए 4019 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय संचालित है।

झ. ICT और डिजिटल पहल

- उद्देश्य : ICT का उपयोग कर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना।
- दीक्षा पोर्टल :
 - ✓ निर्माण : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के द्वारा।
 - ✓ इस पोर्टल पर RSCERT (ईटी सैल, अजमेर) द्वारा ई-सामग्री अपलोड की जा रही है।
- मिशन स्टार्ट :
 - ✓ उद्देश्य : ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाना।
 - ✓ शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वयन
 - ✓ शिक्षकों की अनुपस्थिति व अनुपलब्धता की स्थिति में, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की डिजिटल सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है।
- स्कूल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण)
 - ✓ विशेषता:-स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल।
 - ✓ राजकीय विद्यालयों एवं शिक्षा कार्यालयों की ऑनलाइन जानकारी और नियमित रूप से अपडेशन।
 - ✓ सरकारी लाभकारी योजनाओं तथा सभी प्रकार की ग्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन एवं भुगतान की शाला दर्पण के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है।

ञ. सामुदायिक गतिशीलता

- उद्देश्य :- स्कूल प्रबंधन समिति (SMC)/स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना।

- राज्य के राजकीय विद्यालयों में SMC, SDMC के 5 अभिभावक सदस्य व 1 जनप्रतिनिधि (कुल 6) को 2 दिवसीय प्रशिक्षण।

आजीवन शिक्षा को सशक्त बनाना: साक्षरता एवं सतत शिक्षा को आगे बढ़ाना

1. साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय

- कार्य :
 - ✓ 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता व उपयोगी कौशल प्रदान करना।

2. प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का समावेश

i. नवभारत साक्षरता कार्यक्रम

- प्रारम्भ : 1 अप्रैल, 2022
- उद्देश्य : 15 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता बढ़ाना।
- उल्लास एप (Understanding of Lifelong Learning for All in Society): शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उल्लास एप पर।
- वित्तीय प्रावधान – केन्द्र : राज्य = 60 : 40

ii. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर, 2023 के अवसर पर, साक्षरता विभाग ने मिशन ज्ञान के सहयोग से दो यू-ट्यूब चैनल, ई-साक्षरता (73 वीडियो अपलोड और लगभग 27,000 से अधिक सब्सक्राइबर) एवं उल्लास राजस्थान (18 वीडियो अपलोड) लॉन्च किए हैं, ताकि राज्य के छात्रों को ई-क्लासेज की सुविधा मिल सके।

iii. महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय :- कुल संख्या = 14,970.

- महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य एवं अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना।
- प्रत्येक लाइब्रेरी को प्रति माह ₹500 नियमित व्यय के रूप में दिए जा रहे हैं।

iv. प्रथम बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) :

- आयोजन : 21 सितम्बर, 2025 को NIOS के माध्यम।
- जिसमें 14.78 लाख शिक्षार्थी उपस्थित हुए।

3. महिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना :-

- उद्देश्य :
 - ✓ शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को कम करके उन्हें सशक्त बनाना है।

4. महिला शिक्षण विहार :

- उद्देश्य :
 - ✓ वंचित समूहों से संबंधित महिलाओं का सशक्तीकरण।
- पात्रता : 15 से 30 वर्ष की आयु की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी या वंचित समूहों से संबंधित महिलाएँ।
- लाभ:-इनमें 10वीं कक्षा तक की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- वर्तमान में यह कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें 100 महिलाओं को नामांकित किया गया है।

उच्च शिक्षा को सशक्त बनाकर ज्ञान आधारित भविष्य

उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

	मुख्यमंत्री बी.एड. संबल योजना	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	
	लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना	
	मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	

राजस्थान में उच्च शिक्षा संबंधी संस्थान :-

- उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता है।
- आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे
- परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 3,218 हो गई है। जिनमें :-
 - ✓ 596 राजकीय महाविद्यालय
 - ✓ 20 राजकीय विधि महाविद्यालय
 - ✓ 48 राजकीय कृषि महाविद्यालय
 - ✓ 1,589 निजी महाविद्यालय
 - ✓ 957 शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान
 - ✓ 2 स्वतंत्रपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं।

1. मुख्यमंत्री बी.एड. (B.ed) सम्बल योजना :-

- **पात्र** : विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाएँ।
- **लाभ** :- सरकारी/निजी प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस की प्रतिपूर्ति।
- **वित्तीय सहायता** : ₹ 17,880 की प्रतिपूर्ति।

2. बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना :-

- **उद्देश्य** - लड़कियों को दूरस्थ कॉलेज शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- **प्रारम्भ** - 24 अगस्त 2022 से।
- **VMOU/IGNU दूरस्थ UG/PG डिप्लोमा** - छात्राओं को ट्यूशन फीस का पुनर्भरण करना।

3. मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना :- 2015-16

- **उद्देश्य** : मेधावी लड़कियों को वित्तीय प्रोत्साहन।

- **पात्रता** : राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत निम्न श्रेणी की छात्राओं को –

- ✓ कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान
- ✓ BPL श्रेणी में प्रथम स्थान
- ✓ अनाथ श्रेणी में प्रथम स्थान

प्रत्येक जिले में कुल 4 छात्राओं का चयन जिनके (न्यूनतम 75% अंक) हो।

वित्तीय प्रावधान	प्रतिवर्ष	व्यावसायिक / प्रशिक्षण	कुल
11 व 12 में	₹ 15,000	₹1,00,000	₹ 1,15,000
UG/PG	₹ 25,00	₹ 2,00,000	₹ 2,25,000

4. कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना –

- **उद्देश्य** : मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने तथा छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करना।
- **विभाग** : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा
- **लाभार्थी** : GEN/OBC/EWS/SC/ST अल्पसंख्यक छात्रा
- **पात्रता**
 - ✓ वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
 - ✓ कक्षा 12th :- RBSE 65% minimum; CBSE 75% min.
 - ✓ कक्षा 10th ST वर्ग की छात्रा- RBSE 65% minimum; CBSE - 75%

5. देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना :-

- **उद्देश्य** : शिक्षा के माध्यम से छात्राओं को सशक्त बनाना।
- **प्रारम्भ** : 2023
- **विभाग** : उच्च शिक्षा विभाग द्वारा
- **पात्र** : अति पिछड़े वर्ग (जैसे-बंजारा, गाड़िया लुहार, राईका, रेबारी, देवासी आदि।)
 - ✓ वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 2.5 लाख से कम।
- **लाभार्थी** : RBSE/CBSE - 12वीं परीक्षा – Min 50% व प्रथम वर्ष में नियमित होना आवश्यक।
 - ✓ स्नातक के तीनों वर्षों में ₹ 10,000 वार्षिक
 - ✓ स्नातकोत्तर के दो वर्षों में ₹ 20,000 वार्षिक

6. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना :-

- **उद्देश्य** – निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों को सहायता प्रदान करना।
- कक्षा 12th प्रथम 1 लाख छात्रों को।
- सामान्य छात्र – ₹ 500/month (वार्षिक ₹ 5000)
- विकलांग छात्र – ₹ 1000/month (वार्षिक ₹ 10,000)
- अल्पसंख्यक छात्र – ₹ 1000/month (वार्षिक ₹ 10,000)

शर्त-पारिवारिक आय ₹ 2.5 लाख से कम+अन्य कोई छात्रवृत्तियाँ का लाभार्थी नहीं हो।

7. स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस :-

- **उद्देश्य:-** विदेश में नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) तथा देश के NIRF रैंकिंग वाले 1 से 50 तक सूचीबद्ध विश्वविद्यालय/संस्थानों में उच्च अध्ययन हेतु
- 2025-26 में ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया।

8. प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा योजना) :-

- **उद्देश्य** : उच्च शिक्षा व्यवस्था को, गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, शोधपरक, रोजगारोन्मुखी और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के पांच स्तम्भों **सुलभता, समानता, जवाबदेही, सामर्थ्य और गुणवत्ता** के अनुरूप तैयार की गई है।
- केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक और भौतिक ढांचे का विकास।
- केन्द्र प्रवर्तित योजना।
- **वित्तीय प्रावधान** – केन्द्र : राज्य = 60 : 40

नवाचार, कौशल विकास एवं अधोसंरचना विस्तार :-

- ❖ **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम**: छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण हेतु 314 राजकीय महाविद्यालयों में प्रशिक्षण।
- ❖ **राजस्थान फिनिशिंग स्कूल कार्यक्रम**:
उद्देश्य : उद्योग-उन्मुख कौशल को शिक्षा तंत्र से एकीकृत करना।
बजट : ₹ 25 करोड़
- ❖ **ICT लैब एवं स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना**: राजकीय महाविद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लैब तथा राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना हेतु स्वीकृति जारी की गयी।
- ❖ **खेल सुविधाओं का विकास** :- 122 राजकीय विद्यालय में

कुशल एवं नवोन्मेषी कार्यबल तैयार करने के लिए राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाना

➤ संचालित संस्थान :-

- 73 अभियांत्रिकी महाविद्यालय
- 52 प्रबन्धन संस्थान
- 137 पॉलिटेक्निक कॉलेज
- भारतीय प्रबंधन संस्थान –उदयपुर में संचालित
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (314) – कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के अन्तर्गत। (12 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।)
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना– 44 अभियांत्रिकी व 35 गैर-अभियांत्रिकी व्यवसायों में एक से दो वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- IIT - जोधपुर
- IIIT- कोटा
- MNIT-जयपुर

चिकित्सा शिक्षा

➤ चिकित्सा क्षेत्र में संचालित संस्थान –

- राज्य में दिसम्बर, 2025 तक 49 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें :-
✓ 6 राजकीय
✓ एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू. एच.एस.) का संघटक कॉलेज
✓ 24 राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत

- ✓ 02 ई. एस. आई. कॉलेज, अलवर व जयपुर
- ✓ एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
- ✓ 15 निजी क्षेत्र हैं।

संस्कृत शिक्षा

- 1958 में पृथक निदेशालय व 1998 में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय की शुरुआत।
- राजस्थान में कुल 2374 संस्कृत संस्थान हैं। (1872 राजकीय + 502 निजी)
- महापुरा, जयपुर में 'राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान' (SSIERT) संचालित है।
- SSIERT के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं—
 - ✓ कक्षा 1–12 तक संस्कृत शिक्षा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
 - ✓ संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेवारत शिक्षकों को सहयोग।
 - ✓ द्विवर्षीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण।
 - ✓ संस्कृत भाषा को जनवाणी बनाने हेतु संचार कौशल विकसित करना एवं प्रचार–प्रसार की दिशा में प्रयास करना।

भाषा एवं पुस्तकालय

➤ भाषा एवं पुस्तकालय विभाग :—

- उद्देश्य : हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रबंधन करना।
- राज्य में 323 पुस्तकालय संचालित (1 राज्य केन्द्रीय + 33 जिला स्तरीय + 6 पंचायत स्तरीय + 276 पंचायत स्तरीय)
- सुधार :
 1. पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रम के चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गाँधी कॉर्नर, नवसाक्षर कॉर्नर एवं दृष्टि बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए पढ़ने की सुविधा।
 2. जयपुर में राजकीय महाराजा संभागीय सार्वजनिक पुस्तकालय ने पहली बार राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) प्रणाली शुरू की है।
 3. सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र :
 - ✓ उद्देश्य : प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना।
 - ✓ 33 जिला पुस्तकालयों में स्थापना किये गये हैं।
 - ✓ प्रत्येक अध्ययन केन्द्र पर मार्गदर्शक की व्यवस्था।

प्रगतिशील राज्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ाना

❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) —

- स्थापना : 1983 में, मुख्यालय—जयपुर।
- उद्देश्य :
 - ✓ छात्रों एवं जनसामान्य के लिए प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करके वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना।
 - ✓ छात्रों को STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित) क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

- ❖ जोधपुर एवं उदयपुर में डिजिटल तारामण्डलों के निर्माण के लिए संस्कृति मंत्रालय (GOI), + विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार के मध्य संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के साथ 13 करोड़ (प्रत्येक) की लागत से समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए।

- ❖ राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (सरसेक), जोधपुर
 - उद्देश्य : प्राकृतिक संसाधनों (मिट्टी, जल, वन, खनिज, आदि) का मानचित्रण व प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- ❖ अनुसंधान एवं विकास प्रभाग :
 - कार्य :
 - ✓ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
 - ✓ राजकीय एवं गैर राजकीय शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं संस्थानों को वित्तीय सहायता।
- ❖ डिजिटल तारामण्डल और नवाचार केन्द्र :
 - स्थान : कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में
 - उद्देश्य : विद्यार्थियों एवं आमजन में वैज्ञानिक रुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना
- ❖ पेटेंट सूचना केन्द्र :
 - स्थान : जयपुर
 - उद्देश्य : बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPR) के बारे में जागरूकता पैदा करना जिसमें पेटेंट और भौगोलिक संकेतक शामिल है।
 - कार्य : नवप्रवक्तकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को पेटेंट दाखिल करने और नवाचारों के संरक्षण में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- ❖ KARYA (नॉलेज ऑगमेंटेशन थ्रू रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स कार्यक्रम) :-
 - राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शोध एवं अनुसंधान संस्थानों में इंटरनशिप और अनुसंधान प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु फेलोशिप कार्यक्रम।
 - KARYA-2025 के तहत 63 विद्यार्थियों को अनुसंधान फेलोशिप प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष – 2025 से 26 के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

1. राजस्थान राज्य नवाचार पुरस्कार

- आयोजन – राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी, 2025 को
- राज्य नवाचार परिषद् द्वारा
- 2 श्रेणियों में – जमीनी स्तर
– उच्च शिक्षण संस्थान
- पुरस्कार राशि :

✓ प्रथम विजेता – ₹ 1 लाख, ✓ द्वितीय विजेता – ₹ 51 हजार, ✓ तृतीय विजेता – ₹ 21 हजार

2. इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में सरसेक उप-केन्द्र का कार्यालय स्थापित किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष – 2025–26 में एस्ट्रो नाईट ट्यूरिज्म गतिविधि के तहत विज्ञान केंद्र एवं पार्क, जन्तर-मन्तर अल्बर्ट हॉल आदि विभिन्न स्थानों पर 5 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें लगभग 1600 प्रतिभागियों ने आकाश दर्शन किये।

विजन स्टेटमेंट-विकसित राजस्थान@2047

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान अधिक समतापूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरेगा, जहां सभी के लिए विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
- अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और महिलाएं एवं बच्चे, अवसरों तक समान पहुँच से सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे।



सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य के लक्ष्य :-

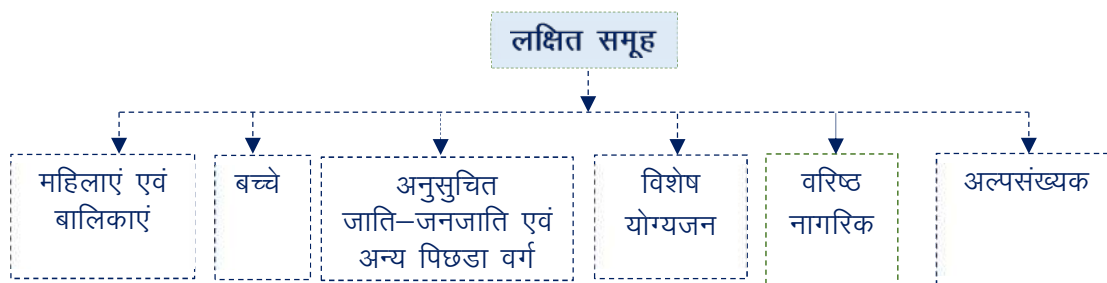
- मीडिया, नागरिक, समाज और स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ाना।
- महिलाओं, युवाओं और पिछड़े हुए समुदायों को सशक्त बनाना।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी और स्थानीय प्रयासों का उपयोग कर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को मजबूती प्रदान करना।
- कमजोर वर्गों के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- सशक्त श्रम कानूनों, बाल श्रम उन्मूलन, शिकायत निवारण प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नवाचारों द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ पहुँचाना।
- जन आधार के साथ SSO प्लेटफार्म को एकीकृत कर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- पार्ट-टाईम कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना।
- राज्य बाल सुरक्षा नीति लागू करना।
- लाभ प्रदान करने के लिये योजनाओं का मानक तय करना।
- SC/ST समुदायों के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना।

❖ सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ –

- SDG india index के अनुसार राजस्थान ने सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के निम्न क्षेत्रों में सुधार किया है–

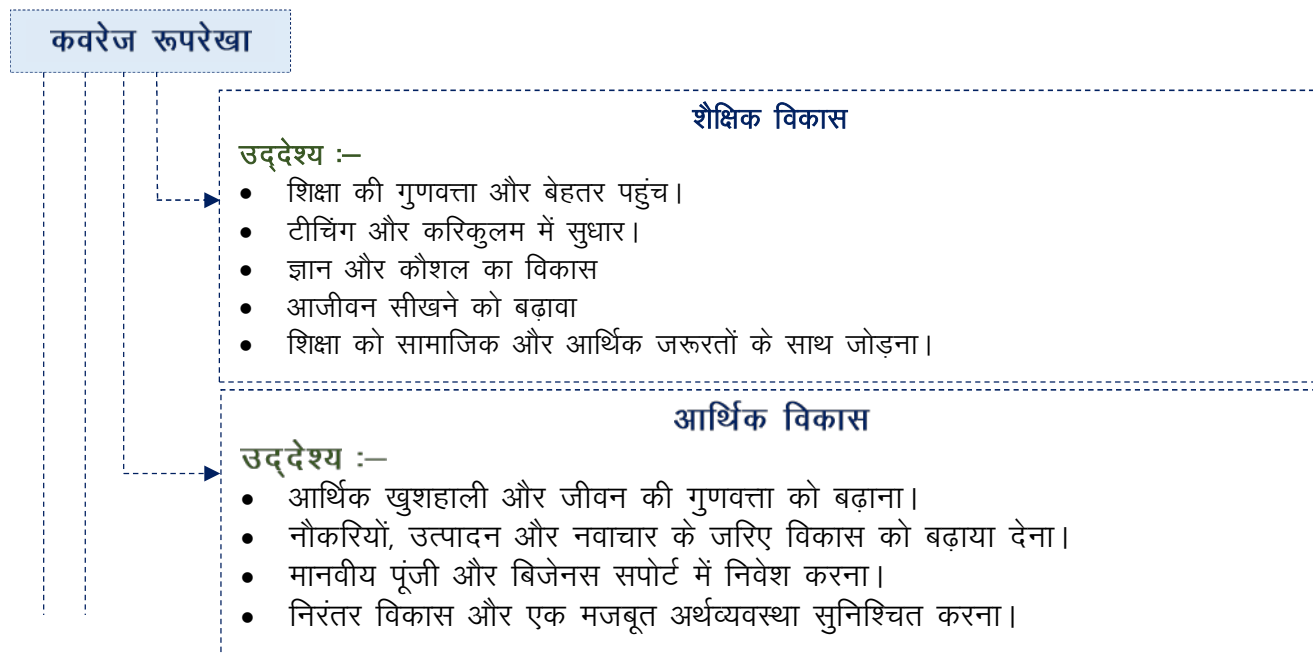
लक्ष्य	2020–21	2023–24	अंकों में वृद्धि
गरीबी का अंत (लक्ष्य-1)	63	82	19
भूखमरी समाप्त करना (लक्ष्य-2)	53	64	11
अच्छे स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना (लक्ष्य-3)	70	73	3
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य-4)	60	63	3
लैंगिक समानता (लक्ष्य-5)	39	52	13
शुद्ध जल एवं स्वच्छता (लक्ष्य-6)	54	60	6
असमानताओं में कमी (लक्ष्य-10)	45	49	4

राजस्थान में सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन के आयाम :-



कवरेज रूपरेखा :-

- राज्य के एकीकृत सामाजिक सशक्तीकरण एवं समावेशन दृष्टिकोण के अनुरूप उपर्युक्त लक्षित समूह के लिए, चार निम्न विषयगत क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना –



समाज कल्याण

उद्देश्य :-

- जरूरतमंद लोगों और परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान करना।
- कमजोर और वंचित समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करना।
- इसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा और समुदायिक सहायता शामिल है।
- सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना।
- जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना।

सामाजिक सुरक्षा

उद्देश्य :-

- वित्तीय सहायता और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना।
- बेरोजगारी, विकलांगता या कठिनाई के समय व्यक्तियों को सहायता देना।
- जीवनस्तर का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करना।
- एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

लैंगिक सशक्तीकरण एवं समावेशन (महिला एवं बालिकाएँ)

उद्देश्य :-

- लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके समाज की आधी आबादी की क्षमता को बढ़ाकर प्रगति के लिये प्रोत्साहित करना।

शैक्षिक विकास

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना

आर्थिक विकास

- स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) को समर्थन
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना
- मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम-जॉब वर्क योजना

सामाजिक कल्याण

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
- मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
- महिला विकास कार्यक्रम
- लाडो प्रोत्साहन योजना
- 181 महिला हेल्पलाइन
- त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति
- मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना
- महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य हब "मिशन शक्ति"
- पन्नाघाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- महिला कल्याण कोष
- विधवा विवाह उपहार योजना
- किशोरी बालिका योजना
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021
- कालीबाई भील उड़ान योजना
- कालीबाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान

सामाजिक सुरक्षा

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
- सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन / राज्य स्तरीय महिला सदन
- शक्ति सदन योजना
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.)
- वन स्टॉप सेन्टर / सखी केन्द्र
- पन्नाघाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र

शैक्षिक विकास :-

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना :-

- **शुरुआत** – 22 जनवरी 2015
- **उद्देश्य** –
 - लिंगानुपात में सुधार करना।
 - लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
 - लिंग आधारित भेद-भाव को समाप्त करना।
- भारत सरकार की अग्रणी योजना
- इसके तहत जागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे – सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठकें और प्रशिक्षण और बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन।

काली बाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना :-

- **प्रारंभ** :- वर्ष 2019-20
- **उद्देश्य** :- विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं तथा बालिकाओं को राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- इसके अंतर्गत **राजस्थान राज्य ओपन स्कूल** को देय शुल्क का वहन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, जैसे – प्रवेश शुल्क, पुनः/आंशिक प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा प्रायोगिक विषयों की परीक्षा शुल्क।

आर्थिक विकास –

स्वयं सहायता समूह (SHG) को समर्थन :-

- **उद्देश्य** – महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
 - ✓ **अमृता हाट** :- महिला एवं SHG द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु मंच प्रदान करता है।
 - ✓ SHG को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, शिल्प ग्राम उत्सव व अन्य विभागीय मेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना :-

- **उद्देश्य** –
 - महिलाओं को उद्यम स्थापित करने या अपने व्यवसाय का विस्तार के लिए वित्तीय सहायता, कौशल संवर्धन और संसाधन उपलब्ध कराना।
- **प्रावधान** : इसके तहत निम्नानुसार ऋण प्रदान किया जाता है।
 - व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों (SHG) को ₹50 लाख तक
 - स्वयं सहायता समूहों के क्लस्टर/फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना –

- **उद्देश्य** : महिलाओं और बालिकाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा सशक्त करना।
- **इस योजना के तहत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित है:**
 - निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण
 - निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण
 - निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट RS-CSEP प्रशिक्षण
 - कौशल सामर्थ्य योजना
- **महत्त्व** :- महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ने से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है।

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम (जॉब वर्क योजना) :-

- **उद्देश्य** :- अपने परिवार की आजीविका में योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करना।
- **पंजीकरण** :- इच्छुक महिलायें व बालिकायें Mahilawfh.raj.gov.in पोर्टल द्वारा
- पंजीकरण के माध्यम से निम्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकती हैं—

वस्त्र कार्य	ऑनलाइन परामर्श
ट्यूशन	वेब डिजाइनिंग
डिजिटल मार्केटिंग	डेटा एंट्री
लेखांकन	जीएसटी फाइलिंग
आभूषण निर्माण	पैकेजिंग तथा चिकित्सीय परामर्श सहित

सामाजिक कल्याण —

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना —

- **उद्देश्य** — आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में प्रोत्साहन देना।
- **प्रावधान** — इस योजना के तहत अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह पर वित्तीय सहायता।
- **पात्रता** —
 - न्यूनतम आयु 18 वर्ष
 - SC, ST, तथा अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार पुत्री के विवाह पर 31,000 रु.,
 - अन्य वर्ग —
 - BPL, विधवा (आर्थिक रूप से कमजोर)
 - आस्था कार्ड धारक
 - महिला खिलाड़ी (स्वयं की शादी)
 - अन्त्योदय परिवार
 - विशेष योग्यजन
 - पालनहार लाभार्थी

आदि को 21,000 रु. अधिकतम 2 पुत्रियों तक

विशेष प्रावधान :- यदि लड़की 10वीं पास — 10,000 रु.
स्नातक पास — 20,000 रु.

अतिरिक्त

विधवा विवाह उपहार योजना :-

- **पात्रता** — पेंशन योजना की लाभार्थी विधवा महिला द्वारा शादी करने पर।
- **उपहार राशि** — 51,000 रु.

मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना :-

- **शुरुआत** — 1 जनवरी, 2024
- **लाभार्थी** —
 - BPL परिवार
 - PM उज्जवला योजना लाभार्थी
 - NFSA के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को।
- **लाभ** — 450 रु. में कुल— 12 गैस सिलेण्डर (एक माह में एक)
- **सब्सिडी** — महिला मुखिया के बैंक खाता में (356रु.)

किशोरी बालिका योजना :-

- **शुरुआत** – 1 अप्रैल 2022 से
- **उद्देश्य** :-
 - 14-18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षित और सशक्त बनाना।
 - सर्वांगीण विकास के लिये सहयोगात्मक एवं सक्षम वातावरण तैयार करना।
- **संचालन** : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा।
- **विशेषताएँ** :
 - राज्य के पाँच आकांक्षी जिलों में (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर सिरोही) संचालित है।
 - इसके तहत किशोरियों को चिह्नित कर उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।

महिला कल्याण कोष :-

- **स्थापना** : राज्य सरकार द्वारा
- **उद्देश्य** : आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानदेय आधारित सेवाएँ प्रदान करने वाले कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएँ एवं आशा सहयोगिनियों के कल्याण हेतु।
- **प्रावधान** :
 - राज्य सरकार द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर अंशदान किया जाता है—
 - ✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वार्षिक ₹750
 - ✓ सहायिकाओं एवं आशा सहायिकाओं के लिए ₹376
 - इसके माध्यम से प्रत्येक सदस्य को ₹10,000 का बीमा संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
 - पंजीकृत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को **भारतीय जीवन बीमा निगम** द्वारा ₹10,000 की बीमा राशि के साथ संचित बचत एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जाता है।
 - सेवा समाप्ति की स्थिति में सदस्य को संचित बचत राशि ब्याज सहित प्रदान की जाती है।

महिला विकास कार्यक्रम :-

- **उद्देश्य** :- महिलाओं को सशक्त बनाना।
- **क्रियान्वयन** : साथिनों के माध्यम से।
- **‘साथिन’** – मानदेय महिला कार्यकर्ता
 - चयन** – प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन।
 - कार्य** –
 - ✓ महिलाओं को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना।
 - ✓ सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करना।
 - ✓ उत्पीड़न, शोषण और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा प्रदान करना।
- **मानदेय में वृद्धि** : अप्रैल, 2025 से 5,844 से बढ़ाकर 6,428 प्रतिमाह किया गया है।
- **वर्तमान में कार्यरत साथिन** : 10,908

C.M. सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना-2021 :-

- **उद्देश्य** – दहेज प्रथा को समाप्त करना, शादी पर होने वाले व्यय को कम करना।
- **प्रावधान** –
 - ✓ **प्रति जोड़ा** – 25000 रु. की सहायता। { 21000 वधू को
4000 आयोजनकर्ता संस्थान/समिति
 - ✓ **आयोजक संस्था** – 25 या अधिक जोड़ों (विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदाय से हो) के विवाह पर 10 लाख रुपये तक की सहायता।

लाडो प्रोत्साहन योजना :-



फलैगशिप योजना

- **शुरुआत** – 1 अगस्त 2024
- **उद्देश्य** – बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- **लक्ष्य** –
 - ✓ समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
 - ✓ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना।
 - ✓ मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना।
 - ✓ बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना।
- **पात्रता** –
 - माँ राजस्थान की निवासी हो।
 - बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।
- **सहायता** – 1.50 लाख रुपये की (सात किश्त में)
 - 6 किश्त (अभिभावक को)
 - सातवीं किश्त (बालिका)

कालीबाई भील उड़ान योजना :-

- **उद्देश्य** – मासिक धर्म के संबंध में स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना।
- **प्रावधान** – प्रजनन आयु की लड़कियों व महिलाओं (10 से 45 वर्ष) को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण करना।
- **खरीददार संस्थान** – राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन और राजीविका
- **वितरण** – आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के माध्यम से
- वर्तमान में लगभग 1.22 करोड़ किशोरियों व महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनेटरी नैपकिन वितरित किये जा रहे हैं।

181 महिला हेल्पलाईन – शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और सहायता देना।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम-2013 :-

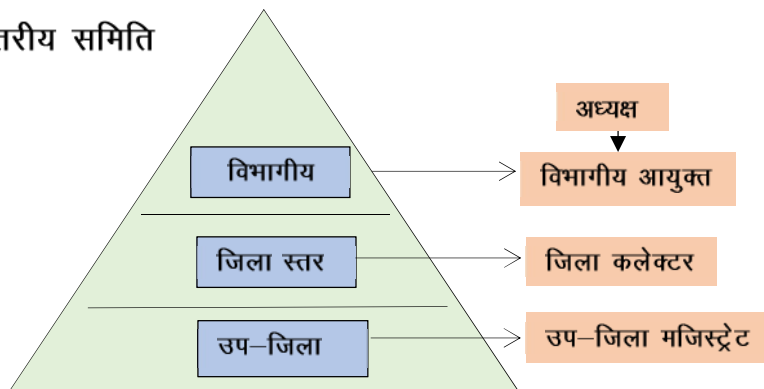
इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- इसके अन्तर्गत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है।
- प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।
- सरकारी प्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना।

त्रि-स्तरीय महिला समाधान समिति :-

- **उद्देश्य** – अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण, सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।

त्रिस्तरीय समिति



समिति के सदस्य –

- पुलिस, श्रम, उद्योग, न्यायपालिका, चिकित्सा और सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभागों के प्रतिनिधि
- N.G.O. प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा नामित)

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना :-

- **उद्देश्य :**
 - मातृ स्वास्थ्य में सुधार
 - स्वस्थ गर्भावस्था परिणामों को समर्थन प्रदान करना
 - राजस्थान में कुपोषण न्यूनीकरण के प्रयासों को सुदृढ़ करना।
- **प्रावधान :**
 - 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अन्तिम पांच माह के दौरान आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से पोषण किट प्रदान करना।
 - प्रत्येक किट में खजूर, घी, भुनी मूंगफली, भुने चने, गुड़ तथा मखाना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

काली बाई भील महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान :-

- **मुख्यालय** — हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
- यह संस्थान वर्तमान में प्रबंध अध्ययन केन्द्र (सी.एम.एस.) के अधीन कार्यरत है।
- **कार्य क्षेत्र :-**
 - ✓ महिला एवं बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर शोध, संबंधित योजनाओं का प्रभावी मूल्यांकन करना।
 - ✓ महिला सुरक्षा व संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों, नियमों, अन्य तत्वों का अध्ययन करना।
 - ✓ जेण्डर आधारित मुद्दों पर क्षमता निर्माण और विभाग द्वारा सुझाए गए अन्य कार्य।
 - ✓ यह महिला एवं बाल विकास विभाग को तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है।

महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब “मिशन शक्ति” :-

- यह ‘एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम’ के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण हेतु एक ‘अम्ब्रेला योजना’ है।
- **मंत्रालय** — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- **प्रावधान —**
 - ✓ मिशन शक्ति के अन्तर्गत “सामर्थ्य” उप-योजना के तहत राज्य व जिला स्तर पर HEW (Hub for Empowerment of Women) स्थापित किए गए हैं।
 - ✓ वित्तीय प्रावधान — C : S = 60 : 40

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना :-

- **उद्देश्य** — महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रोत्साहन देना।
- **चार श्रेणियों में** पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। (8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर)
 1. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसके द्वारा बालिका एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्वितीय और प्रशंसनीय कार्य किया गया है।
 2. व्यक्ति और संस्था जो महिलाओं और बालिकाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
 3. श्रेष्ठ महिला और बाल विकास कार्यकर्ता।
 4. श्रेष्ठ दानदाता/कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधि।

अन्य नवाचार एवं संबंधित गतिविधियाँ :-

राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा :-

- **आयोजन** : 8 से 22 अप्रैल, 2025 तक आयोजित (7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा)
- **विशेष** : राजस्थान ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- **प्रमुख विषय** :
 - लाभार्थियों के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया
 - जीवन के प्रथम 1000 दिवसों का महत्व, पोषण ट्रैकर को प्रोत्साहित करना
 - सी.एम.ए.एम. मॉडल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन
 - बाल मोटापे की रोकथाम

राष्ट्रीय पोषण माह :-

- **आयोजक** : 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित (8वां राष्ट्रीय पोषण माह)
- **विशेष** : राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
- **प्रमुख विषय** :
 - मोटापा नियंत्रण
 - तेल एवं चीनी के उपयोग में कमी
 - ई.सी.सी.ई., आई.वाई.सी.एफ. तथा पुरुष सहभागिता जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया।
- सामाजिक सहभागिता एवं डिजिटल निगरानी तंत्र ने इस उपलब्धि को और सुदृढ़ किया।

पोषण अभियान :-

- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भावस्था, गोदभराई, शिशु को प्रथम ठोस आहार प्रदान करने तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर सकारात्मक व्यवहार अपनाने के प्रति समुदाय में जागरूकता सृजित करने हेतु समुदाय-आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।
- राजस्थान के सभी जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावी वास्तविक-समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए **पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन** को क्रियान्वयित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा :-

नोट :- इसमें सम्मिलित पेंशन योजनाएं बाद में वर्णित है।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदन :-

- **उद्देश्य** : महिलाओं का सशक्तीकरण, सुरक्षा सुनिश्चित करना, समाज में पुनः स्थापित करना।
- **प्रावधान** : इन केंद्रों के माध्यम से घरेलू हिंसा, उत्पीड़न अथवा अन्य कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रय, देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती है।

स्वाधार गृह योजना :-

- 2001-02 से।
- MoWCD (GOI) द्वारा।
- **उद्देश्य**— विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना।

उज्ज्वला योजना :-

- स्वयंसेवी संस्थानों की सहायता से संचालित
- देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को रोकने, बचाने एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु।

नोट :- वर्ष 2022-23 से उज्ज्वला योजना और स्वाधार गृह योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना नाम किया गया।

शक्ति सदन योजना – (2022 - 23) :-

- **उद्देश्य :-** संकटग्रस्त/पीड़ित महिलाओं (घरेलू हिंसा, शोषण, तस्करी) को शरण व सहायता प्रदान करना।
- **प्रावधान :-**
 - महिलाओं को कानूनी, स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक सहायता प्रदान करना।
 - एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह की स्थापना करना।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (M.S.S.K.) :-

- **उद्देश्य :-** महिलाओं को शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिये सक्षम बनाना।
- **प्रावधान :**
 - 41 पुलिस जिलों में स्थापित सभी 262 पुलिस सर्किलों में कार्यरत।
 - पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग, कानूनी, पुलिस और चिकित्सा सहायता।
- **संचालन :** N.G.O द्वारा
 - ↳ **चयन :** जिला महिला समाधान समिति।
 - ↳ **सहायता :** प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये।

वन स्टॉप सेंटर/सखी केन्द्र – 52 :-

- **उद्देश्य :-** समय पर राहत, न्याय और पुनर्वास प्रदान करना है
- **प्रावधान :**
 - हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर 24×7 घंटे सहायता प्रदान की जाती है।
 - राजस्थान में जिला वार कुल 52 वन स्टॉप सेंटर/सखी केन्द्र संचालित है।
 - प्रत्येक केन्द्र के संचालन हेतु बजट प्रावधान – 3 लाख रुपये प्रतिमाह

पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र :-

- **मुख्यालय :** प्रत्येक जिला मुख्यालय पर।
- **कार्य :**
 - दूरभाष हेल्पलाइन सुविधा प्रदान की जाती है।
 - महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर निःशुल्क परामर्श प्रदान करना।
 - केन्द्र से महिलाओं व लड़कियों को योजनाओं, कार्यक्रमों, रोजगार अवसरों की जानकारी देना, लाभान्वित करने में सहायता प्रदान करना।

बाल कल्याण एवं सशक्तीकरण

उद्देश्य :- बच्चों के विकास और कल्याण हेतु तथा उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल, आत्मविश्वास और स्वायत्तता प्रदान करना।

शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाते हुए बच्चों में नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना।



आर्थिक विकास –

शैक्षणिक विकास :-

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना –

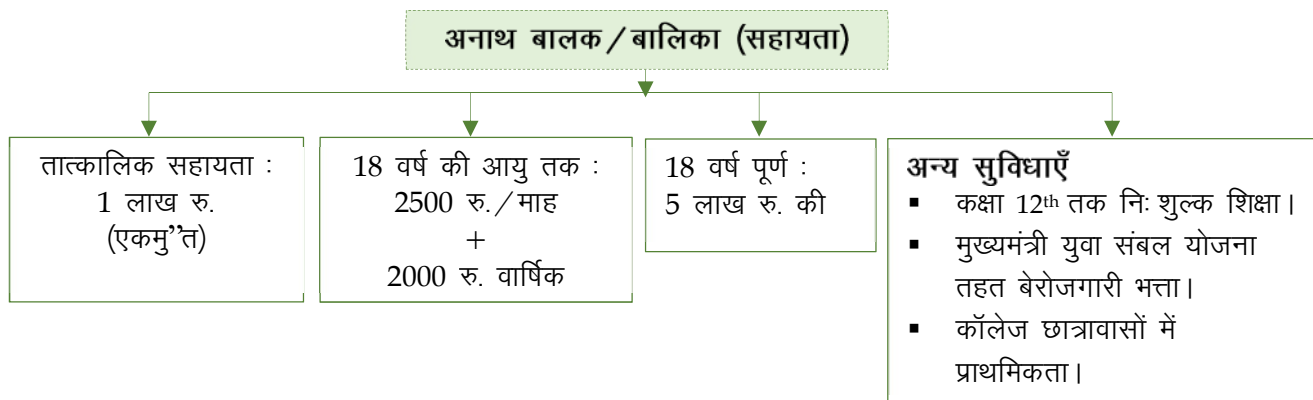
• उद्देश्य :

- पालनहार योजना के लाभार्थियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण या उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता।

सामाजिक कल्याण –

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना :-

- उद्देश्य** – कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना।



पिता की मृत्यु :-

- विधवा महिला** – तत्कालिक सहायता : 1 लाख रु.; पेंशन : 1500 रु./माह
- बच्चों को** – 18 वर्ष की आयु तक : 1000 रु./माह तथा 2000 रु. वार्षिक सहायता

समेकित बाल विकास सेवाएँ (IC.D.S.) :-

- **प्रारंभ :-** 2 अक्टूबर, 1975 को बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से।
- **उद्देश्य :-**
 - ✓ 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
 - ✓ बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
 - ✓ मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रापआउट की दर को घटाना।
 - ✓ विभिन्न विभागों के बीच नीतियों और कार्यक्रमों का समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।
 - ✓ उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से मातृत्व सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सेवाएँ :**

क्र.सं.	सेवाएँ	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाएँ 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएँ (केवल 5 आकांक्षी जिले धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिराही और बांरा)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष की आयु के बच्चे
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15-45 वर्ष की महिलाएँ व किशोरी बालिकाएँ
4.	टीकाकरण	0-6 वर्ष के बच्चे - गर्भवती महिलाएँ
5.	स्वास्थ्य जाँच	0-6 वर्ष के बच्चे - गर्भवती धात्री महिलाएँ - किशोरी बालिकाएँ।
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएँ	0-6 वर्ष के बच्चे - गर्भवती धात्री महिलाएँ - किशोरी बालिकाएँ।

- इसी परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र पर 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं—
 - ✓ शहरी क्षेत्र में — 22
 - ✓ जनजातीय क्षेत्र में — 41
 - ✓ ग्रामीण क्षेत्र में — 300

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना :-

- **शुभारंभ :-** 1 जनवरी, 2017
- **उद्देश्य —**
 - ✓ स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना
 - ✓ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
 - ✓ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाना।
 - ✓ गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- **प्रावधान —**
 - प्रथम बच्चे के जन्म पर 5000 रु. दो किशतों में (3000, 2000)
 - दूसरे बच्चे (यदि लड़की) के जन्म पर एकमुश्त 6000 रु. की सहायता।
- **राज्य सरकार**
 - पहली संतान पर — 1500 रुपये अतिरिक्त सहायता। (1 अप्रैल, 2024 से)
 - दिव्यांग गर्भवती महिला को कुल 10000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। (1 सितम्बर, 2024 से)

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना :-

- **उद्देश्य** –
 - गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
 - जन्म के समय कम वजन तथा कुपोषण की समस्या में कमी लाना।
- **प्रावधान** : इसके अन्तर्गत द्वितीय संतान के जन्म पर कुल ₹6,000 तीन किशतों में लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं।

नन्द घर योजना :-

- **उद्देश्य** – ICDS में जनसहभागिता बढ़ाने के लिए।
- **समझौता ज्ञापन** – योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण/नवीनीकरण तथा अतिरिक्त सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है।

PM पोषण योजना (मिड-डे-मील योजना) :-

- **उद्देश्य** –
 - नामांकन बढ़ाना।
 - बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
 - विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना।
- **पात्र विद्यार्थी या विद्यालय** :
- कक्षा प्री-प्राइमरी से 8 के बच्चों को –
 - ✓ सरकारी स्कूल (संस्कृत विद्यालय सहित) ✓ मदरसे ✓ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल
 - ✓ विशेष प्रशिक्षण केन्द्र

पोषण सुविधा

कक्षा	गेहूँ या चावल	प्रोटीन व कैलोरी	खाना बनाने की लागत
प्री-प्राइमरी से 5 वीं	100 ग्राम/प्रतिदिन (गेहूँ/चावल)	न्यूनतम 450 कैलोरी व 12 gm प्रोटीन	6.78 ₹/छात्र/दिन
6 वीं से 8 वीं	150 ग्राम/प्रतिदिन (गेहूँ/चावल)	न्यूनतम 700 कैलोरी + 20 gm प्रोटीन	10.17 ₹/छात्र/दिन

- **भोजन के पोषण मूल्य का विश्लेषण** – राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना :-

- **उद्देश्य** :- बच्चों का पोषण स्तर सुधारना, बच्चों का शैक्षिक विकास के साथ समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना।
- **प्रावधान** :
 - इस योजना के तहत MDM केन्द्र पर दूध वितरण किया जाता है।

कक्षा	मिल्क पाउडर	दूध	चिनी
प्री-प्राइमरी से 5 वीं	5वीं – 15 gm मिल्क पाउडर	150ml/दूध	चीनी 8.4 gm
6 वीं से 8 वीं	20 gm मिल्क पाउडर	200ml/दूध	चीनी 10.2 gm

- **मिल्क पाउडर की आपूर्ति** : राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा 421 Rs./ Kg.
- राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सप्ताह में 6 दिवस स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है।
- विद्यालय को गैस सिलेण्डर के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह।

मुख्यमंत्री अमृत आहार (आंगनवाडी दूध वितरण योजना) :-

- **प्रारंभ** : 14 दिसम्बर, 2024 से
- **उद्देश्य** : 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की समस्या का निवारण करना
- **संचालन** : आंगनवाडी केन्द्रों द्वारा
- **प्रावधान** :
 - ✓ 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन 100 मिली लीटर मीठा एवं गर्म दूध प्रदान किया जाता है।
 - ✓ मिल्क पाउडर आपूर्ति- राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा।
 - ✓ वर्तमान में इस योजना को सप्ताह में पांच दिवस तक विस्तारित किया गया है।
 - ✓ इसका सम्पूर्ण व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत वहन किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा -

पालनहार योजना :-

- **उद्देश्य** : वंचित बच्चों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- यह एक नकद हस्तांतरण योजना है।
- प्रारंभ में यह योजना अनुसूचित जाति बच्चों के लिए थी; वर्तमान में सभी श्रेणियों के लिए लागू की गई है।
- **पात्रता** : निम्नलिखित परिवारों के बच्चों को लाभ दिया जाता है-

ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु (दोनों या दोनों में से एक)	आजीवन कारावास
कुष्ठ रोग	HIV से संक्रमित
दिव्यांग	परित्यक्ता
तलाकशुदा महिला के बच्चे	विधवा
पुनर्विवाहित विधवा	अन्य कमजोर समूहों के बच्चों।
- **प्रावधान** -

0-6 वर्ष आयु		6-18 वर्ष आयु	
आंगनवाड़ी जाने वाले अनाथ बच्चे	1500 रु./माह	स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चे	2500 रु./माह
अन्य श्रेणिया	750 रु./माह	अन्य श्रेणियों	1500 रु./माह

- 2000 रु. रुपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता (कपड़े व अन्य आवश्यकता हेतु)।
- **पालनहार** : ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को 'पालनहार' माना जाएगा।

मिशन वात्सल्य योजना (CPS) :-

- **उद्देश्य :-**
 - बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थानों को सशक्त बनाना।
 - परिवार केन्द्रित देखभाल को प्रोत्साहित करना।
 - बाल तस्करी को रोकना।
- **प्रावधान :**
 - 40 राजकीय और 79 गैर राजकीय बाल देखभाल संस्थान संचालित।
 - बाल सहायता हेल्पलाइन नम्बर की सुविधा।
 - विशेषरूप से अनाथ बच्चों और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों/बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करने पर केन्द्रित।
 - वित्तीय प्रावधान – C : S = 60 : 40

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 :

- राज्य में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया है।

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) : –

- **उद्देश्य :** लैंगिक अपराध, उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य के अपराध से बालकों का संरक्षण करना।
- **बालमित्र :** पीड़ित बालक/बालिका को बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) के माध्यम से समुचित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
 - वर्तमान में 88 बाल मित्र कार्यरत है।

चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) :

- **उद्देश्य :** बच्चों को कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना एवं उन तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करना
- 24x7 चाईल्ड हेल्पलाईन (1098) का संचालन राज्य के 33 जिलों में एवं 05 रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण

उद्देश्य : लक्षित छात्रवृत्तियों, आवासीय सुविधाओं, आर्थिक सहायता एवं विधिक संरक्षण के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करना तथा वंचित समुदायों की विकास प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।



शैक्षणिक विकास –

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ –

- **उद्देश्य :** वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा हेतु आर्थिक संबल प्रदान करना।
- **पात्र –**
 - ✓ ST/SC/OBC/MBC
 - ✓ अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो।
 - ✓ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 5 लाख रु. तक हो।

छात्रावास सुविधा :-

- **उद्देश्य:-** इसमें आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती है।
- **पात्र –**
 - ST/SC/OBC/EWS/MBC
 - विमुक्त घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु स्वच्छकार
 - पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी
 - मिरासी एवं भिस्ती समुदाय को।

आवासीय विद्यालय :-

- **उद्देश्य :-** इसमें आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाती है।
- **पात्र :-**
 - ST/SC/OBC/EWS/MBC
 - पारिवारिक आय 8 लाख रु. से कम।
- **संचालन :-** राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (R.R.E.I.S) द्वारा संचालित।
 - सोसायटी द्वारा ऐसे 42 आवासीय विद्यालयों का संचालन।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना –

- **प्रारंभ :** 5 जून 2021
- **उद्देश्य :-** UPSC द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, RPSC द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा, रीट, पटवारी, कांस्टेबल व अन्य परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना।
- **पात्र :**
 - ST/SC/OBC/MBC/अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्यजन
 - वार्षिक आय सीमा- 8 लाख रु. से कम
 - यदि माता-पिता राजकीय सेवा में हो, लेकिन जिनका पे मेट्रिक्स लेवल – 11 तक हो।

अम्बडेकर DBT वाउचर योजना :-

- **उद्देश्य:** घर से दूर रहकर सरकारी कॉलेजों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में (केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों में) पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभान्वित करना।
- **लाभार्थी –** ST/SC/OBC/EWS/MBC/अल्पसंख्यक।
- **लाभावित छात्रों की संख्या निम्नानुसार है –**
 - अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 1,500-1,500
 - अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के 750-750
 - अल्पसंख्यक समुदायों व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 500-500
- इसमें आवास, भोजन, बिजली-पानी हेतु 2000 रुपये प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु) देय है।

सामाजिक कल्याण –

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना –

- **उद्देश्य** : समाज में अस्पृश्यता का निवारण करना।
- **पात्रता** : सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह होने पर।
- **प्रावधान** :
 - दम्पति को 10 लाख रु. की सहायता। (1 अप्रैल, 2023 से)
 - केन्द्र का हिस्सा – 1.25 लाख।
 - राज्य का हिस्सा – 8.75 लाख।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM AJAY) :-

- **उद्देश्य** : अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समूह-आधारित आजीविका परियोजनाओं हेतु अनुदान सहायता प्रदान करना।
- **पूर्वनाम** : अनुसूचित जाति उपयोगना
- **मंत्रालय** : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- **पात्र** : वार्षिक आय ₹2.50 लाख तक वाले परिवार को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
- **प्रावधान** : परियोजना लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा ₹50,000 (जो भी कम हो) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आदिवासी क्षेत्र में जन कल्याण के प्रयास :-

- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
- संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना।

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा :-

- **संचालन** :- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा
- **लाभार्थी** :- बारां जिले की सहरिया
उदयपुर – कथौड़ी, खैरवां

प्रतिमाह/प्रति

250 ml घी

500 ml खाद्य तेल

500 gm दाल

- लाभार्थियों को सामाग्री का वितरण POS मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) :-

- **शुभारम्भ** :- 15 नवम्बर, 2023।
- यह भारत सरकार की एक पहल है।
- **उद्देश्य** :- विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- **लाभार्थी** :- बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में निवास कर रहे आवासहीन सहरिया PVTG परिवार।
- **प्रावधान** :- इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को प्रति आवास ₹2.37 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें आवास निर्माण, शौचालय निर्माण तथा मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल श्रमिक मजदूरी शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा –

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 :-

- **उद्देश्य** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सामाजिक अत्याचार व प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रावधान** – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से छुआछूत करने, बेगार लेने, अपमान करने, शांति भंग करने, शारीरिक क्षति पहुँचाने, उनको अपनी कृषि भूमि से बेदखल करने वाले अपराधियों के लिए दण्ड का प्रावधान है।
- **दण्ड** – 6 माह से उम्र कैद तक।
- अत्याचार के मामलों में पीड़ित या उनके आश्रितों को अपराध के प्रकार के आधार पर सहायता (85000-8.25 लाख रुपये तक)
- पीड़ित को FIR, चालान और दोषसिद्धि के दौरान रु. 10000 तक की सहायता।
- मृतक पीड़ितों की विधवाओं या उनके आश्रितों को 5000 रुपये मासिक पेंशन व मंहगाई भत्ता।

नोट :- सहायता केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में उपलब्ध करवायी जाती।

विशेष योग्यजन व्यक्ति

उद्देश्य :-

- समावेशी समाज के लिए विशेष योग्यजन व्यक्तियों को स्वावलंबी तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा कार्यक्षेत्र में भाग लेने और अपने समाज से जुड़ने के लिए आवश्यक साधन, संसाधन और अवसर प्रदान करना।
- **2011 में पृथक विभाग**

शैक्षणिक विकास	- विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना - दो दिव्यांग विश्वविद्यालय
आर्थिक विकास	- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना - संयुक्त सहायता अनुदान
सामाजिक कल्याण	- सुखद दाम्पत्य योजना - मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना - कम्पोजिट रीजनल सेंटर - दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति, 2025
सामाजिक सुरक्षा	- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना - मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

शैक्षणिक विकास –

विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना :-

- **पात्र:-**
 - ✓ राजकीय और राज्य/केन्द्र से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में + नियमित अध्ययनरत छात्र
 - ✓ वार्षिक आय 2 लाख रु. से कम
- **लाभ :-** कक्षा 1 से 4 तक – 500/माह
कक्षा 5 से 8वीं तक – 600/माह

दो दिव्यांग विश्वविद्यालय :-

- बाबा आमटे विश्वविद्यालय, जामडोली (जयपुर)
- महात्मा गाँधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर

आर्थिक विकास :-

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना :-

- **पात्रता**— वार्षिक आय 2 लाख रु. से कम (स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से)
- **प्रावधान**—
 ✓ विशेष योग्य जन को स्वरोजगार हेतु ₹5 लाख रु. तक ऋण।
 ✓ ₹ 50,000 तक का अनुदान या ऋण की 50% राशि (जो भी कम हो)

संयुक्त सहायता अनुदान :-

- **उद्देश्य** — विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो) को स्वरोजगार हेतु।
- **प्रावधान**— शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता।

पदोन्नति में आरक्षण :- 21 अक्टूबर 2021 से

- पदोन्नति में 4% आरक्षण।
- सीधी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट व अंकों में 5% छूट।

सामाजिक कल्याण —

सुखद दाम्पत्य जीवन :-

- विशेष योग्यजन (स्त्री/पुरुष) को विवाह पश्चात् 50,000 रु. की सहायता।
- आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए 20,000 रुपये की सहायता।
- युवाओं द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर 5 लाख रु. की आर्थिक सहायता।

यूनिक डिसएबिलिटी आई. डी. कार्ड योजना :-

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत।
- विशेष योग्यजनों की सभी 21 श्रेणियों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु चिन्हित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण करना।

दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति, 2025 :-

- **उद्देश्य** :- कार्यस्थल पर दिव्यांग कर्मिकों को समान अवसर प्रदान करना।
- **महत्व** :-
 ✓ राजकीय विभागों में कार्यरत विशेष योग्यजनों को कार्यस्थल पर कार्यकुशलता हेतु अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
 ✓ विशेष योग्यजन अधिकारी एवं कर्मिक द्वारा राजकीय कार्यालयों में अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करेंगे।

मांसपेशीय दुर्विकास सहायता योजना :-

- मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को व्हीलचेयर प्रदान करना।
- 1100 व्हीलचेयर प्रदान की गई।

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना :-

- अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस (3 दिसम्बर) पर राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष दो श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं—
 1. विशेष योग्यजनों द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि
 2. विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में व्यक्तियों, स्वैच्छिक संगठनों, कार्यालयों, एजेन्सियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य
- वित्तीय सहायता — चयनित पुरस्कारार्थियों को ₹10,000 से ₹15,000 राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिन्ह प्रदान किए जाते हैं।

समग्र क्षेत्रीय केन्द्र (कम्पोजिट रीजनल सेंटर) : CRC

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
- **उद्देश्य** — दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु।
- **कार्यालय** — 17 जनवरी, 2023 से जयपुर का संचालन स्वयं सिद्धा परिसर, जामडोली (जयपुर)।

स्वयं सिद्धा उत्कृष्टता केन्द्र :-

- **उद्देश्य** :- दिव्यांगजनों एवं समाज के वंचित वर्गों हेतु सुविधाओं का उन्नयन।
- **कार्यालय** :- जामडोली-जयपुर
- इसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से ₹200 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव किया गया है।

मासिक अतिरिक्त आर्थिक सहायता :-

- **पात्र** :- 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन।
- **वित्तीय सहायता** :- पेंशन के अतिरिक्त, दैनिक कार्यों में दूसरे पर निर्भरता के कारण ₹1,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष शिक्षा का नया कोर्स :-

- **कार्यालय** :- राज्य सरकारी बौद्धिक दिव्यांगता शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, जामडोली (जयपुर)।
- इसके तहत 35 विशेष शिक्षा प्रशिक्षुओं हेतु डी.एड. (एच.आई.) पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

अन्य पहलें एवं संबंधित गतिविधियाँ :-

- जोधपुर मुख्यालय पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मूक बाधिर एवं दृष्टिहीन वर्ग के दिव्यांग जनों हेतु दो महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय गतिविधियों हेतु मैस भत्ता ₹2,500 से बढ़ाकर ₹3,250 प्रति निवासी प्रतिमाह किया गया है।

आस्था योजना :-

- परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति → दिव्यांगता (40%+)
- इन्हें आस्था कार्ड जारी किए जाते हैं।
- इन परिवारों को BPL के समकक्ष सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु।

सिलिकॉसिस पॉलिसी :-

- 3 अक्टूबर 2019
- इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ-साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय अपनाये जायेंगे।
 1. प्रमाणीकरण पर-पुनर्वास हेतु — 3 लाख रुपये + पीड़ित को पेंशन-1500 रुपये/माह।
 2. मृत्यु — आश्रित को 2 लाख रुपये।
 3. अंतिम संस्कार — 10,000 रुपये।
 4. मृतक की विधवा को पेंशन — 1150 से 1500 रुपये (आयु वर्ग के अनुसार)।
 5. बच्चों को पालनहार योजना के लाभ।
 6. परिवार को आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह सभी B.P.L. लाभ।

नोट :- सभी पेंशन योजनाएं बाद में वर्णित है।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण एवं हित संरक्षण

उद्देश्य :- पेंशन योजनाओं एवं संस्थागत देखभाल सुविधाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके जीवन स्तर एवं सामाजिक सहभागिता में निरंतर सुधार लाना।



सामाजिक कल्याण

वृद्धजन एवं निराश्रित कल्याण योजना :-

- वृद्ध व निराश्रित व्यक्तियों की समग्र देखभाल करना।
- निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन तथा चिकित्सा सेवाएँ प्रदान।
- 41 वृद्धाश्रम और 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह राज्य सरकार के सहयोग संचालित।

सार्वभौमिक सामाजिक कल्याण

- “सभी का कल्याण” एक बुनियादी सिद्धान्त है इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने, दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और मजबूती के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित की जाती है।



आर्थिक विकास :-

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना :-

- गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु
- व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु अनुदान सहायता – 10,000 रु.।

सामाजिक कल्याण –

अन्त्येष्टि अनुदान योजना :-

- लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए।
- चिह्नित गैर सरकारी संगठनों को 5000 रुपये की सहायता।

नवजीवन योजना :-

- **उद्देश्य** :- अवैध शराब निर्माण, भण्डारण, बिक्री में लिप्त समुदायों के लिए –
 - ↳ वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करना।
 - ↳ निरक्षरता को दूर करना
 - ↳ व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना :-

- **उद्देश्य** :- गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाना।
- स्थायी निवास के लिए भूमि आवंटन
 - ग्रामीण क्षेत्र – 150 वर्ग गज
 - शहरी क्षेत्र – 50 वर्ग गज
- स्वयं का भूखण्ड होने पर महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत 1,20,000 की वित्तीय सहायता (3 किस्तों – 40 हजार तक)

मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024 :-

- **शुरूआत** : 22 अक्टूबर, 2024 से
- **उद्देश्य** : राज्य के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों के ऐसे व्यक्तियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, जिनका पक्का मकान नहीं है।
- **प्रावधान** :
 - प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु कुल ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में दी जाती है,
 - ↳ ₹20,000- निर्माण के प्रारम्भिक कार्य हेतु
 - ↳ ₹50,000- लिटल तक निर्माण पूर्ण होने पर
 - ↳ ₹50,000- मकान निर्माण पूर्ण होने पर दिया जाता है।
 - स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 की सहायता
 - मनरेगा के तहत 90 व्यक्ति दिवसों हेतु ₹23,920 तक की मजदूरी सहायता
 - उक्त समस्त राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण :-

- **सरकार के प्रयास** :-
 - ✓ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019
 - ✓ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 प्रभावशाली रूप से क्रियान्वयित किए जा रहे हैं।
 - ✓ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में 92वें स्थान पर सम्मिलित किया गया है, जिससे उन्हें आरक्षण एवं विभिन्न कल्याणकारी लाभों की सुविधा प्राप्त हुई है।

- ✓ **विशेष योग्यजन सम्मान पेन्शन योजना –**
 1. **पात्र** – सभी आयु वर्ग के ट्रांसजेंडर व्यक्ति
 2. वर्तमान में 32 लाभार्थियों को पेन्शन सहायता प्रदान की जा रही है।
- ✓ **संरक्षण प्रकोष्ठ** – सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं समयबद्ध विधिक कार्यवाही हेतु स्थापित किये गए हैं।
 1. **राज्य स्तर** – पुलिस महानिदेशक के अधीन
 2. **जिला स्तर** – जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण
- ✓ **राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड** – वर्ष 2016 से कल्याणकारी कार्यक्रमों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण कर रहा है।
- ✓ **ट्रांसजेंडर उत्थान कोष** –
 1. **स्थापना** – 2021
 2. इसके माध्यम से शिक्षा एवं आजीविका सहायता हेतु छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम :-

- **लागू** :- 5 जुलाई, 2013।
- **उद्देश्य**:-
 - कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना।
 - आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग।
 - बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **राज्य सरकार के दायित्व** :-
 - उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना।
 - खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण।
 - राशन कार्ड जारी करना।
 - वितरण प्रणाली का सुचारु संचालन।
- इस योजना की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) :-

- **प्रारंभ** – 10 सितम्बर 2013 से
- **उद्देश्य** – देश की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना।

ग्रामीण 75% शहरी 50%



फलैगशिप योजना

- **प्रावधान** –
 - अन्त्योदय राशन कार्ड - 35 Kg /परिवार राशन कार्ड
 - अन्य लाभार्थी – 5 Kg/प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह
 - योजना का लाभ आधारकार्ड एवं जनआधार कार्ड के माध्यम से भी दिया जाता।
 - NFSA लाभार्थियों की सीमा – 4.46 करोड़।
 - प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना – जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्षों तक लाभ निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना :-

- **उद्देश्य :-** पूरे भारत में प्रवासियों के लिए पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना।
- राज्य में "डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी" की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत सम्पूर्ण देश में NFSA का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गिव अप अभियान :-

- **प्रारम्भ** — 01 नवम्बर, 2024
- **उद्देश्य :-** राज्य में "अपात्र को लाभ प्राप्त न हो, पात्र लाभ से वंचित न रहे"
- इसके तहत खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम व्यक्तियों से स्वैच्छिक रूप से अपना लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक), के दौरान कुल 37.75 लाख सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से NFSA सूची से अपने नाम हटवाए गए हैं।

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापना :-

- **उद्देश्य :-** उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण करना।
- **विशेषताएं —**
 1. लाभार्थी का अंगूठा निशान मिलान नहीं होने पर पासवर्ड (ओ.टी.पी.) की सुविधा।
 2. राज्य में डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी के तहत कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिले में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।
- **लाभ :-**
 1. प्रणाली से किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन सम्भव।
 2. कालाबाजारी पर नियंत्रण।
 3. लक्षित लाभार्थियों तक उचित आपूर्ति सुनिश्चित।

स्मार्ट उचित मूल्य दुकान (FPS) योजना :-

- **उद्देश्य :-**
 - ✓ उचित मूल्य दुकानों को स्मार्ट तथा सार्वजनिक जागरूकता केन्द्रों में परिवर्तित करना।
 - ✓ आधारभूत संरचनाओं का सुधार।
 - ✓ पोषक तत्वों के सामानों का प्रचार।
 - ✓ दुकानदारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- पायलट परियोजना के तहत राजस्थान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों का चयन किया गया।
 - ✓ प्रथम चरण — 15 F.P.S
 - ✓ द्वितीय चरण — 30 F.P.S

रूट ऑप्टिमाइजेशन :-

- राज्य की उचित मूल्य की दुकान एवं भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों के बीच "जियो टैगिंग" के माध्यम से रूट ऑप्टिमाइजेशन करना।
- **योगदान** — केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP)
- खाद्यान्न परिवहनकर्ता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु GPS सोफ्टवेयर प्रयोग करेंगे।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड (RSFCSCCL) :-

- **स्थापना**— 27 दिसम्बर, 2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत।
- **उद्देश्य**— वस्तुओं और दैनिक आवश्यकताओं का उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना।
- वर्तमान में समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर ई-वेईंग मशीन व आयरिस स्कैनर का पोस मशीनों से संयोजित किया।
- यह चीनी वितरण के लिए नोडल एजेंसी है।
- **कार्य**—
 - पी.डी.एस. के अन्तर्गत गेहूँ का परिवहन करना।
 - अन्त्योदय परिवारों को 1 Kg चीनी वितरण
 - P.O.S मशीनों में 2G से 4G तकनीकी का सुधार कार्य।

उपभोक्ता मामलात विभाग :-

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य/जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाए गए।
 - कुल = 37 जिला आयोग (सभी जिलों में 1, जयपुर-4, जोधपुर-2)
 - राज्य आयोग की 6 क्षेत्रीय शाखाएँ (बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर) संभाग स्तर पर कार्यरत हैं।
- 15 मार्च, 2011 से हेल्पलाइन (नं.- 18001806030) का संचालन।
- 7 अक्टूबर, 2023 से सर्किट बैंच जोधपुर स्थायी पीठ के रूप में कार्य कर रही है।
- 16 मई, 2025 को राज्य सरकार द्वारा 8 नवीन जिलों में जिला आयोगों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी।

राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष :

- **संचालन** :- उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा
- राज्य आयोग एवं जिला आयोगों में दायर की गई शिकायतों से प्राप्त शुल्क को कोष के पीडी खाते में जमा किया जाता है।
- **उपयोग** —
 - राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं विश्व उपभोक्ता दिवस के आयोजन
 - राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के संचालन
 - उपभोक्ता कल्याण से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए।

राज्य उपभोक्ता समग्र निधि :-

- इस निधि का प्रारम्भिक गठन ₹10 करोड़ की राशि से किया गया था, वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा इस कोष में वृद्धि की गई, जिससे कुल कोष राशि ₹20 करोड़ हो गई।
- **अंशदान** : C : S = 75 : 25
- **उपयोग** — इस कोष पर अर्जित ब्याज का उपयोग राज्य में विभिन्न उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं समावेशन

उद्देश्य :-

- संयुक्त और समावेशी समानतापूर्ण समाज का निर्माण करना।
- शिक्षा, रोजगार के अवसर और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

अल्पसंख्यको के जीवनस्तर में सुधार के लिए प्रयास –



शैक्षणिक विकास –

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :-

- **उद्देश्य :-** अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
- **पात्र –**
 - ✓ माता-पिता की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम हो
 - ✓ पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।

मैरिट कम मीन्स (MCM) छात्रवृत्ति :-

- **उद्देश्य :-** अल्पसंख्यक समुदाय के निम्न आय वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **पात्र :-**
 - ✓ अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो
 - ✓ अभ्यर्थी ने पिछले परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

छात्रावास :-

- **उद्देश्य :-** राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के शैक्षिक उत्थान करना।
- यह सुविधा जिला मुख्यालयों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में छात्र और छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- **मैस खर्च के लिए :-** प्रतिमाह ₹3,250 तक की सहायता 9.5 माह तक दी जाती है।
- वर्तमान में 60 छात्रावास संचालित है।

आर्थिक विकास –

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम :-

- यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम की राज्य एजेंसी है।
- **कार्य :-** रियायती दरों पर बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा और व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करना।

सामाजिक कल्याण –

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम) :-

- **उद्देश्य :-** अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी विकास को सुदृढ़ करना।
- 1 अप्रैल 2022 से, यह योजना पूरे राज्य के सभी जिलों में संचालित है।
- अनिवार्यता- 15 किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 25 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदाय हो।

मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना :- इस योजना का द्वितीय अध्याय में विस्तृत उल्लेख है।

राजस्थान राज्य हज समिति :- हज यात्रा का प्रबंधन।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

केन्द्र सरकार द्वारा					
योजना	शुरूआत	लाभार्थी	पेंशन		
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	19 नवम्बर 2007	(BPL परिवार के 60+ आयु)	पेंशन 1250		
			आयु	केन्द्र	राज्य
			< 80	200 रु.	शेष राशि
			> 80	500 रु.	शेष राशि
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	7 अक्टूबर 2009	(BPL परिवार की 40 + आयु)	(40 वर्ष –75 वर्ष तक – 1250 ≥ 75 वर्ष – 1500		
			आयु	केन्द्र	राज्य
			< 80	300 रु.	शेष राशि
			> 80	500 रु.	शेष राशि
• इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	24 नवम्बर 2009	(BPL परिवार 18+ निःशक्तता)	पेंशन 1250 (18–75 वर्ष) 1250 रुपये (≥ 75 वर्ष)		
			आयु	केन्द्र	राज्य
			<80	300 रु.	शेष राशि
			>80	500 रु.	शेष राशि

राज्य सरकार द्वारा		
योजना	लाभार्थी	पेंशन
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	Old age - Female 55 + - Male 58+ - वार्षिक आय < 48000 Rs.	1250 रु. (सभी आयु वर्ग)
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	- विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता - वार्षिक आय < 48000 Rs.	75 वर्ष तक 1250 } 75 + 1500 } प्रतिमाह
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	वार्षिक आय < 60,000 Rs.	1250 रु. (सिलिकोसिस – 1500 रु.) + (कुष्ठ रोग – 2500 रु.)
छोटे/सीमांत किसान वृद्ध सम्मान पेंशन	Age = Female 55+ Male 58+	1250 रु.

नोट :- फरवरी, 2026 से राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजनाओं में ₹50 की वृद्धि की गई है।

नोट :-

- 27 फरवरी 2026
- नागरिकों को समावेशी सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए—
- विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा/एकल नारी व लघु सीमान्त कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए एक हजार 450 रुपये मासिक किया जाएगा

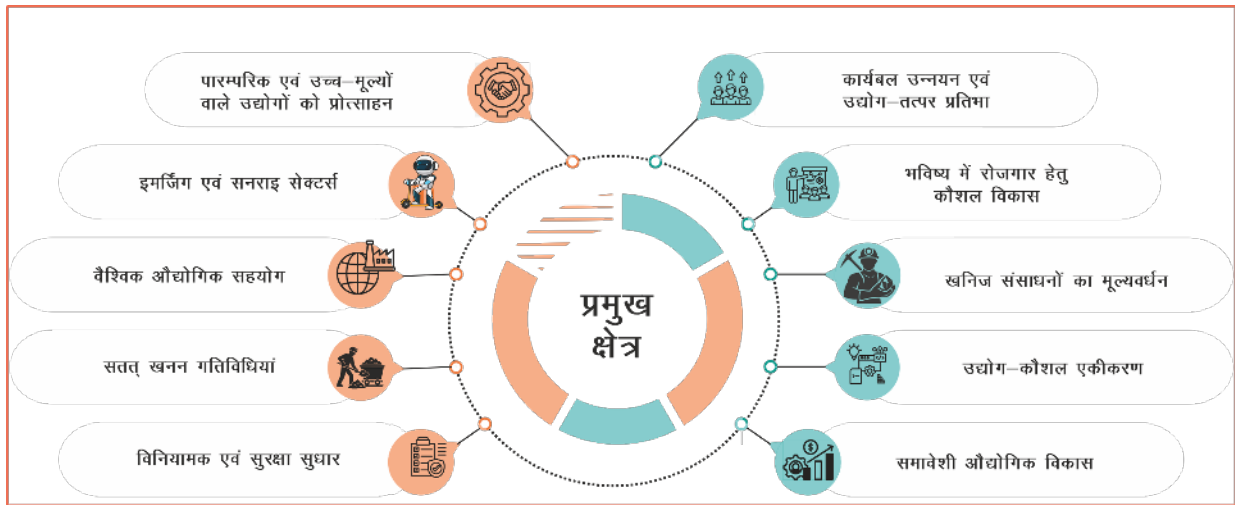
बीस सूत्री कार्यक्रम – 2006 :-

- प्रारम्भ – 1975 में
- पुनः संचरित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का), 2006 के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 1982, 1986 एवं वर्ष 2006 में पुनःसंचरित किया गया।
- शुरुआत – 1 अप्रैल 2007
- उद्देश्य – गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हो।
- कुल – 65 मॉनिटरिंग मदे शामिल।
- इनमें से 10 श्रेणीबद्ध मदों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर कि जा रही है।
- इसके तहत विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे –
 - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)
 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
 - ग्रामीण आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
 - शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवास
 - संस्थागत प्रसव
 - अनुसूचित जाति परिवारों को विशेष

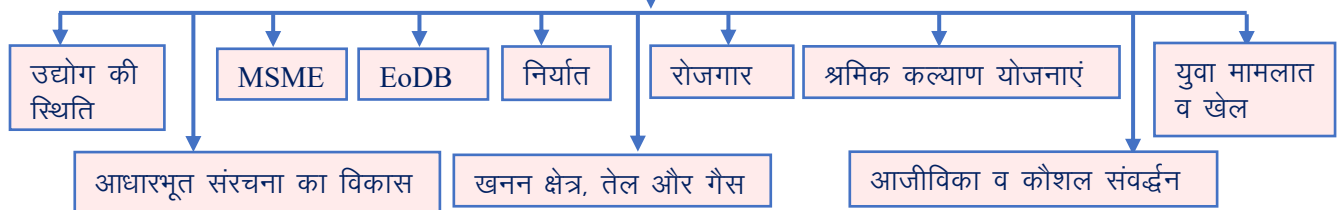
7. केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) घटक एवं एन.एस. एफ.डी. सी. के रियायती ऋणों के अर्न्तगत सहायता
8. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या
9. समेकित बाल विकास सेवाओं (आई. सी.डी.एस.) का सार्वभौमिकरण
10. आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन
11. शहरी निर्धन परिवारों को सहायता
12. पौधारोपण क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
13. बीज पौधारोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
14. ग्रामीण सड़कें पी.एम.जी.एस. वाई.
15. पम्पसेटों का ऊर्जीकरण
16. भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण

विजन स्टेटमेंट—विकसित राजस्थान@2047

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान एम.एस.एम.ई., पर्यावरण—अनुकूल विनिर्माण एवं न्यूनतम नियामक बाधाओं पर विशेष बल के साथ सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए भारत का प्रमुख औद्योगिक और निवेश केन्द्र होगा।
- वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सतत खनन एवं पेट्रोलियम क्षेत्र आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देगा, जबकि भविष्य के लिए तैयार कौशल पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अत्याधुनिक कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों से सशक्त बनाएगा, जो सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है जिससे मजबूत, अनुकूलनशील एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन सुनिश्चित होगा।



रूपरेखा



राजस्थान में उद्योग की स्थिति

उद्योग की स्थिति

GSVA में योगदान व प्रवृत्ति

IIP

GSVA में योगदान

उद्योग क्षेत्र	स्थिर कीमतों पर 2011–12	प्रचलित कीमतों पर
GSVA (₹ में)	2.48 लाख करोड़	4.54 लाख करोड़
GSVA में योगदान (%)	28.21%	26.55%
वृद्धि	7.02%	6.99%
CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर)	4.36%	8.98%

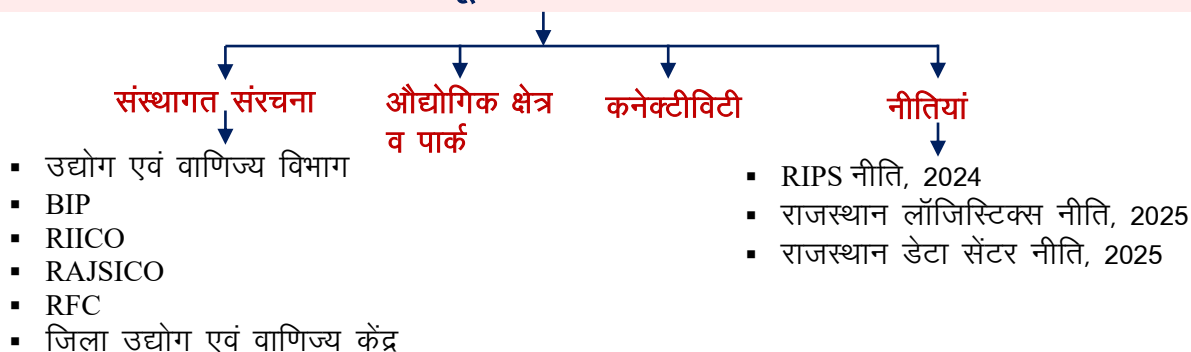
उद्योग के उप-क्षेत्र	प्रचलित कीमतों पर GSVa में योगदान (अनुमानित)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)	CAGR (% में)
विनिर्माण	40.52%	7.84	4.75
निर्माण	35.02%	8.27	4.04
खनन एवं उत्खनन	12.42%	-1.41	2.56
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य	12.04%	9.37	6.32

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन का मापक।
- आधार वर्ष – 2011-12
- जारीकर्ता – NSO
- संकलन – मासिक आधार पर
- यह सूचकांक तीन वृहद् समूहों पर आधारित है।

क्षेत्र	भारांश	IIP (2025-26)	प्रवृत्ति
विनिर्माण	77.63%	181.17	पिछले 5 वर्षों से लगातार वृद्धि
खनन	14.37%	87.94	पिछले 5 वर्षों से लगातार कमी
विद्युत	7.99%	161.00	पिछले 4 वर्षों से लगातार वृद्धि परंतु वर्ष 2025-26 में कमी
सामान्य सूचकांक = 153.29	100%	153.29	पिछले 4 वर्षों से लगातार वृद्धि परंतु वर्ष 2025-26 में कमी

आधारभूत संरचना का विकास



संस्थागत संरचना :

- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग :**
 - स्थापना – 1949 व नाम परिवर्तन – 19 अगस्त, 2021
 - इस विभाग के नेतृत्व में कई संस्थाएं राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प को मार्गदर्शन सहायता व सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- BIP (निवेश संवर्धन ब्यूरो) :**
 - स्थापना – 1991
 - कार्य – बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा प्रदान करने हेतु।
 - यह निम्न के सचिवालय के रूप में कार्य करता है—
 - बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (अध्यक्ष—मुख्यमंत्री)
 - स्टेट एम्पावरड कमेटी (अध्यक्ष – मुख्य सचिव)

- **RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड)**
 - स्थापना — 1980
 - राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है।
 - कार्य —
 - लघु, मध्यम व बृहद उद्योग को वित्तीय सहायता
 - तकनीकी/प्रबंधकीय सहायता
 - आधारभूत विकास
 - औद्योगिक क्षेत्र, विशेष पार्क, जोन व विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास।
- **RAJSICO (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड)**
 - स्थापना — जून, 1961
 - मुख्यालय — जयपुर
 - उद्देश्य —
 - हस्तशिल्प उत्थान एवं बढ़ावा
 - तकनीकी सुविधा
 - लघु उद्योगों को ऋण
 - विपणन सहायता
 - राज्य में व्यवसायों हेतु हवाई परिवहन सुविधा (राजसीको द्वारा संचालन)
 - एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर (1979 से)
 - इनलैण्ड कंटेनर डिपो में ड्राइपोर्ट की सुविधा—
 - ✓ जयपुर
 - ✓ भीलवाड़ा
 - ✓ जोधपुर
- **RFC (राजस्थान वित्त निगम)**
 - स्थापना — 1955
 - उद्देश्य — MSME इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- **जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र** — वर्तमान में 43 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के साथ-साथ 6 उप-केन्द्र उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं

औद्योगिक क्षेत्र व पार्क

- रीको द्वारा 445 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) में रीको द्वारा 19 नए औद्योगिक क्षेत्र यथा :-

भीलवाड़ा (6) ✓ महुवा कलां ✓ धुवाला ✓ कीड़ीमाल ✓ पण्डेर ✓ टेक्सटाइल पार्क, रूपाहेली ✓ पीपलूंद	अजमेर (4) ✓ अजयमेरू पालरा विस्तार ✓ आईटी पार्क ✓ कचारिया, किशनगढ़ ✓ केकड़ी विस्तार	कोटा (2) ✓ वेस्ट रिसाईकलिंग पार्क, गुण्डी फतेहपुर ✓ स्टोन पार्क, गुण्डी फतेहपुर
अलवर (1) ✓ रुंध सौखरी, कठूमर	बालोतरा (1) ✓ बोरावास द्वितीय चरण	बीकानेर (1) ✓ सेरेमिक पार्क गजनेर
बारां (1) ✓ पीपलखेड़ी	धौलपुर (1) ✓ बरौली	उदयपुर (1) ✓ भिण्डर, सगतपुरा
	बांसवाड़ा (1) ✓ बंजारी सुहागपुरा	

1. जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JPMIA)

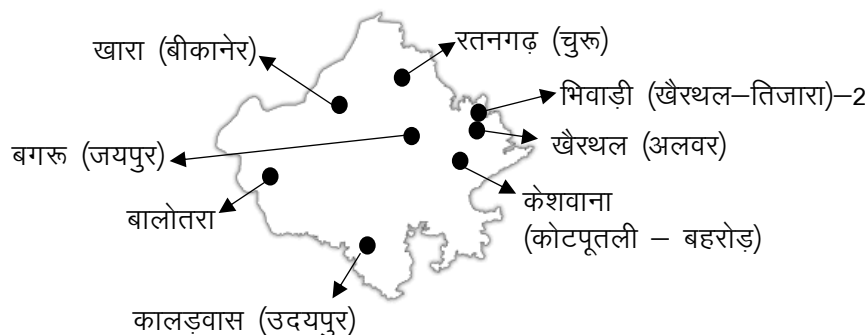
- पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित।
- इसे विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) घोषित किया गया।
- रीको को JPMIA की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसे JPMIA विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

2. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र (KBNIR)

- 165 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें पूर्ववर्ती अलवर जिले के 43 गांव शामिल हैं।
- 28 दिसंबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) घोषित किया गया।
- इसी अधिसूचना में रीको को KBNIR विकास प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया।

3. औद्योगिक पार्क्स एवं विशेष निवेश क्षेत्र

- HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के डाउनस्ट्रीम उत्पादों के बेहतर उपयोग हेतु राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) विकसित किया जा रहा है।
- **इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क**— प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु एवं दूसरा पार्क
 - ✓ जयपुर के जमवारामगढ़ के थौलाई औद्योगिक क्षेत्र में
 - ✓ गुण्दी-फतेहपुर, रामगंज मंडी, कोटा में स्थापित किया गया है।
- गुण्दी-फतेहपुर, कोटा में **स्टोन पार्क** की स्थापना की गई।
- **सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग पार्क** — कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर में।
- राज्य में उपलब्ध प्रचुर कच्चे माल का उपयोग करने तथा सिरमिक एवं ग्लास उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के लिए RIICO द्वारा 2 प्रमुख सिरमिक जोन विकसित किये जा रहे हैं—
 - ✓ सोनियाना सिरमिक एवं ग्लास जोन, चित्तौड़गढ़
 - ✓ गजनेर सिरमिक एवं ग्लास जोन, बीकानेर
- **हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क** — जोधपुर के बोरानाडा में
- जयपुर में फिनटेक पार्क
- यूनिटी मॉल परियोजना (जयपुर)

अग्निशमन केन्द्र-9 (रीको द्वारा)**कनेक्टिविटी****1. वैस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर**

- **उद्देश्य**— देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना है।

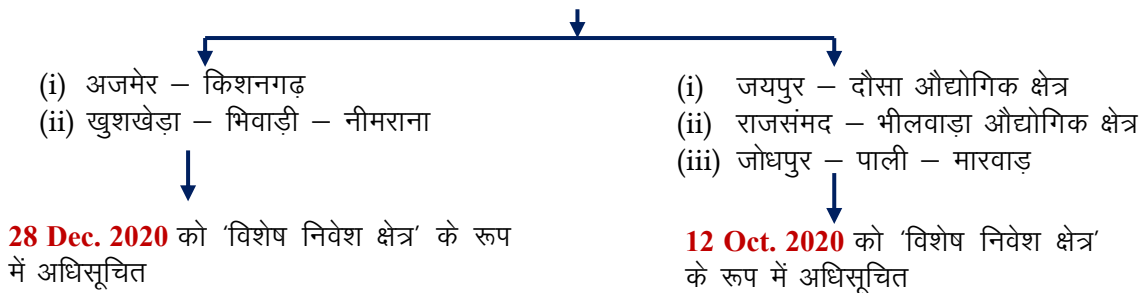
• विशेषताएँ –

1. भारत की अपने रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाना।
2. दादरी (उत्तर प्रदेश) एवं जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह (मुंबई) के मध्य माल परिवहन गलियारा का निर्माण
3. कुल लंबाई 1,504 किलोमीटर।
4. कॉरिडोर का लगभग 39 % हिस्सा राजस्थान के 28 जिलों से होकर गुजरता है।
5. यह कॉरिडोर राजस्थान को भारत के उत्तरी एवं पश्चिमी बाजारों तक बेहतर संपर्क प्रदान करता है।

• सहायता – जापान

2. दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर

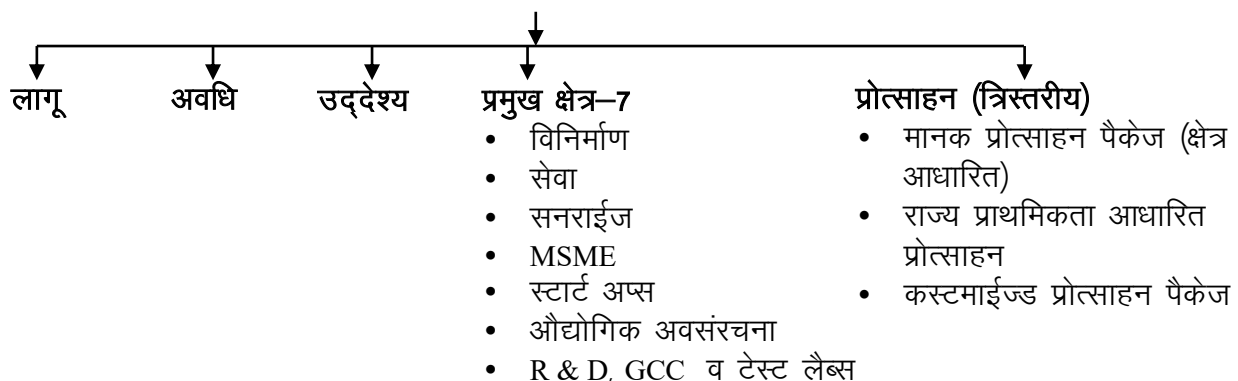
- उद्देश्य– दिल्ली (राजधानी) और मुंबई (वित्तीय राजधानी) के मध्य एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र बनाना।
- **WDFC** के दोनों तरफ 150 कि.मी. की पट्टी को DMIC के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें राजस्थान में



- राजस्थान में DMIC का प्रथम चरण में निम्न का विकास होगा :-
(A) खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराना निवेश क्षेत्र (165 कि.मी²)
(B) जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (154 कि.मी²)
- इनके विकास हेतु एक संयुक्त 'स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी' (SPV) राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (RIDCO) की स्थापना 15 मार्च, 2022 को की गई।

नीतियाँ

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS)



- **लॉन्च** : 8 अक्टूबर 2024 को
- **अवधि** : 31 मार्च 2029 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- **उद्देश्य** : राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना

- प्रोत्साहन

- मानक प्रोत्साहन पैकेज

- विनिर्माण व सेवा क्षेत्र हेतु संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन पर निम्न में से किसी एक का चयन—

- निवेश सब्सिडी – 7 वर्ष तक राज्य करों में 75% की प्रतिपूर्ति
- पूँजीगत अनुदान—वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्ष तक वार्षिक रूप से देय

विनिर्माण हेतु = 13% - 28% } of EFCI
सेवा हेतु = 10% - 20%

क्षेत्र	पात्रता हेतु न्यूनतम निवेश क्षमता
विनिर्माण	50 करोड़
सेवा	25 करोड़
MSME	25 करोड़
Tourism	10 करोड़

- टर्नओवर लिंकड प्रोत्साहन— उत्पादन प्रारम्भ होने के 10 वर्ष तक वार्षिक रूप से देय शुद्ध बिक्री टर्नओवर का विनिर्माण हेतु = 1.2% - 2%
सेवा हेतु = 1% - 1.4%

✓ Top up booster – फर्म द्वारा विशेष लक्ष्य प्राप्ति पर अतिरिक्त प्रोत्साहन (विनिर्माण व सेवा क्षेत्र हेतु)

- Employment booster 10% - 15%
 - Thrust booster 10%
 - Anchor booster 20%
- } Over Asset Creation incentive Amount

- MSME हेतु संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन—

- निवेश Subsidy – 10 वर्ष तक SGST से 75% की प्रतिपूर्ति
- पूँजीगत Subsidy – प्लास्टिक उत्पादों के वैकल्पिक उत्पाद निर्माण उद्योगों के लिए पूँजी निवेश का 50% (अधिकतम 40 लाख)
Agro Food Processing इकाइयों में पूँजी निवेश का 50% (अधिकतम 1.5 Cr.) देय

✓ Top up Booster

- ब्याज अनुदान (7 वर्ष तक देय)
- 5 करोड़ तक – 6%
- 5 - 10 करोड़ तक 4%
- 10-50 करोड़ तक 3%

❖ उपर्युक्त सभी क्षेत्रों को विशेष छूट

- 7 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क में 100% छूट व मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति
- स्टाम्प ड्यूटी व रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट व 25% प्रतिपूर्ति

- राज्य प्राथमिकता आधारित प्रोत्साहन

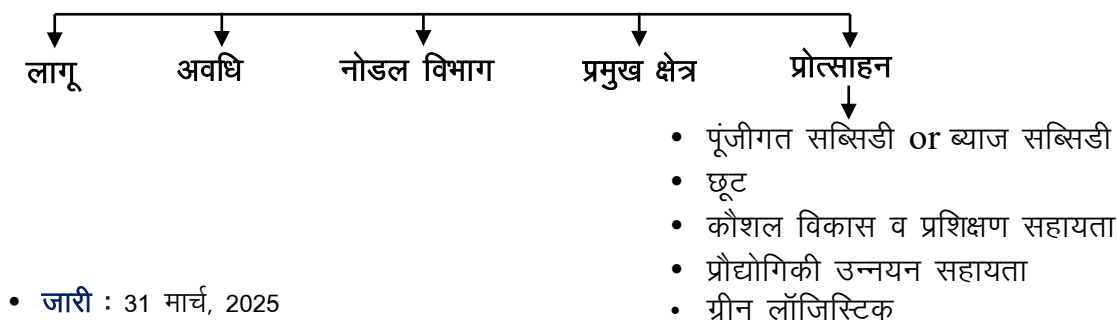
- हरित विकास – पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स (जैसे Recycling) में कुल लागत का 50% प्रतिपूर्ति।
- निर्यात – कुल फ्रेट (Freight) लागत का 25% Subsidy रूप में देय।
- क्षमता विकास – कुल प्रशिक्षण लागत का आंशिक हिस्सा देय।

- कस्टमाइज्ड पैकेज

- Silver Package – निवेश सीमा – ₹500 करोड़ से अधिक
सम्पत्ति सृजन प्रोत्साहन के तीनों विकल्पों में लाभ कस्टमाइज करवाया जा सकता है।
- Gold Package – निवेश सीमा— ₹1000 करोड़ से अधिक व रोजगार सृजन 800 से अधिक
सम्पत्ति सृजन प्रोत्साहन पर 20% बूस्टर अनुदान
- Platinum Package – निवेश सीमा— ₹3000 करोड़ से अधिक व रोजगार सृजन 1500 से अधिक
सम्पत्ति सृजन प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा EFCI की 2.5% होगी।

नोट: वर्ष 2025-26 (दिसम्बर तक) में कुल ₹1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश की 3914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025



- **जारी** : 31 मार्च, 2025
- **अवधि** : 31 मार्च 2029 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- **उद्देश्य** : राज्य की लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना तथा वृहद् स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करना है।
- **नोडल विभाग** : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- **प्रमुख क्षेत्र** :
 - ✓ स्टोरेज सुविधाएं (वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज)
 - ✓ ड्राई पोर्ट (इनलैण्ड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन)
 - ✓ कार्गो टर्मिनल
 - ✓ ट्रक पार्क
 - ✓ लॉजिस्टिक पार्क
- **प्रोत्साहन** :
 - ✓ **पूंजीगत सब्सिडी** – यह स्थिर पूंजी निवेश (EFICI) का 25 प्रतिशत होगी, जो 10 वर्षों तक वार्षिक रूप से वितरित किया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा वार्षिक रूप से ₹ 5 करोड़ से ₹ 50 करोड़ तक की होगी।

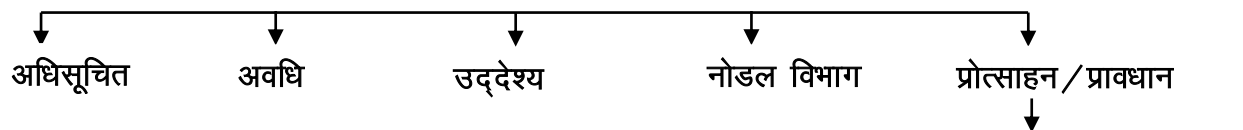
या

ब्याज सब्सिडी – 7 वर्षों के लिए 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान (अधिकतम – ₹ 50 लाख वार्षिक)

- ✓ **छूट** – 7 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क व मण्डी शुल्क/बाजार शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
भूमि रूपान्तरण शुल्क तथा स्टाम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्पूर्ति।
- ✓ **कौशल विकास व प्रशिक्षण सहायता** – अधिकतम 6 माह के लिए प्रति श्रमिक प्रतिमाह प्रशिक्षण लागत का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹ 4,000 तक)
- ✓ **प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता** –
 - वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक ₹ 2,000 तक ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
 - राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर की लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्त प्रतिपूर्ति, प्रति इंस्टॉलेशन ₹ 2 लाख तक।
 - फायर डिटेक्शन सिस्टम की लागत का 20 प्रतिशत (₹10 लाख तक) एकमुश्त प्रतिपूर्ति।
- ✓ **ग्रीन लॉजिस्टिक** – पर्यावरण मैत्री पहलों के उपयोग पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (अधिकतम – ₹ 12.5 करोड़)

राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति-2025 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन एवं लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

राजस्थान डेटा सेंटर नीति- 2025



- अधिसूचित : 19 फरवरी, 2025 को
- अवधि : 31 मार्च 2029 या नई नीति अधिसूचित होने तक।
- उद्देश्य : राज्य में एक मजबूत, सुरक्षित और सतत डेटा सेंटर इकोसिस्टम स्थापित करना।
- नोडल विभाग : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
- प्रोत्साहन/प्रावधान :
 - ✓ वित्तीय प्रोत्साहन :
 - परिसंपत्ति सृजन अनुदान के अंतर्गत निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान या टर्न ओवर आधारित प्रोत्साहन में से किसी एक का चयन।
 - प्रथम 3 मेगा या अट्ठा मेगा डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए विशेष सनराइज प्रोत्साहन (बूस्टर प्रोत्साहन, ब्याज अनुदान और कैप्टिव ऊर्जा उपयोग संबंधित लाभ)।
 - ✓ गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और भवन मानदंड – उच्च फ्लोर एरिया रेशियो (AFR), फ्लेक्सिबल ग्राउंड कवरेज, प्री-फैब्रिकेटेड और मॉड्यूलर डेटा सेंटर इकाइयों की अनुमति, मल्टी-लेवल डीजल जनरेटर स्टैकिंग और शीघ्र संचालन हेतु आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना शामिल है।
 - ✓ परिचालन और श्रम प्रावधान –
 - डेटा सेंटर क्षेत्र को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम (ESMA) के अंतर्गत एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - सभी पारियों में महिलाओं का सुरक्षित नियोजन।
 - डेटा सेंटर्स को 24 × 7 संचालन की अनुमति।
 - श्रम कानूनों के तहत स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) की सुविधा।
 - ✓ सततता और क्षेत्रीय विकास –
 - नवीकरणीय ऊर्जा जल संरक्षण ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरणीय संरक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सततता पर बल।
 - डेटा प्रसारण में होने वाले विलम्ब को कम करने, डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देने तथा उभरते शहरी केंद्रों की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में डेटा सेंटर्स के विकास को प्रोत्साहन।

MSME

परिभाषा

संस्थागत संरचना व अधिनियम

सरकारी प्रयास

वित्तीय सहायता

विपणन सहायता

नीतियां

- डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना
- विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
- एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, 2024

राजस्थान MSME नीति, 2024

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (MSME) की नई परिभाषा (1 अप्रैल, 2025 से)

	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
निवेश	2.5 करोड़	25 करोड़	125 करोड़
टर्नओवर	10 करोड़	100 करोड़	500 करोड़

संस्थागत संरचना व अधिनियम

- MSME Act 2006 अधिनियमित
- MSME Act 2006 के तहत विलम्बित भुगतान निस्तारण हेतु 14 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन।
- MSME निवेशक सुविधा केन्द्र (MIFC)– सभी जिला उद्योग व केन्द्रों में।
- MSME उद्यमी रजिस्ट्रेशन हेतु–
 - ✓ 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल
 - ✓ <https://udyamregistration.gov.in>
 - ✓ दिसम्बर 2025 तक 4.41 लाख औद्योगिकी इकाइयाँ पंजीकृत।
- राजस्थान MSME (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम 2019–
 - ✓ 17 जुलाई 2019 से लागू।
 - ✓ MSME इकाइयों की नोडल एजेंसी (BIP) को आशय की घोषणा प्रस्तुत करने पर 'अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र' (5 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट) जारी किया जा सकता है।
 - ✓ वेब पोर्टल– राज उद्योग मित्र (<https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in>)

सरकारी प्रयास**वित्तीय सहायता**

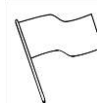
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना – 2022
 - ✓ प्रारम्भ – 8 सितम्बर, 2022 को
 - ✓ उद्देश्य – SC/ST वर्गों को गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यम ऋण पर ब्याज अनुदान
 - ✓ पात्रता – SC/ST वर्ग
 - साझेदारी फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समितियों अथवा कम्पनियों के मामलों में संबंधित इकाई में कम से कम 51% स्वामित्व ST/SC वर्ग के व्यक्तियों का होना अनिवार्य है।

ऋण राशि	ब्याज अनुदान	अतिरिक्त – उद्यम लागत का 25% या रु.25 लाख अनुदान राशि देय होगी।
रु. 25 लाख तक	9%	
रु. 25 लाख – 5 करोड़	7%	
रु. 5 करोड़ – 10 करोड़	6%	

• पीएम विश्वकर्मा योजना

✓ शुभारम्भ – 17 सितम्बर, 2023

✓ उद्देश्य – कारीगरों के कौशल, आय, वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में बढ़ईगीरी, लोहार, मिट्टी के बर्तन, सिलाई और अन्य सहित 18 ट्रेड शामिल हैं।



प्लेगशिप योजना

✓ प्रावधान :

- पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचान पत्र – कौशल प्राप्त पेशेवरों को मान्यता हेतु
- कौशल संवर्धन प्रशिक्षण – प्रतिदिन ₹500 के स्टैंडपेंड के साथ 5–7 दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिवस का उन्नत प्रशिक्षण।
- टूलकिट सहायता – उपकरण खरीदने हेतु ₹15,000
- बिना गारंटी ऋण – 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण, दो किस्तों में रु ₹1 लाख (18 माह) और ₹2 लाख (30 माह) तक
- डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन – प्रति माह 100 डिजिटल लेनदेन तक प्रति लेनदेन पर ₹1 प्रोत्साहन

• योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे राज्य के कारीगरों को केवल 3 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के उद्यम ऋण उपलब्ध हो रहा है।

नोट: राजस्थान ने ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तथा कारीगरों को परीक्षण एवं टूल किट वितरण में तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

• युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना :-

✓ 2023-24 में प्रारम्भ

✓ उद्देश्य – औद्योगिकीकरण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना।

✓ लक्ष्य – 1,000 इकाइयों का वित्तपोषित।

✓ पात्र – 45 वर्ष तक के युवा को लाभ

✓ लाभ – ₹2 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज अनुदान

• विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (वी.के.वाई.यू.पी.वाई.)

✓ लागू :- 3 सितम्बर, 2025।

✓ उद्देश्य :- राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता।

✓ मुख्य प्रावधान –

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के नवीन स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 8% तथा ₹1 करोड़ से अधिक एवं ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
- स्वीकृत ऋण राशि के 25% अथवा अधिकतम ₹5 लाख (जो भी कम हो) तक की मार्जिन मनी अनुदान राशि देय है।
- महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों तथा बुनकर, कारीगर, शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कार्डधारकों को ₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) 2026**
 - ✓ **लागू :-** 15 जनवरी 2026
 - ✓ **पात्रता :-** राज्य के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग।
 - ✓ **उद्देश्य:-** 1 लाख युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना।
 - ✓ इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थान उद्यमों की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु निम्नानुसार मार्जिन मनी और शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करेंगे—
 - i. **8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक**
 - अ) ब्याज अनुदान :
 - ✓ सेवा एवं व्यापार क्षेत्र ₹3.5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
 - ✓ विनिर्माण क्षेत्र— ₹7.5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
 - ब) मार्जिन मनी सहायता — ऋण राशि का 10% (₹35 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।
 - ii. **स्नातक/आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक अथवा उच्च योग्यता वाले आवेदक**
 - अ) ब्याज अनुदान :
 - ✓ सेवा एवं व्यापार क्षेत्र ₹5 लाख तक की अधिकतम ऋण सीमा।
 - ✓ विनिर्माण क्षेत्र— ₹10 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा।
 - ब) मार्जिन मनी सहायता ऋण राशि का 10 % (₹50 हजार तक) की मार्जिन मनी सहायता।
 - iii. **CGTMSE शुल्क प्रतिपूर्ति :-** CGTMSE के अन्तर्गत देय शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **एकीकृत क्लस्टर विकास योजना**
 - ✓ **प्रारम्भ —** 8 दिसंबर, 2024 (योजना 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी)
 - ✓ **उद्देश्य —** राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना।
 - ✓ **प्रारंभिक लक्ष्य —** 15 क्लस्टरों को विकसित करना।
 - ✓ **एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के प्रमुख घटक :**
 - i. **कारीगर/शिल्पकार/बुनकर क्लस्टरों को सहायता :-**
 - ✓ सॉफ्ट इंटरवेंशन : कौशल विकास, डिजायन, पैकेजिंग, विपणन आदि हेतु प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट्स, गुणवत्ता प्रमाणन आदि जैसे क्षमता निर्माण पहलों हेतु ₹50 लाख तक की सहायता।
 - ✓ कच्चे माल के डिपो के संचालन के लिए टर्म/कम्पोजिट लोन पर 8% तक का ब्याज अनुदान।
 - ✓ ई-कॉमर्स के माध्यम से विपणन पर कुल वार्षिक बिक्री पर ₹50,000 तक का एकमुश्त प्रोत्साहन।
 - ii. **कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) की स्थापना हेतु परियोजना लागत का अधिकतम 90% या अधिकतम ₹10 करोड़ तक की सहायता।**
 - iii. **आधारभूत संरचना के विकास हेतु एम.एस.एम.ई. समूहों को राज्य सहायता**
 - ✓ गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा MSME क्लस्टरों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु ₹10 करोड़ तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 80 % तक की सहायता।
 - ✓ गैर-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड MSME क्लस्टरों के विकास हेतु परियोजना लागत का 60 % (अधिकतम ₹5 करोड़ तक) तक की सहायता।
- भारत सरकार ने “रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन” परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ₹146 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान की है।

विपणन सहायता

- **राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (RSICL)** – राजस्थानी विक्रय केन्द्र— जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है।
- खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने 2 अक्टूबर, 2025 से 30 जनवरी, 2026 तक खादी वस्त्रों पर 50 % की छूट दी गई तथा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आई.आई.टी.एफ.) नई दिल्ली में सहभागिता एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी को बढ़ावा दिया गया।
- **44वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर-2025 :-**
 - ✓ **आयोजन** 14 से 27 नवम्बर, 2025 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली।
 - ✓ **थीम :-** 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (के अन्तर्गत उत्कृष्ट सहभागिता के लिए राजस्थान पवेलियन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।)

नीतियाँ

राजस्थान एम.एस.एम.ई. नीति 2024

(MSME नीति – 2022 को प्रतिस्थापित कर)

- **उद्देश्य** – MSME क्षेत्र के संतुलित और समावेशी विकास के माध्यम से राजस्थान में आर्थिक और सामाजिक सुदृढीकरण को बढ़ावा देना
- **लक्ष्य** – वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक MSME पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना
- **लागू :-** 8 दिसम्बर, 2024।
- नीति 31 मार्च, 2029 तक प्रभावी रहेगी।
- इसे राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त प्रोत्साहनों हेतु एक 'वन स्टॉप शॉप' समाधान के रूप में तैयार किया गया है, जो लाभ और सहायता प्राप्त करने में सुलभ पहुँच को सुनिश्चित करता है।
- **नीति में मुख्य प्रावधान**
 - नई MSME की स्थापना और मौजूदा MSME इकाइयों के विस्तार हेतु, ₹50 करोड़ तक की ऋण राशि पर 2 % तक की अतिरिक्त ब्याज अनुदान (RIPS 2024 के तहत देय ब्याज अनुदान के अलावा)
 - लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों द्वारा NSE/BSE/MSE एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु ₹15 लाख तक की एकमुश्त सहायता।
 - सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50 % (₹5 लाख तक) राशि सहायता।
 - राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणन और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय का 50 % (अधिकतम ₹3 लाख) की सहायता प्रतिपूर्ति।
 - राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर MSME उत्पादों के विपणन के लिए, स्टॉल किराए और दो व्यक्तियों के यात्रा व्यय के लिए 75 % सहायता (अधिकतम ₹1.5 लाख)।
 - उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए किए गए व्यय का 75 % (अधिकतम ₹50,000) प्रतिपूर्ति प्रदान।
 - ई-कॉमर्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क का 75 % प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹50,000)।

ईज ऑफ डुईंग बिजनेस

उद्देश्य

अधिनियम

विवाद निवारण तंत्र

BRAP

• उद्देश्य :-

- ✓ विकास दर को बढ़ावा देना।
- ✓ निवेश आकर्षित करना
- ✓ अधिक प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी व्यवसाय वातावरण तैयार करना।

• राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम-2011

✓ राज निवेश पोर्टल – One stop Shop सुविधा

- राजस्थान में ₹10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना।
- राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस अधिनियम-2011 के द्वारा स्थापित।
- वर्तमान में निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर 19 विभागों की 181 सेवाएँ एकीकृत की जा चुकी हैं।

• विवाद और निवारण तंत्र (DRM) – नए उद्यमों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया।

• बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान :- 2024

- ✓ जारीकर्ता – उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
- ✓ उद्देश्य – ease of doing business हेतु किये गए विनियामक सुधारों के आधार पर राज्यों व UT का मूल्यांकन करना।
- ✓ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2024 के अंतर्गत बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड सर्विस सेक्टर श्रेणी में राजस्थान 'टॉप अचीवर' के रूप में अंकित हुआ है।
- ✓ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2026 :- क्रियान्वयन अवधि 15 नवम्बर 2025 से 15 जुलाई 2026।

निर्यात

स्थिति

नीतियां

अन्य पहल

- राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2024
- राजस्थान ODOP नीति, 2024
- राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति, 2025
- राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति, 2025

- राइजिंग राजस्थान समिट, 2024
- राजस्थान फाउन्डेशन
- प्रवासी राजस्थानी नीति, 2025

स्थिति –

राजस्थान से कुल निर्यात–

- वर्ष 2024-25 – रु. 97,171.66 Cr. (लगभग 97000 Cr.)
- सर्वाधिक- Engineering Goods (अभियांत्रिकी वस्तुएँ)– 19,849.29 Cr.
- शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएँ–

1. Engineering Goods 2. Gems & Jewellery 3. धातुएँ 4. वस्त्र 5. हस्तशिल्प वस्तुएँ

इन 5 वस्तुओं का योगदान 67% से अधिक है।

नीतियाँ

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024

- अवधि : 31 मार्च 2029 तक
- उद्देश्य :
 - ✓ सतत एवं समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना।
 - ✓ लघु, मध्यम उद्यमों स्थानीय हस्तशिल्प और निर्यात उत्पादों में विविधीकरण लाना।
- प्रमुख प्रावधान:-
 - ✓ निर्यात दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता एवं प्रबंधन प्रमाणन हेतु सहायता :- प्रति इकाई वार्षिक लागत का 50 %, अधिकतम ₹5 लाख तक, सहायता प्रदान की जाती है।
 - ✓ विपणन सहायता :- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने वाले पात्र उद्यमों को व्ययों की 75 % प्रतिपूर्ति एवं आवागमन हेतु सहायता अधिकतम ₹3 लाख तक की सहायता (दो वर्ष में एक बार) प्रदान की जाती है।
 - ✓ उत्पाद परीक्षण प्रोत्साहन :- निर्यात इकाइयों को उत्पाद सम्बन्धी प्रमाणीकरण हेतु किए गए व्यय का 75 % प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹ 20,000 प्रति शिपमेंट तथा ₹ 3 लाख प्रति वर्ष तक प्रदान की जाती है।
 - ✓ प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता :- निर्यात इकाइयों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण एवं उन्नयन हेतु किए गए व्यय का 75 % प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹50 लाख तक प्रदान की जाती है।
 - ✓ ई-कॉमर्स सहायता :- निर्यात बढ़ाने हेतु ई-कॉमर्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए देय कुल शुल्क का 75 % प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹2 लाख तक प्रदान की जाती है।
 - ✓ निर्यात ऋण बीमा :- निर्यात इकाइयों को निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) को अदा किए गए प्रीमियम का 50 % प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹2 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष तक प्रदान की जाती है।

नोट :- इस नीति के अंतर्गत पहली बार निर्यात करने वाली इकाइयों को RIPS-2024 के तहत माल भाड़ा लागत पर 25 % की सब्सिडी (अधिकतम ₹25 लाख प्रति इकाई तक) प्रदान की जाती है।

राजस्थान एक जिला एक उत्पाद (O.D.O.P.) नीति 2024

- घोषणा – 8 दिसम्बर, 2024
- उद्देश्य –
 - ✓ प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
 - ✓ प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केन्द्र के रूप में परिवर्तित करना।
- विशेषताएँ –
 - ✓ स्थानीय उद्योगों हेतु सहयोग व क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना।
 - ✓ उत्पाद मूल्य शृंखलाओं को बेहतर बनाना।
 - ✓ जिले के अद्वितीय उत्पादों एवं सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर प्रोत्साहन देना।
 - ✓ वित्तीय, तकनीकी व विपणन सहायता प्रदान करना।
- एक जिला-एक उत्पाद

सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों (DEPC) का गठन किया है।

क्र. सं.	जिला	ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद का नाम
1	अजमेर	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
2	अलवर	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
3	बालोतरा	वस्त्र उत्पाद
4	बाँसवाड़ा	मार्बल उत्पाद
5	बारां	लहसुन उत्पाद
6	बाड़मेर	कशीदाकारी
7	ब्यावर	क्वार्ट्ज एवं फेल्डस्पार पाउडर
8	भरतपुर	कृषि आधारित उत्पाद
9	भीलवाड़ा	वस्त्र उत्पाद
10	बीकानेर	बीकानेरी नमकीन
11	बूंदी	सैंडस्टोन
12	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
13	चूरु	लकड़ी के उत्पाद
14	दौसा	पत्थर आधारित उत्पाद
15	डीडवाना—कुचामन	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद
16	डीग	पत्थर आधारित उत्पाद
17	धौलपुर	पत्थर आधारित उत्पाद
18	झुंजरपुर	मार्बल उत्पाद
19	हनुमानगढ़	कृषि आधारित उत्पाद
20	जयपुर	रत्न एवं आभूषण
21	जैसलमेर	येलो स्टोन उत्पाद
22	जालौर	ग्रेनाइट उत्पाद
23	झालावाड़	कोटा स्टोन उत्पाद
24	झुंझुनूं	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद
25	जोधपुर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
26	करौली	सैंडस्टोन उत्पाद
27	खैरथल—तिजारा	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
28	कोटा	कोटा डोरिया
29	कोटपूतली—बहरोड़	ऑटोमोबाइल पार्ट्स
30	नागौर	पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण
31	पाली	वस्त्र उत्पाद
32	फलौदी	सोनामुखी उत्पाद
33	प्रतापगढ़	थेवा आभूषण
34	राजसमंद	ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद
35	सलूम्बर	क्वार्ट्ज
36	सवाई माधोपुर	मार्बल उत्पाद
37	सीकर	लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद
38	सिरोही	मार्बल उत्पाद
39	श्रीगंगानगर	सरसों का तेल
40	टोंक	स्लेट स्टोन उत्पाद
41	उदयपुर	मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद

राजस्थान व्यापार संवर्द्धन नीति 2025 :-

- **लागू :-** 7 दिसम्बर 2025 से।
- **उद्देश्य :-** इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापार उद्यमों सहित छोटे व्यापारियों को रियायती ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करना तथा बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करना है।
- **लक्ष्य :-** व्यापार क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना।
- **प्रमुख प्रावधान :-**
 - ✓ **ब्याज अनुदान :** नए सूक्ष्म व्यापार उद्यमों की स्थापना के लिए, ₹1 करोड़ तक के ऋण पर 6 % ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा और ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 4 % ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
 - ✓ **क्रेडिट गारंटी सहायता :-** क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सी.जी.टी.एम.एस.ई) योजना के अंतर्गत, नवीन सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को ₹5 करोड़ तक के ऋण कवरेज पर देय गारंटी शुल्क की 50 % प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी।
 - ✓ **बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति :-** सूक्ष्म श्रेणी के खुदरा व्यापारियों के लिए, प्रति वर्ष बीमा प्रीमियम की 50 % (₹1 लाख तक) प्रतिपूर्ति, पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।
 - ✓ **ई-कॉमर्स प्रोत्साहन :-** सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹50,000 तक की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क (शिपिंग शुल्क को छोड़कर) की 75 % प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नोट :- विशेष श्रेणियों हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन :- महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले व्यापार उद्यमों को ₹1 करोड़ से अधिक और ₹2 करोड़ तक के ऋण पर 1 % अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा।

राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 :-

- **उद्देश्य :-** राज्य को वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के लिए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- **अधिसूचना :-** 13 फरवरी 2025।
- **प्रमुख प्रावधान :-**
 - ✓ वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु 10 वर्षों की अवधि के लिए परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन, जिसमें निवेश अनुदान, पूंजी अनुदान तथा टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।
 - ✓ मेगा एवं अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं हेतु फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट, राज्य कर/वैट की प्रतिपूर्ति।
 - ✓ स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में लाभ, जिसमें 75% छूट एवं 25% प्रतिपूर्ति शामिल है।
 - ✓ विद्युत खपत पर 7 वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से 100 % छूट।
 - ✓ भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में लाभ जिसमें 75% छूट एवं 25% प्रतिपूर्ति शामिल है।
 - ✓ वस्त्र एवं परिधान उद्योग में पर्यावरणीय रूप से सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण परियोजनाओं पर किए गए व्यय की 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹12.5 करोड़ की सीमा तक।
 - ✓ फ्रेट सब्सिडी, जिसमें राज्य के इनलैंड कंटेनर डिपो (आई.सी.डी.) या एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात किए गए माल पर कुल मालभाड़ा व्यय की 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹25 लाख की सीमा तक।
 - ✓ कौशल विकास सहायता जिसमें योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्मिकों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की 50 % प्रतिपूर्ति।
 - ✓ बौद्धिक संपदा सहायता, जिसमें पेटेंट एवं कॉपीराइट पंजीकरण हेतु किए गए व्यय की 50 % प्रतिपूर्ति।

नोट :- राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन एवं लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 (RIPS-2024) के प्रावधानों के अनुरूप दिए जाएंगे।

अन्य पहल :-**राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 :-**

- **आयोजन** – 9-11 दिसम्बर, 2024 को JECC, सीतापुरा, जयपुर में।
- **उद्देश्य** – राजस्थान को वैश्विक निवेश, तकनीकी नवाचार और सतत विकास का केन्द्र बनाना।
- **थीम** – Replete, Responsible, Ready (पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार)
- **परिणाम**
 - ✓ देशों के प्रतिनिधियों और 20,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया।
 - ✓ 13 विशेष सत्र आयोजित जिसमें ऊर्जा, टेक्स्टाइल व अन्य क्षेत्रों पर चर्चा।
 - ✓ कुल रुपये 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

राजस्थान फाउण्डेशन :-

- **उद्देश्य** – भारत और विदेशों में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ना, राज्य विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा मातृभूमि के साथ संबंध बनाए रखना।
- राजस्थान फाउण्डेशन के 26 चैप्टर्स क्रियाशील हैं।
- इसके अतिरिक्त प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान फाउण्डेशन के 14 नए चैप्टर्स स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है। ये चैप्टर्स विदेशों में दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा देश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और केरल में खोले जाएंगे।
- **प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन** : 10 दिसम्बर 2025 को जयपुर में।
इस अवसर पर 'प्रवासी राजस्थानी नीति 2025' लॉन्च की गई और 'राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल' का भी उद्घाटन किया गया।
- प्रवासी राजस्थानियों के हितों की सुरक्षा एवं संवर्द्धन हेतु समर्पित विभाग 'डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स (डी.ओ.आर.ए.)' का गठन किया गया है।
- राज्य सरकार की विभिन्न क्षेत्रवार नीतियों के प्रावधानों के प्रावधानों एवं लाभों के बारे में प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी देने हेतु राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा 'नॉलेज सीरीज-एक वर्चुअल कनेक्ट' की शुरुआत की गई है।

प्रवासी राजस्थानी नीति 2025

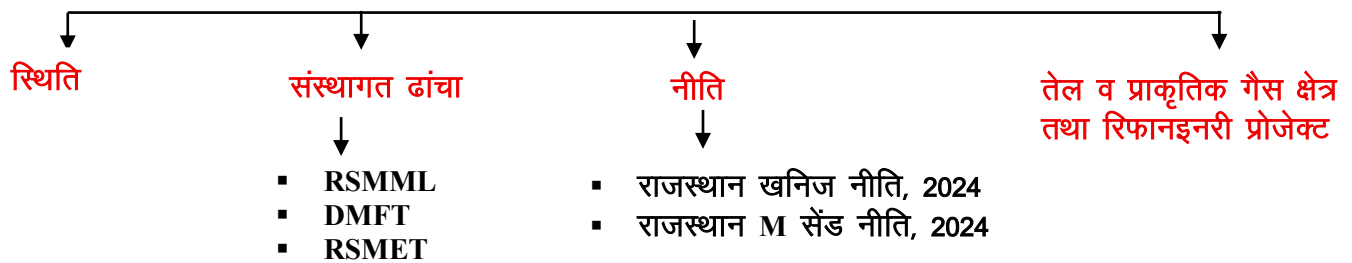
- **उद्देश्य :-** विश्वभर में बसे राजस्थानी प्रवासियों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राजस्थान को एक विशिष्ट वैश्विक पहचान प्रदान करना।
- **जारी :-** 10 दिसम्बर 2025 को।
- यह नीति निम्नलिखित पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:-
 - ✓ **एक्सलरेट** – ऐसा अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना-
 - जो प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को प्रोत्साहित करे
 - उनके व्यावसायिक अवसरों की खोज को सरल बनाए
 - सरकारी विभागों से प्रभावी रूप से जुड़ने में सहायता करे
 - उनके नवाचारपूर्ण विचारों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराए
 - ✓ **ब्रिज** – राजस्थान और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के मध्य एक सशक्त सेतु स्थापित करना जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया, न्यूजलेटर, लाइवस्ट्रीम, कॉन्क्लेव एवं विभिन्न आयोजनों के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रम संचालित कर गैर-निवासी राजस्थानियों के साथ सतत संबंध विकसित किए जाएंगे।

- ✓ **सेलिब्रेट** – त्योहारों, प्रदर्शनियों तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पहलों के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों के साथ राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं कला के संरक्षण और संवर्धन पर केन्द्रित है। इसका उद्देश्य उनके वर्तमान निवास देश एवं राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों का उत्सव मनाना तथा उन्हें सम्मानित करना है।
- ✓ **ड्राइव** – राजस्थानी प्रवासी समुदाय को अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक निर्माण तथा अन्य सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित एवं संगठित करता है।
- ✓ **एन्थोर** – यह स्तम्भ शिकायत निवारण मंचों, सहयोगात्मक सहायता प्रणालियों तथा उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को प्रभावी सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देता है।

निर्यात का महत्व—

1. रोजगार सृजन
2. विदेशी मुद्रा अर्जित
3. बाजार अवसरों का विस्तार
4. उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार
5. तकनीकी उन्नयन— मशीनरी, विनिर्माण

राजस्थान में खनन क्षेत्र, तेल और गैस



स्थिति – राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों का भण्डारण है जिनमें से 57 खनिजों का वर्तमान में वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।



- **अग्रणी उत्पादक** : राज्य चूना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलस्टोनाइट, गार्नेट, बैराइट्स, सिलिका सैण्ड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा।
- **प्रमुख उत्पादक** : मार्बल, सैण्ड स्टोन और ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है।

देश के खनिज संसाधनों में राज्य की हिस्सेदारी :-



संस्थागत ढांचा –

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)–

- **स्थापना** – 30 अक्टूबर 1974 को
- राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
- **उद्देश्य** – खनिज सम्पदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन
- **कार्य** – औद्योगिक खनिजों का खनन व विपणन।
- कंपनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (SBU & PC) कहा जाता है।
 1. SBU & PC – रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा, उदयपुर
 2. SBU & PC – जिप्सम – बीकानेर
 3. SBU & PC – लिग्नाइट – जयपुर
 4. SBU & PC – लाइमस्टोन – जोधपुर

कार्पोरेट ऑफिस, उदयपुर के सीधे नियंत्रण में

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण योजना:

वर्ष 2025-26 में खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण कार्यक्रमों के अंतर्गत भू-वैज्ञानिक जांच हेतु कुल 34 परियोजनाओं को रखा गया।

राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास (RSMET), जयपुर

- सितम्बर - 2020
- कार्य- खान एवं भू-विज्ञान विभाग को तकनीकी परामर्श देना।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT)

- गैर लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित ट्रस्ट
- कार्य - खनन प्रभावित क्षेत्रों व लोगों के हितों की रक्षा।
- अधिसूचना - 2016
- स्थापना- प्रत्येक जिले में DMFT (31 मई 2016) → राज्य में 33 DMFT

नीतियां -**राजस्थान खनिज नीति 2024 :-**

- जारी - 4 दिसम्बर, 2024
- उद्देश्य :- पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है।
- मुख्य विशेषताएं
 - ✓ **आर्थिक विकास और निवेश :-** खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
 - ✓ **रोजगार सृजन :-** वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
 - ✓ **स्थिरता और ESG अनुपालन :-** शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
 - ✓ **प्रौद्योगिकी एकीकरण :-** उन्नत अन्वेषण तकनीकों, ए.आई. आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
 - ✓ **अवैध खनन शमन :-** जी.पी.एस. आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रीयल-टाइम निगरानी का उपयोग करना।
 - ✓ **प्रमुख पहल :-**
 1. 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
 2. पूर्व-निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
 3. खनन रियायत क्षेत्र को 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2% तक बढ़ाना।
 4. स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व) को बढ़ावा देना।
 5. खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना।

राजस्थान एम-सैंड नीति 2024

- प्रथम एम सैंड नीति - 2020
- 25 जनवरी, 2021 को एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा
- राजस्थान एम-सैंड नीति 2024 एक रणनीतिक पहल है।
- उद्देश्य :- निर्माण कार्यों में नदी रेत (बजरी) के स्थान पर एक स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत (एम-सैंड) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहन देना है।
- निर्माण सामग्री की बढ़ती मांग और नदी रेत खनन से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, यह नीति संसाधनों के उत्तरदायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है।

• **मुख्य विशेषताएं –**

- ✓ एम-सैंड के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रक्रियाओं व नियमों का सरलीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन देकर एम-सैंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- ✓ एम-सैंड इकाइयों के लिए प्रोत्साहन :
 - वित्तीय लाभ :- रॉयल्टी में छूट (50%) और ओवरबर्डन डंप उपयोग शुल्क में राहत।
 - निवेश सब्सिडी :- 10 वर्षों के लिए 75% राज्य कर प्रतिपूर्ति।
 - बिजली शुल्क छूट :- 7 वर्षों के लिए 100%।
 - स्टाम्प शुल्क :- में कमी स्टाम्प शुल्क पर 75% छूट।
 - रोजगार लाभ :- स्थानीय कर्मचारियों के लिए EPF और ESI के लिए नियोक्ता के अंशदान का 50% प्रतिपूर्ति।
- ✓ गुणवत्ता मानक एवं नियंत्रण :
 - गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु BIS प्रमाणन और समय-समय पर अनिवार्य परीक्षण।
 - एम-सैंड इकाइयों में ऑन-साइट गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन।
- ✓ अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता :
 - जल पुनः उपयोग के लिए शून्य निर्वहन (जीरो-डिस्चार्ज) प्रणालियों को बढ़ावा देना।
 - एम-सैंड उत्पादन हेतु निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (C&D) अपशिष्ट पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना।
 - पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट निपटान तंत्र विकसित करना।
- ✓ कार्यान्वयन रणनीति :
 - नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खान और भूविज्ञान विभाग के अन्तर्गत एक समर्पित एम-सैंड सेल की स्थापना करना।
 - सरकारी परियोजनाओं में एम-सैंड के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना (2028-29 तक 50% का लक्ष्य)।

तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र तथा रिफाइनरी प्रोजेक्ट

- राज्य देश में स्थलीय (ऑनशोर) प्राकृतिक गैस उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है
- भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 12 % योगदान देता है।
- राज्य में देश के कुल उत्पादन 28.70 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक (एमएमटीपीए) में से लगभग 3.42 एम.एम.टी.पी.ए. कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है।
- **राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र :-** चार पेट्रोलियम युक्त बेसिन (14 जिलों के लगभग 1.50 लाख वर्ग किमी.)
 1. बाड़मेर-सांचौर बेसिन (बाड़मेर जिला तथा अंशतः जालोर एवं बालोतरा जिले)
 2. जैसलमेर बेसिन- (जैसलमेर एवं फलौदी जिला तथा अंशतः बीकानेर जिला)
 3. बीकानेर – नागौर बेसिन (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरु जिले)
 4. विंध्यन बेसिन (कोटा, बारां, झालावाड़, धौलपुर, करौली जिले तथा अंशतः बून्दी, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले)
- वर्तमान में राज्य के 15 तेल एवं गैस उत्पादक क्षेत्रों से प्रतिदिन लगभग 57,000-59,000 बैरल तेल प्रतिदिन (BOPD) का उत्पादन किया जा रहा है।

क्षेत्र :- मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य क्षेत्र।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, बाड़मेर

- परियोजना = सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी
- शुभारम्भ = 16 जनवरी 2018 (पंचपदरा, जिला बालोतरा)
- क्षमता = 9 MMTPA (मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक)
- संयुक्त उद्यम = हिन्दूस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन : राजस्थान सरकार
74% (₹19,600 करोड़) : 26% (₹ 6886 करोड़)
- यह 2 : 1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है।
- परियोजना की संशोधित लागत 79,459 करोड़ रु. है।
- देश की प्रथम रिफाइनरी जो BS-6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी अर्थात् जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है।

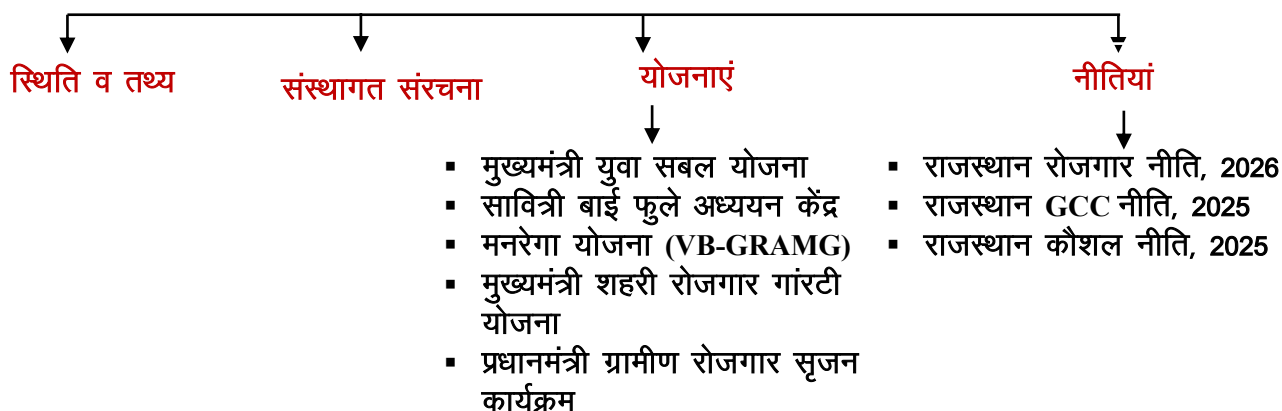
कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस

दोहन क्षेत्र	कम्पनी
1. बाड़मेर-सांचोर बेसिन 16 क्षेत्र - मंगला (29 Aug. 2009) - भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी	कैयर्न इण्डिया
2. जैसलमेर बेसिन - बाघेवाला क्षेत्र - घोटारू : क्षेत्र (केवल प्राकृतिक गैस) (पुनः प्रारम्भ)	वेदांता, ONGC ONGC

राजस्थान सिटी गैस वितरण (CGD) नीति 2025 :-

- उद्देश्य :-** गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना तथा सम्पूर्ण राज्य में स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विस्तार करना।
- जारी :-** 16 जुलाई, 2025।
- यह नीति गैस पाइपलाइन अवसंरचना को सुदृढ़ करने, सी.जी.डी. नेटवर्क के विकास में तेजी लाने तथा घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पाइपड नेचुरल गैस (PNG) एवं संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की उपलब्धता बढ़ाने पर केन्द्रित है।

रोजगार



रोजगार स्थिति

N.S.O द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (P.L.F.S) 2023-24 के अनुसार।

क्र. सं.	सूचक	राजस्थान		भारत	
		2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
1.	श्रम बल भागीदारी दर				
	पुरुष	78.6	81.4	83.2	83.5
	महिला	50.5	54.1	39.8	45.2
	कुल	64.8	67.6	61.6	64.3
2.	श्रमिक जनसंख्या अनुपात				
	पुरुष	73.9	77.4	80.2	80.6
	महिला	48.9	51.7	38.5	43.7
	कुल	61.6	64.4	59.5	62.1
3.	बेरोजगारी की दर				
	पुरुष	6.0	4.8	3.6	3.5
	महिला	3.2	4.5	3.2	3.4
	कुल	4.9	4.7	3.4	3.5

कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR) :- एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो जनसंख्या में रोजगार के स्तर को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। यह कार्य करने योग्य जनसंख्या के उस अनुपात को दर्शाता है जो कार्य में संलग्न हैं, जिससे श्रम बाजार की गतिशीलता की जानकारी मिलती है। राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या अनुपात में वृद्धि राज्य में अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देती है।

नोट :- वर्ष 2022-23 की तुलना में राज्य में WPR और LFPR दोनों क्रमिक वृद्धि दर्शाते हैं।

• **क्षेत्रवार कार्यरत श्रमिक (सर्वाधिक)**

क्र.सं.	भाग	राजस्थान (%)	भारत (%)
1.	कृषि एवं वानिकी और मछली पकड़ना।	51.05	46.07
2.	निर्माण	12.31	11.98
3.	विनिर्माण	10.95	11.44
4.	थोक और खुदरा व्यापार मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों की मरम्मत	8.61	10.23

✓ **न्यूनतम (राजस्थान)**

1. रियल एस्टेट गतिविधियाँ (0.14%)
2. जलापूर्ति सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार गतिविधियाँ (0.23%)

संस्थागत ढांचा –

• **रोजगार विभाग –**

- ✓ रोजगार तलाश करने वालों को तथा रोजगार नियोजकों को क्रमशः रोजगार व कार्यबल प्राप्त करने में सहायता करना।
- ✓ **कार्य –**
 - बेरोजगारों का पंजीयन

- रोजगार सहायता शिविरों को आयोजन
- रिक्तियों, छात्रवृत्ति अन्य की जानकारी प्रसारित करना।
- रोजगार निदेशालय द्वारा 'राजस्थान रोजगार संदेश' नामक एक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है।
- **कार्मिक विभाग** – यह राज्य सरकार के तहत मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **रोजगार सहायता शिविर** – जिला मुख्यालयों पर त्रैमासिक रूप से।
- **मॉडल कैरियर सेंटर (MCC) :-**
 - ✓ 16 जिलों में
 - ✓ पारंपरिक रोजगार एक्सचेंजों को IT – सक्षम मॉडल कैरियर सेंटर में बदलना।

योजनाएँ

- **मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना –**
 - ✓ 1 फरवरी 2019 से प्रारम्भ।
 - ✓ राज्य के युवाओं की सहायता व रोजगार क्षमता वृद्धि के लिए।
 - ✓ Revised – 1 जनवरी 2022
 - ✓ 4000 रु. प्रतिमाह ← बेरोजगारी भत्ता → 4500 रु. प्रतिमाह

↓
 पुरुषों को

↓
 महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन को
 - ✓ अधिकतम 2 वर्ष तक या रोजगार प्राप्त करने तक।
 - ✓ **योग्यता :-**
 - स्नातक बेरोजगार
 - कम से कम तीन माह कौशल प्रशिक्षण
 - प्रतिदिन 4 घंटे राजकीय विभागों में इन्टर्नशिप
- **सावित्री बाई फुले अध्ययन केन्द्र** – 33 जिला पुस्तकालयों में।
 - ✓ प्रत्येक में कैरियर सलाहकार की नियुक्ति-प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु मार्गदर्शन।
- **मनरेगा (अध्याय -10 में विस्तार से वर्णित)**
- **मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना :-**
 - ✓ अकुशल श्रम रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। (अध्याय -11 में विस्तार से वर्णित)
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम :-**
 - **उद्देश्य :-** गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
 - ✓ भारत सरकार के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित
 - ✓ राज्य स्तर पर क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से।
 - ✓ यह एक प्रमुख क्रेडिट लिंकड सब्सिडी कार्यक्रम है।

वर्ष 2025–26 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा 2 नई पहल/योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं—

1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पी.एम.वी.बी.आर.वाई.) :-

- **लागू :-** 1 अगस्त, 2025 से।
- **उद्देश्य :-** रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि तथा कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।
- **लाभ :-**
 - ✓ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के मध्य सृजित रोजगारों पर लागू होंगे।
 - ✓ यह योजना दो भागों में विभाजित है, जिसमें प्रथम भाग पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों पर तथा द्वितीय भाग नियोक्ताओं पर केन्द्रित है—

भाग अ (प्रथम बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी) :-

- पहली बार EPFO के सदस्य बनने वाले कर्मचारी जिनका वेतन ₹1 लाख प्रतिमाह तक है। (एकमुश्त प्रोत्साहन)
- यह प्रोत्साहन एक माह के EPF वेतन के बराबर (₹15,000 तक) होगा। यह राशि 6 माह एवं 12 माह की सेवा पूर्ण करने के बाद दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।

भाग ब (नियोक्ता) :-

- EPFO से पंजीकृत नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी पर प्रति माह अधिकतम ₹3,000 तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। (विनिर्माण क्षेत्र के लिए Max. 4 वर्षों तक देय)

2. कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 :-

- **लॉन्च :-** 1 नवम्बर, 2025।
- **उद्देश्य :-** स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

- **संगठित क्षेत्र के कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा तीन योजनाओं का क्रियान्वयन

i. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (1952) :- सामाजिक सुरक्षा पहल।

- ✓ अनिवार्य बचत योजना के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- ✓ संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का निश्चित प्रतिशत फंड में योगदान करते।
- ✓ सदस्यों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा जैसी विशिष्ट जरूरतों के लिए धन निकालने की अनुमति।

ii. कर्मचारी पेंशन योजना (1995) : वेतन और सेवा वर्षों के आधार पर पेंशन लाभ प्रदान।

iii. कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना (1976) :- निजी क्षेत्र में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना।

- ✓ सेवारत कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को 2.5 लाख–7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (अंतिम आहरित वेतन के आधार पर)

नीतियाँ :

• राजस्थान रोजगार नीति 2026 :-

- **जारी :-** 12 जनवरी, 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस)
- **उद्देश्य :-**
 - ✓ रोजगार सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु।
 - ✓ यह नीति राज्य के जनसांख्यिकीय लाभ और क्षेत्रीय क्षमताओं का प्रभावी उपयोग कर इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करती है।
- **विजन :-**
 - ✓ राज्य के प्रत्येक युवा को सार्थक रोजगार उपलब्ध कराना।
 - ✓ राजस्थान को समावेशी एवं सतत् रोजगार का अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना, जिससे राज्य वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हो सके।
- **लक्ष्य/मिशन :-**
 - ✓ स्वरोजगार, मजदूरी/वेतन आधारित रोजगार तथा उद्यमशीलता पर केन्द्रित बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन सुनिश्चित करना।

रणनीतिक स्तम्भ

प्राथमिक क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान	द्वितीयक क्षेत्र (विनिर्माण एवं हरित रोजगार) को गति प्रदान करना	तृतीयक (सेवाओं) क्षेत्र का विस्तार	सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को सुदृढ़
- राजीविका के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करना तथा लखपति दीदी योजना का विस्तार करते हुए वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना। - कृषि-उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण, वन-आधारित आजीविका एवं इको-टूरिज़्म को प्रोत्साहित करना। - आय सुरक्षा एवं स्थाई परिसंपत्ति निर्माण के उद्देश्य से नरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या को 125 दिनों तक बढ़ाना।	- एम.एस.एम.ई. नीति 2024 एवं आर.आई.पी.एस. 2024 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संबल प्रदान करना। - ई.पी.एफ./ई.एस.आई. प्रतिपूर्ति तथा रोजगार-आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना। - टेक्सटाइल क्षेत्र (पी.एम.-मित्र), हस्तशिल्प क्षेत्र (ओ.डी.ओ.पी.), नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता देना तथा कुशल श्रमिकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों को सुगम बनाना।	- पर्यटन एवं आतिथ्य, आई.टी./आई.टी.ई.एस., स्टार्ट-अप्स, शहरी सूक्ष्म उद्यमों तथा गिग इकोनॉमी को सुदृढ़ एवं प्रोत्साहित करना। - होम-स्टे, को-वर्किंग स्पेसेज तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना।	- सरकारी नौकरियों में पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना। - फिक्सड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर पेशेवरों की नियुक्ति करना एवं फ्रंटलाइन कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। - आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंटलाइन कर्मियों के माध्यम से समुदाय-आधारित सेवा वितरण को सुदृढ़ करना।

निष्पादन और निगरानी के लिए प्रमुख सक्षमकर्ता :-

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ डिजिटल एवं प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया है।

राजस्थान रोजगार पोर्टल (EEMS 2.0) :

- यह एक ए.आई. – सक्षम, एकीकृत रोजगार मंच है।
- जो रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से जोड़ता है।
- इसमें विभिन्न विभागों एवं प्रशिक्षण संस्थानों का डेटा एकीकृत किया गया है तथा ई-जॉब फेयर और अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।

क्षेत्रीय फोकस :

- ✓ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- ✓ जिसमें विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना (टी.एस.पी.) क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डेटा-आधारित शासन :

- ✓ रोजगार परिणाम सूचकांक (EOI)- जिलों में प्लेसमेंट, वेतन वृद्धि और समावेशन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।
- ✓ इसकी देखरेख कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के नेतृत्व में गठित एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जाती है। यह नीति विकास, प्रोत्साहन और डिजिटल शासन को एकीकृत कर एक कुशल एवं सशक्त कार्यबल का निर्माण करती है। यह 'नियोजित युवा, समृद्ध राजस्थान' के विजन को साकार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2025 :-

अधिसूचना :- 27 नवम्बर 2025 को।

- उद्देश्य :- राज्य को वैश्विक सेवा मूल्य श्रृंखला से जोड़ना तथा राजस्थान को एक प्रतिस्पर्धी, भविष्य के लिए तैयार और सतत GCC गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- महत्व :-
 - ✓ तीव्र वैश्वीकरण, डिजिटल परिवर्तन तथा ज्ञान-आधारित सेवाओं के बढ़ते महत्व के संदर्भ में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दक्षता, नवाचार और मूल्य सृजन के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरे हैं।
 - ✓ ये सेंटर केन्द्रीकृत हब के रूप में कार्य करते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, एनालिटिक्स, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार जैसी उच्च-मूल्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।

- ✓ यह नीति उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के सृजन, कौशल विकास में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन तथा निर्यात वृद्धि सहित महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक लाभ उत्पन्न करने की अपेक्षा रखती है।

-: Connect • Collaborate • Contribute:-

राजस्थान कौशल नीति 2025 :-

- **जारी :-** 16 अप्रैल 2025 को।
 - **लक्ष्य :-** राज्य के युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों तक पहुँच बनाना है।
 - **उद्देश्य :-**
 - ✓ कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से युवाओं की रोजगार-क्षमता तथा आय में वृद्धि करना।
 - ✓ विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में पुनः-कौशल (री-स्किलिंग) और उन्नयन कौशल (अप-स्किलिंग) पर जोर देती है।
 - **प्रावधान :-**
 - ✓ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण एवं विस्तार।
 - ✓ मॉडल करियर केन्द्रों की स्थापना।
 - ✓ पूर्व शिक्षण को मान्यता (रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग)।
 - ✓ भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय) कार्यक्रम।
 - ✓ राजस्थान राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (RCVET) को सुदृढ़ करना।
 - ✓ फिनिशिंग स्कूल, उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) तथा अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम शामिल हैं।
- नोट :-** यह नीति लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों को संबल देने पर भी जोर देती है।

राजस्थान को सशक्त बनाना : रोजगार को बढ़ावा देना :-

प्रयास :-

- सतत रोजगार सुधार और नीतियों को लागू किया गया।
 - व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और औद्योगिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर सेक्टर उन्मुख कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा।
 - समृद्ध और समावेशी रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पर बल।
 - नवाचार और उद्यमी पहलों का संचालन।
 - पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- उपर्युक्त प्रयासों द्वारा बेरोजगारी नियन्त्रण, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने और सतत आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया।

सुधार की आवश्यकता के क्षेत्र-

- **कौशल विकास बढ़ाना** - बेहतर बुनियादी ढाँचे और शैक्षिक सुविधाओं का विकास करके।
- **श्रम बल भागीदारी बढ़ाना** - प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर और उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित कर।
- **नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना** - निजी सरकारी सहयोग से।
- **क्षेत्रीय असमानता में सुधार करना** - लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से।
- **स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन करना** - स्टार्टअप्स व छोटे व्यवसायों (MSME's) को प्रोत्साहन देकर।

श्रमिक कल्याण योजनाएँ (श्रम विभाग)

लक्ष्य:- उत्पादन बढ़ाने के लिए सकारात्मक औद्योगिक परिवेश बनाना।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड :-

- **गठन :-** 2009।
- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत स्थापित।
- **कार्य :-** निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे-स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, और कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन।

निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

कौशल विकास एवं शिक्षा	- निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना - निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना - शुभ शक्ति योजना
स्वास्थ्य	- सामान्य मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु/चोट लगने पर सहायता योजना - प्रसूति सहायता योजना - सिलिकोसिस सहायता योजना - निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना
वित्तीय सहायता	- वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज प्रतिपूर्ति की योजना - भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को बढ़ावा देने की योजना - ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति योजना - वीजा व्यय प्रतिपूर्ति योजना - अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए निर्माण श्रमिकों को बढ़ावा देने की योजना - निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएँ

श्रमिकों के लिए	श्रमिकों के बच्चों के लिए
- सामान्य एवं दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना— - सामान्य मृत्यु — 2 लाख रु. - दुर्घटना से मृत्यु — 5 लाख रु. - पूर्ण स्थायी विकलांगता — 3 लाख रु. - आंशिक स्थायी विकलांगता — 1 लाख रु. - घायल होने पर—5,000—20,000रु. - निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना — - औजार/टूलकिट की खरीद पर 2000 रु. या वास्तविक लागत (जो भी कम हो) - निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना - स्वयं का आवास निर्माण एवं घर क्रय हेतु— 1.50 लाख रु. का अनुदान - निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना - हितधारी द्वारा जमा करवाए गए अंशदान पर 50-100% तक बोर्ड द्वारा सहायता। - व्यावसायिक ऋण पर ब्याज पुनर्भरण योजना 5 लाख रु. तक के व्यवसायीकरण पर। - विदेश में रोजगार हेतु किए गए वीजा व्यय की प्रतिपूर्ति : 5000 रु. तक की राशि का पुनर्भरण - सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता। - पीड़ित व्यक्तियों को ₹ 3 लाख तथा मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को ₹ 2 लाख की वित्तीय सहायता।	- निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना - कक्षा—6 से उच्चतर अध्ययन हेतु। - छात्रवृत्ति — 8000—25000 रु. तक - प्रोत्साहन राशि — 4000—35000 रु. (मेधावी छात्रों के लिये योग्यता के आधार पर) - IIT और IIM में प्रवेश पर ट्यूशन फीस पुनर्भरण योजना : कुल ट्यूशन फीस का पुनर्भरण। - IAS/RAS प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर — - IAS = 1 लाख रुपये - RAS = 50,000 रुपये की सहायता - अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहित करने की योजना — प्रतियोगिता में भाग ↓ 2 लाख रु. कांस्य पदक ↓ 5 लाख रु. स्वर्ण पदक ↓ 11 लाख रु. रजत पदक ↓ 8 लाख रु. - शुभ शक्ति योजना — - पंजीकृत हितधारकों की व्यस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रु. की प्रोत्साहन राशि।

अन्य योजनाएं

• प्रसूति सहायता योजना –

- ✓ श्रमिक दंपति के लड़के के जन्म पर 20,000 रु. तथा लड़की के जन्म पर 21,000 रु.
- ✓ प्रसव + टीकाकरण + स्कूल में प्रवेश (5 वर्ष आयु)

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 5000 \text{ रु.} & + & 5000 \text{ रु.} & + & 10,000 / 11,000 & = & 20,000 / 21,000 \\ & & \text{पुत्र} & & \text{पुत्री} \end{array}$$

• ई-श्रम पोर्टल –

- ✓ 26 अगस्त 2021 को लॉन्च, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा।
- ✓ असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है।

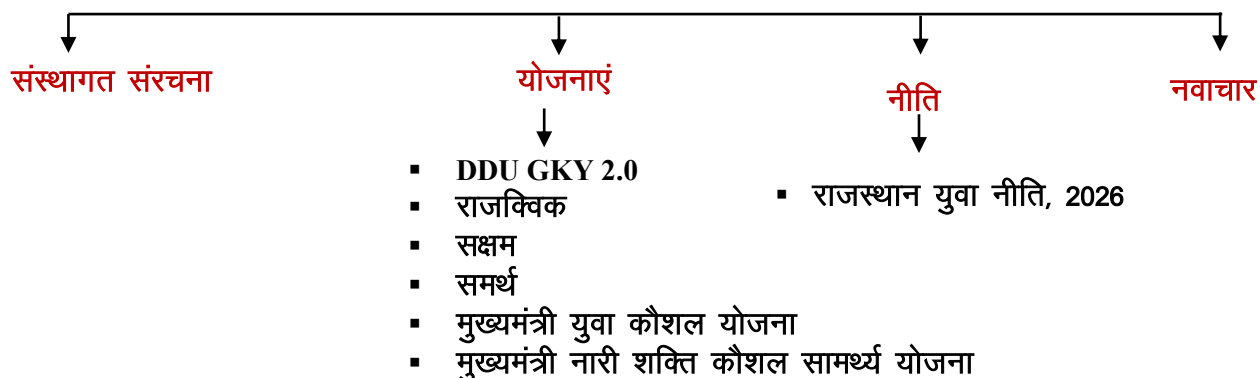
• पात्रता :

- ✓ आयु 16–59 वर्ष के मध्य
- ✓ आयकर दाता नहीं
- ✓ EPFO/ESIC/NPS का सदस्य नहीं

• लाभ :-

- ✓ सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की पहुँच में सुधार।
- ✓ आपातकालीन स्थितियों के दौरान संसाधन उपलब्धता।

आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास



संस्थागत संरचना

• राजस्थान मिशन ऑन लाइवलिहुड (RMOL) –

- ✓ 17 अगस्त 2010 को गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शुरुआत की गई।
- ✓ भारत का पहला राज्य → आजीविका मिशन शुरू करने वाला।
- ✓ परिवर्तित → RMOL को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) (मई 2012) के रूप में।

• राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC)

✓ उद्देश्य –

- राज्य में कौशल और उद्यमिता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन
- प्रशिक्षण भागीदारों के साथ सहयोग करके कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।

राजस्थान में केन्द्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएँ



मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला योजना)

(1) रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजकेविक)

- **पूर्व नाम** – रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)
- **उद्देश्य** – बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण
- **मॉडल** → रकूट-ट्रेन-डिप्लॉय (भर्ती-प्रशिक्षण-नियोजन)
- स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रक्रिया द्वारा कौशल प्रशिक्षण और रोजगार।
- **घटक:**
 - अल्पकालिक प्रशिक्षण : 3 से 6 माह।
 - पुनः-कौशल (रीस्किलिंग)/उन्नयन कौशल (अप-स्किलिंग) – विद्यालय शिक्षा को बीच में छोड़ चुके युवाओं के लिए।

नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (R.S.T.P)

(2) स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम)

उद्देश्य-

- युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण।
- स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर

(3) समर्थ :-

उद्देश्य -

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना।
- हाशिये पर मौजूद समुदायों / वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी, कैदी निकेतन- बालगृह के निवासियों कारागार बन्दियों को।

• **मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) -**

- ✓ 7 नवम्बर 2019 को शुरू
- ✓ **उद्देश्य -**
 - शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना।
 - कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना।
 - प्रशिक्षण के बाद मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना।
- ✓ **संचालन -** RSLDC + कॉलेज शिक्षा विभाग
- ✓ **पाठ्यक्रम -**
 - डोमेन विशिष्ट और सॉफ्ट स्किल/लार्डफ स्किल
 - 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
 - अधिकतम अवधि 350 घण्टे
 - 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल

• **मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना (MNSKSY) :-**

- ✓ **उद्देश्य-** महिलाओं के कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन हेतु पहल।
- ✓ **संचालन-** महिला अधिकारिता निदेशालय और RSLDC के सहयोग से।
- ✓ **योजना का पूर्व नाम-** आई-एम शक्ति।

नीति:

• **राजस्थान युवा नीति 2026**

- ✓ **जारी :-** 12 जनवरी 2026 को
- ✓ **पात्रता :-** 15-29 वर्ष आयु वर्ग
 - 15-29 वर्ष आयु वर्ग के 2.25 से 2.30 करोड़ युवाओं की क्षमता को सशक्त रूप से विकसित करने हेतु एक समग्र रोडमैप प्रदान करती है, जो राज्य में 27.2 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ✓ **उद्देश्य :-** यह नीति युवाओं को नेता (लीडर), नवप्रवर्तक (इनोवेटर) और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने की परिकल्पना करती है।
- ✓ इसकी निगरानी जिला योजनाओं एवं वार्षिक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
- ✓ **नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-**
 - नेतृत्व एवं स्वयंसेविता
 - डिजिटल सशक्तिकरण एवं प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा एवं कौशल विकास
 - रोजगार एवं उद्यमिता
 - खेल, स्वास्थ्य एवं कल्याण
 - संस्कृति, विरासत एवं कला
 - समावेशन एवं सामाजिक समानता
 - यह नीति युवाओं को राजस्थान की विकास रणनीति के केंद्र में रखती है तथा एक समावेशी, कुशल, स्वस्थ और सशक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करती है।

नवाचार :

- कौशल पूर्ण राजस्थान हेतु नवाचार—



- **CSR प्रकोष्ठ :-**

- ✓ CSR पार्टनरशिप के अंतर्गत RSLDC द्वारा एक समर्पित CSR सैल का गठन।
- ✓ CSR सैल राजस्थान कौशल विकास कोष हेतु धन राशि एकत्रित करता।
- ✓ कोष का उपयोग: कॉर्पोरेट स्किल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा कौशल प्रशिक्षण पहलों के लिए।

- **रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय (RTD) मॉडल :**

- ✓ बाजार अनुरूप रोजगार सृजित करना।
- ✓ इसके अंतर्गत RSLDC उद्योग संघों के साथ मिलकर कार्य करते हैं।

- **पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र –**

- ✓ उदयपुर (ITEES सिंगापुर की सहायता से)

- **तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन –**

- ✓ 36 सेक्टर कौशल परिषदों के सहयोग से।
- ✓ व्यापक मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रशिक्षण का निष्पक्ष मूल्यांकन अन्य संस्था द्वारा।

- **ऑवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो (2011) एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ (2015) :-**

- ✓ विदेश में नौकरी हेतु मार्गदर्शन, सहायता तथा सुरक्षित प्रवासन जागरूकता प्रदान करना।

- **प्री-डिपार्टर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग (P.D.O.T.) :-**

- ✓ विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित
- ✓ RSLDC द्वारा जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनूं व चुरु सहित पाँच जिलों- में PDOT केन्द्रों की स्थापना।
- ✓ विदेशी रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान।

- जेल कैदियों, बाल अपचारियों एवं दिव्यांगजनों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम –
- जिला स्तरीय कौशल समिति
 - ✓ अध्यक्ष : जिला कलेक्टर
 - ✓ कार्य :- जिला स्तर पर संचालित कौशल विकास गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी करना।

युवा मामलात एवं खेल

खेल गतिविधियाँ

- खेलों इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 :-
 - ✓ आयोजन – 24 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 2025
 - ✓ आयोजन स्थल – राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर।
 - ✓ विधाएं – 24 खेल विधाएं
- खेल इण्डिया यूथ गेम्स-2025
 - ✓ आयोजन – बिहार में।
 - ✓ राजस्थान ने 60 पदक (24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया।)
- 38वें राष्ट्रीय खेल-2025
 - ✓ आयोजन – उत्तराखण्ड।
 - ✓ राजस्थान ने 43 पदक (9 स्वर्ण, 11 रजत एवं 23 कांस्य अर्जित कर 15वां स्थान प्राप्त किया।)

खिलाड़ी कल्याण एवं डिजिटल पहलें-

- खेल जीवन बीमा योजना :-
 - ✓ उद्देश्य – खिलाड़ियों को सुरक्षा कवरेज प्रदान करना।
 - ✓ प्रावधान – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये तक दुर्घटना एवं जीवन बीमा उपलब्ध करवाना।
- डिजिटल रिपॉजिटरी पोर्टल :-
 - ✓ पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं सुगम पहुंच के लिए खेल प्रमाण-पत्रों हेतु।

प्रमुख खेल योजनाएं एवं अवसंरचना विकास-

- एक जिला-एक खेल योजना :-
 - ✓ उद्देश्य – जिला स्तर खेलों में विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना।
 - ✓ इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक प्रमुख खेल का चयन किया गया है।
- अन्य :-
 - ✓ खेल इण्डिया की तर्ज पर **खेलों राजस्थान युवा खेल** प्रस्तावित है।
 - ✓ वर्तमान में राजस्थान राज्य खेल परिषद् 25 आवासीय खेल अकादमियां/आवासीय खेल विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। (खेल प्रशिक्षकों का मानदेय ₹13500 से बढ़ाकर ₹25,000/माह)
 - ✓ राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर 'युवा साथी केंद्रों' की स्थापना की गई है। (दिसम्बर, 2025 तक)

- ✓ **High Performance Sports Training And Rehabilitation Centre** – Sawai Mansingh (SMS) Stadium in Jaipur
- ✓ **राजस्थान युवा महोत्सव :**
 - **आयोजन :-** राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर
 - 13 युवाओं को राजस्थान युथ आईकन अवार्ड प्रदान।
- ✓ **एक्सपोजर visit programme :-** 100 युवाओं को विभिन्न राज्यों का भ्रमण।
- ✓ **मिशन ओलंपिक्स-2028 : -**
 - 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, खेल किट एवं कोचिंग सहायता प्रदान की जायेगी।
 - 150 एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए जयपुर में ₹20 करोड़ की लागत से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स स्थापित किया जा रहा है।
 - खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।
 - जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध तरीके से ओपन जिम एवं खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं।
 - प्रथम चरण में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली 163 ग्राम पंचायतों तथा दूसरे चरण में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली 3,138 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिस पर कुल ₹35 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।

★ विजन स्टेटमेंट-विकसित राजस्थान @2047

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान एक ग्रामीण, वैश्विक एवं ईको टूरिज्म और सांस्कृतिक केन्द्र होगा जो सतत नीतियों, नवाचार और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अद्वितीय विरासत, आध्यात्मिकता और कलात्मक अनुभव प्रदान करेगा।

पर्यटन अवसंरचना एवं हवाई संपर्क का सुदृढीकरण



डिजिटल एवं नेटवर्किंग पहल

विविध पर्यटन अनुभव



कला एवं सांस्कृतिक उत्सवों का विस्तार

धार्मिक पर्यटन एवं तीर्थ विकास



विपणन, संवर्धन एवं प्रचार

सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन



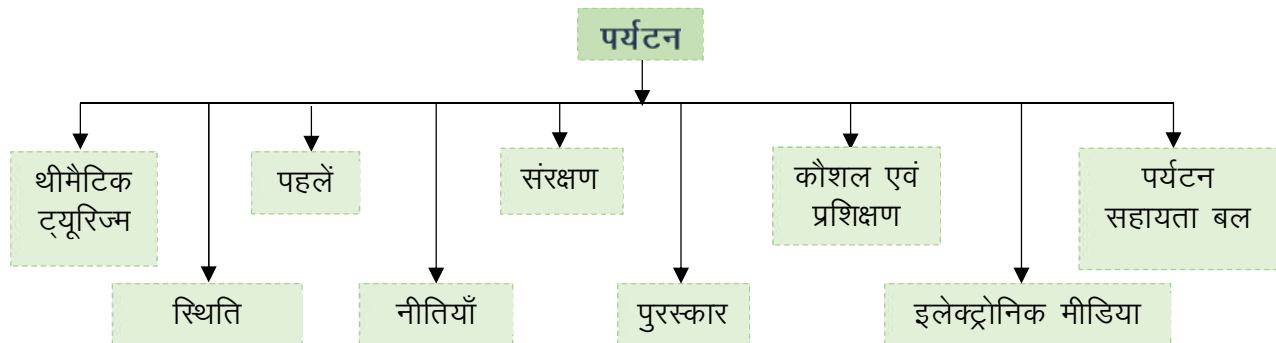
आतिथ्य एवं पर्यटन में कौशल विकास

तकनीक के माध्यम से स्मार्ट पर्यटन



आपदा तैयारी एवं सुरक्षा

पर्यटन



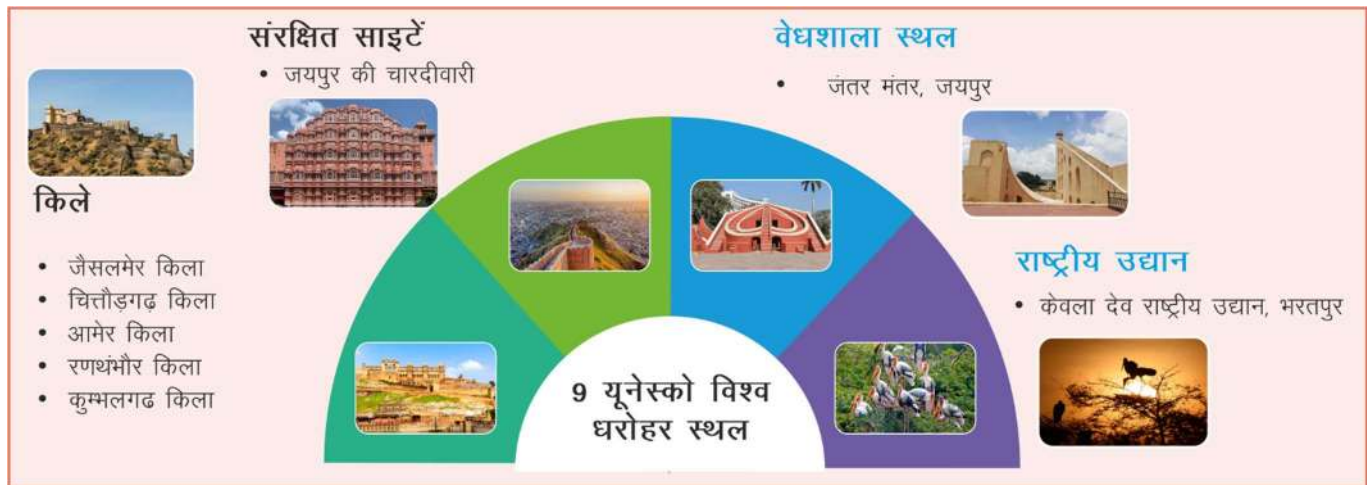
♦ थीमैटिक टूरिज्म :-

- राज्य अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत और विविध प्राकृतिक परिदृश्यों को प्रदर्शित करते हुए पर्यटकों को अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिये प्रसिद्ध है। राज्य सरकार इसके अन्तर्गत एडवेंचर टूरिज्म, इको-पर्यटन, फिल्म-पर्यटन और धार्मिक पर्यटन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।



♦ विरासत पर्यटन :-

- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व के स्थानों की यात्रा पर केन्द्रित।
- राजस्थान ने इनका विकास “प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के रूप में किया है।
- इसमें दुर्ग, महल, स्थापत्य, विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये मुख्य केन्द्र (वैश्विक महत्व)



♦ सांस्कृतिक पर्यटन –

- मेलों और त्यौहारों के आयोजन द्वारा जीवंत संस्कृति, पारम्परिक व्यंजनों, रीति-रिवाजों, वेशभूषा और लोक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे- लोक नृत्य, पारम्परिक संगीत आदि।
- प्रमुख आयोजन- तीज मेला, पुष्कर ऊँट मेला, जयपुर साहित्य महोत्सव आदि।

♦ एडवेंचर ट्यूरिज्म –

- राजस्थान में एडवेंचर की गतिविधियाँ लोकप्रिय हैं; जैसे – हॉट एयर बैलूनिंग, ऊँट सफारी, कैम्पिंग, साइकिलिंग।
- प्रमुख केन्द्र :-**
 - ✓ **जयपुर, पुष्कर :-** हॉट एयर बैलूनिंग।
 - ✓ **उदयपुर, घाणेशपुर और कुम्भलगढ़ :-** ट्रेकिंग।
 - ✓ **जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और पुष्कर :-** कैपिंग, साइकिलिंग, ऊँट सफारी।

♦ आध्यात्मिक पर्यटन :-

- प्रमुख तीर्थ स्थल :** नाथद्वारा, खाटूश्याम, सालासर, मेंहन्दीपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर

♦ वन्यजीव और पर्यावरण पर्यटन –

- राज्य में विविध और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है जो रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक फैला है।
- 3 राष्ट्रीय उद्यान
- 26 वन्यजीव अभयारण्य

♦ मरुस्थल पर्यटन –

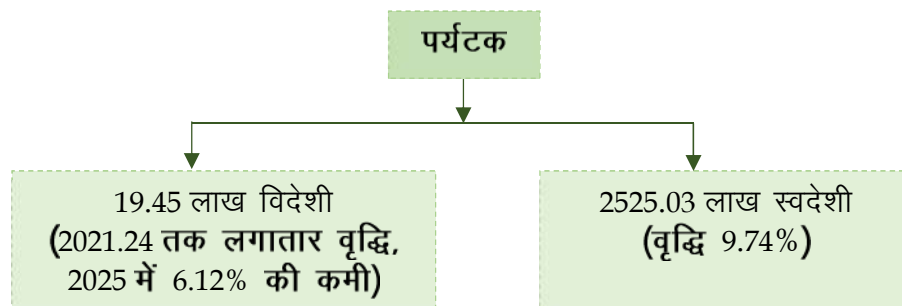
- राज्य में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित हैं।
- प्रमुख स्थल— जैसलमेर, पुष्कर, फलौदी, साम्भर, चुरू, बीकानेर, बाड़मेर के रेतीले टीले आदि।
- संचालित गतिविधियाँ: रेगिस्तानी पर्यटन गतिविधियाँ, रेगिस्तानी शिविर, जीप सफारी, ATV ride क्वाड बाइकिंग, स्काइडाइविंग, पैरा मोटरिंग।

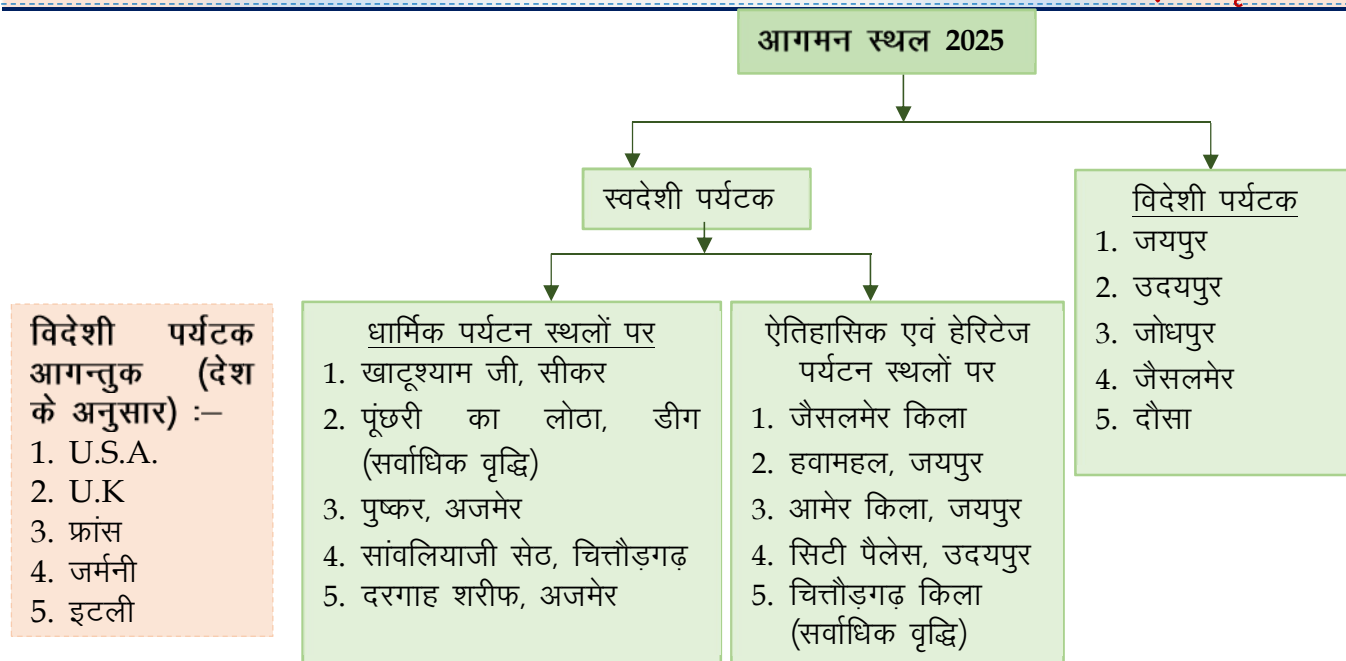
♦ राजस्थान में मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन (MICE) –

- पर्यटक के उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लोकप्रिय MICE का आयोजन स्टोन मार्ट, वस्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र एवं परिधान मेला, अन्तर्राष्ट्रीय रत्न और आभूषण शो, जयपुर ज्वैलरी शो।
- राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो—जोधपुर।
- जयपुर, उदयपुर, नीमराना, जोधपुर आदि विवाह, मीटिंग, सम्मेलन के लिये प्रसिद्ध।
- राजस्थान मण्डपम, विद्याधर नगर, जयपुर : भारत मण्डपम, (दिल्ली) के तर्ज पर विकसित किया जाना प्रस्तावित।

स्थिति (Status)

- पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा – 4 मार्च, 1989 (मोहम्मद युनुस समिति की सिफारिश पर)
- पर्यटन को जन-उद्योग का दर्जा – 2004 - 05
- पूर्ण उद्योग का दर्जा – बजट – 2022
- वर्ष 2025 के दौरान स्थिति =





नोट : 2025 में खाटूश्याम जी, सीकर शीर्ष धार्मिक पर्यटक स्थल रहा।

♦ पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धित पहलें –

- राइजिंग राजस्थान समित, पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश के लिए 1320 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
- 25 वाँ आईफा समारोह– 7-9 मार्च 2025 (जयपुर)
- राजस्थान पर्यटन अवसंरचना और क्षमता निर्माण कोष का गठन :- 11 मार्च, 2025 को ₹5,000 करोड़ से अधिक के पर्यटन विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है।
- राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन – 20 नवंबर, 2025
- राजस्थान पर्यटन नीति, 2025 – 7 दिसम्बर, 2025
- राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025 – 20 दिसम्बर, 2025
- ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार (GITB) का आयोजन – 4-6 मई, 2025 (जयपुर)
- राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (RDTM) – 12-14 सितम्बर, 2025 (जयपुर)
- इण्डियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समित एण्ड अवार्ड्स – 11 जुलाई, 2025 (जयपुर)
- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत निम्न स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य प्रगतिरत हेतु
 - खाटूश्याम (सीकर) • करणी माता मंदिर (बीकानेर) • मालासेरी डूंगरी (भीलवाडा) • केशोराय पाटन (बूंदी)

♦ समृद्ध विरासत का संरक्षण –

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के कार्य :-

- राज्य सरकार द्वारा 345 संरक्षित स्मारकों का प्रबन्धन
- राज्य के नियन्त्रण वाले 43 पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण
- 22 राजकीय संग्रहालय एवं 2 कला दीर्घाओं का संचालन
- 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (RTDCL)

- 1 अप्रैल, 1979 को स्थापित।
- 25 विरासत होटलों, 2 मोटलों और पैलेस ऑन व्हील्स गेस्ट हाऊस के नेटवर्क के संचालन हेतु जिम्मेदार।

♦ संग्रहालय अनुदान योजना:-

- इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 09 संग्रहालयों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर द्वारा तैयार कर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं।

♦ स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन:

- धूलारावजी की बावड़ी एवं बोहराजी की बावड़ी (जमवारामगढ़), जयपुर
- राजकीय संग्रहालय, अजमेर
- जनवरी, 2026 से रीढ़ का टीला, त्योंदा (झुंझुनू) में पुरातात्विक उत्खनन कार्य प्रगतिरत है।
- संरक्षित स्मारक बाला किला (अलवर) में आयुध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया।

नीतियाँ

♦ राजस्थान पर्यटन नीति 2025 :-

- शुभारम्भ** : 10 दिसंबर, 2025, जयपुर
- यह “विकसित राजस्थान@2047” की दीर्घकालिक आकांक्षाओं के अनुरूप है।
- उद्देश्य** : राज्य को परिवर्तनकारी और भविष्योन्मुखी पर्यटन विकास के एक नए युग की ओर ले जाना।
 - नवाचार को बढ़ावा देना
 - विश्व स्तरीय अवसंरचना विकास में तेजी लाना
 - डिजिटल और स्मार्ट पर्यटन का विस्तार करना
 - निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना
 - घरेलू और विदेशी यात्रियों के अनुभव को बढ़ावा देना।
- प्रमुख फोकस क्षेत्र** :
 - निवेश प्रोत्साहन** : होटलों, रिसॉर्ट्स, विरासत संपत्तियों, होमस्टे और संबंधित उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
 - अवसंरचना विकास** : राज्य में पर्यटन अवसंरचना को बढ़ाना और मजबूत करना।
 - उत्पाद विविधीकरण** : परंपरागत पर्यटन से हटकर पर्यावरण ग्रामीण आदिवासी, साहसिक और धार्मिक पर्यटन को शामिल करना है।
 - सततता**: जिम्मेदार और सुदृढ़ पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
 - डिजिटल परिवर्तन** : पर्यटन सेवाओं और आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
 - रोजगार सृजन** : रोजगार के अवसर पैदा करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
- निवेशकों हेतु प्रमुख प्रोत्साहन** :
 - सब्सिडी** : पूंजी सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति और सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी (प्रचलित RIPS के अनुसार) का प्रावधान किया गया।
 - छूट** : स्टांप ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट (प्रचलित RIPS के अनुसार)



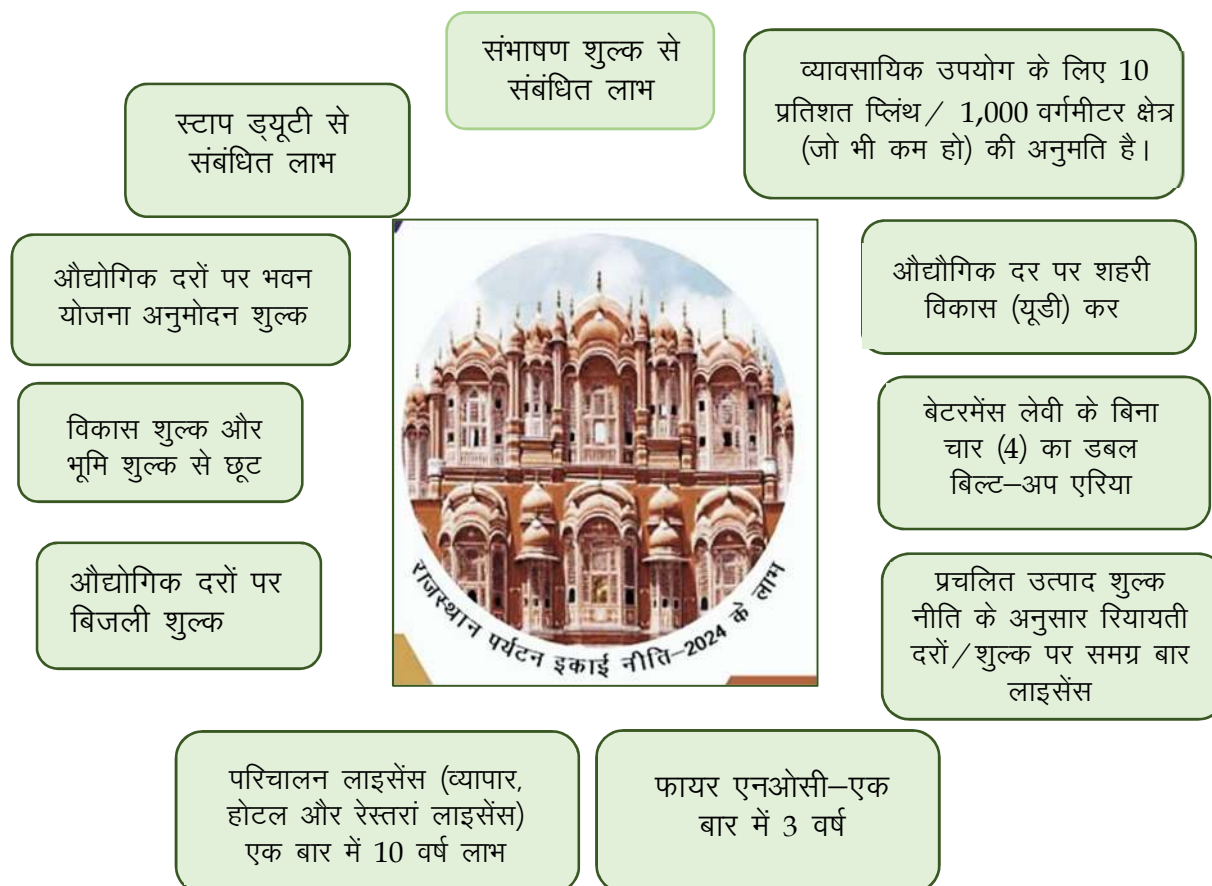
♦ राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति – 2025 :-

- **शुभारंभ** : 24 दिसम्बर, 2025
- **उद्देश्य** : आकर्षक प्रोत्साहनों और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से राज्य को वैश्विक फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- **लक्ष्य** :
 - सिनेमा के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना।
 - पर्यटन को बढ़ावा देना
 - रोजगार व निवेश सृजित करना
 - स्थानीय प्रतिभाओं को समर्थन देना और फिल्म निर्माताओं की सहायता फिल्म निर्देशिका और ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ।
- **प्रमुख प्रोत्साहन और लाभ**:
 1. राजस्थान में फिल्माई गई फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के खर्च पर सब्सिडी का प्रावधान –
 - फीचर फिल्मों के लिए 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 3 करोड़
 - वेब सीरीज / डॉक्यूमेंट्री के लिए 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 2 करोड़
 - टीवी सीरियल के लिए 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1.50 करोड़
 2. पात्रता शर्तें—
 - i. निर्माताओं द्वारा राजस्थान में किया जाने वाला न्यूनतम खर्च इस प्रकार होना चाहिए –
 - फीचर फिल्म – ₹2 करोड़
 - वेब सीरीज और टीवी सीरियल – ₹1 करोड़
 - डॉक्यूमेंट्री – कोई न्यूनतम खर्च सीमा नहीं।
 - ii. फिल्म या लघु फिल्म का स्क्रीन टाइम न्यूनतम 5 प्रतिशत या कम से कम 50 प्रतिशत दिन राजस्थान में शूट किए गए हों।
 3. राजस्थानी भाषा की फिल्में भी इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।
 4. **लोकेशन शुल्क**: राज्य/केंद्र सरकार द्वारा संचालित साइटों के लिए 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (5 दिनों तक)।
 5. **विशेष प्रोत्साहन**: राष्ट्रीय (₹50 लाख) और अंतर्राष्ट्रीय (₹1 करोड़) पुरस्कार विजेता फिल्मों के लिए विशेष प्रोत्साहन।

♦ राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (RTUP) - 2024 :-

- **लागू** – 4 दिसम्बर, 2024
- **लक्ष्य** – 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को दुगुना करना।
- **उद्देश्य** : निजी क्षेत्र में नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
 - हेरिटेज होटलों और संपत्तियों को अतिरिक्त रियायतें और छूट प्रदान करना
 - निजी क्षेत्रों में उपलब्ध विरासत संपत्तियों का लाभ उठाने पर मुख्य रूप से जोर देना।
 - पर्यटन नीति में होटल, रेस्तरां और अन्य पर्यटन संबंधित प्रतिष्ठानों को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है।
 - पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को सृजित करना
- आरटीयूपी-2024 राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के तहत इस नीति अनुसार लाभ



♦ **पर्यटन एप :-**

- **उद्देश्य :** तकनीकी प्रयोग द्वारा व्यक्तिगत अनुभव, संवर्धित वास्तविक समय और सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना।
- 27 सितम्बर, 2021 (पर्यटन दिवस पर) को लॉन्च
- केरल के बाद दूसरा राज्य

♦ **राजस्थान गेस्ट हाउस योजना**

- **अधिसूचना :-** 16 मार्च, 2021
- **उद्देश्य :** पर्यटन को बढ़ावा देना
 - नगर पालिका क्षेत्रों में आवासीय घरों में रोजगार के अवसर प्रदान करना
 - इसके अन्तर्गत सरकार गेस्ट हाउस के पंजीकरण को प्रोत्साहित करती है।
- **लाभ :**
 - सरलीकृत पंजीकरण
 - पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार
 - स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर

■ **पात्रता मानदंड :**

- गेस्ट हाउस के मालिक/पट्टेदार को अपने परिवार के साथ आवासीय घर में रहना होगा।
- गेस्ट हाउस में कम से कम 6 और अधिकतम 20 कमरे किराए पर देने योग्य होने चाहिए जिनमें आवश्यक सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नानघर और भोजन कक्ष हों।
- अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (NOC) और FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, गेस्ट हाउस को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

◆ **राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना – 2022**

- **शुभारंभ :** 30 नवंबर, 2022
- **उद्देश्य :** ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने
 - रोजगार के अवसर सृजित करना।
 - ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि-पर्यटन और कैपिंग साइट जैसी पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलने वाले लाभ:**
 - स्टाम्प ड्यूटी से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी किन्तु प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी एवं पर्यटन इकाई शुरू करने का प्रमाण पत्र जमा करवाने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।
 - SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत का पुनर्भरण।
 - भू-संपरिवर्तन और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकताओं से छूट।
 - वन विभाग के अधीन क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन राजस्थान ईको टूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
 - स्थानीय लोक कलाकारों, शिल्पकारों और ग्रामीण स्टार्टअप द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को प्राथमिकता।
 - ग्रामीण पर्यटन इकाइयां औद्योगिक शुल्क के लिए पात्र है।

सांस्कृति

राजस्थान की संस्कृति विशिष्ट और विविधता पूर्ण है जो शाही विरासत, कलात्मक परम्परा, कालातीत रीति रिवाजों, जीवंत त्योहारों, लोक संगीतों और मनोरम नृत्यों का मिश्रण है।

◆ **बढ़ावा देने सम्बन्धित पहलें :**

- काष्ठ कला, मृण्मय कला, वस्त्र जैसे- पारम्परिक शिल्पों का संरक्षण।
- पर्यटन पहलों के माध्यम से समृद्ध हस्तशिल्प विरासत को बढ़ावा दिया जाता है।

◆ **सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन :**

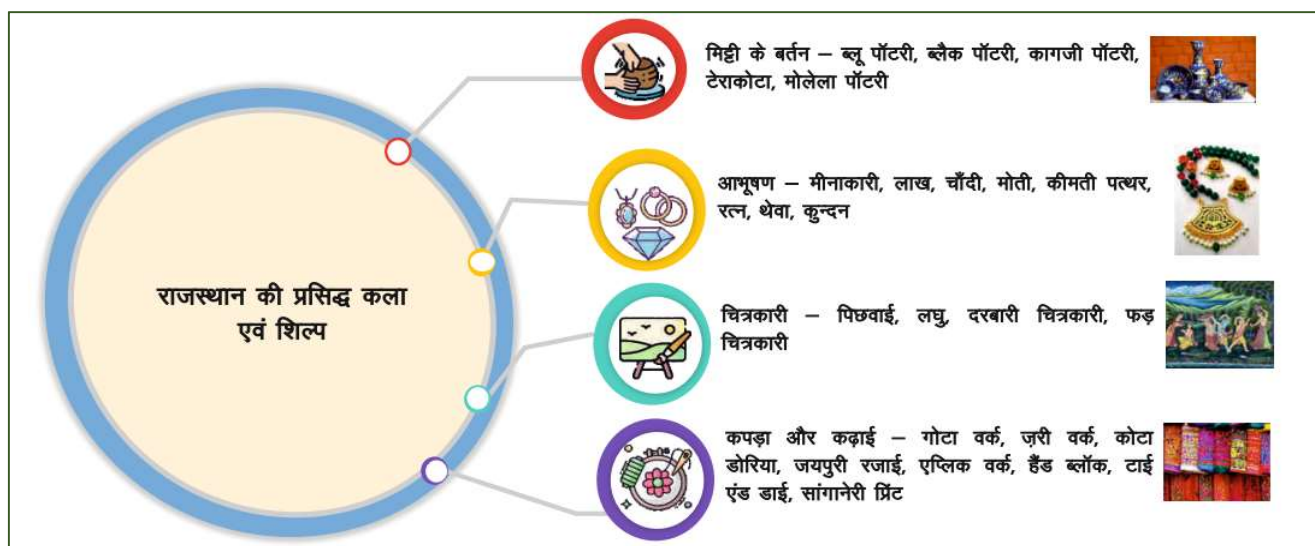
- वर्ष 2025 में 103 मेले-उत्सव एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
- कल्चरल डायरीज “अनहद श्रृंखला” मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ सितम्बर, 2025
- **घूमर फेस्टिवल, 2025** – राज्य में प्रथम बार सभी संभाग मुख्यालयों पर 19 नवम्बर, 2025 को आयोजित।
- **तीज महोत्सव** – महिलाओं के लिए तीज मेला पहली बार पौड्रिक पार्क, जयपुर में 27-28 जुलाई, 2025 को आयोजित।
- **ग्रेट इण्डियन ट्रेवल बाजार (GITB)** – 04 मई, 2025 को जयपुर में।
- **राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (RDTM)** – 12 – 14 सितंबर, 2025 को।

कला

राजस्थान समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने वाली कला का जीवंत चित्रफलक (कैनवास) है।

♦ राजस्थान की प्रसिद्ध कला एवं शिल्प-चित्र –

- विशेषता :- जीवंत रंग, विस्तृत पैटर्न और सशक्त कथा शैली क्षेत्र की कलात्मक परम्पराएँ विभिन्न राजवंशों और सांस्कृतिक प्रादुर्भाव से विकसित हुए।
- कला कारीगरों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करती है।
- भविष्य के लिये राज्य के समृद्ध इतिहास को संरक्षित रखने का साधन।
- सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में मदद करती है।



♦ संरक्षण :-

- जवाहर कला केन्द्र : (JKK) जयपुर**
 - स्थापना :-** 8 अप्रैल, 1993
 - वास्तुकार :** चार्ल्स कोरिया ने नवग्रह (नौ ग्रहों) की अवधारणा पर डिजाइन किया।
 - इसमें 8 ब्लॉक हैं, जिसमें संग्रहालय, एम्फीथिएटर, सभागार, पुस्तकालय, कला दीर्घाएं, कला स्टूडियो, शिल्पग्राम तथा कैफेटेरिया शामिल हैं।
 - उद्देश्य:** कला संस्कृति और विरासत की विभिन्न शैलियों के संरक्षण और प्रचार करना।
 - वर्ष 2025 के प्रमुख कार्यक्रम :-** रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत ऑपरेशन सिंदूर देश भक्ति गीत संध्या कार्यक्रम।
- रवीन्द्र मंच : जयपुर**
 - लक्ष्य/उद्देश्य-** नृत्य, नाटक और संगीत कला को बढ़ावा देना।
 - इसमें 690 सीटों की क्षमता वाला एक सुसज्जित मुख्य थिएटर, 3500 दर्शकों की क्षमता वाला एक ओपन एयर थिएटर और 125 दर्शकों की क्षमता वाला एक मिनी थिएटर है।
 - वर्ष 2025 में टैगोर थिएटर योजना के तहत मंच द्वारा 8 नाटकों का मंचन/प्रदर्शन किया गया।

♦ पर्यटन पुरस्कार –

राजस्थान में पर्यटन पुरस्कारों के साथ उत्कृष्टता :-

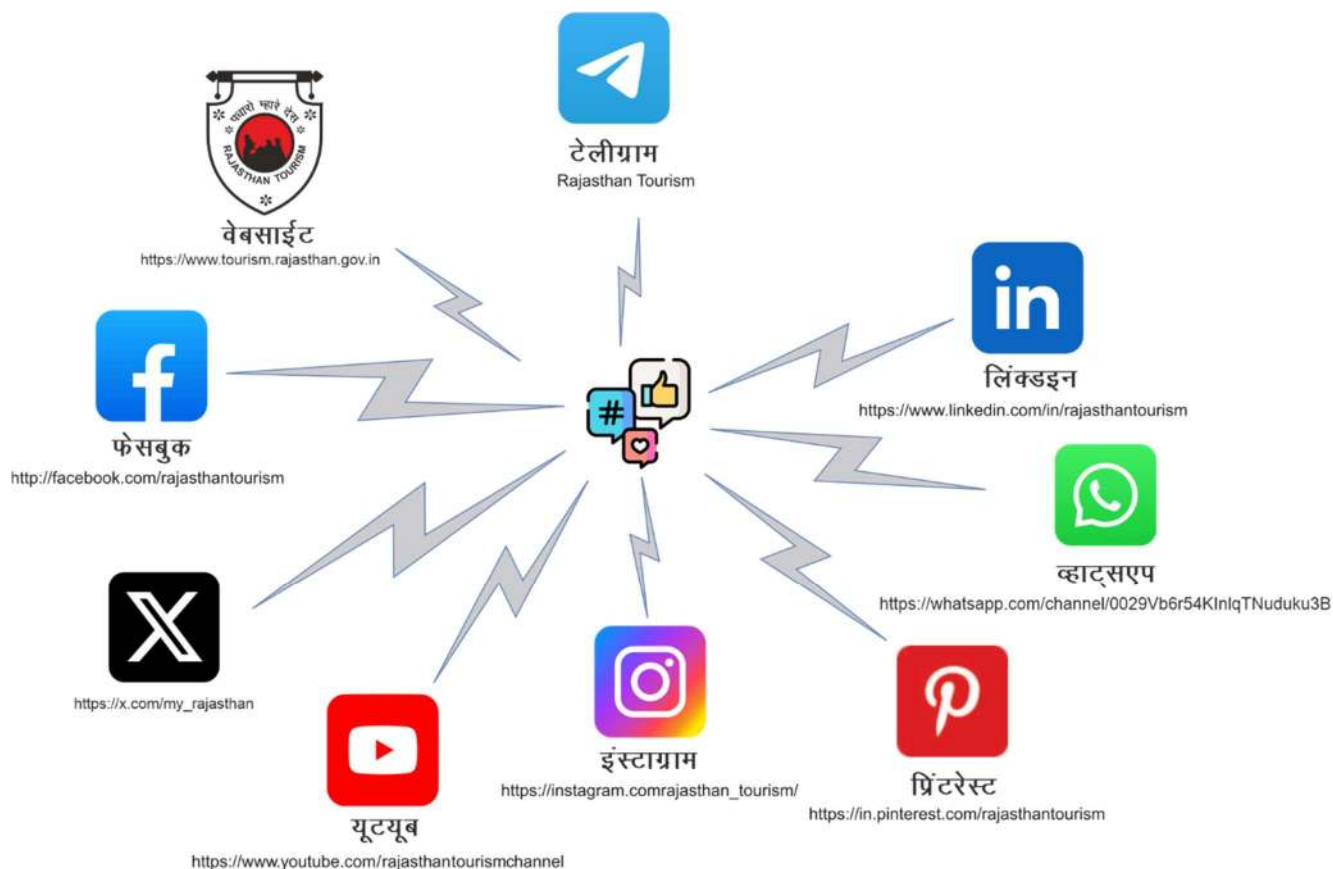
क्र.सं.	अवॉर्ड	विजेता	आयोजक एवं आयोजन स्थल	दिनांक
1.	बेस्ट क्रियेटिव फिल्म अवार्ड	‘रोमांस ऑफ राजस्थान’	आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट (OTM), मुंबई	1 फरवरी, 2025
2.	डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड (रॉयल एक्सपीरियंस)	राजस्थान	पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, (PATA) द्वारा बर्लिन, जर्मनी में	4 से 6 मार्च, 2025
3.	वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर (इण्डिया)	सुश्री दीया कुमारी	पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (PATA) बर्लिन, जर्मनी में	4-6 मार्च, 2025
4.	बेस्ट हेरिटेज डेस्टीनेशन अवार्ड	आमेर फोर्ट	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स	28 मार्च, 2025
5.	बेस्ट माउण्टेन डेस्टीनेशन अवार्ड	कुंभलगढ़ फोर्ट	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स	28 मार्च, 2025
6.	बेस्ट क्यूलिनरी डेस्टीनेशन अवार्ड	बीकानेर	इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स	28 मार्च, 2025
7.	बेस्ट पैवेलियन इंस्टॉलेशन अवार्ड	राजस्थान	ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (TTF), कोलकाता	12 जुलाई, 2025
8.	बेस्ट सस्टेनेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), बेंगलुरु	24 जुलाई, 2025
9.	बेस्ट पैवेलियन अवार्ड	राजस्थान	गुजरात ट्रेवल फेयर (GTF), अहमदाबाद	30 जुलाई, 2025
10.	बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन अवार्ड	राजस्थान	गुजरात ट्रेवल फेयर (GTF), गांधीनगर	2 अगस्त, 2025
11.	बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन अवार्ड	राजस्थान	ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (TTF), मुंबई	13 अगस्त, 2025
12.	बेस्ट वेडिंग डेस्टीनेशन अवार्ड	राजस्थान	आउट लुक ट्रेवल, नई दिल्ली	22 नवम्बर, 2025
13.	बेस्ट डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), पुणे	29 नवम्बर, 2025
14.	द कल्चरल कैलिडोस्कोप अवार्ड	राजस्थान	इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट (IITM), हैदराबाद	6 दिसम्बर, 2025

♦ कौशल और प्रशिक्षण –

- राज्य होटल प्रबंधन संस्थान – जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ एवं उदयपुर।
- फूड क्राफ्ट संस्थान – अजमेर, सुमेरपुर (पाली), बारां
- राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (RITTMAN) – जयपुर

♦ पर्यटन विकास के लिए प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया –

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान – पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जैसे –
 - ✓ राजस्थान पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट
 - ✓ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों (इंस्टाग्राम, यूट्यूब) पर उपस्थिति
 - ✓ पर्यटक स्थलों के लघु प्रचार वीडियो द्वारा विज्ञापन



♦ पर्यटक सहायता बल अभियान –

- शुरुआत – 15 फरवरी, 2024
- उद्देश्य: पर्यटकों (विशेष रूप से महिला पर्यटकों) के प्रति संवेदनशील व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना
 - दलालों और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करना
- पर्यटकों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए 19 जिलों में 250 पर्यटक सहायता बल कर्मियों को तैनात किया गया है।

धार्मिक पर्यटन की सुविधा

♦ मन्दिर संस्कृति के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु –

- 390 प्रत्यक्ष प्रभार
 - 203 आत्म निर्भर
- मंदिरों और संस्थानों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा

♦ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना –

- अनेक धार्मिक स्थानों के लिए मुफ्त रेल यात्रा तथा पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा।
- 2025-26 (27 जनवरी, 2026 तक) के दौरान कुल 37506 तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाई गई। (ट्रेन द्वारा – 35634, हवाई जहाज द्वारा – 1872)

♦ सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना –

- लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा
- आर्थिक सहायता – कुल यात्रा खर्च का 50%, प्रति तीर्थ यात्री रुपये 15000 तक की प्रतिपूर्ति।
- वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 100 लाख का प्रावधान।

★ पर्यटन, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रयास :

- नीतियों में सुधार कर – जैसे-राजस्थान पर्यटन नीति 2025, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025
- बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों को प्रोत्साहन
- कलाकारों, कारीगरों और पर्यटन सहायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन
- नये पर्यटन सर्किट्स और क्षेत्र की स्थापना
- राज्य की विविध सांस्कृतिक धरोहर को प्रमुखता से उजागर कर।

★ पर्यटन, कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये सुधार :

- सेवाओं का व्यापक डिजिटलीकरण के माध्यम से राज्य को स्मार्ट पर्यटन का केन्द्र बनाना।
- वैश्विक बाजार रुझानों और नए पर्यटन उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- पर्यटन अनुभवों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- अत्यधिक कुशल और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला कार्यबल बनाना।
- पर्यटन की एक विविध शृंखला का विकास करना जैसे एडवेंचर, पर्यावरण पर्यटन और वेलनेस पर्यटन।
- वैश्विक मंच पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग रणनीति को प्रोत्साहित करना।
- सतत और जिम्मेदार पर्यटन पहले सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण/सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और पर्यटन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।

सेवाएं

सेवा क्षेत्र :- यह तृतीयक क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं।

♦ राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र सम्मिलित सेवाएं –

- व्यापार
- होटल और जलपान गृह
- परिवहन, भण्डारण एवं संचार क्षेत्र
- वित्तीय सेवाएं, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएँ
- सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं
- लोकप्रशासन

♦ सेवा क्षेत्र की स्थिति –

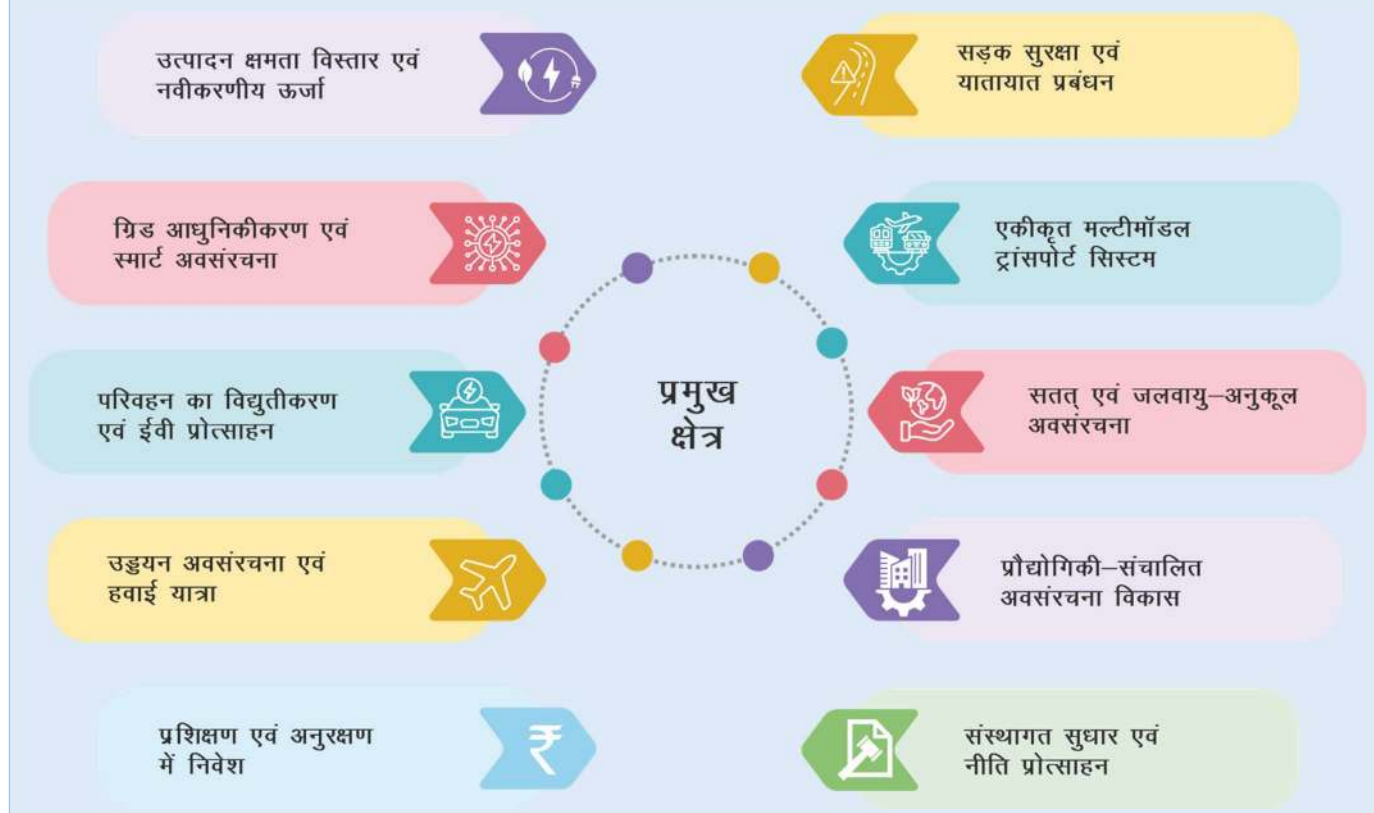
(अनुमानित)	स्थिर कीमतों पर	प्रचलित कीमतों पर
GVA में सेवा क्षेत्र	46.46%	47.71%
सेवा क्षेत्र का GVA	₹ 4.08 लाख करोड़	₹ 8.17 लाख करोड़
वृद्धि दर	11.15%	13.52%

♦ सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उपक्षेत्रवार वितरण –

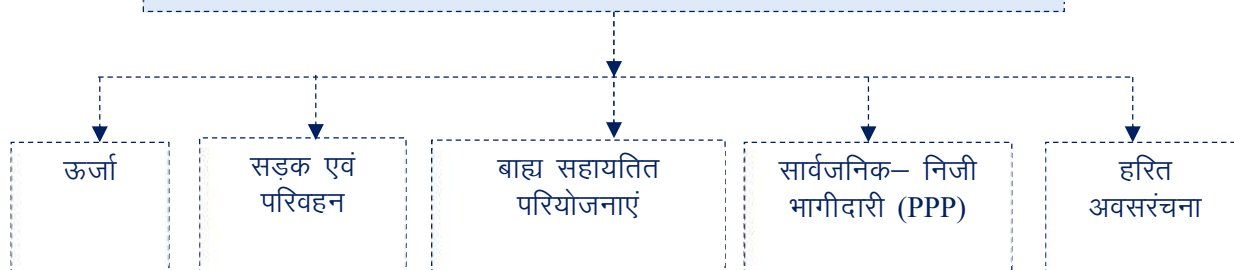
क्र.सं.	उपक्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर योगदान	स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर
(1)	व्यापार, होटल और जलपान गृह	27.95%	15.34%
(2)	स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं	23.48%	8.97%
(3)	अन्य सेवाएँ	20.38%	10.30%
(4)	वित्तीय सेवाएं	10.62%	9.90%
(5)	परिवहन, भण्डारण एवं संचार क्षेत्र	10.57%	7.79%
(6)	लोक प्रशासन सेवाएं	7.0%	13.24%

विजन स्टेटमेन्ट – विकसित राजस्थान@2047

- वर्ष 2047 तक राजस्थान सतत ऊर्जा, नवाचार और सुदृढ़ अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा।
- राज्य सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) और वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देते हुए तकनीकी नवाचारों के माध्यम से राजस्थान एक आधुनिक, समावेशी और सतत राज्य की दिशा में अग्रसर होगा।



आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र



ऊर्जा

ऊर्जा क्षमता –

- अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता – 31556 मेगावाट, (दिसम्बर, 2025 तक)
- सर्वाधिक क्षमता – तापीय ऊर्जा (7830MW – राज्य सरकार की परियोजनाओं से)
- सौर ऊर्जा– 9898 MW, पवन ऊर्जा– 4416 MW
- राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36% भाग है।

ऊर्जा उत्पादन–

- उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है।
- 2020-21 से 2024-25 तक कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि कर (CAGR) → 5.55%
- राज्य में निजी सहभागिता से कुल 2786 मेगावाट विद्युत क्षमता विकसित की जा चुकी है।

राज्य की स्वयं की परियोजनाएँ		उत्पादन क्षमता (दिसम्बर 2025–26 तक)
1.	तापीय	7830
2.	जलविद्युत	1017
3.	गैस	600
	कुल उत्पादन	9447
केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन		
1.	तापीय	2197
2.	जलविद्युत	852
3.	गैस*	0
4.	परमाणु	807
	कुल उत्पादन	3856
RREC, RSMML व निजी क्षेत्र पवनऊर्जा / बायोमास / सौर ऊर्जा परियोजनाएँ		
1.	पवन	4416
2.	बायोमास	196
3.	सौर ऊर्जा (कुसुम PPA सहित)	9898
4.	तापीय / जलविद्युत	3742
	कुल उत्पादन	18252

राज्य द्वारा उच्च क्रय लागत के कारण NTPC से 221 मेगावाट गैस विद्युत का आवंटन वापस कर दिया गया था।

ऊर्जा प्रसारण –

राज्य में कुल ई.एच.वी. प्रसारण नेटवर्क– 45,933 सर्किट km

Dec., 2024	वृद्धि
45,933 सर्किट km	27.31%

→ वर्ष 2016–17 से दिसम्बर 2025 तक

विद्युत प्रसारण दक्षता में सुधार लाना :-

- राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम द्वारा स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है।
- प्रसारण लाइन पर 14320 किमी. OPGW (Optical Ground Wire) की स्थापना का कार्य तथा 552 सब स्टेशन स्थानों पर IP/MPL आधारित संचार का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 3 कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है।
- 535 सबस्टेशन और 20 उत्पादन संयंत्रों का डेटा एकीकृत किया गया है।

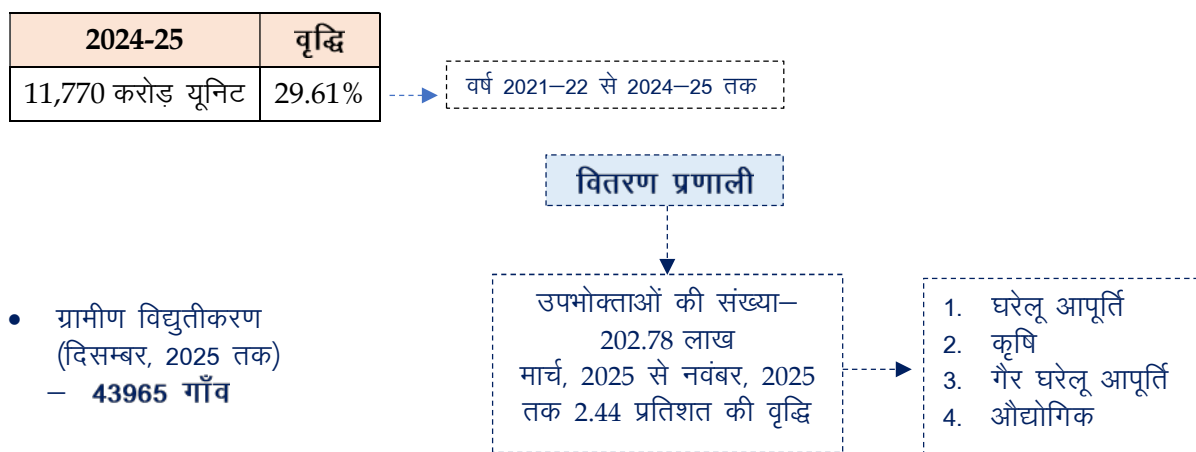
निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विकास करना :-

राज्य में विद्युत उत्पादन सुविधाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को सक्षम बनाना ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

(क) प्रसारण परियोजना

- राज्य में 132 के.वी. के 245 ग्रिड सब-स्टेशनों के रख-रखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है, इससे लगभग ₹45 लाख प्रति सब-स्टेशन वार्षिक बचत हो रही है।
- राज्य में 400 के.वी. के 2 जी.एस.एस. अलवर एवं डीडवाना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- दो प्रसारण परियोजनाएं, सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर वी जी.एफ. योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है।
- 400 के.वी. डी/सी बीकानेर-सीकर प्रसारण लाइन (पी.पी.पी.-6) का निर्माण कार्य पूर्ण करके लाइन चालू की जा चुकी है।
- 400 के.वी. डी/सी सूरतगढ़-बीकानेर प्रसारण लाइन (पी.पी.पी.-7) का कार्य पूर्ण करके लाइन चालू की जा चुकी है।
- राज्य में 220 के.वी. का 1 जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के 15 जी.एस.एस. सम्बन्धित लाईन सहित पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- सांगोद में स्थित 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, 400 के.वी. के संबंधित लाइन सहित का निर्माण कार्य दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को पूर्ण कर प्रारम्भ किया जा चुका है।

राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता व उपभोग :-



Note: ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा राज्य ने व्यक्तिगत घरों में भी विद्युत आपूर्ति करने पर ध्यान केंद्रित किया है। दिसम्बर, 2025 तक 1.14 लाख ढाणियों और 111.15 लाख ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

ऊर्जा से संबंधित योजनाएँ :-

1. पी.एम. कुसुम योजना:- 'किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (कुसुम)' :-

- **उद्देश्य** — सोलर पम्प और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना।
- **मंत्रालय** — नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, GOI
- i. **कुसुम घटक ए— (कुल स्वीकृत क्षमता 5250 MW — चरण-I - 153 MW, चरण-II - 1397 MW तथा चरण-III - 3700 MW)**
 - स्थापना— 0.5MW से 2MW क्षमता तक के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की।
 - स्थान — 33/11 किलोवाट सबस्टेशनों के 5 किमी. की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर
 - राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (प्रथम चरण) द्वारा संचालित
 - ✓ द्वितीय चरण— 23 जुलाई 2024 से RRECL के स्थान पर, राजस्थान डिस्कॉम, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित
- ii. **कुसुम घटक बी —**
 - 7.5 H.P. तक की क्षमता वाले कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जाकृत हेतु 12,500 पम्प सेटों का लक्ष्य रखा गया है।
- iii. **कुसुम घटक सी— (फीडर लेवल सोलराइजेशन)**
 - लक्ष्य— 4,00,000 पम्प सेटों को सॉलराइजेशन
 - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय (Capex) और नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मोड में चल रही परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता तीन किशतों में जारी की जाती है—
 - कुल कार्य के 30 प्रतिशत पूर्ण होने पर — 30 प्रतिशत
 - कुल कार्य के 75 प्रतिशत पूर्ण होने पर — 30 प्रतिशत
 - परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर 40 प्रतिशत की राशि का भुगतान निम्न प्रकार किया जाता है—
 - सौर संयंत्र के संचालित होने पर डिस्कॉम के माध्यम से 25 प्रतिशत
 - स्थापना के दो माह पश्चात् सफल संचालन होने पर 15 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी, बशर्ते कि इनमें से कम से कम एक माह में विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) में निर्धारित न्यूनतम सीयूएफ प्राप्त किया गया हो।
 - दिसम्बर, 2025 तक 2,162 मेगावाट क्षमता के कुल 838 सौर विद्युत संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित।



फलैगशिप योजना



फलैगशिप योजना



2. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना : घरों तक सौर ऊर्जा का विस्तार –

- **शुरुआत**— 13 फरवरी 2024
- **बजट** — 75000 करोड़
- **उद्देश्य**— हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए एक करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करना।
- **विशेषताएँ**—1. अधिकतम अनुदान – 78000 रु. (3 KW या उससे अधिक पर)
2. लक्ष्य—राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है।
3. सरलीकरण प्रक्रिया— पंजीकरण, स्वीकृति तथा अनुदान की ऑनलाइन व्यवस्था व रियायती ब्याज दरों पर बैंक ऋण।
4. प्रचार—प्रसार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डोर-टू-डोर अभियान (दूरस्थ स्थानों के लिए)।
- स्थापित उच्चतम क्षमता वाले 5 जिलों – जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर एवं हनुमानगढ़।

3. 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना –

- इसके अंतर्गत लाभार्थी उपभोक्ताओं के पंजीकरण के लिए 13 अक्टूबर, 2025 को पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- इन उपभोक्ताओं के घरों पर पीएम सूर्य घर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे और उन्हें MNRE से केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के साथ ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जाएगी।
- राजस्थान के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा एक मॉडल सौर गांव घोषित किया गया है।

4. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि अनुदान) –

- बजट 2023-24 में घोषणा
- **लाभ प्रारम्भ**— June 2023
- मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (कृषि उपभोक्ता को 1000 रु./माह, 1 वर्ष में अधिकतम 12000 रु.) को इस योजना के साथ मिला दिया गया है।
- **वर्तमान**—
✓ 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली
✓ 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपयोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उस माह विशेष में 1000 रु. सब्सिडी।
- वर्ष 2025–26 तक लगभग 10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये।

5. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू अनुदान) –

- **लाभ प्रारम्भ** — June, 2023

विद्युत उपभोग	रियायत
• 100 यूनिट तक	मुफ्त बिजली
• 200 यूनिट तक	पहले 100 यूनिट के विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकरण की बिल में छूट
• 200 यूनिट से अधिक	पहली 100 यूनिट मुफ्त लेकिन अन्य शुल्क उपभोक्ता द्वारा।

वर्ष 2025–26 तक लगभग 64 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये।

6. रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस)

- अधिसूचित — 20 जुलाई, 2021 को
- मंत्रालय — विद्युत मंत्रालय
- उद्देश्य —
 - ✓ देश में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानि को 12-15% तक कम करना।
 - ✓ आपूर्ति की औसत लागत एवं कुल राजस्व आवश्यकता अंतर (ACS-ARR) को शून्य पर लाना।
- अवधि : 31 मार्च, 2028 तक

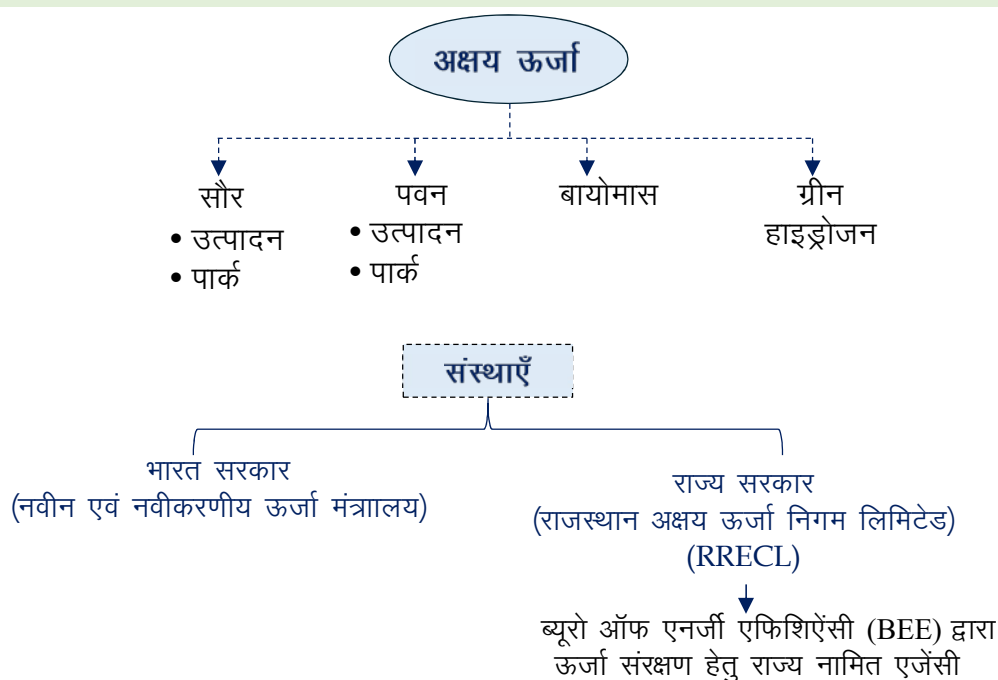


फ्लैगशिप योजना

7. सौर कृषि आजीविका योजना —

- किसान/भूमि मालिकों और डवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना (Skay) पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in)

अक्षय ऊर्जा :-



सौर ऊर्जा

राजस्थान में सौर ऊर्जा के अवसर :-

- 6-7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/प्रतिदिन सौर विकिरण।
- अधिकतम सौर दिवस (1 वर्ष में 325 दिन से अधिक)।
- बंजर भूमि की उपलब्धता।

राज्य में सौर ऊर्जा

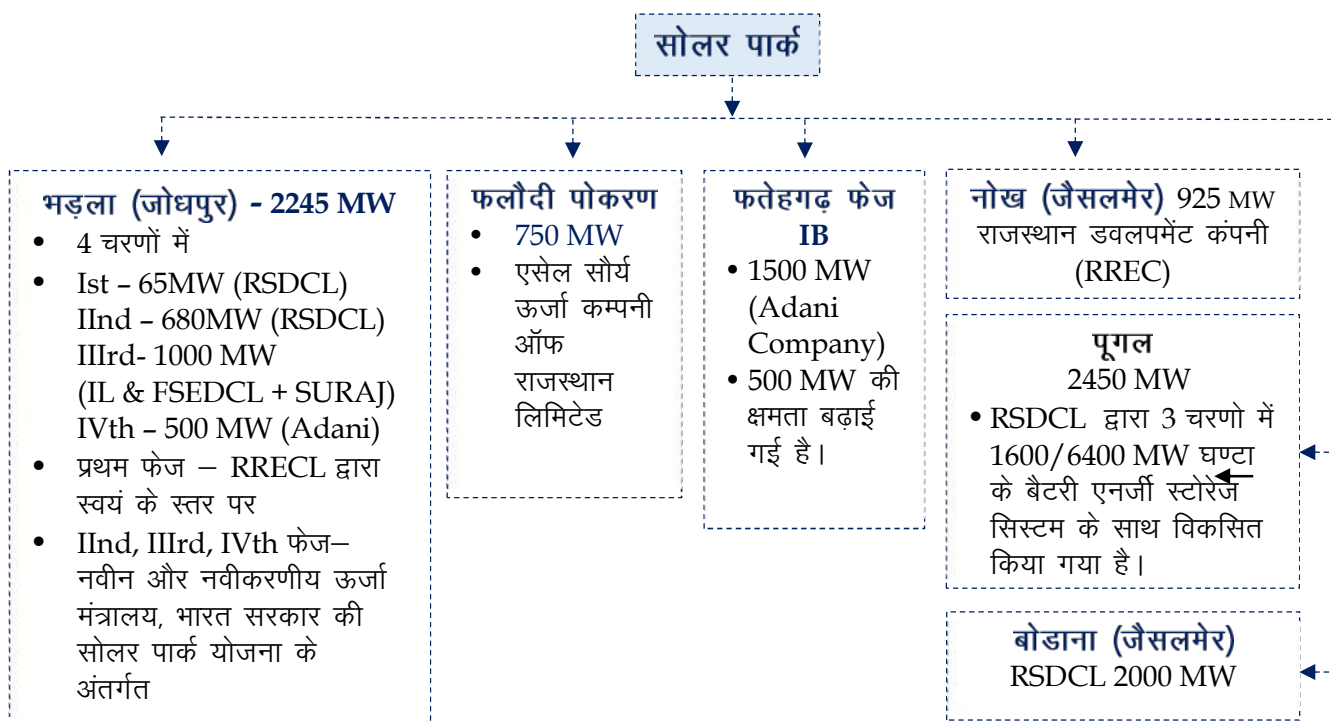
कुल क्षमता	स्थापित क्षमता
142 गीगावाट (GW)	42,531 MW
	(रूफटॉफ संयंत्रों व ऑफग्रिड संयंत्रों सहित) (दिसम्बर, 2025 तक)

एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 :-

- अवधि : 29 मार्च 2029 तक
- नोडल एजेंसी : RREC
- उद्देश्य :-
 1. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा के 2030 तक 500 GW के लक्ष्य में राज्य का योगदान सुनिश्चित करना।
 2. सौर, पवन, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना।
 3. 24 घण्टे लगातार ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 4. राज्य का लक्ष्य-125 GW (2029-30 तक) नवीकरणीय क्षमता स्थापित करना।
 5. 115 GW - उत्पादन 10 GW - भण्डारण क्षमता स्थापित
 - सोलर - 90,000 MW
 - पवन व हाईब्रिड - 25,000 MW
 - हाइड्रो, पम्प स्टोरेज प्लांट, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम - 10,000 MW

नवीकरणीय ऊर्जा पार्क नीति :-

- RSDCL को RRECL की सहायक कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया है जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों का विकास सुनिश्चित करेगी।



- RSDCL - राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी
- SURAJ - सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड
- मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क
- IL & FS एनर्जी डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

अन्य योजनाएं :-

1. रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) : मोड-सोलर रूफटॉप योजना -

- राजकीय भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना।
- अब तक – 5.3 मेगावाट क्षमता स्थापित
- क्रियान्वयन – RREC

2. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) {वर्ष 2024-25 बजट} :-

- राजकीय भवनों पर HAM आधार पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की जिम्मेदारी RRECL को दी गई।
- वर्तमान में 37MW की क्षमता स्थापित की गई है जिनमें से 15.1 MW सरकारी भवनों में कार्यान्वित हो चुका है।

पवन ऊर्जा

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी (NIWE) के अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊँचाई पर अनुमानित—
 - ✓ क्षमता— 284 GW
 - ✓ स्थापित 5229 MW (Dec. 2025), हाइब्रिड क्षमता— 2140 MW (पवन क्षमता – 885.60 MW)
- राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 = 18 Dec. 2019
- **Wind Power Plant**

* अमरसागर – जैसलमेर (Ist)	* बड़ाबाग – जैसलमेर (पहला निजी)
* देवगढ़ – प्रतापगढ़	* सोढ़ा बांधन – जैसलमेर
* फलोदी – जोधपुर	* आकल – जैसलमेर

बायोमास/जैविक द्रव्य ऊर्जा –

- बायोमास वेस्ट टू एनर्जी नीति, 2023 (29 सितम्बर 2023 से प्रभावी)
- प्रमुख स्रोत – सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल
- स्थापित – 207.50 MW (Dec. 2025) = 20 बायोमास संयंत्र (वर्तमान में 39MW क्षमता के 4 संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं)

ग्रीन हाइड्रोजन –

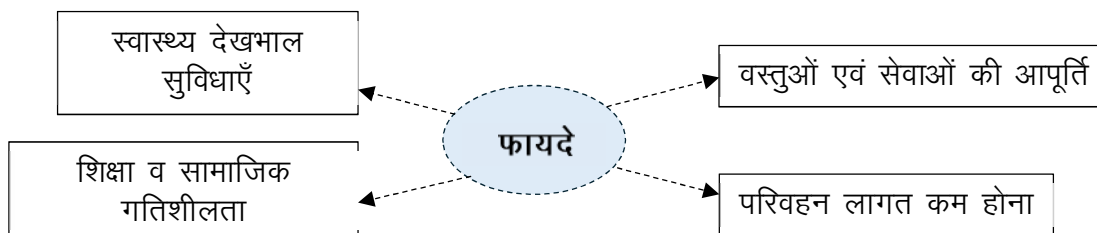
- राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 2000 किलो टन प्रतिवर्ष (KTPA) हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना है।
- पहले 500 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को विद्युत संचरण शुल्क व वितरण शुल्क पर 50% की छूट।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम –

- ऊर्जा संरक्षण दिवस – 14 दिसम्बर (2009 से)
- कार्यान्वयन एजेंसी— राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC)

सड़कें

“देश के विकास का आंकलन करने के लिए पक्की सड़क एक महत्वपूर्ण मापदण्ड माना जाता है।”



राज्य में सड़क नेटवर्क :-

- 1949 = 13553 km
- मार्च 2025 = 3,35,306 km
- सड़क घनत्व = 97.97 km/100 Km²
- लगभग 91.68% (39666) गाँव सड़क से जुड़ चुके हैं।

IIIrd { राष्ट्रीय राजमार्ग – 10790 km.
राज्य राजमार्ग – 17316 km

IInd { मुख्य जिला सड़क – 18234 km
अन्य जिला सड़क – 72822 km. (iind) } क्रम महत्वपूर्ण, ना कि Km.

Ist { ग्रामीण सड़क – 2,16,144 km. (ist) }

- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1% शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं।
- ✓ कुल सड़कों में से 197051 किमी. सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लम्बाई मार्च, 2025

क्र.सं.	सड़क	प्रतिशत	लम्बाई
1.	ग्रामीण सड़के	74	145236 किमी.
2.	प्रमुख जिला सड़के	09	17914 किमी.
3.	राज्य राजमार्ग	08	17004 किमी.
4.	अन्य जिला सड़के	07	13357 किमी.
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग	02	3540 किमी.

राजस्थान में विश्वस्तरीय सड़क नेटवर्क की आवश्यकता :-

1. राज्य को आर्थिक केन्द्र बनाने के लिए।
2. राज्य के पास समुद्र तटीय सीमाओं के अभाव के कारण।
3. पड़ोसी राज्य बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए राजस्थान पर निर्भर।
4. कुशल परिवहन हेतु।
5. रेलवे क्रॉसिंग्स सुरक्षा हेतु।
6. पुल निर्माण से बाढ़ जोखिम कम करना।
7. राजमार्गों के विस्तार हेतु।

प्रयास :-

- केन्द्रीय आधारभूत सड़क निधि के सेतु बंधन से रेलवे पुलों का निर्माण।
- NHAI द्वारा जोधपुर रिंग रोड का निर्माण।
- PM गति शक्ति योजना से संरचना निर्माण।
- राज्य सड़क निधि व NABARD के तहत विभिन्न सड़कों के मरम्मत कार्य।

NHAI के कार्य :-

- NHDP व भारतमाला परियोजना।
- दिल्ली से वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे (राजस्थान में 374 कि.मी.)
- अमृतसर-जामनगर गलियारा, राजस्थान - 637km
- राजस्थान को एक्सप्रेस-वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन— 5 फरवरी, 2024

सड़क से संबंधित योजनाएं :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

- प्रारम्भ— 25 दिसम्बर, 2000
- 500 से अधिक जनसंख्या — मैदानी क्षेत्र में
- 250 से अधिक जनसंख्या — पहाड़ी या रेगिस्तानी
- Phase III - 2019-20 से 2024-25 तक
- इसके तीसरे चरण के तहत 8662.50 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।



फलैगशिप योजना



2. प्रधानमंत्री जन-मन योजना :-

- 99 कि.मी.
- बारां जिले की सभी 38 बिना सम्पर्क वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ना।

3. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना - II -

- एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा
- 754 कि.मी. राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों पर परिवहन दक्षता में सुधार करना।

4. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना – III

- एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा
- 290 किमी. राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बहतर बनाना।

5. राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना –

- विश्व बैंक द्वारा
- 14 राज्य राजमार्गों का विकास किया जाना प्रस्तावित।
- मार्च 2025 तक 1 कार्यपूर्ण, 7 कार्य प्रगति पर, 6 कार्यों की डी.पी.आर. प्रगति पर।

6. अटल प्रगति पथ –

- राज्य सरकार द्वारा अटल प्रगति पथ की शुरुआत शहरी क्षेत्रों के समान गाँवों में भी सीमेंट कंक्रीट सड़क की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु हुई है।



फलैगशिप योजना



उद्देश्य: गांवों में शहरी सड़कों जैसी सुविधाओं वाली सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) सड़कें उपलब्ध कराना।

चरण I: (10,000 या उससे ज्यादा आबादी वाले गाँव)
टारगेट ग्रुप: बड़े गाँव (10,000 से अधिक आबादी)
बजट 2024–25 मंजूरी: 78 अटल प्रगति पथ
अब तक पूरे हुए: 35 पथ बनाए गए

चरण II: (जनसंख्या 5,000–10,000)
टारगेट ग्रुप: 5,000–10,000 की आबादी वाले ग्रामीण कस्बे ऐसे कुल गाँव (जनगणना 2011): 832 गाँव
स्वीकृत कार्य: 249 गाँव
अब तक पूर्ण कार्य: 39 कार्य पूर्ण हुए

परिवहन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) :-

- 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत स्थापित
 Rajasthan State Highway Authority- 2 June 2015

अन्य योजनाएँ/कार्यक्रम :-

1. सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना -

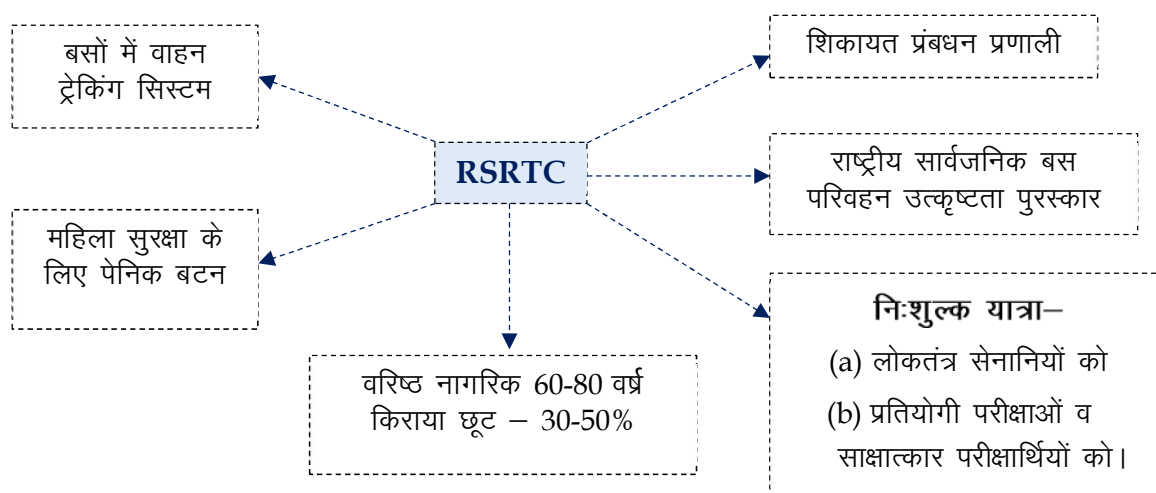
- 26 July 2024
- दस वर्षीय
- सड़क दुर्घटना कम करना।

2. सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल-

- राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ + RKCL

3. समाधान Portal:- 24 जुलाई 2024 को शुरू (Online Portal)

- RSRTC की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के समाधान हेतु।



नागरिकों को प्रदत्त लाभ (2025-26) :-

- निगम के द्वारा 'महिला दिवस' एवं 'रक्षा बन्धन' पर क्रमशः 7.50 लाख एवं 16 लाख महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- रेल/हवाई यात्रा की तर्ज पर यात्रियों की सुविधा हेतु निगम की वोल्वों, स्केनिया तथा वातानुकूलित बसों में **शुल्क आधारित केटरिंग सुविधा** प्रारम्भ की गयी।
- यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा **सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर** की स्थापना की गई है।
- निगम द्वारा धार्मिक स्थानों के लिये वातानुकूलित बसों का संचालन शुरू किया गया है।
- निगम द्वारा मस्कूलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित रोगी को एक सहयोगी के साथ निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।
- निगम द्वारा वर्ष 2025-26 में (दिसम्बर तक) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों में सम्मिलित होने हेतु 102.87 लाख (लगभग 1 करोड़) परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।

मोटर वाहन पंजीयन :-

वर्ष 2025-26 में वाहन पंजीकृत – 13.41 लाख (Max. दुपहिया)

1 अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर अतिसुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट की सुविधा।

ई-लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन फिटनेस जाँच, सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल सुविधा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिओ टैगिंग और वीडियोग्राफी इत्यादि की सुविधा।

- ई-डिटेक्शन प्रणाली – राज्य की नई ई-गवर्नेंस पहल।
- इस प्रणाली के माध्यम से टोल द्वारा अपलोड किए गए वाहनों के आंकड़ों का प्रसंस्करण किया जाता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध स्वचालित चालान जारी किए जाते हैं।
- अब तक 47 स्वचालित परीक्षण केंद्रों को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

राजस्थान परिवहन योजनाएं और नवाचार : ई-गवर्नेंस और आधुनिकीकरण



रेलवे

- मार्च 2022 तक 6046 km
- भारत के कुल रेलमार्ग (68,043 km) का 8.89%
- राज्य का रेल नेटवर्क मुख्यतः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा संचालित है।
- रेलवे लाइन का विद्युतीकरण –**
 - ✓ उत्तर-पश्चिम रेलवे ने लगभग 100% रेल मार्ग विद्युतीकरण पूर्ण कर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है।

• रेलवे आधारभूत विकास –

- ✓ रेलवे की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा आम जनता के समक्ष प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 7 नवम्बर, 2025 को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर “स्टेशन उत्सव” का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की रेलवे विरासत को प्रदर्शित किया गया।
- ✓ भारतीय रेलवे में पहली बार गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स का कार्य।
- ✓ **राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं—**
 - अजमेर—चंडीगढ़
 - जोधपुर—साबरमती
 - उदयपुर सिटी—जयपुर
 - उदयपुर सिटी—आगरा कैंट
- ✓ यात्रियों को निःशुल्क वाई-फाई सुविधा का प्रावधान।
- ✓ “एक स्टेशन—एक उत्पाद योजना” राजस्थान में स्थानीय उत्पादों और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु।

• यात्री सुविधाएं –

- ✓ 22 मई, 2025 को **देशनोक**, से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रेल के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, मंडी डबवाली, गोगामेड़ी और देशनोक स्टेशनों का उद्घाटन किया गया।
- ✓ उत्तर पश्चिम रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन को **मदार जंक्शन—दरभंगा** के बीच अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया।
- ✓ 29 नवम्बर, 2025 को जैसलमेर स्टेशन से दिल्ली (शुकर बस्ती) नई रेलसेवा (**स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस**) को शुरू किया गया।

राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति, 2024 :-

- महत्व— नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भी योगदान होता है।
- यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हवाई अड्डों, एयरलाइंस, कार्गो अनुरक्षण मरम्मत एवं ऑवरहाल संगठनों (एमआरओ), उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ), उड्डयन अकादमी, ग्राउंड हैंडलिंग एवं अन्य संबंधित उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।
- पर्यटन, नागरिक उड्डयन से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। नागरिक उड्डयन विभिन्न स्थलों के लिए सुगम उड़ान सुविधा प्रदान कर पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के मुख्य उद्देश्य :-

- एकीकृत परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना पर्यटन रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा।
- प्रौद्योगिकी व प्रभावी निगरानी के माध्यम से विमानन क्षेत्र की सुरक्षा एवं वहन क्षमता को सुनिश्चित करना।
- राजकोषीय सहायता, आधारभूत संरचना का विकास सरलीकृत प्रक्रियाओं, विनियम एवं ई-प्रबंधन के माध्यम से व्यवसाय का सरलीकरण।
- कार्गो, एम.आर.ओ., जनरल एवियेशन, एयर एम्बुलेंस, एयरोस्पेस मैनुफैक्चरिंग, एरो स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास से सम्पूर्ण श्रृंखला का विकास।

प्रमुख केन्द्रित क्षेत्र –

- विभिन्न हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों, हेलीपेड और हेलीपोर्ट्स पर आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण—

• 1st चरण—

- ✓ उत्तरलाई एवं उदयपुर हवाई अड्डे का उन्नयन।
- ✓ चकचैनपुरा (सवाईमाधोपुर), नागौर, हमीरगढ़ (भीलवाड़ा), आबू रोड (सिरोही) और लालगढ़ जाटान (श्रीगंगानगर) हवाई पट्टियों के उन्नयन हेतु भी आवश्यक तकनीकी उपकरणों व यंत्रों की स्थापना।
- प्रमुख हवाई अड्डों पर शहर की तरफ विकास कार्य—
 - ✓ 1st चरण— जयपुर हवाई अड्डे पर शहर की तरफ विकास कार्य।
- व्यवसाय एवं पर्यटन के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर नवीन हवाई अड्डे का विकास—
 - ✓ 1st चरण— भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के सहयोग से कोटा में नवीन हवाई अड्डा का विकास।
- यात्रियों एवं कार्गो के लिए सुरक्षित, किफायती और सतत हवाई यात्रा उपलब्ध कराना—
 - ✓ 1st चरण— जयपुर हवाई अड्डों पर कार्गो कॉम्प्लेक्स विकसित।
- रीजनल कनेक्टिविटी योजना एवं अन्य विकल्पों के माध्यम से हवाई सेवा में सुधार—
 - ✓ 1st चरण — उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर को जोड़े जाने के प्रयास।
- नागरिक उड्डयन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि उड़ान प्रशिक्षण संगठन, विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संगठन, रख-रखाव मरम्मत एवं ऑवरहॉल संगठन, विमान व पुर्जों के निर्माण इत्यादी में निवेश को आकर्षित किया जाना,
 - ✓ 1st चरण — झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संवर्धन हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करना।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएँ

- दिसम्बर, 2025 तक 11,031 डाकघर
- टेलीकॉम उपभोक्ता— 6.66Cr. (सितम्बर 2025)

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात स्वीकृत नवीन परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा राज्य को 'बैक-टू-बैक' आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- वर्ष 2025-26 के प्रारम्भ में राज्य में 14 बाह्य सहायतित परियोजनाएं (ई.ए.पी.) क्रियान्वित की जा रही थी। जिनमें से, 3 परियोजनाओं का ऋण दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण हो चुका है।

1. राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम – तृतीय चरण (RUIDP) :-

- वित्तपोषण = ADB
- राज्य के शहरी केन्द्रों में जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरी प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का सामना करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से शुरू की गई परियोजना।
- अभी तक इस योजना के कुल 4 चरण संचालित हुए हैं:-
 - चरण-I** = इसका उद्देश्य जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर सहित राज्य के 6 प्रमुख शहरों में बुनियादी ढाँचा सुविधाओं में सुधार करना है।
 - चरण-II** = वर्ष 2008 में 15 शहरों में जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने हेतु।

चरण— III = वर्ष 2015 में 13 शहरों में जल-आपूर्ति व सीवरेज कार्यों हेतु शुरू की गई। जिसमें 12 शहरों में कार्य किए जा रहे हैं। इनमें पाली, टोंक और झुंझुनू में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य, भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू में सीवरेज प्रोजेक्ट और बांसवाड़ा में ड्रेनेज का कार्य पूर्ण हो चुका है। श्रीगंगानगर में सीवरेज और जल आपूर्ति कार्य प्रगति पर है। (मार्च 2025 तक)

2. राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना (चतुर्थ चरण) :-

- यह योजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RUIDP) का विस्तृत रूप है। RUIDP के चतुर्थ चरण के रूप में इस योजना को शुरू किया गया है।
- इस परियोजना को 2 ट्रेन्च के तहत ADB की सहायता से संचालित किया जा रहा है:-
ट्रेन्च— I:- इसके तहत 27 शहरों में विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं जिनमें 14 शहरों जैसे:- सरदारशहर, बांसवाड़ा आदि में जल आपूर्ति व सीवरेज कार्य शामिल हैं तथा बाकी 12 शहरों जैसे बांदीकुई, नीम का थाना इत्यादि में मल, कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है।
समयावधि = जनवरी 2021 से नवम्बर 2028
ट्रेन्च— II:- इसके अंतर्गत 16 शहरों में बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता के अनुसार सीवरेज, जल आपूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण, जल निकासी आदि कार्य किए जाएंगे।
- समयावधि = अप्रैल 2023 से मई 2028

3. राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – I

- वित्त पोषण :- ADB**
- उद्देश्य :-** राज्य राजमार्गों पर परिवहन दक्षता में सुधार, यातायात में सुधार तथा राजमार्गों की सुरक्षा।
- घटक :-** इस परियोजना में 2 घटक शामिल हैं:-
 (i) **प्रदेश राजमार्ग सुधार :-** राजस्थान में सड़क सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य राजमार्गों और प्रमुख जनपद सड़कों का 2 लेन या मध्यवर्ती-लेन मानक में सुधार किया जाएगा।
 (ii) **राजस्थान लोक निर्माण विभाग का क्षमता निर्माण :-** सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन, सड़क सुरक्षा तथा परियोजना प्रबंधन से जुड़ी व्यापार-प्रक्रिया पर सरकारी-निजी भागीदारी प्रभाग का क्षमता निर्माण किया जाएगा। सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक परियोजना कार्यनिष्पादन मॉनीटरिंग प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
- अभी तक 3 ट्रेन्च में परियोजना का कार्यान्वयन हुआ है:-**
 (i) **ट्रेन्च— I** = नवम्बर 2017 – सितम्बर 2022
 (ii) **ट्रेन्च— II** = दिसम्बर 2019 – सितम्बर, 2025 तक (6 पैकेज के अंतर्गत 754 km. लम्बाई के 11 राजमार्गों के विकास हेतु)
 (iii) **ट्रेन्च—III** = मार्च, 2023 – सितम्बर 2026 तक (290 km. राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के विकास हेतु)

4. राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –II- ट्रांच – I

- वित्तपोषण –** विश्व बैंक
- उद्देश्य :-** राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारु बनाना।
- समयावधि :** – अक्टूबर 2019 से मई 2025

• **प्रमुख घटक :-**

- (i) 801 km- राज्य राजमार्गों को दो लेन या मध्यवर्ती लेन मानकों में अपग्रेड करना ।
- (ii) राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन ।
- (iii) संस्थागत सुदृढीकरण, सड़क सुरक्षा उपाय और परियोजना प्रबंधन सहायता ।

नोट:- इस परियोजना के तहत 917 कि.मी. लंबाई के 13 राजमार्गों वाले 10 पैकेज विकसित किए जा रहे हैं ।

5. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना :-

- **वित्तपोषण :-** जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA द्वारा)
- **उद्देश्य :-** 5.13 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे ।
- **लक्ष्य :-** किसानों की जीवनशैली में सुधार और कृषि एवं सिंचाई में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना ।

Note:- यह परियोजना राजस्थान के 30 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण को बढ़ावा दे रही है ।

✎ **परियोजना के वित्त-पोषण को 2 ट्रेंच में बांटा गया है:-**

ट्रेंच – I :- 31 मार्च 2017 को हस्ताक्षरित । (827.20 करोड़ रु.)

ट्रेंच – II :- 29 मार्च 2023 को हस्ताक्षरित (1055.50 करोड़ रु.)

✎ **इस परियोजना को 3 प्रमुख चरणों में बांटा गया है-**

I – चरण = 65 सिंचाई उप परियोजनाएँ

II – चरण = 36 सिंचाई उप परियोजनाएँ

III – चरण = 36 सिंचाई उप परियोजनाएँ

- समयावधि = 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2028 तक (11 वर्ष)

किए जाने वाले कार्य :-

- (i) जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु 20 से 30 साल पुराने बांधो और नहरों का जीर्णोद्धार ।
- (ii) 150 जल उपयोगकर्ता संघों की महिलाओं को 2.5 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे ।
- (iii) ऊर्जा और जल संरक्षण हेतु, परियोजना क्षेत्र के 5-10% हिस्से में सौर ऊर्जा से चलने वाली सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ स्थापित की जाएगी ।
- (iv) वर्ष 2025-26 में लखपति दीदी को विभिन्न चरणों द्वारा सिंचाई सब प्रोजेक्ट्स में लागू किया जा रहा है ।
लखपति दीदी (बागवानी) के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के 1,000 गाँवों में महिला कृषक हित समूहों का गठन किया जाकर परियोजना अवधि में कुल 10,000 कृषक महिलाओं को उन्नत सब्जी एवं फल उत्पादन के द्वारा आजीविका में सुधार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।
इसी प्रकार लखपति दीदी एफवीसी (खाद्य मूल्य श्रृंखला) के अन्तर्गत कुल 100 कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना कर परियोजना क्षेत्र में महिलाओं की आजीविका सुधार के साथ-साथ उद्यमिता कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

6. मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांस – I & II :-

- **वित्तपोषण :-** न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) (70%)
- **समयावधि :-** मई, 2018 से जुलाई 2026
- **उद्देश्य :-** रिसाव, जल संरक्षण और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के संबंध में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली को दुरुस्त करना।
Note:- परियोजना के ट्रेच-I और II को 8.5 वर्षों की अवधि में 2 चरणों में निष्पादित किया जाएगा।
- **लाभार्थी :-** इस परियोजना का लाभ उत्तर-पश्चिमी जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर इत्यादि) को मिलेगा।
- **परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य :-**
 - रीलाइनिंग कार्य :-** इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की फीडर नहर और मुख्य नहर का।
 - जलभराव उन्मूलन :-** 33,312 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में लवणता और जलभराव की समस्याओं का समाधान
 - संस्थागत विकास :-** जल उपयोगकर्ता संघ को मजबूत करना और IMTI / कृषि विज्ञान केन्द्र जैसे संस्थानों का संस्थागत विकास।
- **परियोजना के लाभ:-**
 - बेहतर जल पहुंच :-** रीलाइनिंग से नहरों के अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता में सुधार होता है, जिससे किसानों को आनुपातिक सिंचाई का लाभ मिलता है।
 - सूक्ष्म सिंचाई और सौर पंप :-** जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
 - भूमि सुधार :-** जलभराव और सेम की समस्याओं का समाधान करता है, भूमि की उपयोगिता और कृषि उत्पादन में सुधार करता है।

7. राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना :-

- **उद्देश्य :-** अधिशेष ऊर्जा को भारत के राष्ट्रीय ग्रिड के साथ समन्वयित करना है, ताकि ऊर्जा की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में इसका निर्बाध परिवहन हो सके।
- **इस योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया गया :-**

चरण-I :- वित्तपोषण = 60 : 40
K.F.W. नेशनल क्लीन
(जर्मनी) एनर्जी कोष
- **समयावधि =** अक्टूबर 2015 – जून 2021
- पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर क्षेत्र में यह योजना क्रियान्वित की गई।
- **चरण-II :-** वित्तपोषण = 47 : 33 : 20
K.F.W. (जर्मनी) केन्द्र सरकार राज्य सरकार
- **समयावधि –** नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2026
- चरण-II के तहत हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है।
- 29 नवंबर, 2024 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने आरटीएम (विनियमित टैरिफ तंत्र) मोड के माध्यम से 3 प्रमुख सब स्टेशनों और उनसे जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणालियों के विकास को मंजूरी दी:
 1. 400 केवी जीएसएस हनुमानगढ़ (केंचिया)।
 2. 400 केवी जीएसएस उदयपुर।
 3. 220 केवी जीएसएस डूंगरपुर।
- **नोट :** के.एफ.डब्ल्यू. ने 25 जून, 2025 को वित्तपोषण हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत कर दी।

8. राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढीकरण की परियोजना :-

- **वित्त पोषण :-** विश्व बैंक द्वारा
- **उद्देश्य:-** (i) राजस्थान सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना और बेहतर बजट निष्पादन ।
(ii) सार्वजनिक और व्यय में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने में योगदान देना ।
(iii) राजस्थान सरकार में राजस्व प्रणाली और क्षमता को मजबूत करना ।
- **समयावधि :-** जुलाई, 2018 से जून, 2025

योजना के तहत किए गए कुछ प्रमुख सुधार :-

1. GST कार्यान्वयन के लिए सहयोग करना ।
2. ऑनलाइन ऑडिट प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत करना ।
3. एकीकृत नकदी और ऋण प्रबंधन प्रणाली को बढ़ाना ।
4. प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली विकसित करना
5. सार्वजनिक निवेश प्रबंधन ढांचे की स्थापना
6. इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली का विकास ।

9. राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय :-

- **वित्तपोषित :-** JICA द्वारा ।
- **अवधि :-** जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2028
- **यह परियोजना 2 चरणों में चलायी गयी है:-**
 - (i) **प्रथम चरण :-** यह चरण नागौर जिले हेतु चलाया गया ।
उद्देश्य:- सतही जल सुविधाओं का निर्माण करके नागौर जिले में पीने योग्य पानी की कमी और फ्लोराइड से दूषित भूजल से पीड़ित लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है जिससे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो ।
 - (ii) **द्वितीय चरण :-** झुंझुनू और बाड़मेर जिले हेतु ।
उद्देश्य:- झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं को स्थापित कर, ग्राम जल स्वच्छता समितियों के क्षमता विकास के साथ-साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे –
 1. क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके ।
 2. जल उपचार संयंत्रों और संबंधित सुविधाओं का निर्माण ।
 3. ग्राम जल स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करना ।
- परियोजना का निर्माण 4 पैकेज में किया गया । 1 पैकेज = झुंझुनू 3 पैकेज = बाड़मेर

10. बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना :-

‘भारत सरकार’ की परियोजना

चरण- I = अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान कार्यान्वित तथा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ।

7 राज्यों के 223 बांधों का पुनर्वास किया गया ।

चरण- II & III = 2021 से चालू (10 वर्षों तक)

वित्तपोषण = विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा ।

उद्देश्य :- 19 राज्यों में स्थित 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा में सुधार की परिकल्पना ।

राजस्थान हेतु:- राजस्थान में 212 बड़े बांध हैं, जिनमें से 189 बांध DRIP फेज-2 और फेज-3 में शामिल किए गए हैं।

परियोजना के चरणों की समयावधि :-

- चरण-II = अप्रैल 2021 से मार्च 2027
- चरण-III = अप्रैल 2025 से मार्च 2031

DRIP चरण - II के तहत बड़े बांधों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु निम्न क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा-

- i. जोखिम आधारित बांध सुरक्षा प्रबंधन ताकि कमजोर संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा सके।
- ii. सतत वित्त पोषण तंत्र
- iii. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जिससे बांधों की कार्यक्षमता और स्थिरता प्रभावित नहीं हो।
- iv. संस्थागत ढांचे का सशक्तिकरण।

11. राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना :-

- **वित्तपोषित :-** A.F.D. (एजेंसी फ्रांसेइस डी डवलपमेंट)
- **उद्देश्य :-** राज्य के पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण और पर्णपाती वन संसाधनों में वृद्धि करना।
- यह परियोजना राजस्थान के **13 जिलों** (पूर्वी राजस्थान) (800 गांवों) में क्रियान्वित की जा रही है।
- समयावधि = 2023-24 से 2030-31 (8 वर्षों तक)

प्रमुख विशेषताएं:-

- (i) संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना :- वन्यजीवों के लिए आवास सुरक्षित करना और जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना।
- (ii) सामुदायिक सशक्तिकरण और आजीविका विकास :-
 - सामाजिक-आर्थिक और लिंग-विभेदित पारम्परिक ज्ञान को शामिल करना।
 - संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों सहित विविध समूहों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करना।
 - आवश्यकता के आधार पर प्रति ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समिति या पारिस्थितिकी विकास समिति के तहत 2 स्वयं सहायता समूह का गठन करना।
- (iii) जैव विविधता हानि और मानव-वन्यजीव संघर्षों का शमन- पारिस्थितिकी जोखिमों को कम करने और वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना।
- (iv) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण समझौतों के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राजस्थान वन विभाग को सहयोग प्रदान करना।
- (v) सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 23 डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट (डीएमयू) और 90 फील्ड मैनेजमेंट यूनिट (एफएमयू) में बांटा गया है। परियोजना कार्यान्वयन के लिए 800 गांवों को चुना गया है।
- (vi) परियोजना अंतर्गत कुल 55,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र में ओरण, कृषि वानिकी के अन्तर्गत 100 प्लांट माईक्रो रिजर्व 55 लाख पौधों का वितरण किया जाएगा एवं वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 किमी. पक्की दीवार का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
- (vii) मुख्य गतिविधियाँ :-
 - पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए हरित आवरण को बढ़ाना।
 - मृदा उर्वरता और जल उपलब्धता को बढ़ाना।
 - वन्यजीवों के आवासों में सुधार और वन्यजीव विकास कार्यों को बढ़ावा देना।
 - प्रभावी वन प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान गतिविधियाँ आयोजित करना तथा भागीदारी प्रबंधन के माध्यम से वन-आश्रित समुदायों का समर्थन करना।

12. राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन :-

- **वित्तपोषण :-** जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका)
- **उद्देश्य :-** राजस्थान में स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
- **समयावधि :-** अक्टूबर 2024 – मार्च 2035
- इस परियोजना के तहत राजस्थान के 19 जिलों में विकास गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएगी।

प्रमुख गतिविधियाँ :-

- कृषि वानिकी कार्य:-** ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और वनस्पति के मिश्रण से जीवन यापन को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना।
- राज्यपक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण :-** इस हेतु जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में विशेष योजनाएं लागू करना।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना :-** 160 जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करवाकर जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना।
- ओरण (पवित्र वन) संरक्षण :-** पश्चिमी जिलों में 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवनों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए संरक्षण उपाय करना।
- पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण :-** 3000 हेक्टेयर में दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सूक्ष्म रिजर्व की स्थापना करना।

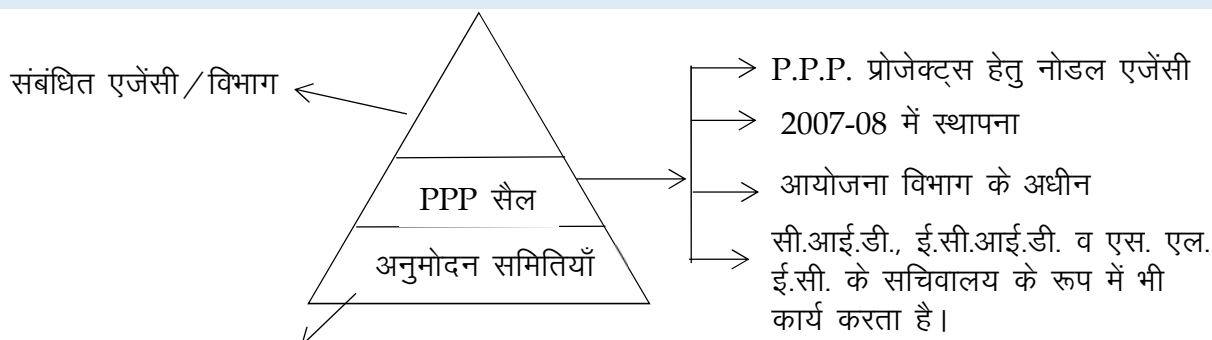


परियोजना की गतिविधियों को प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है –

- (1) मरुस्थलीय (2) गैर-मरुस्थलीय (3) संस्थागत सुदृढीकरण
- सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 30 प्रभागीय प्रबंधन इकाइयों तथा 90 क्षेत्रीय प्रबंधन इकाइयों में विभाजित किया गया है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

संस्थागत व्यवस्था :



1. अनुमोदन समितियाँ

(i) काउंसिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (CID) :-

- अध्यक्ष : मुख्यमंत्री
- PPP परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु
- विभाग की वित्तीय शक्तियों से बाहर या 500 करोड़ से अधिक PPP प्रोजेक्ट्स को अनुमति प्रदान करना।

(ii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ECID) :-

- CID के कार्यों के सुचारु संचालन के लिए
- अध्यक्ष – मुख्यसचिव

(iii) एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स :-

- अध्यक्ष – मुख्यसचिव
- राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आ.एस.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।
- कमेटी का प्रशासनिक विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग।

(iv) स्विस् चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (SLEC) :-

- अध्यक्ष – मुख्यसचिव
- प्रशासनिक विभाग – आयोजना विभाग
- स्विस् चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (PPP और गैर-PPP) दोनों की स्वीकृति हेतु।

2. पीपीपी सेल (नोडल एजेंसी) :-

- सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007-08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया।
- पीपीपी सेल आयोजना विभाग के प्रभारी सचिव के पर्यवेक्षण में कार्यरत था, जो राज्य के पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे थे।
- वित्त विभाग (आर्थिक कार्य प्रभाग) के एफ.डी. (समन्वय) आदेश दिनांक 8 दिसंबर, 2025 के माध्यम से पीपीपी सेल को वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब वित्त सचिव (बजट) प्रभारी सचिव एवं राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी हैं।

3. संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी) :-

- राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग/एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनेस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी के अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

संयुक्त उपक्रम :-

- प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (PDCOR) → बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेतु।
 - दिसम्बर, (1997 में गठित)
- रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी ऑफ राजस्थान (RIDCOR) राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वन हेतु वर्ष 2004 में गठित।
- एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान (ESUCRE) – 2014 में गठित जैसलमेर और जोधपुर में 750 MW के सौर पार्कों के विकास हेतु।
- सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (SUCRL) - 2014 में गठित भड़ला (जोधपुर) 1000 MW के सौर पार्कों के विकास हेतु।
- अडानी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (AREPRL) – 2015 में गठित जैसलमेर और भड़ला (जोधपुर) में 2000 MW के सौर पार्कों के विकास हेतु।

परियोजना विकास कोष (PDF) :-

- 2003 में 5 वर्षों के लिए
“भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (HPDF)”
 - नवम्बर, 2022 में मौजूदा IIPDF को पुनर्गठित कर केन्द्रिय क्षेत्रक योजना में परिवर्तित किया गया।
 - परियोजना – 150 करोड़
 - उपयोग परियोजना विकास लागतों को पूरा करने हेतु।
 - अवधि – 2022–23 से 2024–25 (3 वर्षों तक)
 - वित्त पोषण – IIPDF योजना के तहत PSAs (परियोजना प्रयोजक प्राधिकारी) को PPP योजना के तहत वित्त पोषण—
 - ↳ 5 करोड़ तक → एकल प्रस्ताव
 - ↳ 5 करोड़ से अधिक → PSA द्वारा स्वयं वहन
 - वित्त पोषण PSAs द्वारा अर्जित किए गए माइलस्टोन के आधार पर किया जाता है।

सौदा सलाहकार सेवाएं (वित्तीय परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार)

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं से परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई है—

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (RSRDC)
2. वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड (**वेपकोस**), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम।
3. नाबार्ड कन्सल्टेन्सी सर्विसेज (**नेबकॉन**), नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कम्पनी है।
4. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकॉनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (**राईट्स**), भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम।
5. पी एफ सी कन्सल्टिंग लिमिटेड (PFCCL), पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC), पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन (PFC), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।
7. राजस्थान फाइनैसियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड (RFSDL), राजस्थान सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है।

वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)

- सामाजिक क्षेत्र की PPP परियोजनाओं हेतु वर्ष 2007 में VGF योजना जारी की गई।
- यह योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह पीपीपी के माध्यम से किए गए आर्थिक रूप से वांछनीय लेकिन व्यावसायिक रूप से अलाभकारी अवसंरचना परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो एक बार या स्थगित रूप में दी जा सकती है।
- भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप योजनाओं अन्तर्गत अधिक वीजीएफ समर्थन देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है:-
- **उप-योजना-1 :**
 - भारत/राज्य सरकार द्वारा 100% परिचालन लागत की वसूली
 - सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं (अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि) का कुल परियोजना लागत (TPC) का अधिकतम 60% (30% राज्य + 30% केन्द्र)
- **उप-योजना-2 :**
 - केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों की पायलट परियोजनाओं के समर्थन हेतु।
 - कुल परियोजना लागत (TPC) का अधिकतम 40% तक केन्द्र द्वारा व अधिकतम 40% तक राज्य सरकार द्वारा VGF (पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए)।

प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए संचालन एवं समन्वय समिति :-

- **अध्यक्ष :-** मुख्य सचिव
- **कार्य :-** ₹100 करोड़ से अधिक व 3 साल से अधिक की देरी वाली अवसंरचना परियोजनाओं (PPP और गैर-PPP दोनों) की मासिक समीक्षा।
- मुख्यमंत्री कार्य प्रबंधन प्रणाली (CMWMS) पोर्टल के माध्यम से समीक्षा।

अन्य प्रयास :-

(i) सड़क विकास नीति, 2013 :

- नीति 1994 → 2013 नीति
- बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (B.O.T.) में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था।

(ii) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

- राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 - 10 अगस्त, 2004 को पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर 1 रुपये का उपकर (सेस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया।

(iii) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014

- 29 अप्रैल, 2015 में एक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014 बनाया गया।
- कार्य- राजमार्गों की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोग में सुविधा के साथ-साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए
- राजस्थान राज्य राज्यमार्ग प्राधिकरण का गठन 01-09-2023 को।

(iv) क्षमतावर्धन हेतु 2010 में जर्मन विकास बैंक (K.F.W.) की सहायता से नेशनल पीपीपी कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम।

नोट : 31 दिसम्बर, 2025 तक 210 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं। 24 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है एवं 35 परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन अथवा पाइप लाइन में हैं।

एक सतत भविष्य का निर्माण: हरित बुनियादी ढांचे की क्षमता

- सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु हरित बुनियादी ढांचा अपनाना आवश्यक है।

हरित बुनियादी ढांचे का उद्देश्य :

- प्राकृतिक और अर्ध-प्राकृतिक प्रणालियों के एक प्रभावी नेटवर्क के माध्यम से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को लाभ पहुँचाना।
- शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान।
- मरुस्थलीकरण से बचाव
- जल प्रबंधन में सुधार
- जैव विविधता को बढ़ावा देना
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना

राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल

1. मिशन हरियालो राजस्थान/ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान



फलैगशिप योजना

- शुरुआत : जुलाई, 2024 (दूदू जिले के गाहोता से)
- विभाग :- वनविभाग
- उद्देश्य — अगले पांच वर्षों में ₹50 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य तथा ₹4,000 करोड़ का निवेश के साथ हरित क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि करना।

2. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिवहन प्रणाली की शुरुआत

- उद्देश्य — कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना और वन्यजीवों को होने वाली असुविधाओं को कम करना
- रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेशजी मंदिर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के पांडुपोल मंदिर तक।

3. नवीकरणीय ऊर्जा

- भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क है एवं जोधपुर में स्थित है, जिसकी क्षमता 2,245 मेगावाट है।
- जैसलमेर में पवन फार्म।

4. एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — दिसंबर, 2024

- लक्ष्य— वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता।

5. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश :- विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु 6.57 लाख करोड़ के MOU (November, 2024)

6. नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए विकास शुल्क में कमी

- अक्टूबर, 2023 में, राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ता के लिए विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की घोषणा की।
- उद्देश्य : अधिक निवेश को आकर्षित करना और राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करना है।

7. जयपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना और अनिवार्य वर्षा जल संचयन जैसी सरकारी योजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम लागू किए गए हैं।

8. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (एमजेएसए) –

- उद्देश्य— वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण और पारंपरिक जलाशय पुर्नस्थापना के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांवों को पानी की उपलब्धता एवं कृषि उत्पादकता में सुधार का लाभ प्राप्त होगा।

9. राजस्थान वन्यजीव और जैव विविधता परियोजना:

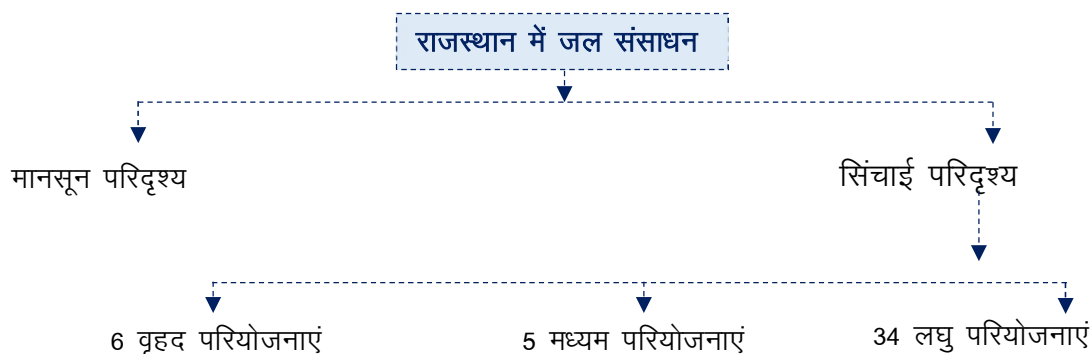
- उद्देश्य — पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक वन प्रबंधन।
- पारिस्थितिकी पर्यटन और वन उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन को प्रोत्साहित करना।

विजन स्टेटमन्ट—विकसित राजस्थान/2047

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान मजबूत शासन, सतत् संरक्षण और न्यायसंगत उपयोग के माध्यम से सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।



- सिंचाई क्षेत्र के विस्तार, पेयजल आवश्यकता, जल उपयोग दक्षता, कृषि अनुकूलता तथा राज्य शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति को स्थिर करने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं –
 - ✓ इंदिरा गांधी नहर परियोजना
 - ✓ 'वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान'
 - ✓ नर्मदा नहर परियोजना
 - ✓ AMRUT 2.0
 - ✓ 'कर्मभूमि से मातृभूमि'
 - ✓ जल जीवन मिशन
 - ✓ संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक परियोजना (ERCp से एकीकृत)
 - ✓ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत "हर खेत को पानी" और "प्रति बूंद अधिक फसल"



जल-सुरक्षित राजस्थान की ओर

- बंजर भूमि – 101 लाख हेक्टेयर
- राज्य में देश का जल संसाधन प्राप्त – 1.16% है।

अधिक बंजर भूमि के कारण :-

- अनियमित वर्षा पैटर्न
- अस्थिर मौसम
- उच्च तीव्रता के कारण पानी बर्बाद
- अनियमित जल व्यवस्था
- वर्षा के दिन कम

राज्य में मानसून :-

- वर्ष 2025 – आगमन 26 जून (1 जून से 30 सितम्बर, 2025)
- वास्तविक वर्षा – 715.20 मी.मी [सामान्य वर्षा (435.60 मी.मी.) से 64.00% अधिक]
- सर्वाधिक वर्षा – बारां, सवाईमाधोपुर
- राज्य के दक्षिण-पूर्वी और मध्य भागों में ज्यादा बारिश हुई।
- सामान्य से प्रतिशत अंतर के मामले में वर्षा –
 - ✓ न्यूनतम – सिरोही (LPA का 123%)
 - ✓ सर्वाधिक – हनुमानगढ़ (LPA का 227%) हुई।

सिंचाई

- मुख्य स्रोत – नहरें, ट्यूबवेल, खुले कुएं व तालाब
- सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं :-
 - ✓ 6 वृहद परियोजनायें (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, कालीतिर लिफ्ट, उच्च स्तरीय नहर कैनाल – माही, पीपलखुंट उच्च स्तरीय कैनाल)
 - ✓ 5 मध्यम परियोजनायें (गरदड़ा, तकली, गागरीन, हथियादेह, अंधेरी)
 - ✓ 34 लघु परियोजनायें
 - ✓ इन परियोजनाओं से कुल सिंचाई क्षेत्र सृजित – 40.19 लाख हेक्टेयर
 - ✓ दिसम्बर, 2025 तक 23,320 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन



प्रमुख परियोजनाएं

प्रमुख नदी बेसिन एवं अंतर्राज्यीय परियोजनाएँ –

1. राम जल सेतु लिंक परियोजना
2. यमुना जल समझौता
3. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना
4. इंदिरा गाँधी फीडर व सरहिंद फीडर की री-लाईनिंग
5. फिरोजपुर फीडर का पुर्ननिर्माण
6. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
7. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0
8. मरम्मत-नवीनीकरण-पुर्नस्थापन परियोजना (RRR परियोजना)
9. प्रधानमंत्री सिंचाई प्रतिशत (सूक्ष्म सिंचाई घटक)
10. PMKSY- की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM) परियोजना
11. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (कम्पोनेंट-B)
12. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ –

1. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (JICA)
2. बौध पुनर्वास व सुधार परियोजना (DRIP) (WB+AIID)
3. रेगिस्तान क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (NDB)
4. अटल भू-जल योजना (WB)
5. नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजना (WRD)
6. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (WB)

अन्य परियोजनाएँ –

1. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान
2. वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान
3. किसान साथी ऐप
4. बाराबन्दी मोबाइल ऐप
5. चंबल कमांड क्षेत्र
6. शहरी जल आपूर्ति अमृत मिशन
7. ग्रामीण जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन
8. वृहद पेयजल परियोजनाएँ

प्रमुख वृहद् परियोजनाएँ – (6)

1. नर्मदा नहर परियोजना

- यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है।
- क्षेत्र – जालौर व बाड़मेर
- सिंचाई सुविधा – 2.46 लाख हेक्टेयर (233 गाँव) के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य।
- पेयजल सुविधा – 1541 गाँव (जालौर – 874, बाड़मेर – 667) व 3 शहर – जालौर, भीनमाल और सांचौर (37.48 लाख लोग)।

2. परवन वृहद् परियोजना

- प्रस्तावित – झालावाड़ में परवन नदी पर
- लाभान्वित जिले – झालावाड़, बारां व कोटा
- सिंचाई सुविधा – 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सी.सी.ए.
- पेयजल सुविधा – 1402 गांवों में
- इसमें स्काडा नियंत्रित प्रेशराइज्ड पाईप के माध्यम से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से सिंचित करने का प्रस्ताव है।



3. ऊपरी उच्च स्तर नहर (माही) परियोजना

- लगभग 105 किमी मुख्य नहर और वितरण प्रणाली के माध्यम से सैडल बाँध संख्या 1 से पानी दिया जाएगा।
- माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा। **कुल लागत – ₹ 2500 करोड़ (पूरे प्रोजेक्ट की)**
- सिंचाई सुविधा – बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और बागीदौरा विधानसभा के 338 गांवों के 41,903 हेक्टेयर क्षेत्र में
- परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्माण कार्य जारी है।

4. पीपलखूंट हाई लेवल केनाल परियोजना

- माही बाँध के दाहिने छोर से जल को 3.72 TMC मात्रा में जल को जाखम बांध में मोड़ा जाएगा।
- सिंचाई सुविधा – पीपलखूंट तहसील के 24 गांवों के 5127 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर प्रणाली के माध्यम। **कुल लागत – ₹ 2000 करोड़ (पूरे प्रोजेक्ट की)**

5. धौलपुर लिफ्ट परियोजना

- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है।
- विशेष – इस नहर पर 30 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
- सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अनिवार्य।

6. कालीतीर लिफ्ट परियोजना

- जल स्रोत – पार्वती एवं रामसागर बाँध
- पेयजल सुविधा – धौलपुर जिले के 483 गाँव और 3 शहर – बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ – (5)

1. गरड़दा सिंचाई परियोजना –

- निर्माण – मंगली डूंगरी नदी (बूंदी) और गणेश नाले पर (होलासपुरा गाँव, बूंदी)
- सिंचाई सुविधा – बूंदी जिले के 44 गांवों की 9,161 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र
- पेयजल सुविधा – 111 गांवों व 98 बस्तियों को।

2. तकली सिंचाई परियोजना

- **निर्माण** – रामगंजमंडी (कोटा) एवं चेचट तहसील के धाकिया गांव में तकली नदी पर
- **सिंचाई सुविधा** – कोटा जिले की रामगंजमंडी एवं चेचट तहसीलों के 33 गांवों की 7800 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली द्वारा

3. गागरिन सिंचाई परियोजना

- **निर्माण** – झालावाड़ जिले की पिड़ावा/पचपहाड़ तहसील के कालीपीपल (देवगढ़) गांव के निकट आहू नदी पर
- **सिंचाई सुविधा** – पिड़ावा तहसील के 32 गांवों का 9999.83 हेक्टेयर क्षेत्र
- **पूर्ण निर्माण** – जून, 2026 तक प्रस्तावित

4. हथियादेह सिंचाई परियोजना

- **निर्माण** – बारां जिले की किशनगंज तहसील के करवारी खुर्द गांव में स्थित
- **सिंचाई सुविधा** – बारां जिले के 49 गांवों की 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र

नोट :- 286.50 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति 23 मई 2025 को प्रदान की गई।

5. अंधेरी सिंचाई परियोजना

- **निर्माण** – बारां जिले की छबड़ा तहसील के मुंडकिया गांव में अंधेरी नदी पर
- इस परियोजना में 1598 मिलियन घन फीट की भण्डारण क्षमता वाला मिट्टी का बांध प्रस्तावित है।

प्रमुख नदी बेसिन एवं अंतर्राज्यीय परियोजनाएं

1. संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (M.P.K.C) लिंक परियोजना (एकीकृत E.R.C.P)/राम जल सेतु लिंक परियोजना

- **उद्देश्य :-** पूर्वी राजस्थान में जल सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना।
- **प्रावधान :-** इसमें कुनू, कुल, पार्वती, कालीसिंध व मेज नदी के अधिशेष मानसून जल को, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर, कालीसिल और पार्वती में स्थानान्तरित किया जाएगा।
- **वित्तीय प्रावधान** – केन्द्र : राजस्थान : मध्यप्रदेश = 90 : 5 : 5 (MOU : दिनांक – 28 जनवरी, 2024)
- **सिंचाई सुविधा** –
 - ✓ नवीन सिंचाई क्षेत्र का सर्जन – 2.51 लाख हेक्टेयर
 - ✓ सिंचाई क्षेत्र का पुर्नस्थापन – 1.52 लाख हेक्टेयर
- **पेयजल व औद्योगिक जल उपलब्धता** – 17 जिलों में
- **कार्य स्थिति** –
 1. **कार्य पूर्ण** – नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध
 2. **निम्न कार्य प्रगतिरत है** – पेयजल हेतु तीन पैकेज के कार्य
 - (i) रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज व नवनेरा पम्प हाऊस का निर्माण
 - (ii) चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण
 - (iii) नवनेरा पम्प हाऊस से मेज से गलवा से बीसलपुर व ईसरदा तक फीडर निर्माण।
 3. **निम्न कार्य हेतु आदेश जारी किये गए हैं** –
 - ✓ मोरसागर कृत्रिम रिजर्वायर (जलाशय) अजमेर
 - ✓ बीसलपुर से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक फीडर
 - ✓ ईसरदा से रामगढ़ बांध जयपुर तक फीडर
 - ✓ खुर्रा चैनपुरा से जयसमंद अलवर तक फीडर
 - ✓ ईसरदा से खुर्रा चैनपुरा से बंध बेरठा भरतपुर तक फीडर

• महत्व :-

1. कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी
2. 17 जिलों को पेयजल उपलब्धता
3. लाभान्वित - 32.5 मिलियन लोग
4. फव्वारा सिंचाई पद्धति से 2.21 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र का सृजन एवं 1.52 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र की पुनर्स्थापना।
5. जल के कुशलतम उपयोग हेतु अपशिष्ट जल का शोधन कर 30,000 हेक्टेयर नवीन सिंचित क्षेत्र का सृजन किया जाएगा।

2. यमुना जल समझौता

- राजस्थान व हरियाणा के मध्य मई, 1994 समझौते के अनुसार अपर यमुना रिवरबोर्ड द्वारा ताजेवाला हैड (हथिनीकुंड बैराज) पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में 1,917 क्यूसेक (वार्षिक 577 एम.सी.एम) जल राजस्थान को आवंटित किया गया।
- 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच एक MOU
- ताजेवाला हेड (हथिनी कुंड बैराज) से पानी को सीकर, चुरु, झुंझुनू और अन्य जिलों में लाया जायेगा।

3. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (IGNP) :- "पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा"

- उद्देश्य :-
 - ✓ पश्चिम राजस्थान की सदियों से प्यासी मरुभूमि को दूरस्थ हिमालय जल से सिंचित व पेयजल आपूर्ति।
 - ✓ सूखा प्रभावित पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन व पुनर्वास।
- क्षेत्रफल - 16.17 लाख हेक्टेयर = प्रथम चरण - 5.46 LH
द्वितीय चरण - 10.71 LH
- द्वितीय चरण की लिफ्ट योजनाओं में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विकसित।
- वर्तमान में चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट योजना के 0.10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 नई नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पन्नालाल बारुपाल लिफ्ट नहर के 0.27 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विकसित की गई है।
- IGNP के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक कुल 14.82 लाख हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

4. इंदिरा गाँधी फीडर और सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग :- (पंजाब हिस्सा)

- इंदिरा गांधी फीडर में 97 किमी. और सरहिंद फीडर में 100 किमी. लम्बाई में रीलाइनिंग की जायेगी।
- भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता
- 60% केन्द्र, 40% राज्य
- सरहिन्द फीडर - पंजाब 54.15%, राजस्थान 45.85% (भारत सरकार इसका 60% वहन करेगी)

5. फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण

- अनुमानित जल प्रवाह क्षमता 11,192 क्यूसेक जो अपेक्षित रख-रखाव के अभाव में घटकर 9,500 क्यूसेक ही रह गई है।
- राजस्थान में प्रवाहित होने वाली गंगनहर एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की कॉमन फीडर है।
- इसकी डीपीआर को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- कुल लागत ₹647.62 करोड़ है, पंजाब (58.54 प्रतिशत) तथा राजस्थान (41.46 प्रतिशत)
- फिरोजपुर फीडर की रीलाइनिंग से गंग नहर प्रणाली के अंतर्गत 3.14 लाख हेक्टेयर तथा भाखड़ा नहर सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 2.92 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के कृषकों को लाभ प्राप्त होगा।

6. PM कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- प्रारम्भ — 2015–16
- वित्त — केन्द्र : राज्य — 60 : 40
- राजस्थान में क्रियान्वयन :- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
- उद्देश्य :-
 - ✓ सिंचाई क्षेत्र का विस्तार कर "हर खेत को पानी"
 - ✓ जल उपयोग दक्षता में सुधार कर प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करना।
- कार्य :-
 - ✓ सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्मपौण्ड, जलहोज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्लिंग, लो-टनल एवं ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान
 - ✓ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण।



फलैगशिप योजना

7. PMKSY 2.0 . प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण विकास घटक)

- क्रियान्वयन — भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार
- प्रारम्भ — 2021–22 में
- प्रमुख गतिविधियां :-
 - ✓ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी रेखा उपचार, मृदा और आर्द्रता संरक्षण गतिविधियां।
 - ✓ जल संचयन संरचनाएं जैसे चेक डेम, नाला बांध, खेत तालाब, टैंक, एनीकट, अमृत सरोवर कार्य आदि।
 - ✓ प्रभावी वर्षा प्रबंधन जैसे खेत बांधना, कंटूर बांधना/खुदाई, चरणबद्ध खुदाई, भूमि समतल करना, मल्लिंग आदि।
 - ✓ लाभार्थियों की भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण और प्रवेश बिंदु गतिविधियां।
 - ✓ उत्पादन गतिविधियां जैसे नर्सरी स्थापना, वनारोपण, बागवानी, चारागाह विकास कार्य आदि।
 - ✓ परिसम्पत्तिहीन व्यक्तियों, महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियां और लघु व सीमांत किसानों के लिए सूक्ष्म उद्यम।



8. मरम्मत-नवीनीकरण-पुनर्स्थापना परियोजना (RRR परियोजना)

- प्रारम्भ :- जनवरी, 2005
- उद्देश्य :- छोटी जल संरचनाओं की मरम्मत व सुधार।
- 2017–18 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' में शामिल।
- वित्त पोषण :- केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- वर्तमान में राज्य की 37 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया। (14 जिलें)
- 84 नये प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनायें कोटा, बूंदी और टोंक में लागू की जायेगी।

9. PMKSY – सूक्ष्म सिंचाई घटक (Micro Irrigation Component)

- जल प्रबंधन के लिए ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीकों का प्रयोग।
- महत्त्व — जल की बचत, फसल पैदावार व गुणवत्ता में वृद्धि।
- इसे अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी

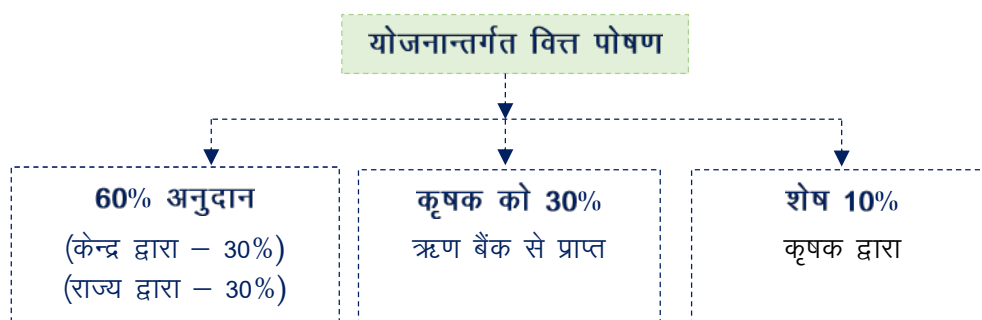
किसान		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य	अतिरिक्त राज्य हिस्सा
सामान्य किसान	70	27	18	25
SC/ST/महिला लघु व सीमान्त कृषक	75	27–33	18–22	20–30

10. PMKSY की कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) परियोजना

- उद्देश्य :- गंग नहर परियोजना में पक्के जलमार्ग का निर्माण।

11. PM KUSUM योजना (कम्पोनेट-B)

- पूर्ण नाम :- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान
- प्रारम्भ :- फरवरी 2019
- मंत्रालय :- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- 3 घटक है जिसके तहत 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त और क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रथम सौर ऊर्जा सयंत्र – भालोजी गाँव (कोटपूतली)
- प्रावधान – 3HP से 10HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना
- अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों के जिलों में अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए सौर पंप सेट लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग किसानों के हिस्से की लागत वहन करते हुए 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रहा है।



12. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (एमजेएसए 2.0)

- प्रारम्भ :- फरवरी, 2024 से
- उद्देश्य :- अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना
- इसके अन्तर्गत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (MPT), मिनी स्टोरेज टैंक (MST) सब सरफेस बैरियर (SSB) का निर्माण और पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाता है।
- लक्ष्य : 4 वर्षों में राज्य के 20,000 गांवों में जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना।



फ्लैगशिप योजना

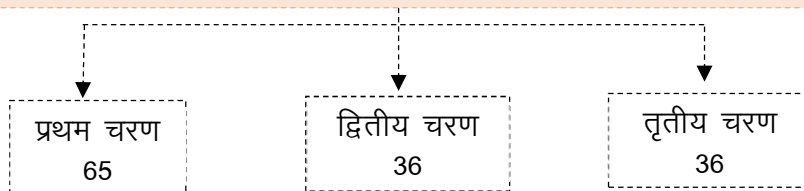
चरण	चयन हेतु ग्रामों की संख्या	पूर्णता अवधि
प्रथम	5135	31 मार्च, 2026
द्वितीय	4746	30 जून, 2026
तृतीय	5000	30 जून, 2027
चतुर्थ	5119	30 जून, 2028

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं :-

1. राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLP) :

- Japan International Corporation Agency (JICA) द्वारा वित्त पोषित।
- जिका परियोजना को 2 ट्रेच में वित्त पोषित करेगा।
- **समयावधि :-** 11 वर्ष (1 अप्रैल 2017 – 31 मार्च 2028)
- **उद्देश्य :-**
 - ✓ मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार
 - ✓ जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि
 - ✓ किसानों की आजीविका में सुधार करना
 - ✓ सिंचाई क्षेत्र में लैंगिक समानता
- **क्षेत्र -**
 - ✓ 30 जिलों में 137 परियोजनाओं के पुनर्वास व जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा।
 - ✓ 5.13 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा।
- परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है-

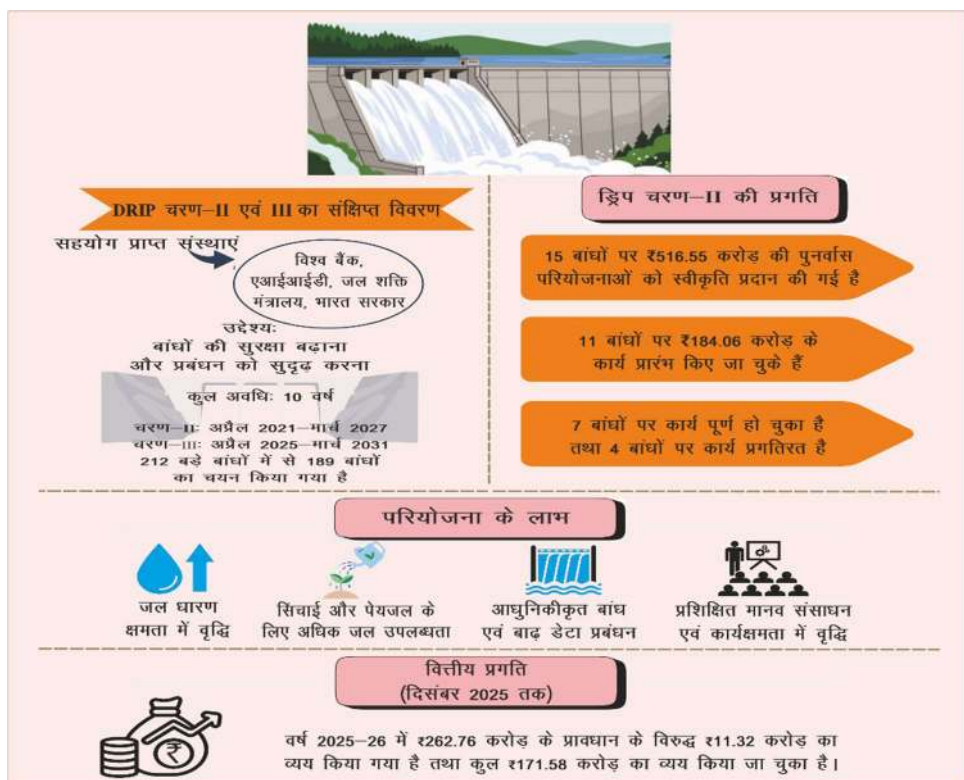
3 चरण में 137 सिंचाई परियोजना – पुनर्वास व नवीनीकरण



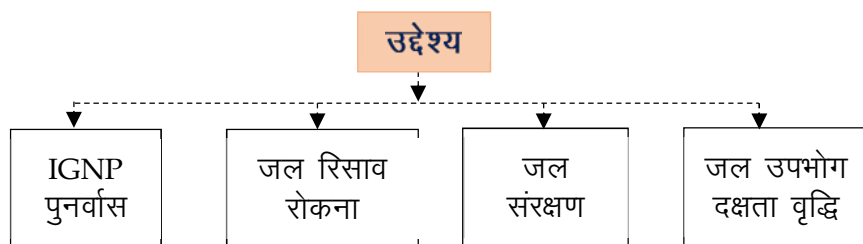
- **लखपति दीदी घटक/लखपति दीदी (उद्यानिकी) :-**
 - ✓ वर्ष 2025-26 में "लखपति दीदी" घटक को चरण-II एवं चरण-III की सिंचाई उप-परियोजनाओं में लागू किया जा रहा है।
 - ✓ **लक्ष्य** — महिला कृषक हित समूह का गठन कर उन्नत फल एवं सब्जी उत्पादन तकनीकों को अपनाकर परियोजना क्षेत्र के 1,000 गांवों में 10,000 महिला किसानों की आजीविका में सुधार करना।

2. बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)

- **उद्देश्य** — नियोजन, प्रबंधन और पुनर्वास से बांध सुरक्षा
- **वित्त** — WB + AIID से DRIP का द्वितीय चरण शुरू।
- **अवधि** — 10 वर्षों में 2 चरणों में पूरा किया जायेगा। प्रत्येक चरण 6 वर्ष का होगा जिसमें 2 वर्ष की ओवरलैपिंग अवधि है।



3. रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना



- **समयावधि** – 8 वर्ष 6 माह में 2 चरणों में पूरा किया जाना है।
- **वित्त पोषण**– NDB : राजस्थान = 70 : 30
 - ✓ **चरण 1** – 13 फरवरी 2018 को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
 - ✓ **चरण 2** – 29 जुलाई 2022 को 2254 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर
- **लाभ** – श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, सीकर, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा और बाड़मेर सहित कई जिलों को लाभ होगा।
- **विशेषताएँ** –
 - ✓ इंदिरा गाँधी मुख्य नहर 179.53 कि.मी. के जीर्णोद्धार कार्य।
 - ✓ 33,312 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र का विकास एवं सिंचित क्षेत्र का विकास।
 - ✓ जल उपयोगकर्ता संघों की क्षमता वर्धन।
 - ✓ कुल स्वीकृत 286 कार्यों में से 276 पूर्ण करवाये जा चुके हैं।

• महत्व—

- ✓ इस परियोजना के माध्यम से पानी की बचत सुनिश्चित होगी।
- ✓ नहरों के टेल रीच (अंतिम छोर) तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी
- ✓ किसानों को सिंचाई के लिए समानुपातिक रूप से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को कृषि की नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी
- ✓ कृषि में सुधार होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- ✓ सूक्ष्म सिंचाई कार्यों से पानी की बचत होगी
- ✓ किसानों को सोलर पंपों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ✓ जलभराव वाले क्षेत्रों में भूमि सुधार के कार्य किए जाएंगे जिससे क्षेत्र में गाद की समस्या से राहत मिलेगी।

4. अटल भू-जल योजना

- भारत सरकार एवं विश्व बैंक (50 : 50)
- प्रारंभ — 1 अप्रैल, 2020
- अवधि — 2020-21 से 2024-25 (5 वर्ष)
- 7 राज्यों में — हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश
- उद्देश्य — सामुदायिक भागीदारी से गिरते भू-जल स्तर को रोकना।
- नोडल विभाग — भू-जल विभाग
- 38 पंचायत समितियों में से 7 पंचायत समितियों के 50% से अधिक कुओं के भू-जल स्तर में आंशिक सुधार दर्ज।
- 1132 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP) को प्रशिक्षण (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 व्यक्ति को)।



5. डब्ल्यू आर डी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

- नाबार्ड, गांव क्षेत्रों में भू-जल स्तर सुधारने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

6. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

- वित्त पोषण — भारत सरकार + विश्व बैंक
- मंत्रालय — जल संसाधन मंत्रालय
- नोडल विभाग — नदी विकास और गंगा पुनर्जीवित विभाग (जल संसाधन विभाग, राजस्थान)

NHP

सिंचाई

- समयावधि — 2016 से सितम्बर 2025
- लक्ष्य —
 - ✓ सतही व भू-जल स्टेशन की स्थापना
 - ✓ स्काडा प्रणाली — 7 बांधों पर (बीसलपुर, राणा प्रताप सागर, माही, गुड़ा, जवाई, छापी, जवाहर सागर)
 - 2 नहरों पर— गंग-भाखड़ा और नर्मदा

भू-जल

- समयावधि — 2016 से 2024
- लक्ष्य — जल प्रबंधन क्षमता-वर्द्धन एवं निगरानी प्रणाली विकसित करना।
- रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना
 - ✓ जयपुर, जोधपुर और उदयपुर

अन्य परियोजनाएं/अभियान :-

1. कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान

- **प्रारम्भ**— 15 फरवरी, 2025 (माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 6 सितम्बर, 2024 को जल संचय जन भागीदारी अभियान के क्रम में)।
- **उद्देश्य**— वर्षा जल के हर बूँद का संरक्षण करना।
 - ✓ राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जनभागीदारी के साथ भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना।
 - ✓ जन जागरुकता पैदा करके पानी के उपयोग के बारे में जनता के विचार को बदलना है।



फ्लैगशिप योजना



- **प्रेरणा** — 'जल शक्ति अभियान' की 'कैच द रैन थीम'।
- **लक्ष्य** — 4 वर्षों में राज्य के 41 जिलों की लगभग 11195 ग्राम पंचायतों में कुल 45,000 भूजल पुनर्भरण संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाना।
- **वित्त पोषण**— भामाशाह प्रवासी राजस्थानी, क्राउड फण्डिंग व कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि (CSR fund)।

- **वर्ष 2025 में जल शक्ति अभियान की थीम** : जल संचय, जन भागीदारी और जन जागरुकता पर केन्द्रित।



11,000 ग्राम पंचायतें कवर की गईं

- वर्ष 2025-2026 में CSR निधि से प्रदेश में 5000 पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अपने-अपने जिलों में कम से कम 125 या अधिक पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करें।



1.02 लाख श्रमदान स्थल

- **नवाचार/अभिनव पहल :-**

- वर्ष 2026 में 16006 जल संरचना का निर्माण किया गया। (लक्ष्य— 5000)
- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के तहत राज्य में जल संरक्षण उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जल संचय-जनभागीदारी 1.0 अभियान में अखिल भारतीय स्तर पर भामाशाहों को सम्मानित किया है।



42,200 जल स्रोतों की सफाई की गई



4,560 पुनर्भरण शाफ्टों का निर्माण किया गया

अब तक ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा भूजल पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचना के निर्माण कार्य के लिए ई-पंचायत मोबाइल ऐप के माध्यम से 43,126 निर्माण स्थलों का चयन किया गया है।

2. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

- गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
- 5 जून से 20 जून, 2025 तक संपूर्ण राज्य में
- **प्रारंभ** : जयपुर के रामगढ़ बांध से
- **समापन** : गडीसर झील, जैसलमेर
- **उद्देश्य** : जल संग्रहण एवं जल संरक्षण को जन जागृति द्वारा जन आंदोलन बनाना।
- इस अभियान में हमारी परम्परा एवं संस्कृति को पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए जैसे वंदे गंगा कलश यात्रा, वंदे गंगा जल सेवा, पशुओं एवं पक्षियों के लिए जल प्रबन्ध, जलाशयों पर पूजन, जन जाग्रति हेतु प्रभात फेरी, कार्यशालाएं, रात्रि चौपाल, ग्राम सभाओं आदि का भी आयोजन किया गया है।

3. किसान साथी ऐप

- 14 अगस्त 2024 को जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च।
- **उद्देश्य** – पार्वती परियोजना कमान क्षेत्र के किसानों के लिए एक डिजिटल संचार मंच के रूप में कार्य करना।
- **मुख्य विशेषताएं** –
 - ✓ पानी की उपलब्धता, बांध की स्थिति और नहर संचालन से संबंधित सटीक और पारदर्शी डेटा समय पर प्रदान करके किसानों और विभाग के बीच सूचना के अंतर को पाटना।
 - ✓ फसल विवरण डिजिटल रूप से जमा करने के लिए, पानी की मांग-आपूर्ति के अंतर को देखने और मौसम-वार और फसल-वार ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए।
 - ✓ जियो-फेंसिंग लगाने वाले तंत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, केवल निर्दिष्ट कमांड क्षेत्र के भीतर डेटा प्रविष्टि की अनुमति देना।
 - ✓ लगभग 70,000 किसान पार्वती कमांड क्षेत्र में आते हैं और एपीके-आधारित इंस्टॉलेशन के माध्यम से ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया चल रही है।

4. बाराबन्दी (सिंचाई अनुसूची) मोबाइल ऐप

- जल संसाधन विभाग ने NIC, श्रीगंगानगर के माध्यम से विकसित।
- किसान द्वारा अपने मोबाइल फोन पर अपनी भूमि, सिंचाई की बारी और पानी छोड़ने के कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. चंबल कमांड क्षेत्र

- कोटा, बूंदी और बारां जिलों में विभिन्न नहरों, वितरण प्रणाली और माइनरों में पक्की लाइनिंग और क्षेत्रों के सुधार के लिए प्रावधान किया गया।

राजस्थान का भविष्य सुरक्षित करना: एकीकृत जल अवसंरचना :-

शहरी जल आपूर्ति :-

- राज्य में कुल 257 शहरी कस्बे हैं, जिनमें सभी जिला मुख्यालय सम्मिलित हैं। इन सभी 257 शहरी कस्बों को पाईप लाइन आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है (जिसमें घरेलू जल कनेक्शन की सुविधा शामिल है) इन शहरी कस्बों में से 86 शहरी कस्बे सतही जल स्रोतों पर, 89 शहरी कस्बे भूजल स्रोतों पर तथा शेष 82 शहरी कस्बे सतही एवं भूजल स्रोतों के मिश्रण पर निर्भर हैं।



फलैगशिप योजना

1. अमृत (AMRUT) मिशन : (अध्याय 11 में विस्तार से वर्णन)

ग्रामीण जल आपूर्ति –

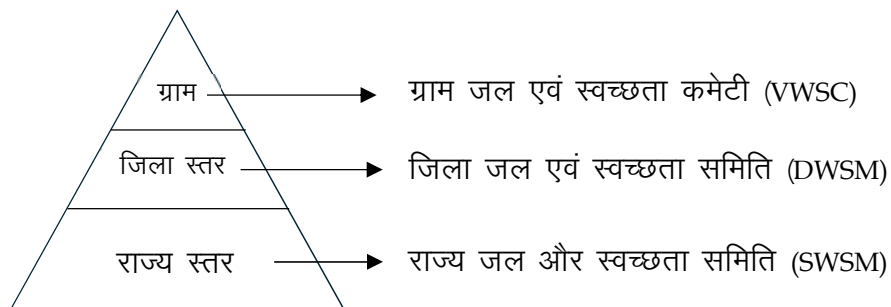
1. जल जीवन मिशन –

- 15 अगस्त 2019 से शुरुआत
- **लक्ष्य**— वर्ष 2028 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना है।
- केन्द्र : राज्य = 50 : 50
- जलशक्ति मंत्रालय द्वारा (राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा)



फलैगशिप योजना

- राज्य में क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग एजेंसी-



- भारत के संविधान में 73वें संशोधन में पेयजल विषय में 11वीं अनुसूची में रखा गया है इसलिए JJM के तहत ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदायों की अहम भूमिका है।



ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप एवं हेण्डपम्प निर्माण

- दिसम्बर, 2025 तक 1414 ट्यूबवेल एवं 3409 हेण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं।

वृहद पेयजल परियोजनाएँ :-

- इन जल संसाधनों का प्रयोग राज्य में प्रमुख जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए किया गया है। राजस्थान में अनेक सतत जल संसाधन हैं जैसे -
 - इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5719 ग्राम, 39 कस्बे)
 - चम्बल नदी (4899 ग्राम, 29 कस्बे)
 - नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे)
 - बीसलपुर बांध (3109 ग्राम, 22 कस्बे)
 - जवाई बांध (811 ग्राम, 10 कस्बे)
- 120 वृहद पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से 110 कस्बे, 16,680 ग्रामों तथा 12,716 ढाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है।



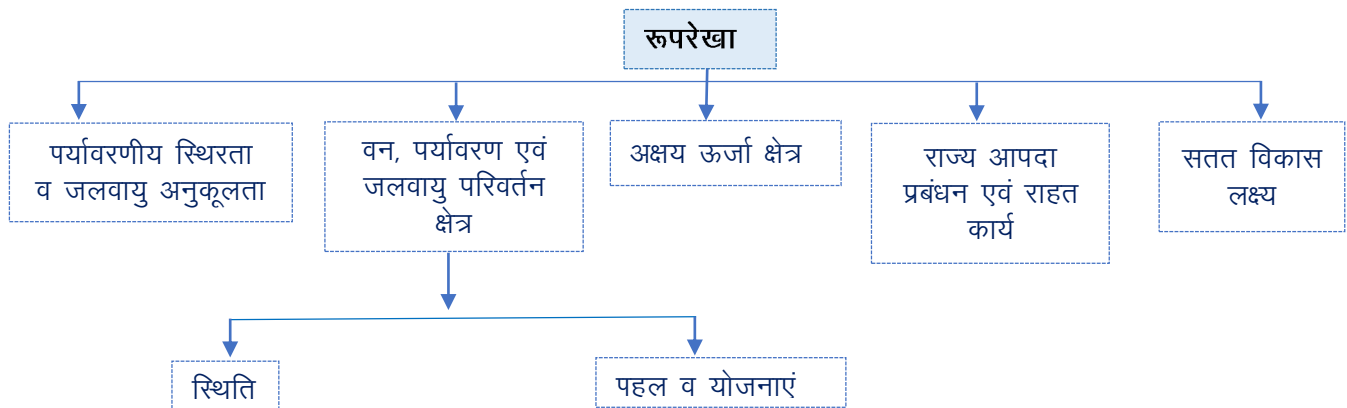
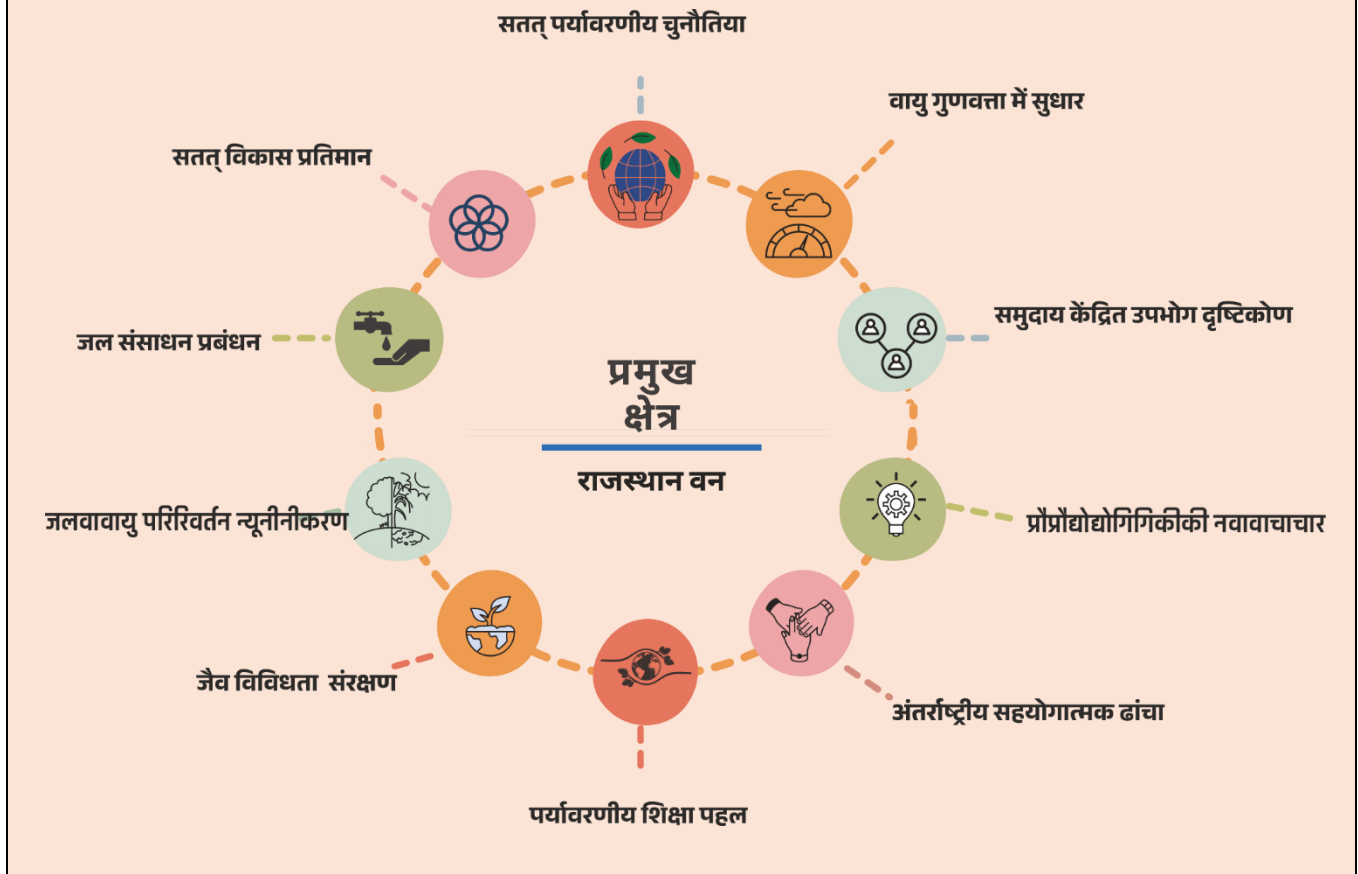
राज्य की उपलब्धि :-

18 नवम्बर, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजस्थान को निम्न पुरस्कार प्रदान किये गये-

- **जल संरक्षण और जन भागीदारी पुरस्कार-**
 - ✓ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की श्रेणी में **तीसरा पुरस्कार** दिया गया।
 - ✓ विषय - उत्कृष्ट जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
- **राष्ट्रीय स्तर पर जिला वर्ग (पश्चिमी क्षेत्र, श्रेणी-1) पुरस्कार-**
 - ✓ प्रथम - भीलवाड़ा
 - ✓ द्वितीय- बाड़मेर

विजन स्टेटमेंट विकसित राजस्थान@2047 :-

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान पर्यावरणीय अनुकूलता और सतत् विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनेगा, जो आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलित समन्वय स्थापित करेगा।
- राज्य वन संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी एवं सतत् भूमि उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार तथा जैव विविधता संरक्षण को सशक्त रूप से प्रोत्साहित करेगा।



पर्यावरणीय स्थिरता :-

- यह भावी पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान देती है।
- यह प्राकृतिक संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता के संरक्षण तथा अक्षय ऊर्जा एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्क्युलर इकोनोमी) की प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है।



जलवायु अनुकूलता :-

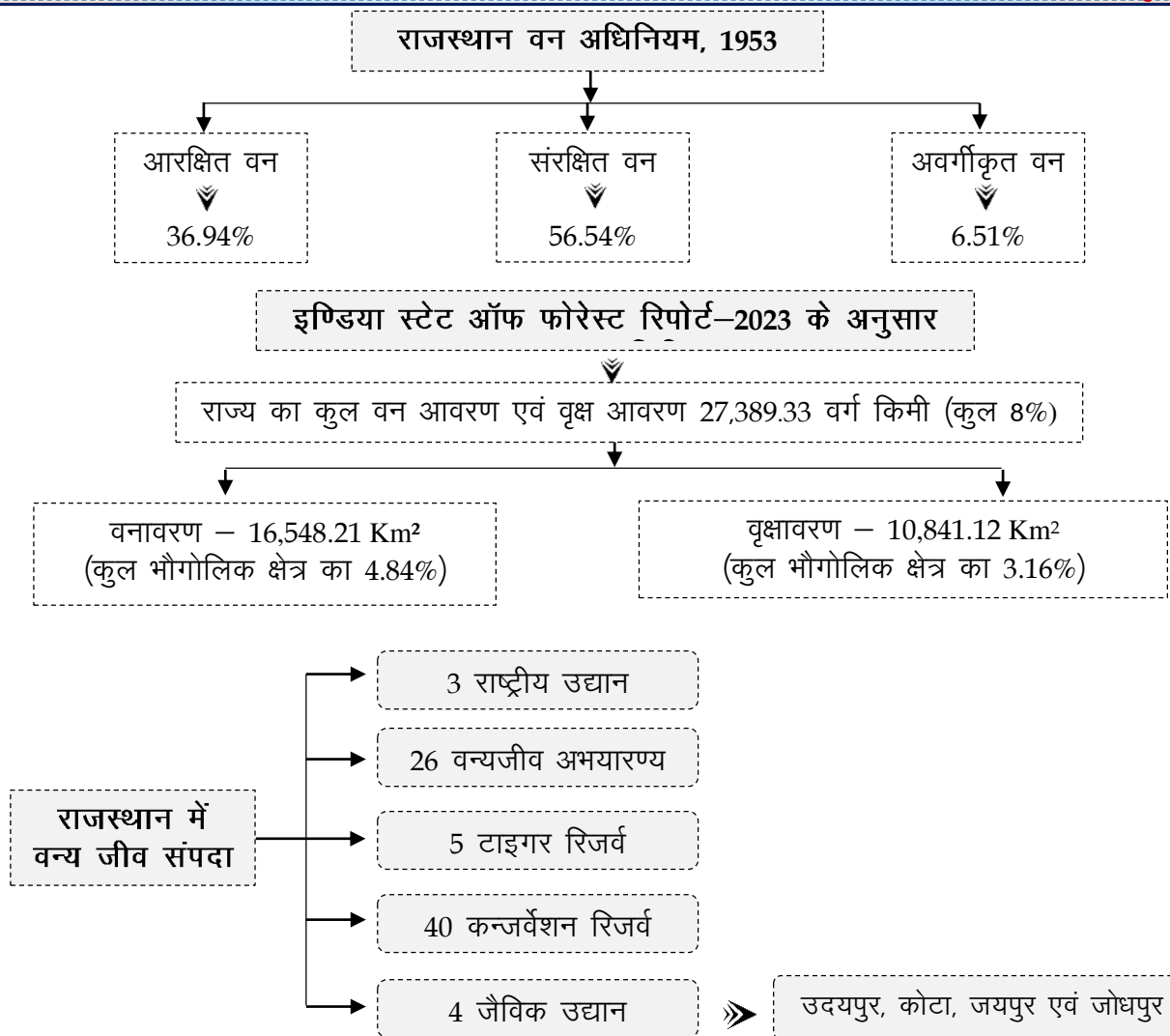
- जलवायु अनुकूलता से तात्पर्य जलवायु संबंधित आपदाओं जैसे कि लू, बाढ़, सूखा और चरम मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान लगाने, सहन करने, उनके अनुरूप ढलने और उनसे उबरने की क्षमता से है।

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलता की मुख्य विशेषताएं :-

1. **जल संरक्षण एवं सुरक्षा** :- वर्षा जल संचयन, वाटर शेड डवलपमेंट, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म सिंचाई और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।
2. **लो-कार्बन डवलपमेंट** :- स्वच्छ ऊर्जा, कुशल परिवहन एवं सतत उद्योग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी।
3. **पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता संरक्षण** :- वनीकरण, वन्यजीवों का संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण एवं क्षरीत वनों एवं मरुस्थलों को पुनर्स्थापित करना।
4. **संधारणीय शहरी विकास** :- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्र एवं जलवायु-संवेदनशील शहरी नियोजन।
5. **आपदा जोखिम में कमी** :- हीट एक्शन प्लान, सूखे के लिए तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ तथा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन।
6. **सतत उपभोग एवं सर्क्युलर इकोनोमी** :- संसाधन दक्षता, अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण तथा पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी उत्पादन।
7. **नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार** :- वृहद् स्तर पर सौर एवं पवन ऊर्जा, रूफटॉप सोलर, विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता।
8. **जलवायु अनुकूल कृषि** :- सूखा-प्रतिरोधी फसलें, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि वानिकी और प्राकृतिक खेती।
9. **भूमि पुनर्स्थापन एवं मरुस्थलीकरण नियंत्रण** :- मृदा संरक्षण, चारागाह विकास, एवं लवणता प्रबंधन।
10. **जलवायु अनुकूल आधारभूत संरचना** :- ऊष्मा-प्रतिरोधी इमारतें, कुशल जल निकासी और जलवायु प्रतिरोधी सड़कें एवं सुविधाएं।
11. **सामुदायिक भागीदारी** :- जल, वन एवं भूमि प्रबंधन में स्थानीय सहभागिता तथा पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का उपयोग।
12. **नीतिगत एकीकरण एवं शासन** :- SAPCC, NAPCC एवं SDGs के साथ संबद्धता तथा अंतर-विभागीय समन्वय एवं निगरानी।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्र :-

- **राज्य में पर्यावरणीय मानदण्डों की पालना करवाने हेतु नोडल विभाग** :- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 33,020.32 वर्ग कि.मी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.65 प्रतिशत)

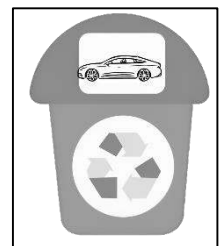


- राज्य में 15 स्थलों पर दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं लुप्त प्रायः वानस्पतिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु बचाव कार्य किये जा रहे हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु अनुकूलन के लिए राज्य सरकार की प्रमुख नीतियां

राजस्थान वाहन स्कैपिंग नीति-2025

- ✓ **जारी** :- 2 जनवरी, 2026 (31 मार्च, 2029 तक प्रभावी)
- ✓ **उद्देश्य** :- पुराने, खराब, अपंजीकृत एवं अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से चरणबद्ध रूप से सड़कों से हटाना।
- **विशेषताएं** :-
 - ✓ सम्पूर्ण राज्य में पंजीकृत वाहन स्कैपिंग सुविधाओं (आर.वी.एस.एफ.) की स्थापना करना।
 - ✓ 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को अनिवार्य रूप से स्कैप करना।
 - ✓ निजी वाहनों के लिए स्वैच्छिक स्कैपिंग का विकल्प, जिसमें भविष्य में अनिवार्यता के प्रावधान की संभावना भी सम्मिलित।
 - ✓ अवधिपार, अपंजीकृत, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त, छोड़े गए या जब्त किए गए वाहन भी सम्मिलित।
 - ✓ वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत डिजिटल एवं पारदर्शी स्कैपिंग प्रक्रिया।
 - ✓ वाहन मालिकों को जमा प्रमाण पत्र (सी.ओ.डी.) एवं वाहन स्कैपिंग प्रमाण पत्र (सी.वी.एस.) जारी करना।



- ✓ वाहन स्वामियों को प्रोत्साहन जिसमें नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में अधिकतम 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रु. तक) की छूट सम्मिलित।
- ✓ वाहनों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देना।
- ✓ धातुओं और सामग्रियों की रिकवरी और पुनः उपयोग के माध्यम से सर्क्युलर इकोनोमी का समर्थन करना।

राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति-2023 :-

- ✓ लागू :- 5 जून, 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस)

• उद्देश्य :-

- ✓ ई-वेस्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना और उसका सही प्रबंधन करना।
- ✓ ई-वेस्ट का सुरक्षित संग्रहण, पृथक्करण पुनर्चक्रण और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करना।
- ✓ अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र से जोड़कर सर्क्युलर इकोनोमी और संसाधनों की रिकवरी बढ़ाना।
- ✓ ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों एवं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) की अनुपालना सुनिश्चित करना।



• नोडल एजेंसी :- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB)

- ✓ वर्तमान में राजस्थान में लगभग 14 पंजीकृत रीसाइक्लर कार्यरत हैं।

राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति – 2023

- जारी :- 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस)

• उद्देश्य :-

- ✓ राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।
- ✓ मुख्य समस्याएँ – तापमान वृद्धि, सूखा, जल संकट, मरुस्थलीकरण आदि।



• नीति की मुख्य विशेषताएं :-

- ✓ सभी विभागों की योजना/निर्णय प्रक्रिया में जलवायु पहलुओं को शामिल करना।
- ✓ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना।
- ✓ समुदायों, बुनियादी ढांचे व पारिस्थितिकी तंत्र की Resilience बढ़ाना।
- ✓ जलवायु-अनुकूल तकनीक, नवाचार और Green Finance को बढ़ावा।
- ✓ प्रभावी Climate Governance हेतु संस्थागत व्यवस्था, Data System और Monitoring मजबूत करना।

राजस्थान वन नीति-2023

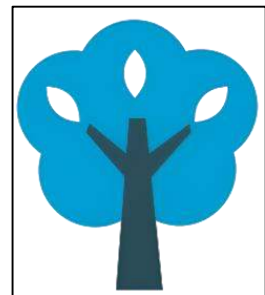
- जारी दिनांक :- 5 जून 2023 (विश्व पर्यावरण दिवस)

- लक्ष्य :- अगले 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाना।

- उद्देश्य:- यह नीति प्राकृतिक वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन की परिकल्पना करती है।

• नीति की मुख्य विशेषताएं :-

- ✓ वनीकरण, कृषि-वानिकी व वृक्षारोपण से वन/वृक्षावरण बढ़ाना।
- ✓ भूमि क्षरण रोककर, आजीविका व जैव विविधता संरक्षण (Gene Pool Reserve) को मजबूत करना।



पर्यावरण एवं वन क्षेत्र की प्रमुख पहले व योजनाएँ :-

1. 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान :- मेरी लाइफ पोर्टल (Merilife-nic-in) के अनुसार वृक्षारोपण (8.21 Cr).
2. मिशन हरियालो राजस्थान के अन्तर्गत लक्ष्य (10 Cr) से अधिक (11.64 Cr) से अधिक का पौधारोपण।
3. राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम 27 जुलाई, 2025 जयपुर में।
4. जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम हरियाली तीज के अवसर पर प्रत्येक जिले में।
5. ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाओं का विकास।
6. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण।
7. संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2605 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों/पारिस्थितिकी विकास समितियों का गठन।
8. विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर के तर्ज पर वनस्पति उद्यानों का विकास जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर।
9. पंच गौरव कार्यक्रम — के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 'एक जिला एक वृक्ष' प्रजाति की पहचान।
 - लॉन्च : 17 दिसम्बर, 2024
 - उद्देश्य : प्रत्येक जिले की अनूठी विरासत, संसाधनों, उत्पादों और क्षमताओं की पहचान कर उनका विकास करना।
 - विभाग : आयोजना विभाग
 - पंच गौरव :
 - एक उपज
 - एक प्रजाति
 - एक खेल
 - एक उत्पाद
 - एक पर्यटक स्थल

इन पांचों को मिलाकर जिले की विशिष्ट पहचान स्थापित की जाती है।
10. राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क :- उदयपुर। (राजस्थान में पाई जाने वाली 189 प्रजातियों में से 80 रंगीन प्रजातियाँ)
11. प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि नियम, 2018 के अनुसार राजस्थान प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Rajasthan CAMPA) का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना के द्वारा किया गया है।
12. 'ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान' योजना :- राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीवाइलिंग मिशन के अन्तर्गत संचालित योजना।
13. राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के अन्तर्गत की गई है जो राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम, 2010 के अनुसार कार्य कर रहा है।
14. जयपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कार्य कर रही है।
15. 12 जिलों में 50 IoT (Internet of Things) प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग मशीनें/रिवर्स वेंडिंग मशीनें स्थापित।
16. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने हेतु नागरिक पुरस्कार योजना शुरू की है, जिसमें प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण/परिवहन/विक्रय की सूचना पर ₹10,000 तक तथा निर्माण इकाई की सूचना पर ₹15,000 तक इनाम का प्रावधान है।
17. राजस्थान सक्थुलर इकोनोमी इनसेंटिव स्कीम-2025
 - ✓ जारी — 5 जून, 2025
 - ✓ प्रावधान—
 - रिसाइक्लिंग एवं पुनः उपयोग के क्षेत्र में R&D के लिए ₹ 2 करोड़ का अनुदान।
 - सक्थुलर इकोनोमी के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs एवं स्टार्टअप को ऋण अनुदान में 0.5% की अतिरिक्त छूट।
18. बीज बैंक :- 25 जिलों में कुल 150 बीज बैंक।



फलेगशिप योजना

19. बर्तन बैंक :-

- ✓ उद्देश्य— ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक उपयोग में कमी करना।
- ✓ प्रावधान —
 - 1000 ग्राम पंचायतों में
 - प्रति पंचायत ₹1 लाख के स्टील बर्तन [स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत]
 - प्रबंधन राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा
 - किराया रुपये 3 प्रति सेट (BPL, दिव्यांगजन, SC, ST, विधवा अथवा विशेष परिस्थितियों में किराये में 50% की रियायत का अधिकार ग्राम पंचायत को।)

20. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत — 57 स्टेशन

राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत — 199 स्टेशन (68 — सतही जल, 131 — भू-जल)

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 :-

- ✓ इस नीति को भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य 500 गीगावाट अक्षय क्षमता को अर्जित करने के साथ संबद्ध किया गया है।
- ✓ अवधि— मार्च 2030 तक
- ✓ नोडल एजेंसी :- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.आर.ई.सी.)।
- ✓ लक्ष्य :- 125 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना (2029-30 तक)

क्र.स.	अक्षय ऊर्जा का प्रकार	लक्षित क्षमता (2029-30)
1.	सौर	90,000 मेगावाट
2.	पवन और हाइब्रिड	25,000 मेगावाट
3.	हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (पी.एस.पी.), बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम	10,000 मेगावाट
	कुल	1,25,000 मेगावाट

प्रमुख पहलें:

- ✓ सौर एवं पवन प्रौद्योगिकियों का हाइब्रिडाइजेशन।
- ✓ ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (ई.एस.एस.) एवं ग्रीन हाइड्रोजन।
- ✓ विकेंद्रीकृत उत्पादन।

नीति के कार्यान्वयन में प्रोत्साहन एवं सहायता :-

- ✓ सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को प्रोत्साहन।
- ✓ यह नीति दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच को बढ़ाने के लिए ऑफ-ग्रिड सोलर एप्लीकेशन को प्रोत्साहन।
- ✓ रिन्यूएबल एनर्जी पार्कों के निर्माण सहित अक्षय ऊर्जा केंद्रित परियोजनाओं के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

- शुरुआत — 13 फरवरी 2024
- बजट — ₹75000 करोड़
- उद्देश्य— हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना।
- लक्ष्य— 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करना।

• विशेषताएँ—

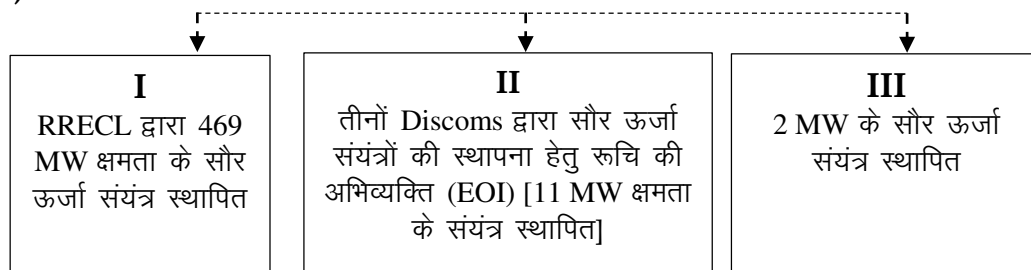
- ✓ अधिकतम अनुदान ₹78000 (3 KW या उससे अधिक पर)
- ✓ लक्ष्य—राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है।
- ✓ सरलीकरण प्रक्रिया—
 - पंजीकरण, स्वीकृति तथा अनुदान वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था
 - रियायती दरों पर बैंक ऋण।
- ✓ प्रचार—प्रसार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डोर-टू-डोर अभियान (दूरस्थ स्थानों के लिए)।

पी.एम. कुसुम योजना:— ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (कुसुम)’:-

- उद्देश्य— सौर पम्प और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना।
- मंत्रालय— नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, GOI

i. कुसुम घटक ए—

- ✓ स्थापना — 0.5 MW-2MW तक के विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र
- ✓ स्थान — 33/11 KW सब स्टेशनों के 5Km. की परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर
- ✓ चरण (3)



ii. कुसुम घटक बी—

- ✓ 7.5 H.P. तक की क्षमता वाले कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जाकृत करना।
- ✓ लक्ष्य— 12,500 पम्प सेट

iii. कुसुम घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन)

- ✓ लक्ष्य— 4,00,000 पम्प सेटों को सॉलराइजेशन
- ✓ दिसम्बर, 2025 तक 2162 मेगावाट क्षमता के कुल 838 सौर विद्युत संयंत्र स्थापित।

अन्य प्रमुख नवाचार और योजनाएँ :-

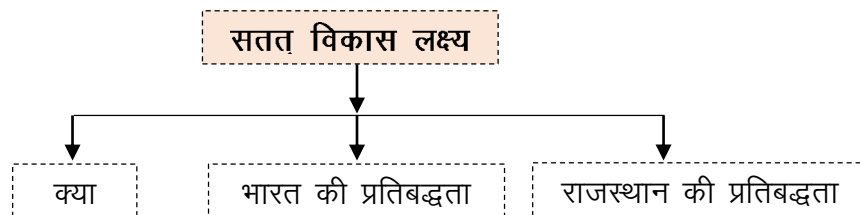
1. राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 :-

- ✓ अधिसूचित 31 अगस्त 2022 को
- ✓ लागू — 1 सितम्बर 2022 से।
- ✓ उद्देश्य — वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना तथा ई. वी. ई को सिस्टम के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना।
- ✓ प्रावधान — रीको द्वारा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग पार्कों का विकास भी किया जाएगा।
- ✓ उच्च वाहन घनत्व एवं प्रदूषण स्तर वाले शहरों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। जैसे— जयपुर, जोधपुर।
- ✓ चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त किया गया।
- ✓ इलेक्ट्रिक व्हीकल परिदृश्य का निर्माण : E.V. के लिये चार्जिंग नेटवर्क, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

- ✓ **उत्तरदायी विभाग** : नीति का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभागों के मध्य सहयोग सुनिश्चित करना। जैसे— परिवहन, ऊर्जा, उद्योग विभाग व सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग।
 - ✓ **प्रोत्साहन** : वर्ष 2025–26 में SGST प्रतिपूर्ति हेतु ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
 - ✓ **आई टी प्लेटफॉर्म** : सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की रियल टाइम स्थिति के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का निर्माण करना।
2. **राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (RSMML)** द्वारा जैसलमेर में 106MW क्षमता के पवन ऊर्जा फार्म 8 चरणों में स्थापित।
 3. **मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0** :- हरित विकास का समर्थन करना, जल संरक्षण और जलीय निकायों की संरचनाओं का कार्याकल्प करना।
 4. **हरित विनिर्माण उद्योग** :- खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कार्य एवं निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा हरित औद्योगिक प्रथाओं को प्रोत्साहन।
 5. केन्द्रीय बजट 2023–24 के संदर्भ में, राज्य का पहला ग्रीन बजट वर्ष 2025–26 के लिए 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। (राज्य के कुल बजट का 5.18% ग्रीन बजट के अन्तर्गत आवंटित)
 6. **ग्रीन रेटिंग स्कीम** – उद्योगों को पर्यावरणीय प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना।
 - ✓ **रेटिंग के आधार पर** – प्रयोज्य शुल्क कम व लाइसेंस वैधता को बढ़ाया जाता है।
 - ✓ **रेटिंग के प्रकार** – प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉज।
 7. **प्रशासनिक सुधार और सुशासन** :- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म।
 - ✓ संधारणीय शासन के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग।
 8. **पेपर लेस सुशासन** – जैसे-राज काज पोर्टल (ई फाइल सिस्टम)।

राज्य में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य

- वर्ष 2025–26 में, राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) में कुल राशि ₹5,905.86 करोड़ उपलब्ध है। (सर्वाधिक आवंटन कृषि आदान – अनुदान को)
- राज्य के सभी 41 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र।
- राज्य के युवाओं को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना का संचालन (National Disaster Management Authority & NDMA, मुख्यालय— नई दिल्ली) द्वारा किया जा रहा है।



सतत् विकास लक्ष्य (SDG) क्या है?

- ब्रन्टलैण्ड आयोग की रिपोर्ट 1987 – आधिकारिक रूप से सतत् विकास को परिभाषित किया गया था।
- यह विकास की अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- 25 – 27 सितम्बर, 2015 – संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में 'ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल

डवलपमेन्ट' शीर्षक वाले दस्तावेजों को अपनाया।

- ✓ बैठक में 193 देशों ने भाग लिया।
- ✓ इससे पूर्व 8 MDG (Millenium Development Goals) थे।

Ques. सतत विकास को परिभाषित कीजिए। (RAS Mains 2021)

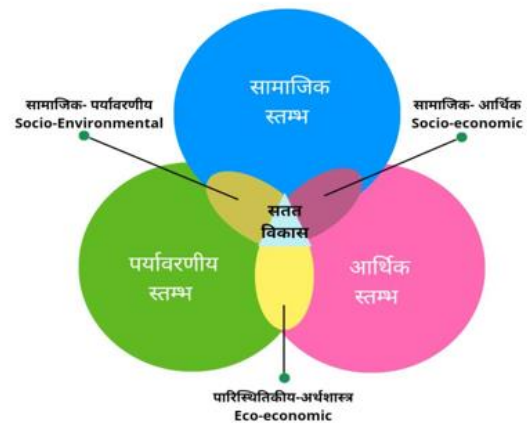
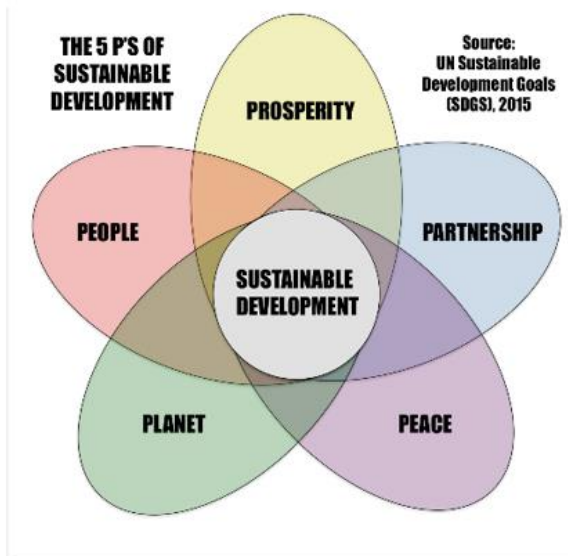
सतत विकास लक्ष्य (S.D.G)	
17	
169 संबद्ध टारगेट्स	
1 जनवरी 2016 से प्रभावी	
2016-2030	
248 वैश्विक संकेतक	
'कोई भी पीछे न रहें' (Leave no one Behind)	

Max. 19 Target (SDG 17 में)

Min. 5 Target (SDG 7, SDG 13 में)

- **उद्देश्य :-** गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति एवं न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटना।
- **लक्ष्य :-** सभी को बेहतर तथा अधिक संधारणीय भविष्य प्रदान करना।
- सितम्बर, 2019 में आयोजित S.D.G. शिखर सम्मेलन में शेष रहे 10 वर्षों को Decade of action के रूप में घोषित किया गया।
- एजेण्डा 2030 के केन्द्र में महत्वपूर्ण आयाम – 5'P -

➤ तीन प्रमुख तत्व



SDG के मूल सिद्धान्त :-

1. सार्वभौमिकता (Universality) – (सभी राष्ट्रों के लिये – विकसित, कम विकसित, विकासशील)
2. Leave No one Behind

3. अंतर्संबंधता एवं अविभाज्यता (Inter connectedness and indivisibility)
4. समावेशी (Inclusiveness)
5. बहुहितधारकों की भागीदारी (Multi stakeholders partnership)

सतत विकास लक्ष्यों की सूची –

- गोल-1 :- गरीबी का अंत
- गोल-2 :- भुखमरी समाप्त करना
- गोल-3 :- आरोग्य एवं कल्याण
- गोल-4 :- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- गोल-5 :- लैंगिक समानता
- गोल-6 :- शुद्ध जल एवं स्वच्छता
- गोल-7 :- किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा
- गोल-8 :- सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास
- गोल-9 :- उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना
- गोल-10 :- असमानताओं में कमी लाना
- गोल-11 :- संधारणीय शहर एवं समुदाय
- गोल-12 :- उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन
- गोल-13 :- जलवायु कार्यवाही
- गोल-14 :- जलीय जीवन
- गोल-15 :- स्थलीय जीवन
- गोल-16 :- शान्ति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएँ
- गोल-17 :- लक्ष्यों के लिए साझेदारियाँ

सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता –

- नोडल एजेंसी-नीति आयोग
- नीति आयोग राज्यों में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना विकसित कर, SDG के स्थानीयकरण को बढ़ावा देकर, राज्यों के सहयोग से संस्थागत, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं समीक्षा प्रणाली विकसित कर तथा सिविल सोसायटीज एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर SDG's को प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

❖ **SDG इंडिया इंडेक्स** – जारी : नीति आयोग द्वारा राज्यों/UT's को 0-100 तक स्कोर दिया जाता है तथा 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

अचीवर	100
फ्रंट्रनर	65-99
परफॉर्मर	50-64
एस्पिरेंट	50 से कम

❖ नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स :-

SDG	Year	Goals	संकेतक	India's Score	राजस्थान का स्कोर	श्रेष्ठ राज्य	निचला पायदान
1.0	2018	13	62		59		
2.0	2019	16	100	60	57		
3.0	2021	16	115	66	60 (परफॉर्मर)	1. केरल 2. तमिलनाडू 3. हिमाचल प्रदेश	अंतिम बिहार

SDG	Year	Goals	संकेतक	India's Score	राजस्थान का स्कोर	श्रेष्ठ राज्य	निचला पायदान
4.0	2024	16	113	71	67 (फ्रंट रनर)	1. उत्तराखण्ड 2. केरल 3. तमिलनाडू } 79	अन्तिम 1. बिहार – 57 2. झारखण्ड – 62

लक्ष्यानुसार – श्रेष्ठ :-

भारत	राजस्थान
(7) किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा Score – 96	(7) किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा Score - 100

खराब :-

भारत	राजस्थान
(5) लैंगिक समानता Score- 49	(10) असमानताओं में कमी लाना Score- 49

इसके अतिरिक्त :-

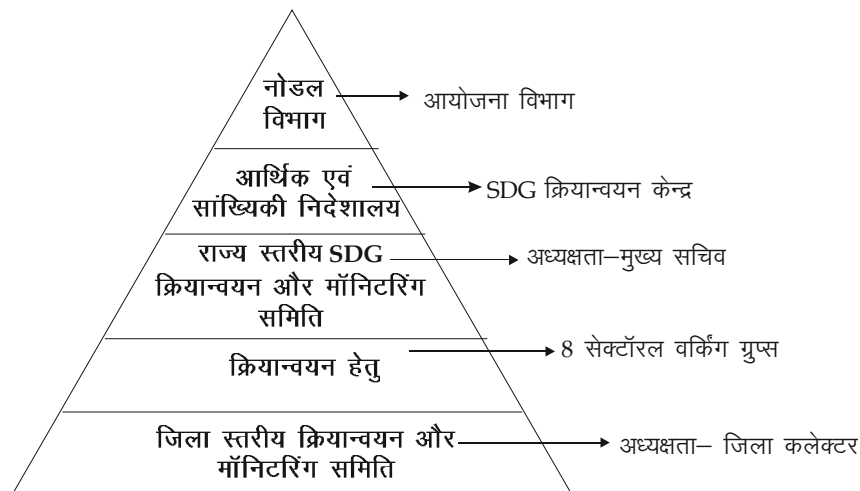
- भारत द्वारा UN में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (Voluntary National Review) प्रस्तुत की जाती है जो SDG को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का विवरण है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा SDG की मॉनिटरिंग हेतु राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) तैयार किए गए हैं। वर्तमान में एन.आई.एफ. में 284 संकेतक शामिल हैं। ये संकेतक राष्ट्रीय व राज्य स्तर की मॉनिटरिंग के मुख्य आधार हैं।

★ राजस्थान की प्रतिबद्धता –

लक्ष्य –

- अपने सभी निवासियों के लिए एक समावेशी, समानतापूर्ण एवं संधारणीय भविष्य का निर्माण करना।
- वैश्विक सतत विकास एजेडे के राष्ट्रीय विजन में योगदान देना।
- इसके लिए राज्य ने अपने विकास कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं एवं नवाचार को SDG के साथ संबद्ध किया।

➤ संस्थागत ढाँचा –



❖ राज्य की प्रगति : राजस्थान के SDG समग्र स्कोर में सुधार (60 → 67) :-

- SDG लक्ष्यों में उल्लेखनीय वृद्धि—किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा (100), उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन (89), गरीबी का अन्त (82), मातृ स्वास्थ्य में सुधार (73), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि (63)
- SDG में सुधार की आवश्यकता— असमानता को कम करना (49), लैंगिक समानता को प्राप्त करना (52), उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना (53), स्थलीय जीवन (54)।

मोनिटरिंग एवं प्रकाशन :-

- SDG की प्रगति को विभिन्न हित धारकों से साझा करने हेतु सामयिक प्रतिवेदन किये गए हैं। जैसे—

1. राजस्थान एस.डी.जी. स्टेट रिपोर्ट्स :-

- ✓ पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी
- ✓ नवीनतम संस्करण (7वां) 29 जून 2025 को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जारी। यह रिपोर्ट SIF 3.0 (State Indicator Framework) पर आधारित है। जिसमें 316 संकेतक हैं। इस रिपोर्ट में प्रथम बार SDG के वर्ष 2030 के टार्गेट्स के सापेक्ष राज्य की प्रगति का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।
- ✓ संकेतकों को उनकी प्रगति के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है —
 - Achieve** — ऐसे संकेतक जिनके वर्ष 2030 के टार्गेट्स को राज्य द्वारा अर्जित कर लिया है।
 - On Track** — ऐसे संकेतक जिन्हें वर्तमान गति से अर्जित कर लिया जायेगा।
 - Slow Progress** - ऐसे संकेतक जिन पर राज्य की प्रगति की गति धीमी है।
 - Out of Track** — ऐसे संकेतक जिन पर राज्य की प्रगति अत्यधिक न्यून या नकारात्मक है।



2. राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स :-

- ✓ राज्य के जिलों के मध्य एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने तथा राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण एवं क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान एस.डी.जी. सूचकांक तैयार किये गये हैं।
- ✓ नवीनतम 6 वां संस्करण माह **अक्टूबर, 2025** में जारी किया गया है
- ✓ यह 14 लक्ष्यों के 100 संकेतकों पर विकसित किया गया है
- ✓ अधिकांश संकेतक SIF और नीति आयोग SDG इंडेक्स से लिए गए हैं।
- ✓ कुछ संकेतकों को सभी जिलों का डेटा उपलब्ध न होने के कारण संशोधित किया गया है
- ✓ डेटा राजकीय प्रकाशनों, पोर्टल्स और विभागीय सूचनाओं से संकलित/अद्यतन किया गया।
- ✓ जिसमें झुंझुनू जिला 67.13 समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पर।
- ✓ जैसलमेर जिला 51.82 समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर।

श्रेणी		जिले
अचीवर	100	0
फ्रंटरनर	65-99	3 (झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द)
परफॉर्मर	50-64	अन्य सभी जिले
एस्पिरेंट	50 से कम	0

*(पुराने 33 जिलों के आधार पर)

3. स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (SIF) :-

- ✓ राज्य स्तर पर SDGs की मॉनिटरिंग हेतु विकसित
- ✓ SIF Version 3.0 में कुल 316 संकेतक शामिल

4. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF) :-

- ✓ जिला स्तर पर SDGs की प्रगति मापने हेतु विकसित
- ✓ DIF Version 3.0 (2025) में कुल 217 संकेतक
- ✓ संकेतकों की गणना/संकलन हेतु मेटाडेटा तैयार कर जिलों से साझा

5. ब्लॉक इंडिकेटर फ्रेमवर्क (BIF) :-

- ✓ ग्रामीण क्षेत्र व ब्लॉक प्रशासन की भूमिका को ध्यान में रखते हुए विकसित
- ✓ BIF Version 1.0 में कुल 110 संकेतक
- ✓ मेटाडेटा सहित ब्लॉक अधिकारियों को साझा किया गया।

मैपिंग कार्य :-

- लक्ष्यों/टार्गेट्स/संकेतकों की संबंधित विभागों के साथ मैपिंग की गई
- SDGs के लक्ष्यों व टार्गेट्स को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा गया।

एसडीजी कोर्डिनेशन एंड ऐक्सिलरेशन सेंटर (SDG-CAC) :-

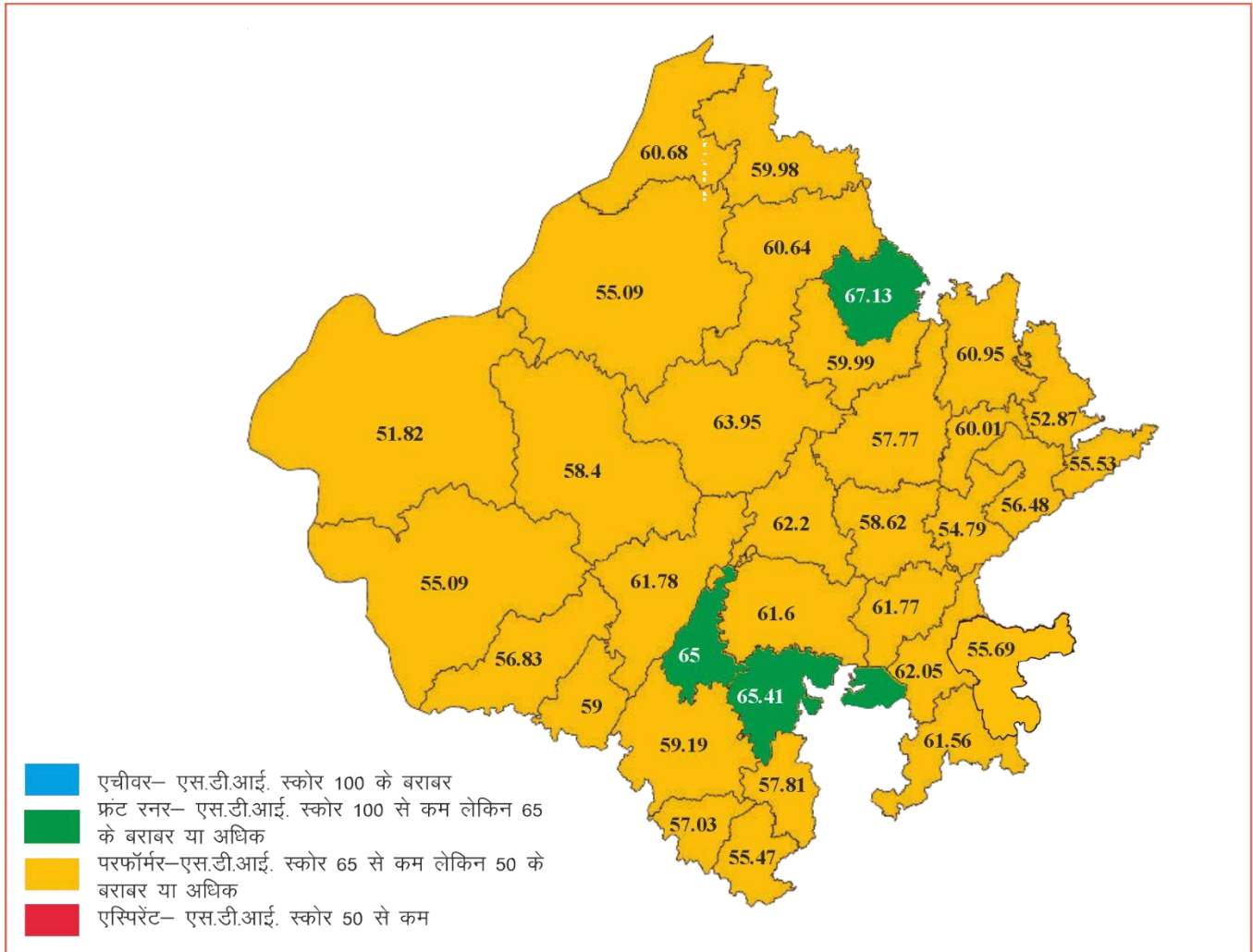
- स्थापना :- 4 सितंबर, 2025 (बजट 2025-26 में घोषणा) को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में।
- कार्य :- राज्य में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का विश्लेषण एवं पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना।

एसडीजी बुलेटिन :-

- ✓ त्रैमासिक आधार पर जारी
- ✓ जारीकर्ता : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
- ✓ 6ठवां संस्करण (अक्टूबर-दिसम्बर, 2025) लक्ष्य 6 : शुद्ध जल एवं स्वच्छता

क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण :-

SDGs के प्रति समझ बढ़ाने हेतु SDG Coordination Acceleration Center द्वारा राज्य कर्मियों के लिए नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। साथ ही, शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में SDGs पर कम से कम एक सत्र शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।



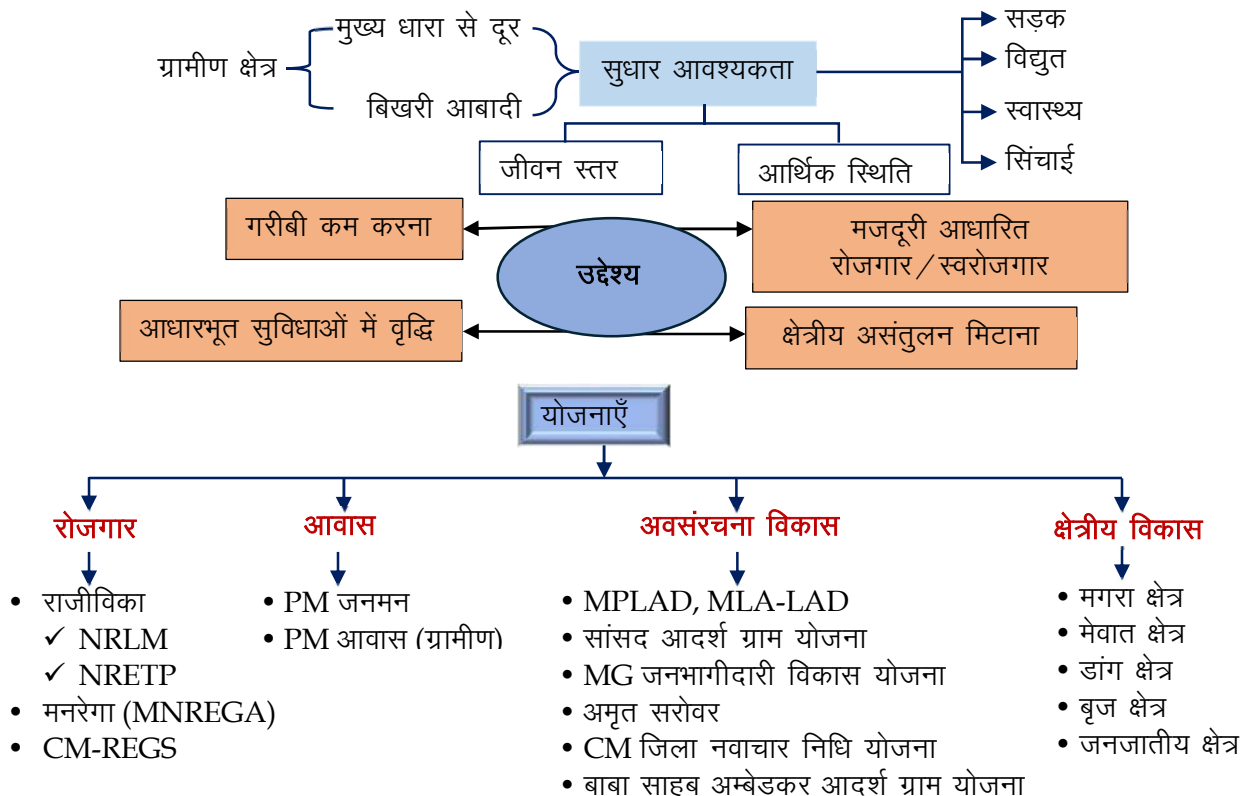
विजन स्टेटमेंट-विकसित राजस्थान@2047

वर्ष 2047 तक, राजस्थान ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी और सुलभ बुनियादी ढांचे के निर्माण, आजीविका सुरक्षा एवं आय वृद्धि, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय और स्वच्छता सेवाओं के माध्यम से ग्राम स्वराज के समग्र लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।

ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र :



समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशिता



रोजगार संबंधी योजनाएँ

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित विकास के लिए 1 अप्रैल 1999 को पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (RGAVP) (राजीविका)

- स्थापना** - अक्टूबर 2010 में स्वायत्त परिषद् के रूप में
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
- विभाग**- ग्रामीण विकास विभाग (प्रशासनिक नियंत्रण)
- अध्यक्ष** - मुख्यमंत्री
- उपाध्यक्ष** - ग्रामीण विकास मंत्री
- उद्देश्य**— समता वृद्धि, वित्तीय समावेशन, आजीविका सुरक्षा।
- लाभार्थी चयन की प्रक्रिया**—
 - ✓ SECC सर्वेक्षण
 - ✓ सहभागिता पहचान प्रक्रिया

(भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।)

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):-

- जून 2011 में शुरुआत
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
- संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित
- केन्द्र** : राज्य- 60:40

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण योजना (NRETP):-

- World Bank की मदद से संचालित
- राज्य के 9 जिलों के 36 blocks में संचालित
- जून 2024 में समाप्त।

राजीविका के अन्य कार्य :

सखी मोबाइल एप :- नियमित और समय पर मानदेय भुगतान हेतु

1. वन धन विकास योजना :-

8 जिलों (बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोंही, उदयपुर) में 517 वन धन विकास केन्द्रों का गठन।

2. उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड :- (6 जिले)

40,000 महिला डेयरी दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए कोटा, बूंदी, बारां, करौली, स. माधोपुर, और झालावाड़ जिलों में गठन किया गया।

3. उड़ान योजना

- प्रारंभ** — 19 दिसम्बर, 2021
- उद्देश्य** — महिला स्वच्छता, स्वास्थ्य व गरिमा को बढ़ावा देना तथा माहवारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
- कार्य** — सरकारी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 12 निशुल्क सेनेटरी पेड का वितरण।
- नोडल विभाग** — महिला अधिकारिता विभाग
- इसके अंतर्गत सभी जिलों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

4. राजस्थान महिला कोष :

- स्थापना** — 26 अगस्त, 2022 (महिला समानता दिवस)
- ऋण** — ₹ 40,000 की राशि 48 घण्टों स्वीकृत
 - ₹ 40,000 से अधिक की राशि 15 दिन में स्वीकृत।
 - ब्याज दर 2.5%
 - ब्याज सब्सिडी 8% (राज्य सरकार)

- 'अपना महिला निधि' मोबाइल एप द्वारा आवेदन।
 - के माध्यम से राजीविका की 1,54,861 महिलाओं को लगभग ₹735 करोड़ के ऋण दिए गए हैं, ये ऋण 2.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हैं जिसमें 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।
5. **हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड-**
कोटा एवं बारां जिले में सोयाबीन व धनिया मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए गठन किया गया।
6. **स्वयं सहायता समूह**
- बिक्री बढ़ाने हेतु जयपुर, चुरू (2), श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, झुंजरपुर, जोधपुर, राजसमन्द, कोटा में 11 रिटेल स्टोर खोले गये।
 - महिला सुरक्षा सखी पंजीयन
 - महिला आर्थिक सशक्तिकरण/राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड द्वारा ऋण वितरण।
7. **नमो ड्रोन दीदी योजना –**
- **प्रारंभ** – 15 अगस्त, 2023
 - **उद्देश्य** – 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्य हेतु ड्रोन प्रदान।
 - राजस्थान में क्रियान्वयन – ग्रामीण विकास विभाग
 - राजस्थान में गढ़पान (कोटा) से 11 मार्च, 2024 से शुरुआत।
 - ड्रोन सखी को 15 दिन का प्रशिक्षण तथा ₹ 1500 प्रति माह की सहायता।
 - वित्तीय सहायता – कुल लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये।
 - भारत सरकार द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन एवं उनके परिवहन के लिए वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋणों पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
 - नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित किए गए हैं।
8. **सोलर दीदी –**
- राज्य में क्रियान्वयन – ग्रामीण विकास विभाग
 - **चयन प्रक्रिया मानदण्ड –**
 - ✓ आयु – 20–45 वर्ष
 - ✓ 10वीं पास (12वीं प्राथमिकता)
 - ✓ ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी।
 - मानदेय – ₹2000 प्रति माह
 - वर्ष 2025–26 में 25,000 सोलर दीदियों के सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर 2025 तक 25,000 सोलर दीदियों की पहचान की गई है।
9. **लखपति दीदी –**
- **प्रारंभ** – 15 अगस्त, 2023
 - **राजस्थान में क्रियान्वयन** – ग्रामीण विकास विभाग
 - **उद्देश्य** – महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (वार्षिक आय–1 लाख रुपये तक करने का प्रयास)
 - **राज्य का लक्ष्य** – 20 लाख लखपति दीदी बनाना।
 - वर्तमान में लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से कुल 12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में शामिल किया गया है।



प्लेगशिप योजना



प्लेगशिप योजना



प्लेगशिप योजना

10. बैंक सखी –

- **उद्देश्य** – ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित करके बैंक के कार्यों को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाना। जिन महिलाओं द्वारा ये कार्य किये जाते हैं, उन्हें बैंक सखी कहा जाता है।
- **राजस्थान में क्रियान्वयन** – ग्रामीण विकास विभाग
- **प्रमुख कार्य** – खाते खोलना, पेंशन और महानेरगा का भुगतान आदि।
- कुल 7,104 महिलाएँ डिजिटल सखी (DG Pay सखी) के रूप में तथा 6,053 महिलाएँ बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट सखी (BC सखी) के रूप में कार्यरत हैं।



फ्लेगशिप योजना

11. पशु सखी –

- **राजस्थान में क्रियान्वयन** – ग्रामीण विकास विभाग
- 5वीं पास ग्रामीण महिलाएं जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है उनको राजीविका के सहारे पशु सखी बनाकर उन्नत पशुपालन की नई तकनीकें सिखाई जाती है।
- **प्रावधान** –
 - ✓ इसके तहत पशु सखी को पशु स्वास्थ्य संबंधी 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है।
 - ✓ इन महिलाओं को राजीविका द्वारा 1500 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाता है।
- राजीविका की गतिविधियाँ मुख्यतः महिलाओं द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। कुल 37,369 स्वयं सहायता समूह सदस्य पशु सखी एवं 36,787 एस.एच.जी. सदस्य कृषि सखी के रूप में कार्यरत हैं।



फ्लेगशिप योजना

12. कृषि सखी –

- **राजस्थान में क्रियान्वयन** – ग्रामीण विकास विभाग
- **प्रावधान** : स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 56 दिनों की कृषि एवं कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध करवाना।
- **कार्य** – खेती में किसानों की सहायता करना, खेती संबंधी व विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना।



फ्लेगशिप योजना



51.01 लाख गरीब परिवार
4.29 लाख स्वयं सहायता
समूहों, 32,061 ग्राम संगठनों
एवं 1,078 क्लस्टर स्तरीय
संघों में संगठित



राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्



3,18,833 स्वयं सहायता
समूहों (एस.एच.जी.) को
रिवाल्विंग फण्ड सहायता
के माध्यम से राशि
₹501.19 करोड़ प्रदान
की गई।



कुल 3,42,127 स्वयं सहायता
समूहों (एस.एच.जी.) ने
बैंकों में अपने बचत बैंक खाते
खोले हैं एवं बैंकों के माध्यम
से ₹10,788.96 करोड़ का
ऋण प्रदान किया गया है।



2,09,813 एस.एच.जी. ने
आजीविका सहायता
(सामुदायिक निवेश निधि)
राशि ₹1614.83 करोड़
प्राप्त की।

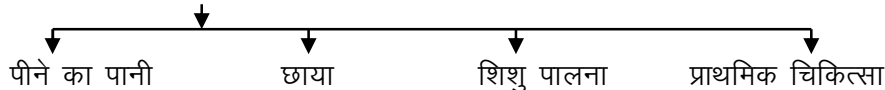
दिसंबर, 2025 तक की प्रमुख उपलब्धिया

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)-

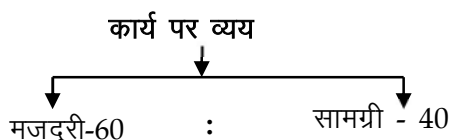
- अधिनियम - 2005 ई.
- लागू - 02 फरवरी, 2006
- सम्पूर्ण देश - अप्रैल 2008
- 02 October, 2009 - Mahatma Gandhi NREGA.
- उद्देश्य:-
 - ✓ ग्रामीणों को रोजगार
 - ✓ समावेशी विकास को बढ़ावा
 - ✓ आजीविका सुरक्षा
 - ✓ काम करने के अधिकार की गारन्टी
- एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार सुनिश्चितता जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से तैयार हो।

विशेषताएँ-

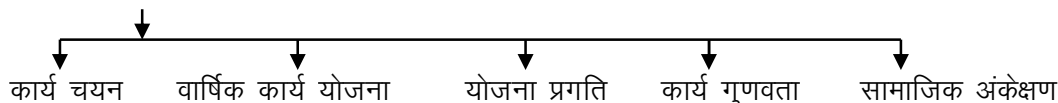
- पात्र - वयस्क (स्थानीय ग्राम पंचायत निवासी)
- पंजीकरण → 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड (निःशुल्क)
- आवेदन → यदि आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी।
- कार्य → 5 किमी. परिधि, (यदि 5 किमी. से अधिक हो तो 10% अतिरिक्त मजदूरी)
- कार्यस्थल पर सुविधाएँ



- महिला → 1/3rd (राजस्थान में 50%)
- भुगतान → बैंक, डाकघर
- केन्द्र : राज्य (वित्त) = 90 : 10



- ग्राम सभा के कार्य :-



नोट :-

- हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय में विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] से मनरेगा के उन्नत रूप में प्रस्तुत किया।
- यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारन्टी प्रदान करता है।
- केन्द्र : राज्य (वित्त) –
 - ✓ 60 : 40 (मनरेगा के तहत पहले 10% राज्य हिस्सेदारी के स्थान पर)
 - ✓ उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 90 : 10 का पैटर्न यथावत रहेगा।

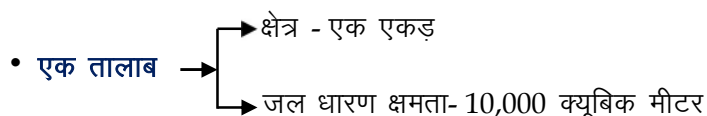
मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना -

- (1) बजट भाषण 2022-23
- (2) मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया।
- (3) 47 अनुसूचित जनजाति (S.T.) ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- (4) **100 दिन का अतिरिक्त रोजगार**



मिशन अमृत सरोवर -

- प्रारंभ - 24 अप्रैल 2022
- राज्य का लक्ष्य - 2475 सरोवर (तालाब)
- देश के प्रत्येक जिले में → 75 अमृत सरोवर का निर्माण करना है।

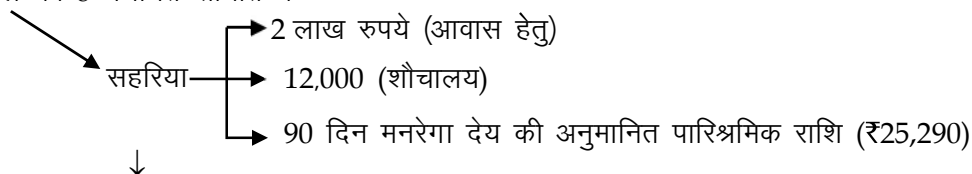


- प्रथम चरण - 3138 कार्य पूर्ण
- दूसरा चरण - 601 सरोवर चिह्नित

आवास निर्माण संबंधी योजनाएँ

PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान)-

- बजट 2023-24
- उद्देश्य - PVTG - विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- राजस्थान = बारां जिले की 8 पंचायत समिति में -



पात्र - समस्त आवास हीन सहरिया परिवार (अपात्र-जिनके पक्का मकान व सरकारी नौकरी हो)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -

- प्रारंभ - 20 नवम्बर, 2016
- केन्द्र - राज्य = 60 : 40
- लाभ -
 - 1 लाख 20 हजार रुपये (आवास हेतु)
 - 12,000 (शौचालय) (ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए जाते हैं।)
 - 90 दिन रोजगार (मनरेगा के तहत)
- SECC-2011 (सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना) के आधार पर लाभार्थियों का चयन।



फ्लेगशिप योजना

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना (SPMJUY):-

- प्रारंभ- जून, 2025 से।
- उद्देश्य - जिला-विशिष्ट जरूरतों को पूर्ण करके आर्थिक विकास और समावेशी सामाजिक विकास प्राप्त करना।
- राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लागू।
- वित्त प्रावधान- ₹ 500 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2025-26)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना :-

- **प्रारंभ**— 2 जुलाई, 2025।
- **पात्रता** — बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 22 लाख परिवार।
- यह योजना प्रथम चरण में 5 हजार, द्वितीय चरण में 5 हजार एवं तृतीय चरण 10 हजार गांवों में क्रियान्वित की जा रही हैं।
- **उद्देश्य**— आजीविका सृजन एवं स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों पर बल।
- **वित्तीय प्रावधान** — राज्य सरकार द्वारा 100 % वित्त पोषित।

अवसंरचना विकास योजनाएँ :-**सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) -**

- **प्रारंभ**—1993
 - **मंत्रालय** - 'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय'
 - **लोकसभा सांसद** - अपने निर्वाचन क्षेत्र में
 - **राज्यसभा सांसद** - पूरे राज्य में
 - **मनोनीत सांसद** - पूरे भारत में
 - गंभीर प्राकृतिक आपदा = 1 करोड़ रुपये
- 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष → अनुशंसा
↓
सांसद द्वारा जिला क्लक्टर को
- ✓ पूरे देश में स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं।
 - ✓ सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की स्वीकृति 45 दिन में प्रदान की जाती है।
 - ✓ सभी अनुशंसाएँ, स्वीकृतियाँ एवं भुगतान भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा **ई-साक्षी ऑनलाईन पोर्टल** के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं।

- खर्च → SC - 15%
ST - 7.5%

- केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLA-LAD) -

- **प्रारंभ** — 1999-2000
 - **MLA** - विधानसभा क्षेत्र (₹5 करोड़ प्रतिवर्ष)
 - **खर्च** - 20% - SC/ST
20% - सार्वजनिक उपयोग कार्य
- ↓
मरम्मत नवीनीकरण

महात्मा गाँधी जनभागीदारी विकास योजना (MGJY) -

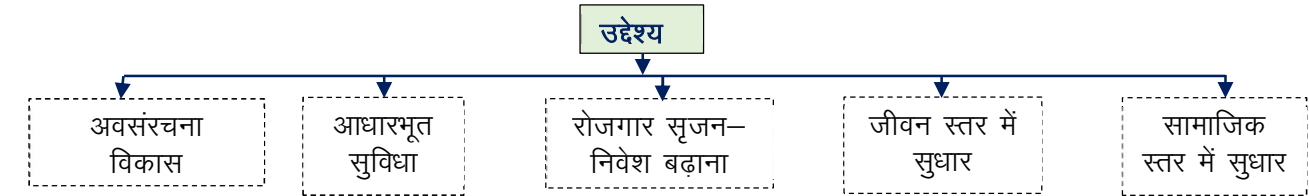
- **पुराना नाम** - गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना - 2014
- फरवरी 2020
- **वित्त पोषण** → राज्य सरकार
- **उद्देश्य** : जनभागीदारी से ग्रामीण विकास - रोजगार सृजन
सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण
- केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू।

	सरकार	जनता
शमशान / कब्रिस्तान की चारदीवारी	90%	10%
अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियाँ	70%	30%
TSP क्षेत्र में (40% से अधिक ST/SC आबादी वाले गांवों में)	80%	20%
नाम अंकित वाली निर्माण योजना	49%	51%

सांसद आदर्श ग्राम योजना -

- 11 अक्टूबर 2014 को प्रारम्भ
- उद्देश्य - समग्र विकास
 - जीवन स्तर
 - जीवन गुणवत्ता
- प्रत्येक सांसद (चयन) - 1 ग्राम पंचायत प्रति वर्ष
 - चयन का आधार - जनसंख्या
 - मैदानी क्षेत्र में (3000-5000)
 - दुर्गम क्षेत्र में (1000-3000)
- ग्राम - स्वयं या पति पत्नी का नहीं।

क्षेत्रीय विकास :-



मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

- घोषणा - 2025 - 26
- उद्देश्य - अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ, दुर्गम एवं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु।
- बजट - 150 करोड़
- केन्द्रित क्षेत्र- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, कौशल विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था।
- ब्लॉक स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

- 2005-06 से प्रारम्भ
- मगरा क्षेत्र - राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है।
- 5 जिले ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ (1746 करोड़)
- वित्त- राज्य सरकार द्वारा
 - बजट 2025-26 - 100 करोड़

मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम -

- 1986-87 से शुरू
- 3 जिले → अलवर, खैरथल-तिजारा और डीग के 14 ब्लॉक और 807 गांव
- मेव बाहुल्य क्षेत्र
- वित्त = राज्य - 100%
- बजट 2025-26 - 100 करोड़

बृज क्षेत्रीय विकास योजना -

- पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए।
- 5 जिलें - भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग, खैरथल तिजारा।

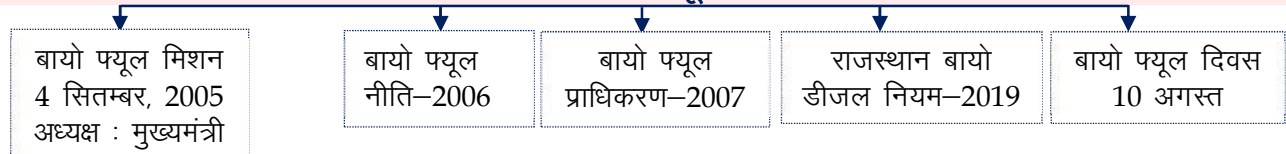
डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम -

- 2005-06 से पुनः प्रारम्भ
- 8 जिलों में लागू (2192 गाँव) - कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर
- डांग क्षेत्र - बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र।
- वित्त- राज्य सरकार द्वारा
- बजट 2025-26 - 100 करोड़

गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना -

- 75 करोड़
- अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में समग्र विकास के लिए।

बायो फ्यूल



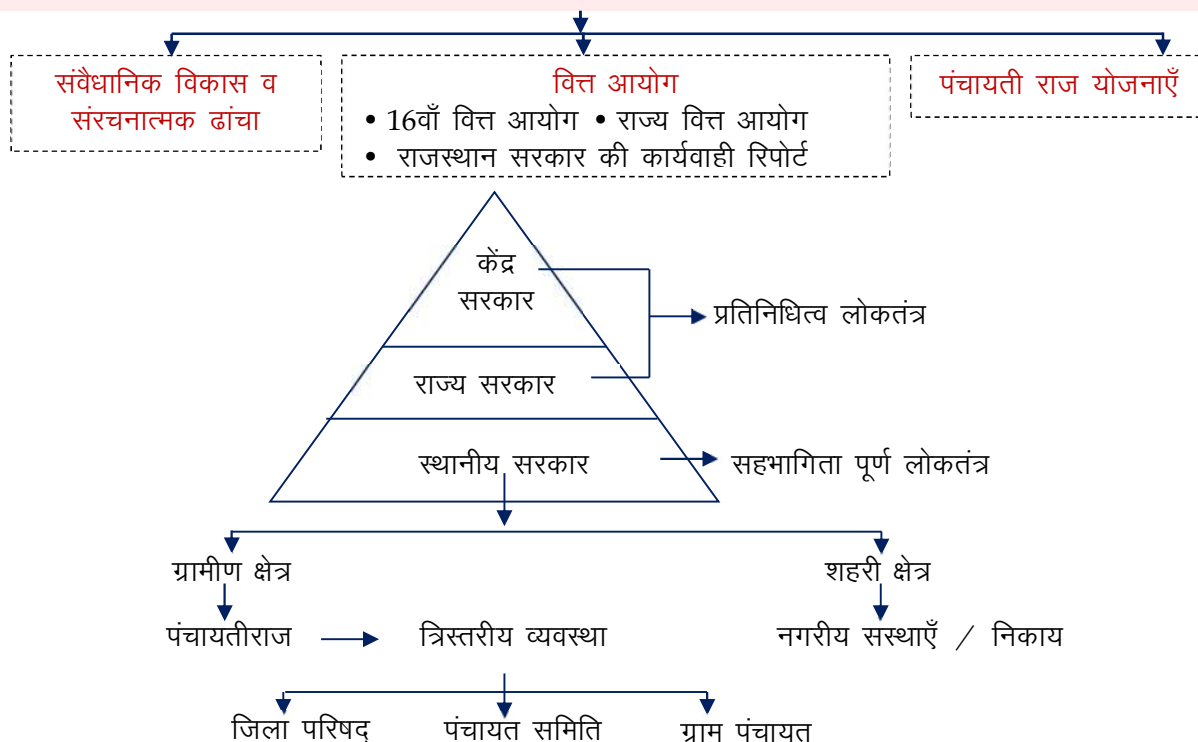
नोट— राजस्थान जैव ईंधन नियम तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है।



राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड -

- **स्थापना** — 22 दिसम्बर, 2016
- **पुनर्गठन** — 11 फरवरी, 2022
- **समितियों का स्तर** — जिला, ब्लॉक, ग्राम

पंचायती राज और ग्रामीण प्रशासन



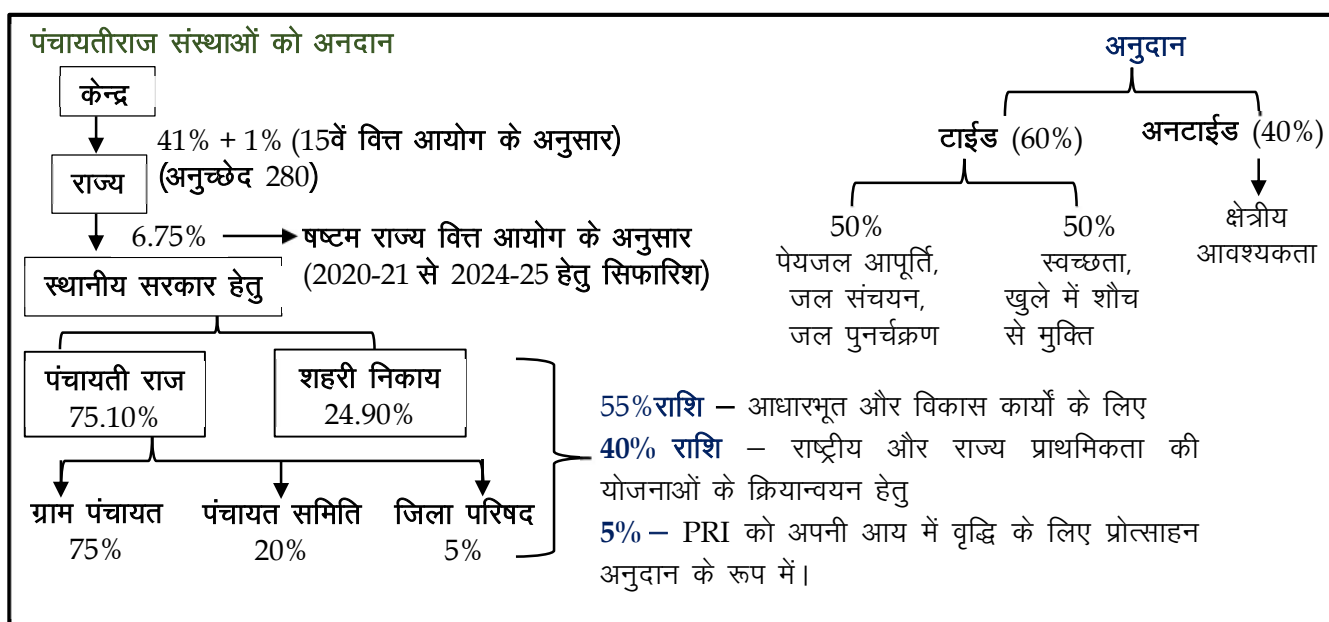
संवैधानिक स्थिति व संरचना

- **प्रारंभ** - नागौर (बगदरी गाँव) - 2 October, 1959
- **संवैधानिक दर्जा** - 24 अप्रैल, 1993
- अनुच्छेद 243(G) में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधन किया गया तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू किए गए।
- **वर्तमान में (दिसंबर-2025)**
 - **41 जिला परिषद** (जिला परिषद, ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है।)
 - **457 पंचायत समितियाँ** (पंचायत समिति, एक स्थानीय राजकीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है।)
 - **14,403 ग्राम पंचायत** (ग्राम पंचायत, प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में सम्मिलित गावों के नागरिकों की आम सभा है।)

पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य निम्नानुसार हैं -

- 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करना।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती व प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला जन-प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना।
- योजनाओं के समन्वय से एकीकृत विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना तैयार करना।
- ग्राम सभाओं को सशक्त कर सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी व प्रभावी क्रियान्वयन से समावेशी विकास करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक घर, विद्यालय व आंगनबाड़ी में शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना।
- ई-सक्षमता के माध्यम से पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।

वित्त आयोग-



16वां वित्त आयोग-

- अध्यक्ष — अरविन्द पनगडिया
- सदस्य — अजय नारायण झा
एनी जार्ज मैथ्यू
मनोज पांडा
डॉ. सौम्या कांति घोष

राज्य वित्त आयोग

इसका गठन अनुच्छेद 243-I (ग्रामीण) व अनुच्छेद 243 (y) (शहरी) के तहत किया जाता है।

7वां वित्त आयोग-

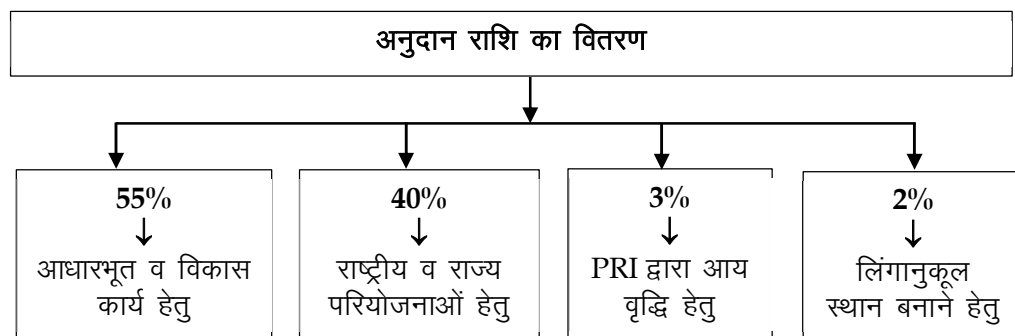
- गठन — 1 अगस्त 2025
- अवधि — 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक
- अध्यक्ष — डॉ. अरुण चतुर्वेदी
- सदस्य सचिव — श्री नरेश कुमार ठकराल (सेवानिवृत्त IAS)

राजस्थान के 6 वित्त आयोग (FC)-

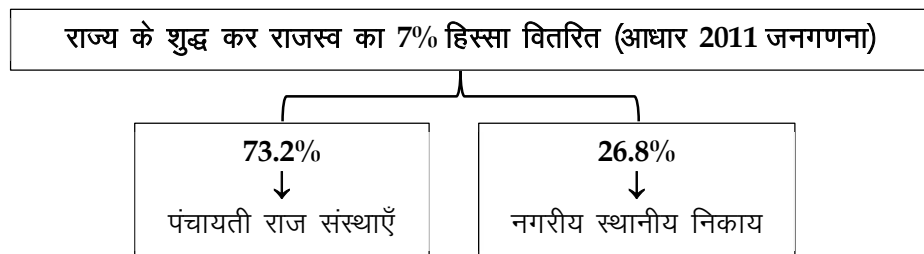
राजस्थान FC	CP	Formed	Tenure
I	कृष्ण कुमार गोयल	24 अप्रैल 1994	1 अप्रैल 1993 - 31 मार्च 2000
II	हीरालाल देवपुरा	7 मई 1999	1 अप्रैल 2000 - 31 मार्च 2005
III	माणिक चंद सुराणा	मई 2004	1 अप्रैल 2005 - 31 मार्च 2010
IV	B.D. कल्ला	13 अप्रैल 2011	1 अप्रैल 2010 - 31 मार्च 2015
V	ज्योति किरण	जुलाई 2014	1 अप्रैल 2015 - 31 मार्च 2020
VI	प्रद्युमन सिंह	12 अप्रैल 2021	1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2025
VII	डॉ. अरुण चतुर्वेदी	1 अगस्त 2025	1 अप्रैल 2025

6वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित कार्यवाही रिपोर्ट (ATR)

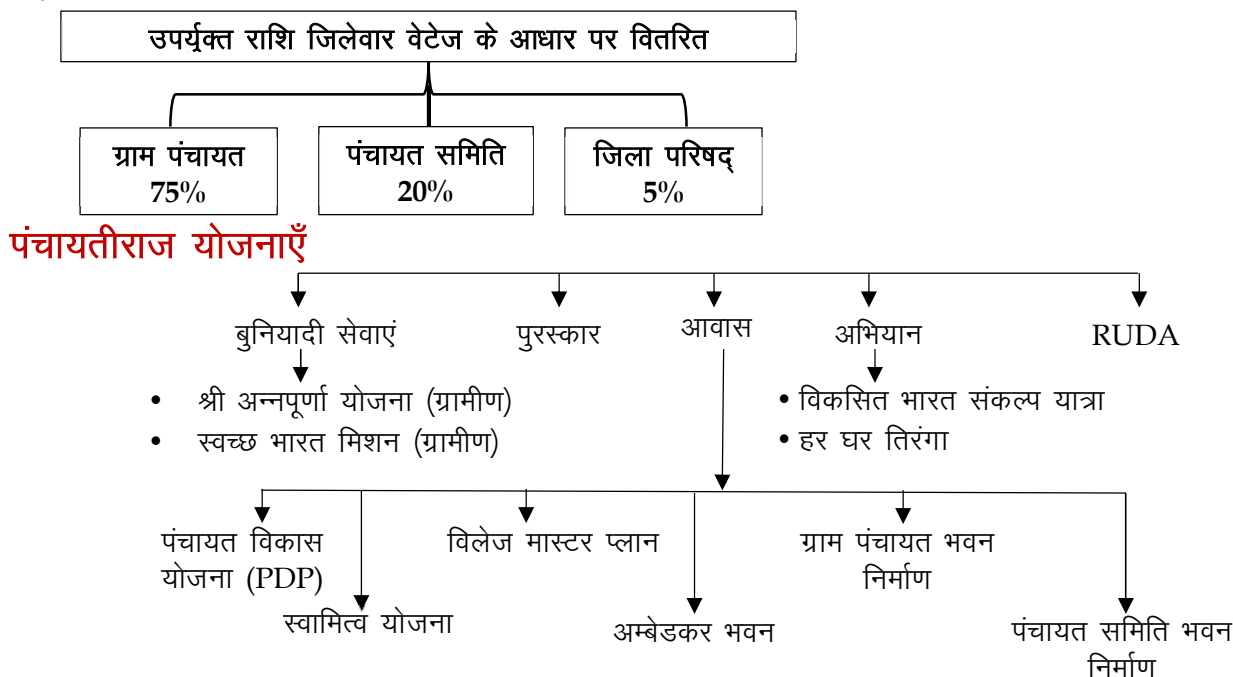
i.



ii.



iii.



बुनियादी सेवाएँ

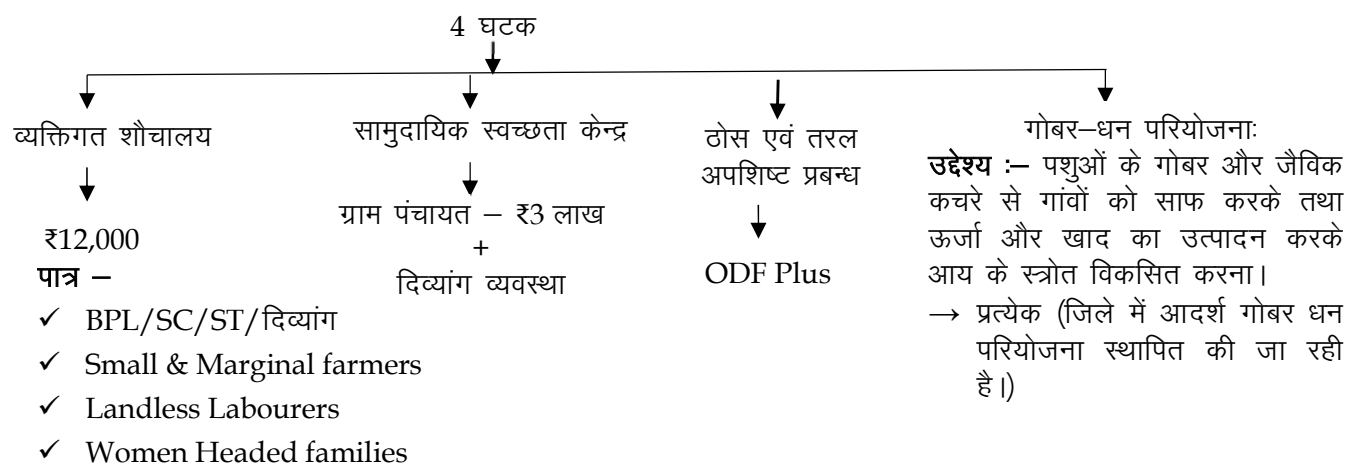
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) :-

- **प्रारंभ** – 6 जनवरी 2024
- **उद्देश्य** – ग्रामीण कस्बों में किफायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाना।
(पूर्व में इंदिरा रसोई योजना 10 सितंबर, 2023)
- **संचालन** – राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा।
- **अन्य** –
 - i. 796 रसोईयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन। (ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में अधिकतम 100 थाली दोपहर को व 100 थाली रात्रि को भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान।)
 - ii. **600 ग्राम भोज्य सामग्री**– चपाती – 300gm
दाल – 100 gm
सब्जी – 100 gm
चावल/बाजारा खिचड़ी 100gm
अचार
 - iii. शुल्क 8 रु./थाली लाभार्थी द्वारा तथा 22 रु./थाली राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

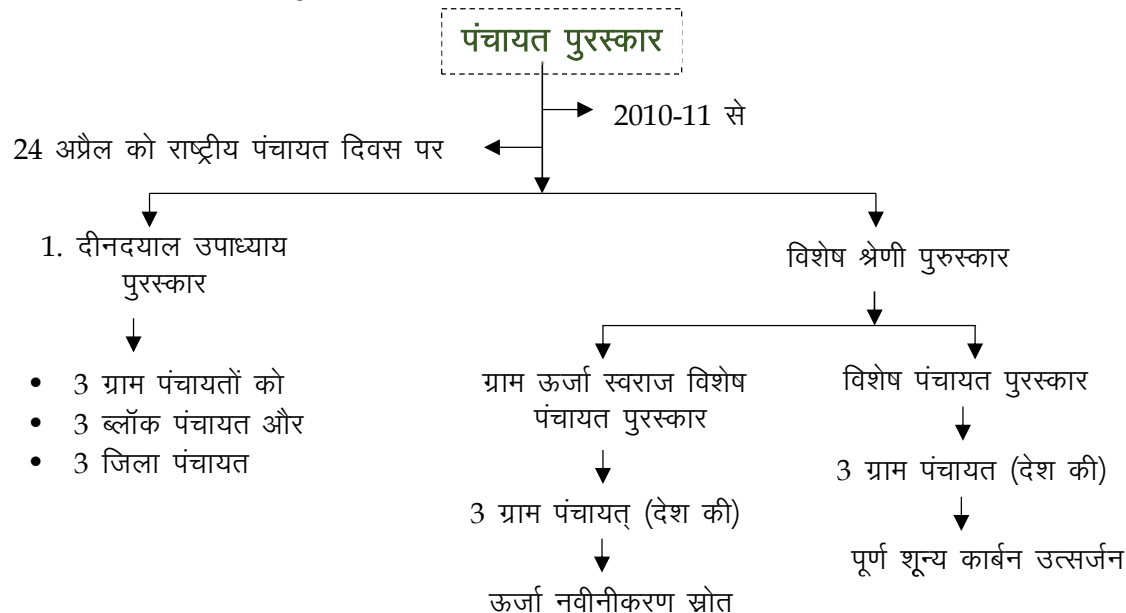
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :-

- **प्रारंभ** – 2 Oct 2014
- **संचालन** – जल शक्ति मंत्रालय
- **उपलब्धि** – 31 मार्च 2018 राजस्थान ODF घोषित
- **Phase 1st** 2014 -19
- **Phase IInd** – 2020-21 से 5 वर्षों के लिए
- **उद्देश्य** –
 - ✓ गांवों की ODF की स्थिति को बनाये रखना
 - ✓ गांव को ODF Plus बनाना

घटक –



- 15वें वित्त आयोग में 30 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान।
- 2025-26 के दौरान कुल 2205 सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर का निर्माण।
- 2025-26 के दौरान कुल 1.05 लाख शौचालयों का निर्माण।



आवास :-

पंचायत विकास योजना (PDP)–

- **प्रारंभ** – 2015 से भारत सरकार द्वारा।
- **प्रक्रिया** – ग्राम पंचायत योजना निर्माण करेगी तथा ग्राम सभा अनुमोदन करेगी तत्पश्चात् विकास योजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।
- **जन योजना अभियान** (सबकी योजना सबका विकास) –
 - ✓ **आयोजन** – 2 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक चलाया गया।
 - ✓ ग्राम पंचायत विकास योजना को अभियान मोड में लागू करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान –

- 2018-19 से 31 मार्च 2026 तक
- **उद्देश्य** – PRI को सुदृढ़ बनाना तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- केन्द्र : राज्य = 60 : 40
- वर्तमान में यह “पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” (31 मार्च, 2026 तक) के नाम से संचालित है।

विलेज मास्टर प्लान–

- आगामी 30 वर्षों हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए तैयार किया गया है। (वर्ष 2050)
- **Ist Phase** – 10,000 आबादी

3 विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

भू प्रबन्धन विभाग

- सहायक – पटवारी

ग्राम पंचायत भवन निर्माण –

- ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों को एक परिसर में लाने के लिए 5 बीघा तक भवन निर्माण।
- अनुमानित लागत = 50 लाख रुपये

अम्बेडकर भवन योजना –

- वर्ष 2019-20
- सभी पंचायत समिति मुख्यालयों (नगरनिगम, नगर परिषद्, नगरपालिका मुख्यालयों को छोड़कर)
- एक भवन की लागत ₹ 50 लाख

स्वामित्व योजना –

SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)

- **प्रारंभ**– 24 अप्रैल 2020
- **क्रियान्वयन** – पंचायती राज विभाग + भारतीय सर्वेक्षण विभाग + राजस्व विभाग
- **भारतीय सर्वेक्षण विभाग** – राज्य के सभी गाँवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा एवं संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।
- **ग्राम पंचायत** – मानचित्र के आधार पर “राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1996” के तहत संबंधित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।



फ्लेगशिप योजना

विभिन्न अभियान :-

हर घर तिरंगा –

- **आयोजन**– 8 – 15 अगस्त, 2025
- **नोडल संस्था** – पंचायती राज विभाग

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू भूखंड/पट्टा आवंटन अभियान –

- **प्रारंभ**– 2 अक्टूबर, 2024
- कमजोर समुदायों के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने हेतु।

RUDA (ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण) –

- **स्थापना**– Nov- 1995
- **उद्देश्य** – ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- **GI-Tag दिलवाने में सहायता करती है–**
(राजस्थान में 23 वस्तुओं को GI-Tag प्राप्त है)

1 st – बीकानेरी भुजिया	16 th – सोजत मेहँदी (पाली)
17 th – पिछवाई कला (नाथद्वारा)	18 th – जोधपुरी बंधेज (जोधपुर)
19 th – कोफ्तगिरी (उदयपुर)	20 th – उस्ता कला (बीकानेर)
21 th – कशीदाकारी क्राफ्ट (बीकानेर)	22 th – सांगरी
23 th – नागौरी अश्वगंधा	
- **RUDA 3 उपक्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है–**
 Ist – चमड़ा
 IInd – ऊन व वस्त्र (तीनों उप क्षेत्रों की कार्यशाला :- जयपुर में)
 IIIrd लघु खनिज
- **रूड़ा कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मेलों और प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है–**
 - ✓ चमड़ा, लघु खनिज एवं ऊन तथा वस्त्र की संयुक्त कार्यशाला – जयपुर
 - ✓ चर्म उपक्षेत्र में डिजाईन डवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन – चावन्डिया (जयपुर)
– शाहपुर (अलवर)
 - ✓ ऊन एवं वस्त्र उपक्षेत्र की डिजाईन डवलपमेंट प्रशिक्षण का आयोजन – धनाऊ (बाड़मेर)
 - ✓ टेराकोटा डिजाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम – मजावड़ी (उदयपुर)
 - ✓ मार्केटिंग व समन्वय उपक्षेत्र में तीज उत्सव 2025 – बीकानेर हाऊस नई दिल्ली में
 - ✓ सावन तीज उत्सव – जयपुर में
 - ✓ ट्रेवल मार्ट – जयपुर

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 :-

- **प्रारम्भ** – 18 फरवरी, 2024
- **प्रशासनिक विभाग** – पंचायतीराज विभाग
- **नोडल विभाग** – जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग
- **क्रियान्वयन** – 4 वर्षों में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण
- **समिति** – राज्य स्तर पर **जल स्वावलम्बन समिति**
 - ✓ अध्यक्ष – मुख्यमंत्री
 - ✓ सदस्य – 21 अन्य विभागीय विशेषज्ञ
- **कार्य** – एनीकट, बावड़ी, ड्रिप, स्प्रिंकलर, चारागाह, वृक्षारोपण क्षेत्र को बढ़ावा देना।



फ्लेगशिप योजना

अटल ज्ञान केन्द्र :-

घोषणा :- ग्रामीण युवाओं को स्व-अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, राजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सरकारी योजनाओं की जानकारी व करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

विभाग :- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।

चरण -1 :- 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों पर स्थापना।



फ्लेगशिप योजना

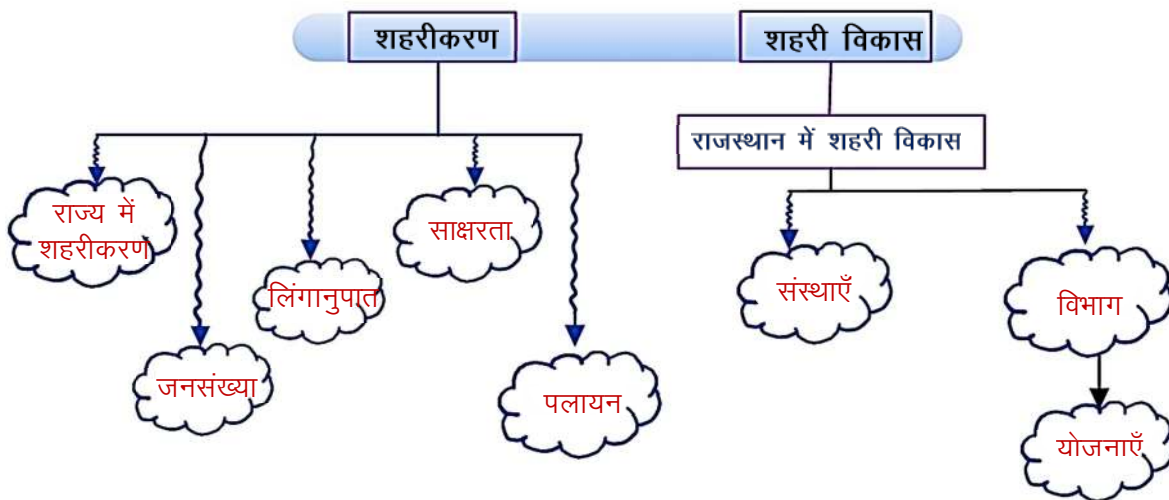
विजन स्टेटमेंट-विकसित राजस्थान@2047

- वर्ष 2047 तक, राजस्थान में किफायती आवास, स्मार्ट टाऊनशिप और आवश्यक सुविधाओं से युक्त परिवर्तित अनौपचारिक बस्तियों द्वारा जीवंत, समावेशी और सतत् शहरी केन्द्रों का निर्माण करना।
- इस हेतु राज्य 5R दृष्टिकोण – Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove के माध्यम से उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर शहरी स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
- राजस्थान ठोस रणनीतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करेगा और सहभागी एवं जवाबदेह सेवा वितरण हेतु विकेंद्रीकृत शहरी शासन को सशक्त करेगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा, अनुकूल अवसंरचना और हरित सार्वजनिक स्थलों पर केंद्रित योजनाओं के माध्यम से राजस्थान शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करेगा, जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता और जलवायु अनुकूलता सुनिश्चित हो सके।



शहरीकरण

शहरीकरण — जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण व शहरों का विस्तार होना। कृषि प्रधान समाज का औद्योगिक व शहरी समाज में परिवर्तित होना।



संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, 2023

- विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है।
- इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 66.66% तक होने का अनुमान है।
- शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक GDP में 80% योगदान है।

राजस्थान में शहरीकरण

- भारत और राजस्थान में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी

वर्ष	1961	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
भारत	17.97%	31.14%	34.43%	37.55%
राजस्थान	16.28%	24.87%	26.33%	27.74%

- राजस्थान की जनसंख्या (करोड़ में) - (2001 में 5.65 करोड़)

जनसंख्या	2011 (में करोड़)
कुल जनसंख्या	6.85
पुरुष जनसंख्या	3.55
महिला जनसंख्या	3.30

- राजस्थान की शहरी जनसंख्या (लाख में)- (2001 में 132 लाख)

जनसंख्या	2011	2021	2031
महिला	81	100	116
पुरुष	89	109	126
कुल	170	209	242

- लिंगानुपात – (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2001	890	930
2011	914	933

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले			न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	टोंक	985	1.	जैसलमेर	807
2.	बांसवाड़ा	964	2.	धौलपुर	864
3.	प्रतापगढ़	963	3.	अलवर	872
4.	डूंगरपुर	951	4.	गंगानगर	878
5.	राजसमंद	948	5.	भरतपुर	887

• बच्चों की जनसंख्या (0-6 आयु वर्ग) -

वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 0 - 6 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग समान (106 लाख) रही है। वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में 52.95 प्रतिशत लड़के तथा 47.05 प्रतिशत लड़कियां थी।

बाल लिंगानुपात (0 - 6 आयु वर्ग) -

वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
2001	887	914
2011	874	892

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले			न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	नागौर	907	1.	धौलपुर	841
2.	बीकानेर	906	2.	गंगानगर	842
3.	भीलवाड़ा	904	3.	दौसा	847
4.	बारां	901	4.	अलवर	851
5.	चुरू	899	5.	भरतपुर	852

• साक्षरता दर -

- ✓ वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40% थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11% हो गई।
- ✓ राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40% थी।
- ✓ जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है।

क्र.सं.	सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले (% में)	क्र.सं.	न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले (% में)
1.	उदयपुर (87.5%)	1.	नागौर (70.6%)
2.	बांसवाड़ा (85.2%)	2.	जालोर (71.1%)
3.	प्रतापगढ़ (84.8%)	3.	चुरू (72.6%)
4.	डूंगरपुर (84.4%)	4.	धौलपुर (72.7%)
5.	अजमेर (83.9%)	5.	करौली (72.8%)

• राजस्थान के शहरीकृत जिले-

जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर-

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. जयपुर (30.46 लाख) | 2. जोधपुर (11.38 लाख) |
| 3. कोटा (10.02 लाख) | 4. बीकानेर (6.44 लाख) |

नोट : बांसवाड़ा (1.01 लाख) सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिले (% के अनुसार सर्वाधिक शहरी क्षेत्र) :-

क्र.सं.	राजस्थान के सबसे कम शहरीकृत जिले (% के आधार पर)	क्र.सं.	राजस्थान के सबसे बड़े शहरीकृत जिले (% के आधार पर)
1.	डूंगरपुर (6.39%)	1.	कोटा (60.31%)
2.	बाड़मेर (6.98%)	2.	जयपुर (52.40%)
3.	बांसवाड़ा (7.10%)	3.	अजमेर (40.08%)
4.	प्रतापगढ़ (8.27%)	4.	जोधपुर (34.30%)
5.	जालौर (8.30%)	5.	बीकानेर (33.86%)

- राजस्थान में ग्रामीण से शहरी पलायन — (राष्ट्रीय स्तर पर 7.94 करोड़ व्यक्ति) व (राजस्थान में 32 लाख व्यक्ति)

कारण	पुरुष (काम/रोजगार)	महिला (विवाह)
भारत	45.06%	51.80%
राजस्थान	49.16%	59.11%

भारत के कुल शहरी पलायन का — 4% (राजस्थान से)

भारत और राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

	जीर्ण-शीर्ण	रहने योग्य	अच्छी
भारत	3%	29%	68.4%
राजस्थान	1.8%	29.3%	68.9%

- राजस्थान में झुग्गी बस्ती के निवासी—
 - ✓ जनगणना संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों को बस्तियों में वर्गीकृत किया है—
 - ऐसे सभी क्षेत्र जिन्हें राज्य/स्थानीय स्वशासन या केन्द्र द्वारा प्रशासित किसी अधिनियम के तहत बस्तियों के रूप में क्षेत्र घोषित किये गये हों।
 - ऐसे सभी क्षेत्र जिनकी पहचान राज्य/स्थानीय सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा बस्तियों के रूप में की गयी है, किन्तु किसी कानून द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
 - ऐसे सभी घने क्षेत्र जिसमें कम से कम 300 की जनसंख्या अथवा 60-70 परिवार रहते हों एवं ऐसे आवासीय समूह में हों जो पूरी तरह अनियोजित तरीके से बसे हुए हों जिनमें आधारभूत नागरिक सुविधाओं यथा— प्रकाश, पीने का पानी, स्वच्छता व स्वच्छ हवा का पूरी तरह से अभाव हो।

- ✓ कारण – शहरी प्रवास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक ठहराव, खराब नियोजन
- ✓ राज्य में कच्ची बस्तियों के घर – 3,94,391
- ✓ कुल आबादी – 20,68,000 (कुल शहरी आबादी का 12.13%)
- ✓ सर्वाधिक

जनसंख्या के अनुसार	% के अनुसार
1. जयपुर (3.23 लाख)	(i) पीलीबंगा (74.53%)
2. कोटा	(ii) जहाजपुर
3. जोधपुर	(iii) केसरीसिंह पुर
4. बीकानेर	
5. अजमेर	

- ✓ राजस्थान में कच्ची बस्तियों की जनसांख्यिकीय स्थिति, जनगणना 2011

क्र.सं.	विवरण	इकाई
1.	शहरी परिवारों में कच्ची बस्तियों के परिवारों का प्रतिशत	16.12%
2.	शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्तियों की जनसंख्या का प्रतिशत	16.21%
3.	साक्षरता दर	69.79%
4.	लिंगानुपात	917
5.	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	897

राजस्थान में शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार

- शहरों में स्वच्छता वृद्धि के लिए 5R :-

- (a) REDUCE (कम करें)
- (b) REUSE (पुनः उपयोग करें)
- (c) RECYCLE (रीसाइकिल करें)
- (d) RECOVER (पुनर्प्राप्त करें)
- (e) REMOVE (निकालें)

संस्थाएँ

- “राज्य में नागरिकों की सुविधाओं के व्यवस्थित और समन्वित शहरी विकास हेतु निम्न संस्थान कार्यरत” –
 - (i) 7 विकास प्राधिकरण :- जयपुर → जोधपुर → अजमेर → उदयपुर → कोटा → भरतपुर → बीकानेर
 - (ii) 12 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, गंगानगर, सीकर, बालोतरा, दौसा-बांड़ीकुई और सवाई माधोपुर।)
 - (iii) जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 - (iv) रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA)
 - (v) राजस्थान आवासन मण्डल
 - (vi) नगर नियोजन कार्यालय

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

फेज	विवरण	वित्तपोषण
चरण-1ए (मानसरोवर से चांदपोल तक)	संचालन 3 जून 2015 से	पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित।
चरण-1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड़)	संचालन 23 सितम्बर 2020 से। लंबाई – 2.01 किलोमीटर	एशियाई विकास बैंक ADB से ₹810 करोड़ का ऋण, शेष राजस्थान सरकार द्वारा।
चरण-1 सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50 : 50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण-1 डी (मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड)	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डीपीआर तैयार कर दी गई है।	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50 : 50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)
चरण-2 (प्रहलादपुरा से टोड़ी मोड़)	सीतापुरा से विद्याधर नगर तक प्रस्तावित मार्ग DPR मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा	राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RMRC) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। (मेट्रो रेल नीति 2017 के 50 : 50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत)

Map -



- ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी-2025

- ✓ अधिसूचित : 10 दिसम्बर, 2025
- ✓ विभाग : शहरी विकास एवं आवास विभाग
- ✓ उद्देश्य :
 1. सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा देना।
 2. आवागमन सुविधा और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाना।

✓ **प्रावधान:**

- TOD क्षेत्र को मेट्रो जैसे जन परिवहन स्टेशनों/कॉरिडोरों के चारों ओर 500–800 मीटर की परिधि में चिन्हित एवं अधिसूचित किया जाता है।
- पैदल आवागमन को प्रोत्साहन, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, गैर-मोटर चालित परिवहन तथा अंतिम छोर तक संपर्क पर विशेष बल दिया गया है।
- TOD क्षेत्रों में अवसंरचना क्षमता और नियोजन मानकों के अधीन उच्च अनुमेय निर्मित क्षेत्र अनुपात (बी.ए.आर.) की अनुमति दी जाती है।

रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (RERA) -

• **उद्देश्य –**

- ✓ आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों की रक्षा करना
- ✓ एक स्वस्थ, पारदर्शी, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास और संवर्धन को प्रोत्साहित करना।

• **स्थापना :-** 6 मार्च 2019 को RERA एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT) का गठन किया गया।

- रियल एस्टेट रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट एक्ट 2016, के सभी प्रावधान 1 जून, 2017 से शुरू से प्रभावी हुए।
- राजस्थान, RERA को लागू करने वाला महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के बाद तीसरा राज्य बना।
- इसे राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) नियम 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया है।
- **RERA का वेब पोर्टल :** rera.rajasthan.gov.in

राजस्थान टाउनशिप नीति-2024

• **प्रारम्भ :** 17 जुलाई, 2025

• **विभाग :** नगरीय विकास एवं आवास विभाग

• **उद्देश्य :**

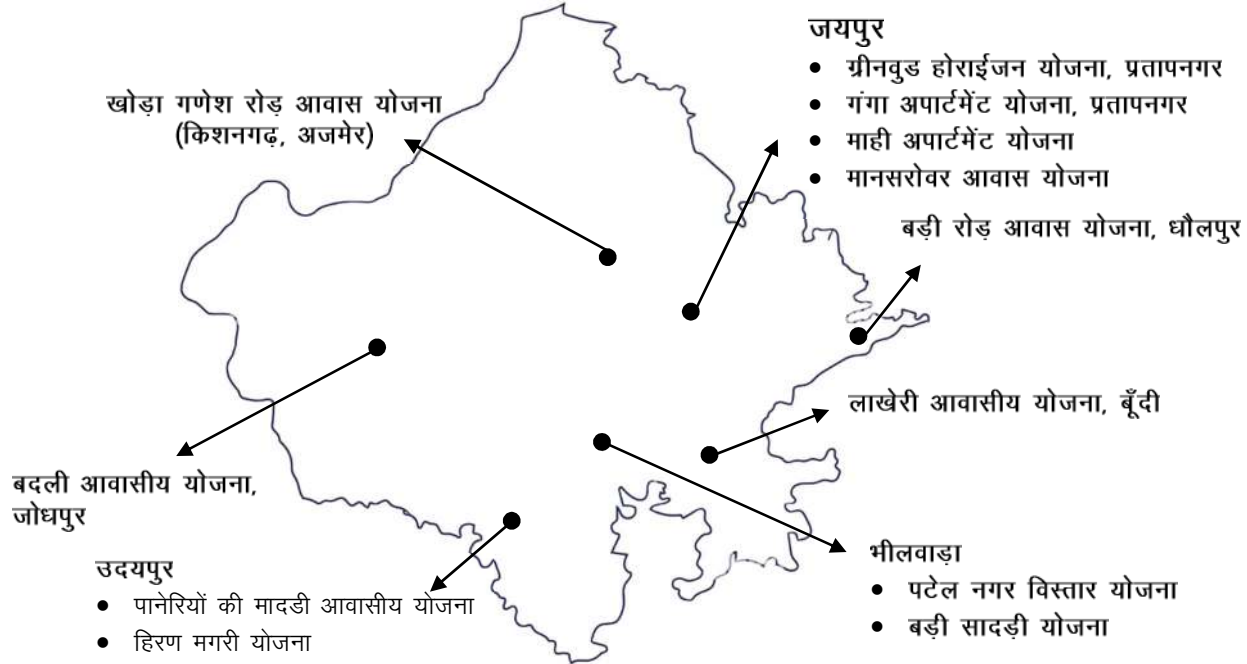
- ✓ राजस्थान में संतुलित शहरी विस्तार, बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- ✓ आवास, अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं के साथ बड़े स्तर की आत्मनिर्भर टाउनशिपों को बढ़ावा
- ✓ परिधीय एवं नए विकास क्षेत्रों में सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहित कर मौजूदा शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम करना।
- ✓ निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में आसान नियोजन नियम, भू-उपयोग में लचीलापन और उत्तम विकास मानक निर्धारित किए गए हैं।

• **प्रावधान :**

- ✓ इस नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- ✓ सभी क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में एकरूपता हेतु 7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र का प्रावधान है।
- ✓ योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद विकास कार्यों का रख रखाव 5 वर्ष की अवधि अथवा योजना के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरण किया जाने तक योजना के 2.5% भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
- ✓ औद्योगिक योजनाओं में श्रमिकों के निवास के लिए न्यूनतम 5% क्षेत्रफल के भूखण्ड का प्रावधान किया गया है।
- ✓ सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखण्डों का आवंटन स्थानीय निकाय के माध्यम से किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल

- **स्थापना** : 24 फरवरी 1970 (स्वायत्त शासी निकाय)
- **उद्देश्य** : राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करना और उनकी पूर्ति के लिए प्रभावी उपाय सुझाना है
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संचालित प्रमुख आवास योजनाएँ—



- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए गए नवाचार —
सजग मोबाइल App:- आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु।

विभाग

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2025

- **लागू :-** 1 सितम्बर, 2025
- यह नीति राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 तथा राजस्थान नगरपालिकाएं (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू की गई हैं।
- इसमें सामाजिक, सार्वजनिक, धर्मार्थ एवं धार्मिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी निवेशकों, कंपनियों, ट्रस्टों, सरकारी विभागों, उपक्रमों एवं निकायों, समाचार पत्रों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भूमि आवंटन किए जाने का प्रावधान शामिल है।
- इस नीति के प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होंगे, किंतु जिन मामलों का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है, उन पर यह नीति लागू नहीं होगी।
- यह नीति राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों तथा राजस्थान आवास मंडल पर भी लागू होगी।

भूमि आवंटन की शर्त :-

- प्रस्तावित निवेश का कम से कम 30% फीसदी पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए।
- भू - उपयोग उसी उद्देश्य से जिस उद्देश्य से आवंटन।
- शहीद सैनिकों के स्मारक बनाने हेतु मुफ्त जमीन।
- लीज अवधि :- 99 वर्ष होगी।

मास्टर प्लान :

- किसी भी शहर के लिए 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओं के अन्तर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- 194 नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं।
- जयपुर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 में चौमू, बगरू और बस्सी जैसे नए शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- टपूकड़ा और कोटकासिम को ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है।
- नीमराना और बड़ोद को शाहजहाँपुर-नीमराना-भिवाड़ी (SNB) मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है।
- बोराना शहरी क्षेत्र को मकराना मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है।
- वर्ष 2023 से 2025 की अवधि में राज्य में 79 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया, जिनके मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR):

- NCR में भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़ और डीग उपक्षेत्र सम्मिलित है।
- कोटा व जयपुर - NCR के काउंटर मेगनेट शहर हैं।

नोट :- ✓ NCRPB (National Capital Region Planning Board) ✓ मुख्यालय :- नई दिल्ली
 ✓ कार्य :- NCR क्षेत्र में परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

• एनसीआर सेल द्वारा -

- ✓ रूपवास नगर (भरतपुर) हेतु ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 निर्मित।
- ✓ खैरथल ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 अधिसूचित।
 (खैरथल संशोधित मास्टर प्लान-2047 का प्रस्ताव प्रेषित)

प्रभावी शहरी शासन और नीति कार्यान्वयन

शहरी जीवन की गुणवत्ता में समग्र वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य वर्तमान में निम्नलिखित पहल को लागू कर रहा है-

शहरी विकास के लिए सामाजिक योजना			
			
दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी):	पी.एम. स्वनिधि 2.0:	राजीव आवास योजना	आर.यू.डी.एफ-II
महत्वपूर्ण बिन्दु • समुदाय-आधारित संस्थागत विकास (सी.एल.आई.डी) • वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास (एफ.आई.ई.डी) • सामाजिक अवसर संरचना एवं अभिसरण	डिजिटल प्रोत्साहन (कैशबैक) • स्टैंडर्ड कैशबैक : ₹1200 तक • बोनस कैशबैक : अतिरिक्त ₹400 (यदि लेनदेन > ₹2000)	बुनियादी आवश्यकताये • सामान्य सुविधाओं के साथ पक्का घर • पेयजल आपूर्ति • सड़कें और आवश्यक अवसंरचना	कोषों की प्राप्ति • ऋण : ऋण, वित्तीय संस्थाएँ एवं बैंक • अनुदान : विशेष/अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार से • अंशदान : यूएलबी, विकास प्राधिकरण, यूआईटी एवं राजस्थान आवासन मण्डल से अनिवार्य

दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)

- **प्रारंभ** – जून, 2025 से जयपुर नगर निगम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
- **मंत्रालय** – आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
- **लाभांविता संवेदनशील व्यवसायिक समूह (VOG) –**
 - ✓ भवन निर्माण श्रमिक
 - ✓ परिवहन श्रमिक
 - ✓ कचरा संग्रहणकर्ता
 - ✓ अपशिष्ट चुनने वाले (वेस्ट पिकर्स)
- **योजना के प्रमुख घटक एवं उनके लाभ –**
 - ✓ समुदाय-आधारित संस्थागत विकास (CLID)
 - ✓ वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास (FIED)
 - ✓ सामाजिक अवसरचना
 - ✓ अभिसरण योजना

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पी.एम. स्वनिधि 2.0 :

- **प्रारम्भ** : 9 सितंबर 2025
- **मंत्रालय** : आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय
- **अवधि** : मार्च 2030 तक
- **उद्देश्य** : केंद्र सरकार की नौ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर स्ट्रीट वेंडर्स एवं उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण।
- **पी.एम. स्वनिधि 2.0 के अंतर्गत नई व्यवस्थाएँ :**
 - ✓ तीन ऋण श्रेणियाँ – ₹15,000, ₹25,000 एवं ₹50,000
 - ✓ प्रति ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 7% ब्याज अनुदान।
 - ✓ डिजिटल लेन-देन पर ₹1,200 तक कैशबैक की सुविधा।
 - ✓ ₹2,000 से अधिक के डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त ₹400 का कैशबैक।
- स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष में वेंडर्स की पहचान की जाएगी तथा उन्हें वेंडर पहचान पत्र अथवा प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।
- FSSAI के सहयोग से स्ट्रीट फूड वेंडर्स को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना :

- **घोषणा** : बजट 2024 – 25
- **विभाग** : स्वायत्त शासन विभाग
- **लाभार्थी** : जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारों से सम्बद्ध असंगठित सेवा क्षेत्र के श्रमिक जैसे गिगवर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर, दस्तकार आदि जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं है।
- **पात्रता** :
 - ✓ आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होने के साथ राजस्थान का मूल निवासी हो।
 - ✓ आवेदक के पास स्थानीय शहरी क्षेत्र का जनाधार कार्ड होना अनिवार्य होगा।
 - ✓ लाभार्थी के पास कार्य का सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी अनुज्ञा-पत्र हो।
- **योजना के अन्तर्गत लाभ** :
 - ✓ बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 07 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।
 - ✓ योजना के लाभार्थियों को तीन चरणों में क्रमशः 10000, 20000 एवं 50000 रुपये का ऋण दिया जायेगा, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि क्रमशः 12 माह, 18 माह, एवं 36 माह होगी।



फलैगशिप योजना

राजीव आवास योजना

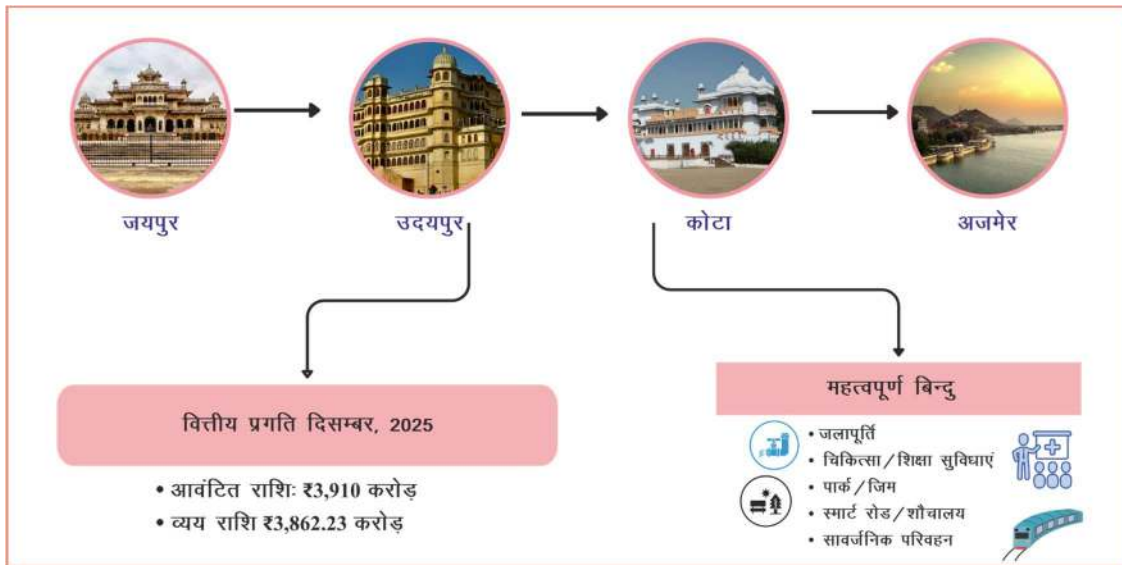
- झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बेघर परिवारों को पक्का मकान प्रदान करना।
- दिसम्बर – 2025 तक शुद्ध रूप से स्वीकृत आवासीय इकाईयों की संख्या।

राजस्थान अर्बन डवलपमेंट फंड-II (RUDF-II)

- गठन - 25 August 2021
- **कोषों की प्राप्ति :-**
 - ✓ ऋण : हुडको, वित्तीय संस्थाएँ एवं बैंक
 - ✓ अनुदान : विशेष/अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार से
 - ✓ अंशदान : यूएलबी, विकास प्राधिकरण, यूआईटी एवं राजस्थान आवसन मण्डल से अनिवार्य

स्मार्ट सिटी मिशन

- **शुरुआत** – 25 जून, 2015
- **उद्देश्य** – बेहतर बुनियादी ढांचे, उच्च जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण एवं स्मार्ट तकनीक आधारित शहरों को विकास।
- 5 वर्षों की अवधि में 100 शहर शामिल।
- भारत सरकार अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर के लिए 100 करोड़ रुपये (प्रतिवर्ष) एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए देने का प्रावधान है।
- **वित्तपोषण :-** 50% केन्द्र + 30% राज्य + 10% स्थानीय निकाय + 10% नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण



अमृत (AMRUT) मिशन : (अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन) -

- जून 2015 से शुरुआत (केन्द्र सरकार की योजना)
- **उद्देश्य**— शहरों में जलापूर्ति सुविधाएँ, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्मवाटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले तथा हरे भरे स्थानों का विकास।
- **लक्ष्य**— देश के 500 शहरों का विकास।
- राजस्थान से इसमें कुल 29 शहरों का चयन किया गया है।

अमृत 2.0 (AMRUT 2.0)

- **प्रारंभ** – 1 अक्टूबर, 2021
- सीवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य हेतु कार्यक्रम।
- **लक्ष्य**— 2025-26 तक 'हर घर नल' द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना।

आबादी	केन्द्र सरकार का हिस्सा
1 लाख से कम	50%
1 से 10 लाख	33.33%
10 लाख से अधिक	25%

- **जलापूर्ति कार्यों की निष्पादन एजेंसी**— जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

7 सीवरेज परियोजनाएँ

राजस्थान सरकार द्वारा 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर लाईन डालने व ट्रीटमेंट प्लांट के कार्य करवाये जायेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0 (SBM-U) - 2 अक्टूबर, 2014**फलैगशिप योजना**

- **उद्देश्य** – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इसमें घरेलू व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, मूत्रालयों का निर्माण व प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।
- भारत सरकार द्वारा राजस्थान में सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 -

- इसके अंतर्गत समस्त शहरी स्थानीय निकायों को ODF घोषित किया जा चुका है।
- **शुभारंभ** : अक्टूबर 2021 से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0
अवधि : 2 अक्टूबर 2026 तक (5 वर्ष)
- **प्रमुख घटक**
 - ✓ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन— 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण
 - ✓ सतत स्वच्छता— शहरों के ODF स्टेट्स को बनाये रखना।
 - ✓ उपयोग किये गये जल का प्रबंधन— अनुपचारित मल व जल को उपचारित कर छोड़ना।
 - ✓ सूचना, शिक्षा, संचार (IEC) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) द्वारा स्वच्छ व्यवहार हेतु जागरूकता
 - ✓ संस्थागत क्षमता निर्माण (CB)

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना

- **पूर्व नाम**— इन्दिरा रसोई योजना (नाम परिवर्तन – 5 जनवरी, 2024)
- **प्रारम्भ** : 20 अगस्त, 2020
- **संकल्पना** – “लक्ष्य अंत्योदय – प्रण अंत्योदय – पथ अंत्योदय”
- प्रदेश के सभी 230 नगरीय निकायों में 992 इंदिरा रसोई शुरू की जा चुकी है तथा 79 नवगठित नगरीय निकायों में संचालन के बाद कुल संख्या 1071 हो जायेगी।

- प्रतिवर्ष व्यय – 250 करोड़ रुपये
- इसके तहत 8 रुपये प्रति थाली में दोपहर व रात्रि में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :-



फलैगशिप योजना

- प्रारम्भ :- 25 जून, 2015
- पात्र -
 - ✓ बेघर
 - ✓ कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये)
 - ✓ अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख)

विवरण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी-I	एमआईजी-II
वार्षिक पारिवारिक आय (रु.)	3 लाख तक	3-6 लाख	6-12 लाख	12-18 लाख
कारपेट एरिया (वर्ग मीटर)	30	60	160	200
ब्याज सब्सिडी (%वार्षिक)	6.5%		4.0%	3.0%

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 :

उद्देश्य - 2024 से 2029 तक 5 वर्षों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये) व अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख) के परिवारों को 1 करोड़ स्थायी आवास उपलब्ध करवाना है।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि :-

- गठन – 2011-12
- उद्देश्य— सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबन्धन हेतु।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना :-

- प्रारम्भ – 9 सितम्बर, 2022 (पुराना नाम – इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना) 26 नवम्बर, 2024 नाम परिवर्तन
- उद्देश्य - 18 से 60 वर्ष आयु के शहरी व्यक्तियों को अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके आर्थिक सहायता देना।
100 + 25 = 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाना। (2023-24 में)
- विभाग :- स्वायत्त शासन विभाग
- इस योजना में 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी मजदूर महिलाएँ हैं।
- इसमें परिवार जन आधार Id का उपयोग कर, निःशुल्क पंजीकरण कर जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP)

- कार्य— शहरी अवसंरचना (सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज आदि) का विकास।
- RUIDP - चरण III – 12 शहरों में कार्य।
- RUIDP- चरण IV –
 - ✓ ट्रेच 1 – 14 शहरों में कार्य
 - ✓ ट्रेच 2 – 16 शहरों में कार्य (ADB द्वारा वित्त पोषण)

Note : अध्याय 7 में विस्तार से वर्णन

विजन स्टेटमेंट—विकसित राजस्थान @2047

2047 तक, राजस्थान कुशल, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित शासन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और डाटा विश्लेषण कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता और भूमि प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे। स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।



राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवा के तीन स्तम्भ



सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी

स्मार्ट (सर्विस मैनेजमेंट विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड रियल टाइम सिस्टम) प्रोजेक्ट :-

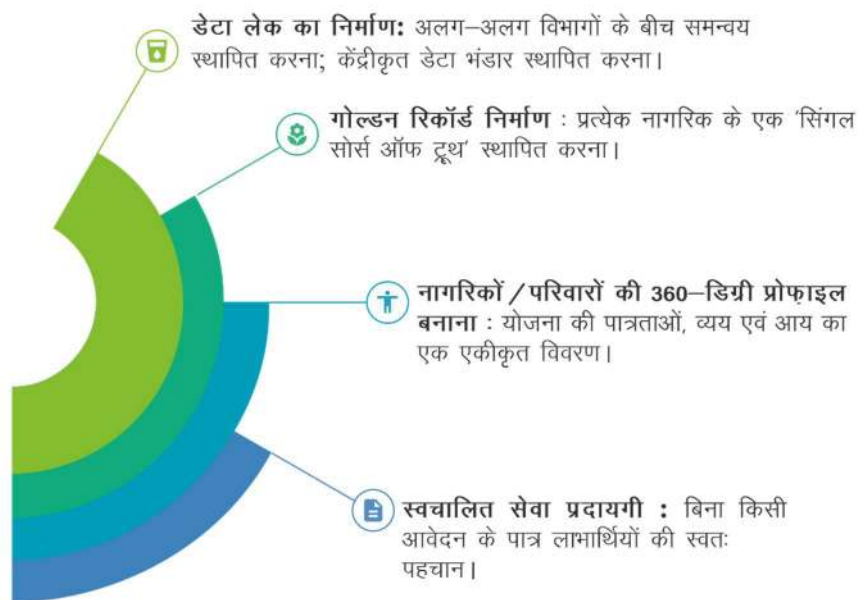
- **घोषणा** :- बजट 2024 – 2025
- **उद्देश्य** :-
 - ✓ AI/ML द्वारा डेटा का उपयोग कर लाभार्थियों की स्वतः पहचान, स्वतः आवेदन, स्वतः अनुमोदन और लाभों की स्वतः प्रदायगी सुनिश्चित करना।

- ✓ इस हेतु "गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन" तैयार कर डेटा को "सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ" के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

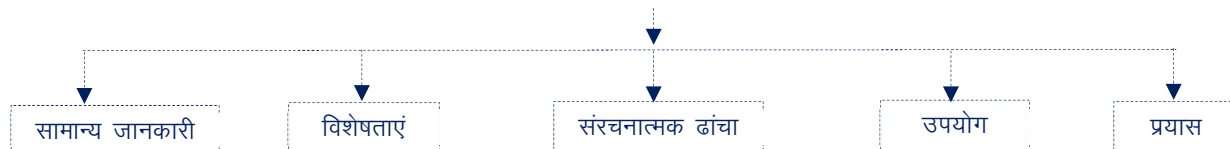


- नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकारी विभाग विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयों सग्रहित कर डेटा सेट्स बनाते हैं। इसके माध्यम से नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं।

विभागीय डेटा सेट्स से लाभ प्राप्ति के प्रमुख चरण :-



राजस्थान जन आधार योजना (एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान)



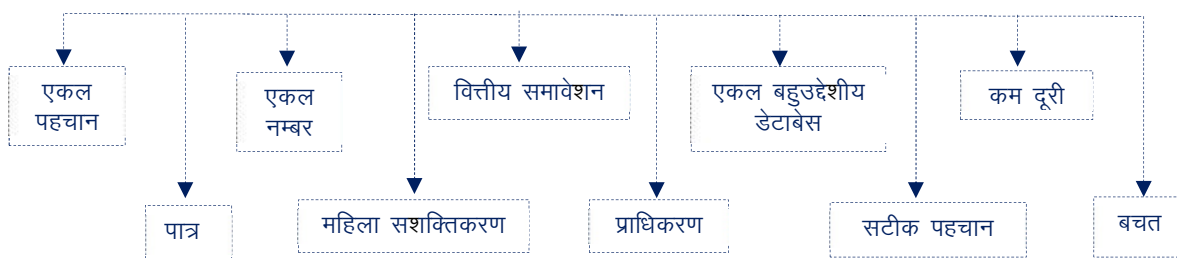
(i) सामान्य जानकारी :-

- बजट घोषणा : 2019 – 20
- प्रारंभ : 18 दिसम्बर, 2019
- उद्देश्य : राज्य में एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
- प्राधिकरण : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (आयोजना विभाग)
- अधिनियम : राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020
- विनियमन : जन आधार प्राधिकरण नियम-2021 (लागू- 4 अगस्त 2021)
जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की धारा 40 के तहत।
- 5 अप्रैल, 2022 को राज्य के 'जन आधार कार्ड' को राशन कार्ड घोषित।
- 31 मार्च 2024 तक राजस्थान की 97% अधिक जनसंख्या सम्मिलित
- जन आधार देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्ट्री है।

(ii) संरचनात्मक ढाँचा :-

- जन आधार योजना अधिकारी—
 - ✓ राज्य स्तर : आयोजना विभाग (प्रशासनिक विभाग)
 - ✓ जिला स्तर : जिला कलेक्टर
 - ✓ उपखण्ड/ब्लॉक स्तर – उपखण्ड अधिकारी
- क्रियान्वयन एजेंसी : राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL)

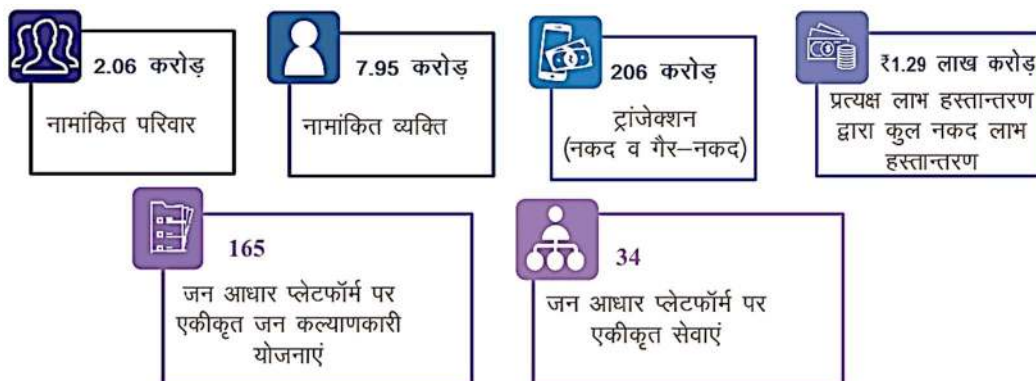
(iii) विशेषताएं :-



- एकल पहचान :- यह पहचान संख्या, पहचान के प्रमाण, पते के प्रमाण एवं परिवार के मुखिया के साथ सदस्यों के संबंध के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।
- पात्र :- राज्य के सभी निवासी 'जन आधार' पंजीयन हेतु पात्र है।
- एकल नम्बर :-
 - ✓ नामांकित परिवार → 10 अंकीय पहचान संख्या
 - ✓ मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य → 11 अंकीय पहचान संख्या
- महिला सशक्तिकरण :-
 - ✓ परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला।
 - ✓ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं होने पर 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है।
- वित्तीय समावेशन :- सभी महिला मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य।
- प्राधिकरण :- "एक नम्बर एक कार्ड एक पहचान" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन।

- **एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस** :- राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद एवं गैर नकद सेवा वितरण के लिए "एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस" है।
- **अपात्र एवं दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए मास्टर डेटाबेस का निर्माण** : अधिनियम के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान जन आधार डेटाबेस से करना अनिवार्य।
- **सरकारी योजनाओं के लाभ कम दूरी पर**
 - ✓ नकद लाभ – बैंक खातों में हस्तान्तरित।
 - ✓ गैर नकद लाभ – आधार प्रमाणीकरण के पश्चात् घर के समीप।
- **वित्तीय संसाधनों की बचत** : प्रतिवर्ष सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपये से अधिक बचत।
- राजस्थान में जन आधार कार्ड अब राशन कार्ड है।
- जन आधार पोर्टल से 199 से अधिक योजनाएं एवं सेवाएं एकीकृत हैं।

राजस्थान में जन आधार योजना की प्रगति (दिसम्बर, 2025 तक)



(iii) उपयोग :-

- वित्तीय समावेशन व महिला सशक्तिकरण
- दोहरे लाभार्थी की समस्या से छुटकारा।
- व्यापक जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक डेटाबेस, जो परिवार के 60 से अधिक मापदण्डों को कवर करता है।
- ई-मित्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। (धारा-20)

(iv) "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" सम्बन्धित प्रयास : इसके लिए जन आधार डेटाबेस और पोर्टल के साथ निम्न को एकीकृत किया गया –

- राशन कार्ड डेटाबेस को।
- मतदाता पहचान कार्ड को – छद्म मतदाताओं की पहचान।
- स्वावलम्बन पोर्टल को – विशेष योग्यजन की पहचान।
- पहचान पोर्टल को (राज्य का जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लिए पोर्टल) – राज्य की जनसंख्या की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान।
- स्वास्थ्य संबंधित डेटा को (पीसीटीएस, NFHS, आभाकार्ड आदि) – स्वास्थ्य प्रणाली संबंधित विसंगतियों की निगरानी और समाधान सम्भव।

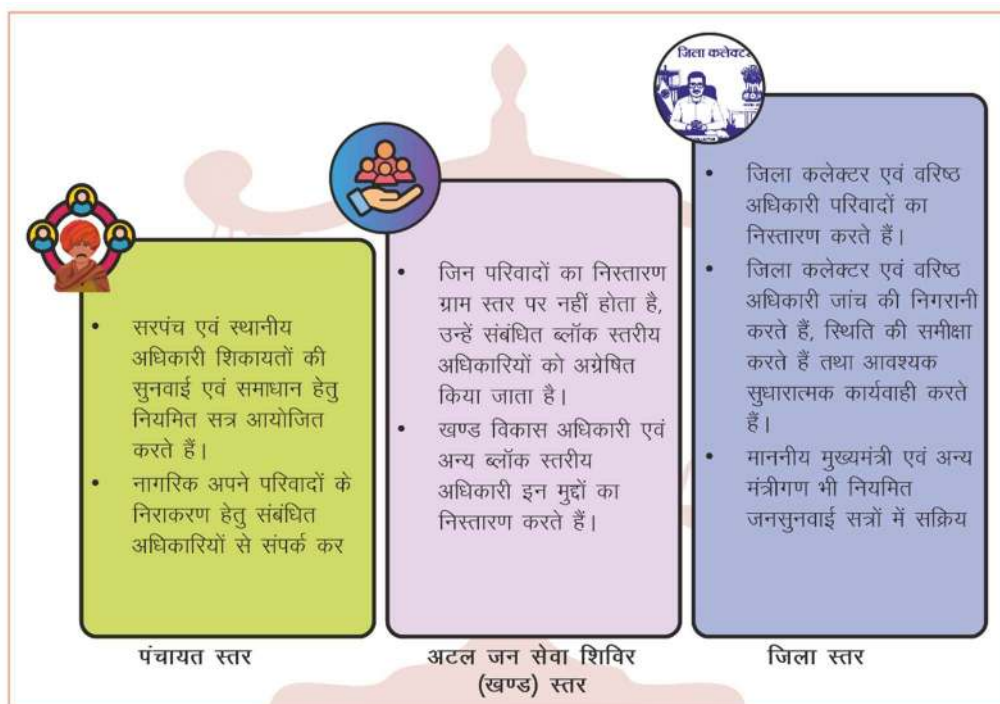
- इसी प्रकार प्राधिकरण अन्य कार्ड जैसे : बीपीएल कार्ड, श्रमिक कार्ड, यूडीआईडी कार्ड इत्यादि को भी एकीकृत करने के लिये प्रयासरत।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 :-

- उद्देश्य** : नागरिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करना।
- अधिनियम के तहत 28 विभागों की कुल 306 सेवाएँ अधिसूचित।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 :-

- त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली –
- December, 2025 तक प्राप्त शिकायतें :- 84,099
समाधान :- 84,048



ई-मित्र सेवा वितरण :-

- राजस्थान ने 2002 में सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई-मित्र लॉन्च किया।

ई-मित्र :-

- (ई-मित्र संख्या > 78 हजार) – भूमि कानून के तहत स्थापित।
- उद्देश्य** – सभी सरकारी और निजी नागरिक केन्द्रित सेवाओं को आम आदमी तक पहुँचाना।
- 600 से अधिक G2C और B2C सेवाएं उपलब्ध।
- दिसम्बर 2025 में ई-मित्र पोर्टल पर 10 नवीन सेवाएं (9 सरकारी क्षेत्र की G2C सेवाएं एवं 1 टैक्स बड़ी की B2C सेवाएं) प्रारम्भ की गई।
- राज्य में दो भौतिक काउन्टर शुरू किये गये। (मल्टी मॉडल सेवा प्रदायगी मंच)
- 19 दिसम्बर 2021 को ई-मित्र होम सर्विस शुरू (जयपुर, जोधपुर में 5 सेवाओं के साथ शुभारंभ)।

ई-मित्र प्लस स्वयं सेवा कियोस्क :-

- **उद्देश्य :-** बिना किसी सरकारी कार्यालय में गये सभी सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना।
- राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय व शहरी स्थानीय निकायों में स्थापित
- **लाभ :-** ई-मित्र सेवाओं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ग्राम पंचायत स्तर), सोशल ऑडिट।
- **राज्य में कुल ई-मित्र कियोस्क :-** 14,891

U.I.D. आधार :-

- भारत के सभी निवासियों को जनसांख्यिकी एवं बायोमैट्रिक पहचान प्रदान करने के लिए अनिवार्य।
- 12 अंकों की संख्या 1 (विशिष्ट पहचान संख्या)।
- राज्य में 8 करोड़ आधार ID जारी।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल :-

- केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नं. 181 – नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- राजस्थान सम्पर्क कॉल सेंटर से 157 विभाग एवं कार्यालय, 96 ब्यूरो, बोर्ड, आयोग, निगम एवं संघ तथा 52 संस्थान, अकादमी एवं विश्वविद्यालय संबद्ध हैं।

जन सूचना पोर्टल :-

- RTI, 2005 की धारा 4(2) के अनुसार विकसित।
- योजनाओं की पात्रता, उपलब्धि और नोडल विभाग की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु।
- 117 विभागों, 351 योजनाओं तथा 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध।

**सिंगल साइन ऑन :-**

- **वन डिजिटल आइडेन्टिटी सिद्धांत** के आधार पर राज्य सरकार की सभी एप्लीकेशन सिस्टम तक केन्द्रीयकृत पहुँच प्रदान करता है।
- सभी विभागीय एप्लीकेशन SSO से जुड़े हैं।
- समस्त उपयोगकर्ताओं द्वारा केवल एक बार साईन इन करने के उपरान्त विभिन्न एप्लीकेशन पर कार्य किया जा सकता है।
- वर्तमान में 604 विभागीय एप्लीकेशन SSO प्लेटफॉर्म से एकीकृत हैं।



राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) पॉलिसी 2024

उद्देश्य : राज्य को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) का प्रमुख केंद्र बनाना है।

लक्ष्य :

1. एवीजीसी-अक्सआर में निवेश को आकर्षित कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
2. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

विशेषताएं :-

- वित्तीय प्रोत्साहन :** उत्पादन अनुदान (30 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति) और स्टार्टअप के लिए वित्तपोषण करना।
- बुनियादी ढांचे का विकास :** अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी संसाधनों तक पहुँच।
- कौशल विकास :** विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।
- व्यापार करने में आसानी :** अनुमोदनों और प्रोत्साहनों के लिए समर्पित AVGC-XR कक्ष और एकल खिड़की पोर्टल।
- सांस्कृतिक संवर्द्धन :** राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित सामग्री के लिए प्रोत्साहन और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग।
- अनुसंधान और विकास :** आईपी निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाओं और AVGC-XR सैंडबॉक्स के लिए समर्थन।

स्टार्ट अप के लिये कार्यक्रम :-

- आईस्टार्ट कार्यक्रम : स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स और सलाहकारों के लिए एक एकल खिड़की मंच के रूप में कार्य करता है।
 - ✓ आईस्टार्ट पोर्टल (सिंगल विंडो)– www.istart.rajasthan.gov.in
 - ✓ क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम।
 - ✓ इन्क्यूबेटर।
 - ✓ इनोवेशन चैलेंज एण्ड अवॉर्ड।
 - ✓ आईस्टार्ट नेस्ट।
 - ✓ जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, चुरू, पाली, जोधपुर में इन्क्यूबेटर स्थापित।
- इनोवेशन हब (जयपुर, जोधपुर, कोटा)।
- स्टार्टअप कार्यक्रम के विस्तार के लिए—
 - ✓ स्कूल स्टार्ट अप
 - ✓ ग्रामीण आई स्टार्ट

राज ई वॉल्ट :-

- विभिन्न सरकारी विभागों और नागरिकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली।
- राज ई वॉल्ट का डिजिलॉकर से एकीकरण।
- इस पर 86 करोड़ से अधिक दस्तावेज संग्रहित है।

कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति



क) राज-एआईएमएस : डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (Raj & AIMS) परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है

इसमें निम्न आधुनिक तकनीकें सम्मिलित हैं—

- | | |
|---|------------------------------------|
| ✓ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) | ✓ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी |
| ✓ एग्रीकल्चर रोबोट | ✓ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर |
| ✓ मशीन लर्निंग (AIML) | ✓ ड्रोन/अनमेन्ड एरियल व्हीकल (UAV) |
| ✓ रिमोट सेंसिंग एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) | |

ख) राजकिसान साथी पोर्टल : कृषि योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु। (Ease of doing Farming)

राज किसान साथी परियोजना के तहत 40 विभिन्न योजनाओं के 150 से अधिक मॉड्यूल एवं 11 मोबाइल एप विकसित किये गए।

ग) राज सहकार पोर्टल : उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रारम्भ किया गया एक एकीकृत प्लेटफॉर्म।

विभाग — सहकारिता विभाग

इस पोर्टल के द्वारा निम्न सेवाएं दी जाती हैं —

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ✓ अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन | ✓ नवीन सहकारी संस्था पंजीकरण |
| ✓ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आवेदन | ✓ NGO पंजीकरण |
| ✓ ऑनलाइन भुगतान | ✓ खेलसंघों के पंजीयन |

घ) नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) :

- ✓ मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म।
- ✓ यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक घटक है।
- ✓ पंजीकृत किसानों की साख सुविधाएँ, प्रदर्शन अनुदान, मत्स्य सहकारिता का सुदृढीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण जैसी सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम बनाएगा।

स्थानीय स्वशासन : (LSG)

- स्थानीय स्वशासन विभाग शहरी नागरिकों को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता जैसे बिल्डिंग प्लान स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी आदि।
- **ई नीलामी पोर्टल** – नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने हेतु सरकार की प्रमुख पहलें :-

राजनेट एवं राजस्वान :-

- राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RAJSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी।
- जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में **V.C. रूम** स्थापित।
- राज्य की 9260 से अधिक ग्राम पंचायतों में राज नेट के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी है।

स्टेट पोर्टल :-

- सूचना और लेनदेन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है।
- यह विभिन्न विभागों, संस्थानों, संगठनों आदि के वेब पोर्टल से जुड़ा हुआ है।
- दिसम्बर 2025 तक लगभग 93 लाख लोगों ने इस पोर्टल का उपयोग किया व सेवाओं का लाभ उठाया।

स्टेट डेटा सेन्टर (SDC) :-

- सेवाओं/एप्लिकेशन को बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।
- **कुल क्षमता**— 800 रैक की है।
- **RSDC** - डिजास्टर रिकवरी (DR) साइट/सेन्टर—जोधपुर भी शामिल।
- भामाशाह स्टेट डेटा सेन्टर (RSDC-P4) अपट्टाईम टीयर – 4, प्रमाणित गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा है।

राज-काज पोर्टल :-

- केन्द्रीयकृत आई.टी.प्लेटफॉर्म
- इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी कार्य SSO के साथ लागू किए जा रहे हैं।
- ई-फाइल प्रणाली का उपयोग।
- माड्यूल – IPR, PAR, NOC, लीव, ई-फाइल एवं ई-डाक शामिल।
- राज-काज संस्करण 2.0 का विकास किया गया है।

राज ई-साइन :-

- आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना।
- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज+हस्ताक्षर
- यह कार्य RISL के माध्यम से शुरू किया है।
- औसतन 70,000 से अधिक दस्तावेज प्रतिदिन ई-साइन किए जा रहे हैं।

राजमेल :-

- निःशुल्क ई-मेल सेवा।
- स्थानीय भाषा में सभी नागरिक के लिए उपलब्ध।

कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर (अभय) :-

- GPS तथा CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु।
- 7 संभागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में अभय सेंटर स्थापित किए गए हैं। (स्थापित कुल कैमरे – 25159)
- इस परियोजना में निम्न प्रणालियाँ शामिल हैं –
 - ✓ डायल 100 कंट्रोल सिस्टम
 - ✓ वीडियो सर्विलेंस सिस्टम
 - ✓ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम
 - ✓ व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम
 - ✓ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट
 - ✓ जोग्रोफिकल इन्फोरमेशन सिस्टम।

जिला प्रभारी सचिवों द्वारा निरीक्षण तथा दौरे :-

- उद्देश्य : महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं, बजटीय घोषणाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण।
- इसके लिए वरिष्ठ IAS अधिकारियों व सचिवों को जिला प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड (सीएम एक्सेल्स) एवं सम्पर्क पोर्टल अवार्ड :-

- उद्देश्य : लोक सेवकों एवं विभागों को उत्कृष्ट कार्य, नवाचारों के लिए प्रेरित करना तथा कार्यकुशलता बढ़ाना है।
- 21 अप्रैल, 2025 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार : 6 अधिकारियों एवं 3 विभागों को
- सम्पर्क पोर्टल पुरस्कार : 9 अधिकारियों और 4 विभागों को

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :-

- नोडल विभाग – प्रशासनिक सुधार विभाग
- आवेदन के लिये ऑनलाइन पोर्टल।

राजस्थान एप्लिकेशन विकास केन्द्र (राजकैड) :-

- यह क्षमता निर्माण और कौशल संवर्द्धन का नवाचार मॉडल है।
- इसका मूल मंत्र : “कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी”
- कार्य :- डेटा एनालिटिक्स के तहत वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन, मॉड्यूल के लिए डैशबोर्ड विकसित करना।
- राज कैड ने निम्न महत्वपूर्ण उभरती तकनीकों (Python, ArcGIS, Flutter, AI / ML & Cloud) को अपनाकर अपनी IT क्षमता को मजबूत किया।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) –

- भौगोलिक स्थानों से डेटा का प्रबंधन और विश्लेषण करने के लिये निर्णय समर्थन प्रणाली।
- औद्योगिक ले-आउट योजनाओं के सहायता हेतु राजधारा रीको जीआईएस प्लेटफार्म के साथ एकीकृत।
- भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु ‘राजधारा’ नामक राज्य-स्तरीय एकीकृत जीआईएस प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है।
- राजधारा पहल के अन्तर्गत निम्न समाधान प्रदान कराये गए हैं –
 - ✓ विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग हेतु मोबाइल एप्लिकेशन
 - ✓ पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए GIS आधारित DLC टैगिंग
 - ✓ प्रशासनिक विभाग हेतु सड़क सूचना सहित

- ✓ जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान – 2025 के अन्तर्गत लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित कर उन्नत अवसंरचना, सीवरेज एवं ड्रेनेज योजना में सहयोग हेतु जयपुर का 3D सिटी मॉडल विकसित किया गया।
- ✓ हैरिटेज स्मारकों कि डिजिटल संरक्षण के लिए चयनित स्थलों का 3D स्कैन करके वर्चुअल संरक्षण हेतु मॉडल तैयार किये गये हैं— हवा महल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस जयपुर, जयपुर परकोटा, आमेर किला, सिटी पैलेस उदयपुर, कुम्भलगढ़ किला।
- ✓ नागरिकों एवं प्रशासकों को भूमि उपयोग की पहचान, खसरा एवं भू-खण्ड स्वामित्व विवरण देखने हेतु “अर्बन जीआईएस पोर्टल” लॉन्च किया गया है।

ई-प्रोक्योरमेंट (सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन – GEPNIC) :-

- प्रारंभ – अक्टूबर, 2011
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिये सभी सरकारी संगठनों और उपक्रमों के लिए प्रणाली लागू।
- ✓ 327 से अधिक विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों ने इसे अपनाया है।

डाटा एनालिटिक्स :-

- उद्देश्य— कर अपवंचन की पहचानकर तथा ‘कर’ आधार में वृद्धि कर, ‘कर राजस्व’ को बढ़ाना।
- इसे राजस्व अर्जित करने वाले विभागों (वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान) और राजस्थान सम्पर्क, RGHS, ई-मित्र, जन – आधार, RTI जैसी योजनाओं में लागू।
- डेटा संचालित नीति निर्धारण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना।

सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण का विकास :-

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण— उपर्युक्त विश्वविद्यालय से MCA पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले सरकारी कार्मिकों के शुल्क का पुनर्भरण।
- राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) –
- उद्देश्य – राज के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध करवाना।
RSCIT के लिए राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण।

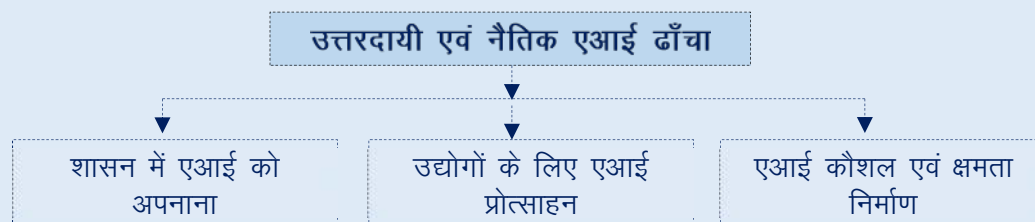
राजस्थान AI/ML नीति 2026 :-

प्रारम्भ : 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में

उद्देश्य : डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान को IT हब बनाकर जन सेवाओं को त्वरित, पारदर्शी बनाना।

प्रावधान:

- प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
- राजस्थान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी।
- स्कूल, कॉलेज व आईटीआई संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ की जायेगी।



प्रभावी वित्तीय प्रबंधन

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) –

- राजस्थान ने अपनी बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक तंत्र क्रियान्वित किया है।
- यह एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्भव हुआ है, जो वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है।
- उद्देश्य** – “बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया का प्रभावी प्रबंधन करना”

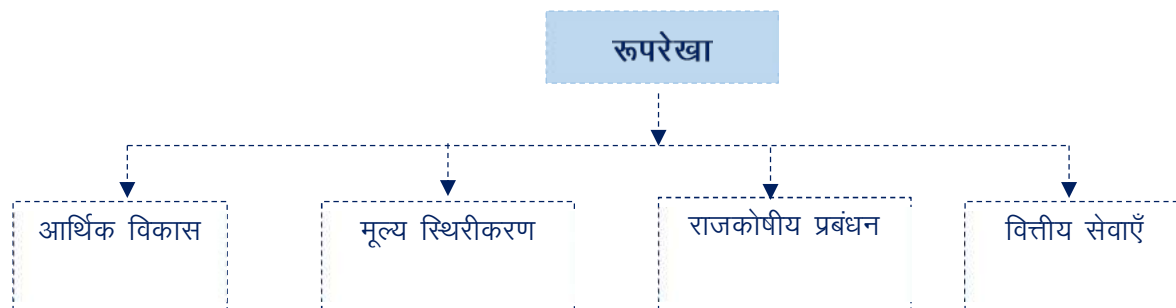


महत्व :-

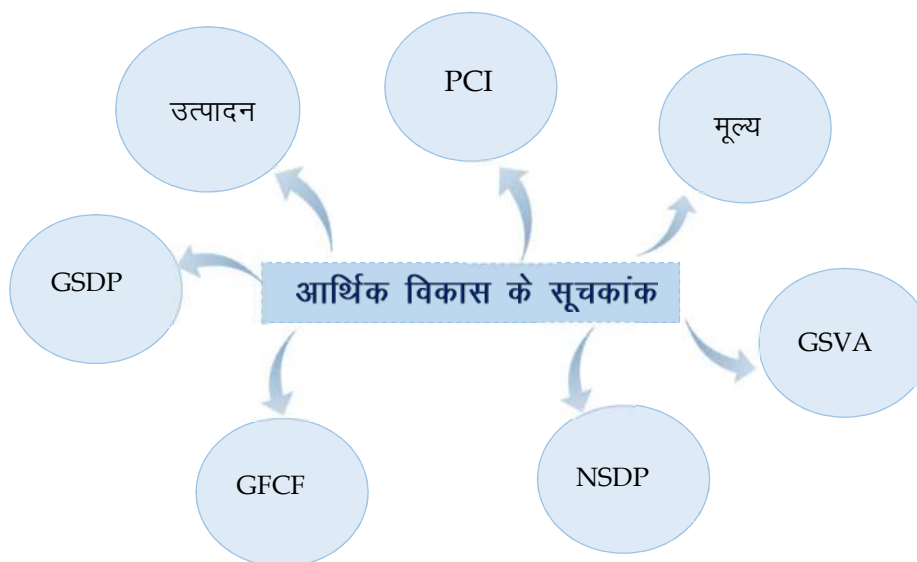
- ✓ नकदी प्रवाह प्रबंधन और खातों के वास्तविक समय समाधान में सुधार
- ✓ सूचना प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाना।
- ✓ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ाना।
- ✓ राज्य को स्वचालित और कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिये तैयार करना।
- ✓ भारत सरकार के नवोन्मेषी प्लेटफॉर्म के साथ संरेखित।
- ✓ मजबूत डेटाबेस तैयार होने के कारण इसका AI के साथ एकीकरण संभव।

विजन स्टेटमेंट-विकसित राजस्थान@2047

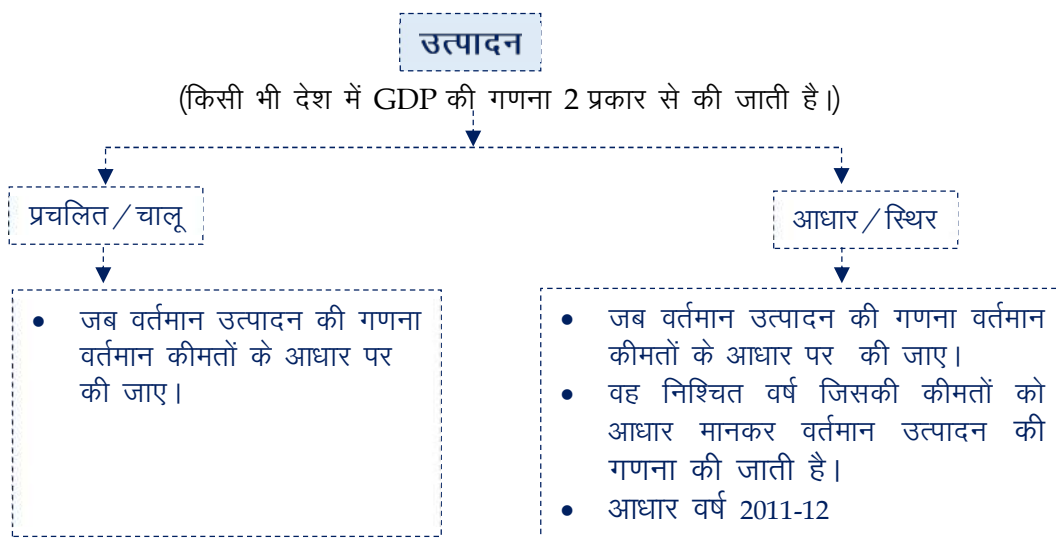
राजस्थान को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना है जो सतत विकास, वित्तीय स्थिरता और नागरिक केन्द्रीत शासन की मिसाल बने। इस विजन को प्राप्त करने के लिए एक्शन एजेण्डा में वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, समावेशी आर्थिक विकास, सतत विकास, सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल है।



आर्थिक विकास



- ❖ राजस्थान की प्रमुख चुनौतियाँ
- जल संकट
 - जलवायु संबंधी संवेदनशीलता
 - विकास में क्षेत्रीय असमानता



1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) :-

- यह एक विशिष्ट समयावधि के भीतर किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
- इस परिभाषा के 4 मुख्य भाग हैं—
 - अंतिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ
 - किसी देश का घरेलू क्षेत्र
 - एक विशिष्ट समयावधि के भीतर
 - मौद्रिक मूल्य

(GSDP)	स्थिर/बुनियादी मूल्यों पर (वर्ष 2011-12) Constant	प्रचलित Current Price
2025-26	9.82 लाख करोड़ (Lakh Cr)	18.75 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	8.66%	10.24%
5 वर्षों में वृद्धि (Growth in 5 years)	पिछले 5 वर्षों में Zigzag वृद्धि (Zigzag growth in last 5 years)	5 वर्षों में लगातार वृद्धि (Constant growth in 5 years)

भारत से तुलना –

कुल GDP (Total GSDP)	स्थिर (Constant)	प्रचलित (Current)
2025-26	201.90 लाख करोड़ (Lakh Cr)	357.14 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	7.4%	8.0%
राजस्थान का योगदान (Contribution of Rajasthan)	4.86%	5.25%

2. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) -

$$\text{NSDP} = \text{GSDP} - \text{मूल्यहास (Depreciation)}$$

मूल्यहास से तात्पर्य टूट-फूट के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि से है।

आँकड़े (Data) :-

	स्थिर (Constant)	प्रचलित (Current)
कीमत (Price)	8.59 लाख करोड़ (Lakh Cr)	16.85 लाख करोड़ (Lakh Cr.)
वृद्धि (Growth)	8.90%	10.48%

3. सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) - 2025 - 26

$$\text{GSVA} = \text{GSDP} - \text{Taxes} + \text{Subsidies}$$

- मुख्य उपयोग : क्षेत्रवार योगदान को दर्शाने के लिए।

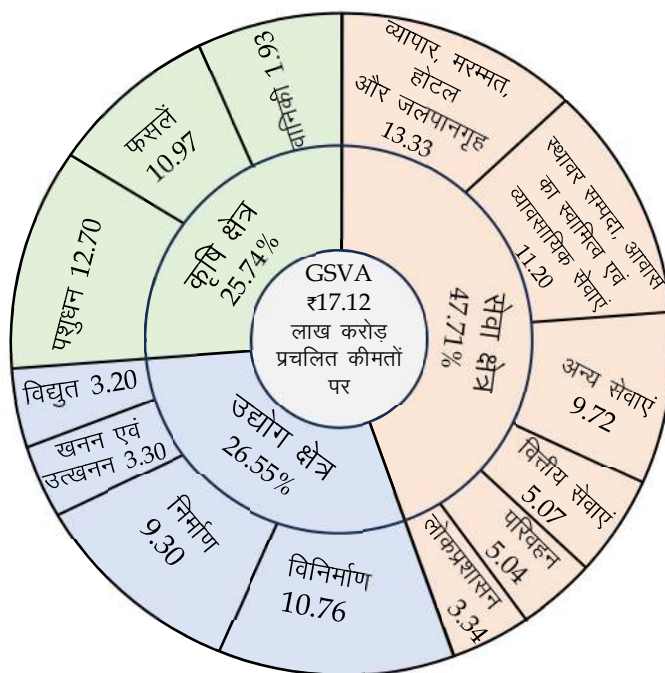
	स्थिर (Constant)		प्रचलित (Current)	
	2024 - 25	2025 - 26	2024 - 25	2025 - 26
कीमत (Price)	8.21 लाख करोड़	8.79 लाख करोड़	15.70 लाख करोड़	17.12 लाख करोड़
वृद्धि (Growth)	7.03%		9.03%	

- क्षेत्रवार हिस्सा :

स्थिर कीमतों पर	योगदान	वृद्धि	राशि
कृषि	25.33%	0.22%	2.23 लाख करोड़
उद्योग	28.21%	7.02%	2.48 लाख करोड़
सेवा	46.46%	11.15%	4.08 लाख करोड़

प्रचलित कीमतों पर	योगदान	वृद्धि	राशि
कृषि	25.74%	3.47%	4.41 लाख करोड़
उद्योग	26.55%	6.99%	4.54 लाख करोड़
सेवा	47.71%	13.52%	8.17 लाख करोड़

प्रचलित कीमतों पर GSVA का उप-वर्गीकरण :-



4. प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) :-

$$\text{प्रति व्यक्ति आय (PCI)} = \frac{\text{NSDP}}{\text{Mid-years total Population of the state}}$$

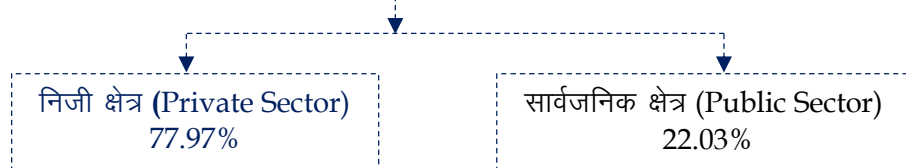
प्रति व्यक्ति आय (PCI)		स्थिर	वृद्धि	प्रचलित	वृद्धि
	राजस्थान	Rs.1,03,189	7.76%	Rs.2,02,349	9.32%
	भारत	Rs.1,21,968	6.3%	Rs.2,19,575	6.9%

5. पूंजी निर्माण : बुनियादी ढांचे का निर्माण –

- उद्देश्य :
 - विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण।
 - औद्योगिक विकास को बढ़ाना।
 - जीवन स्तर में सुधार
 - निवेशों को आकर्षित करना।
 - रोजगार के अवसर

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF):-

- प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में GFCF → 5,02,412 करोड़
- कुल GSDP का 29.53%
- वर्ष 2023-24 की तुलना में वृद्धि → 11.81%
- GFCF में हिस्सा (Share in GFCF)

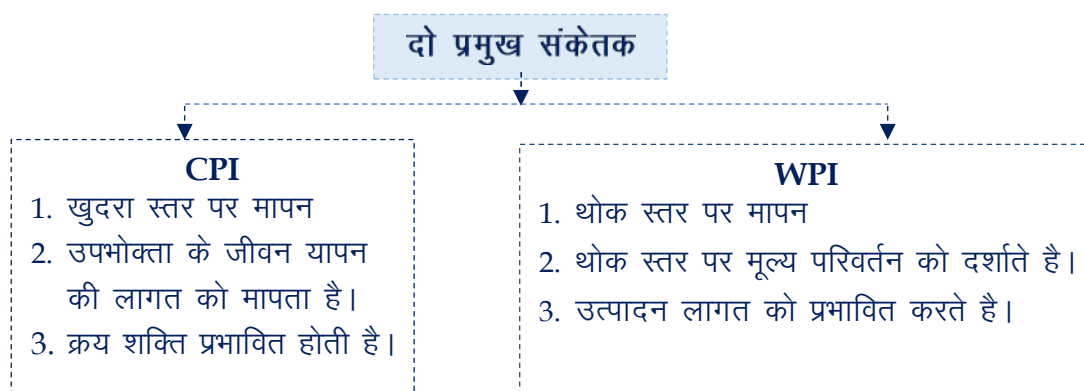


(पिछले 5 वर्षों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में Zig-Zag वृद्धि)

GFCF में सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र	GFCF में न्यूनतम योगदान वाले क्षेत्र
1. निर्माण (Construction) (2,07,125 करोड़)	1. भण्डारण (67 करोड़)
2. स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	2. मत्स्य (241 करोड़)
3. विनिर्माण	3. वानिकी (572 करोड़)
4. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य सेवाएं	4. वित्तीय सेवाएं (1619 करोड़)
5. अन्य सेवाएं	5. पशु पालन

मूल्य स्थिरीकरण : आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना

मूल्य सांख्यिकी :- किसी निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र में वस्तु व सेवाओं के मूल्य स्तर में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है।



थोक मूल्य सूचकांक (W.P.I.) :-

- थोक मूल्यों पर उतार-चढ़ावा को दर्शाता है।
- केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। (सेवाएं नहीं)
- थोक मूल्य सूचकांक को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है।

राजस्थान में WPI :-

- मासिक आधार पर जारी
- 154 वस्तुएं सम्मिलित
- आधार वर्ष → 1999 - 2000

वस्तु	संख्या	भारांश
प्राथमिक वस्तु	75	33.894%
विनिर्मित उत्पाद समूह	69	49.853%
ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक	10	16.253%

नोट :- प्राथमिक वस्तुओं में शामिल :-
1. कृषि वस्तुएं
2. खनिज

- Wholesale Price Index (WPI) में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान वृद्धि दर -

वस्तु	2024	2025	वार्षिक वृद्धि
प्राथमिक वस्तु	438.15	445.45	1.71% (सर्वाधिक)
विनिर्मित उत्पाद समूह	303.74	311.42	1.20 %
ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक	570.12	571.11	0.07 %
कुल	394.68	399.13	1.13 %

- अखिल भारतीय WPI वर्ष 2024 में 153.9 से बढ़कर 2025 में 154.9 (0.65% की वृद्धि)

[नोट : भारत सरकार WPI का आधार वर्ष "2011-12" रखती है।]

खाद्य मुद्रास्फीति - थोक मूल्य खाद्य सूचकांक (भार 30.163) :-

WPI के प्राथमिक व विनिर्मित समूह में से खाद्य उत्पादन का अलग से सूचकांक खाद्य कीमतों में अस्थिरता नियंत्रण के लिए प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 2024 में 421.67 से वर्ष 2025 में बढ़कर 427.13 हो गया, जिसमें 1.29% वृद्धि दर्ज की गई।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - (C.P.I.) :-

- उपभोक्ताओं के क्रय मूल्य पर आधारित।
- उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार इस सूचकांक का प्रयोग करती है।
- CPI में वस्तुएँ एवं सेवाएँ दोनों शामिल हैं।
- प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के C.P.I. तैयार किए जा रहे हैं।

A. C.P.I. औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPI-IW) - आधार वर्ष - 2016

B. C.P.I. कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL) - आधार वर्ष - 1986-87

जून 2025 से नया आधार वर्ष 2019 लागू किया गया है।

C. C.P.I. ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL)

D. C.P.I. ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु (CPI-R, U & C) - आधार वर्ष - 2012 N.S.O., नई दिल्ली द्वारा

[NSO : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय]

→ श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़

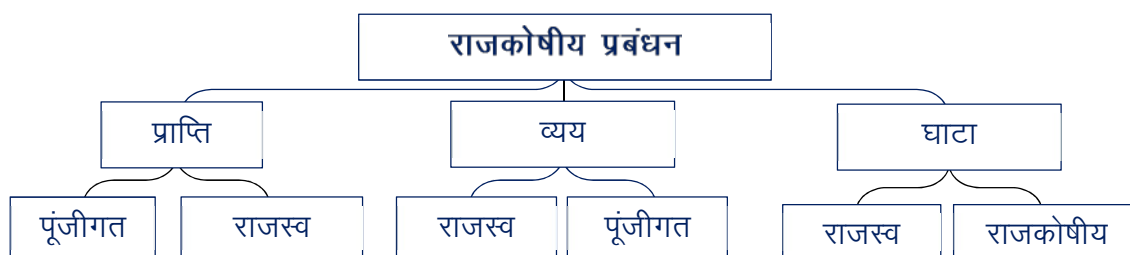
CPI-IW :-

- देशभर में 88 केंद्रों से आंकड़े लिये जाते हैं।
- राजस्थान में 3 केंद्र :

केन्द्र	वृद्धि
1. जयपुर	1.88%
2. भीलवाड़ा	2.62%
3. अलवर (अजमेर के स्थान पर)	2.02%

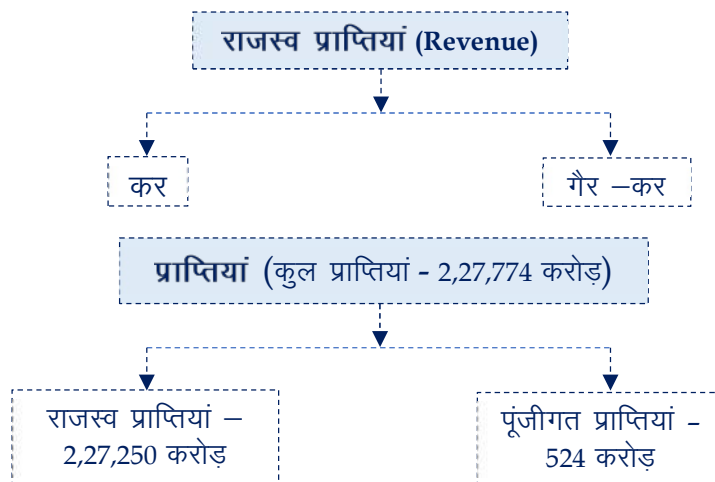
अखिल भारतीय वृद्धि दर :- 2.75%

राजकोषीय प्रबंधन : वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना



प्राप्तियां :-

- पूंजीगत प्राप्तियां - लोक ऋण (Public Finance)



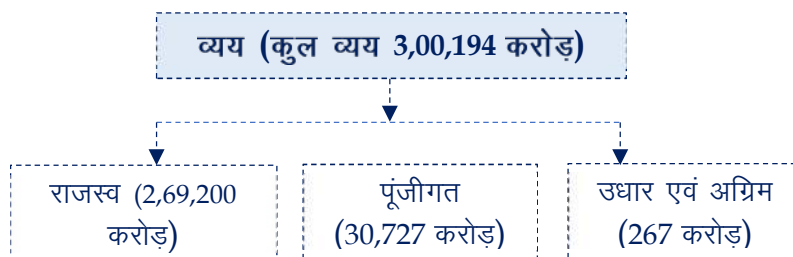
प्राप्ति का क्रम :-

- स्वयं के कर (Own Taxes) :-
 - (i) SGST
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी
 - (ii) Sales Tax
- गैर-कर
 - (iii) State Excise
- अनुदान (केन्द्रीय सहायता)
 - (iv) Tax on Vehicles

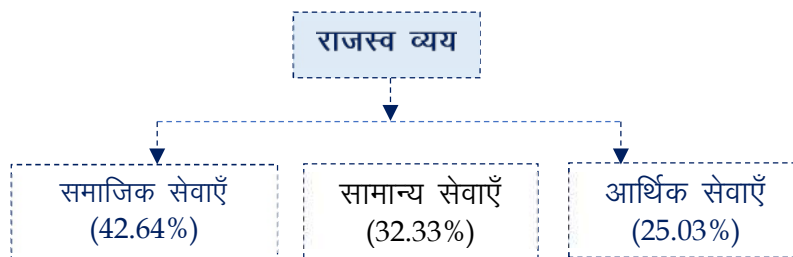
प्राप्तियों की प्रवृत्ति : (वर्ष 2024-25 में) –

1. राजस्व प्राप्तियों में 11.79% वृद्धि
2. राज्य के स्वयं के कर में 9.80% वृद्धि
3. विभिन्न कर प्राप्तियों में वृद्धि
 - I. मुद्रांक व पंजीकरण – 14.82%
 - II. राज्य उत्पादन शुल्क – 14.21%
 - III. वाहन कर – 12.98%
 - IV. विद्युत कर – 12.40%
 - V. SGST – 11.84%
 - VI. बिक्री कर (Sales Tax) – 3.28%

व्यय :-



राजस्व व्यय का सेवावार विवरण :-



स्कीमवार व्यय :-

1.	शिक्षा व स्वास्थ्य	28.25%
2.	पेयजल व ऊर्जा	19.68%
3.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	12.54%
4.	आधारभूत विकास	10.87%
5.	ग्रामीण विकास	10.15%

- न्यूनतम व्यय – सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं वैज्ञानिक सेवाएँ। (0.98 प्रतिशत)

व्यय की प्रवृत्ति :- (वर्ष 2024-25 में)

- 75.70% व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया। (वृद्धि - 14.41 प्रतिशत)
- वेतन एवं मजदूरी पर व्यय = राजस्व व्यय का 35.45 प्रतिशत (वृद्धि - 8.24 प्रतिशत)
- विकासात्मक व्यय (सामाजिक + आर्थिक सेवाएं) 70.08% (कुल व्यय का)

घाटा (Deficit) -

राजस्व घाटा (Revenue Deficit) = 41,950 करोड़ (वर्ष 2024-25) यह **GSDP** का 2.47 प्रतिशत है।

Note - FRBM Act, 2003 के अनुसार 0% होना चाहिए।

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) = 72,420 करोड़ (वर्ष 2024-25)

- यह GSDP का 4.26% रहा जो RAJ. FRBM ACT, 2005 के 4.37% से कम है।

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) : 32,241 करोड़

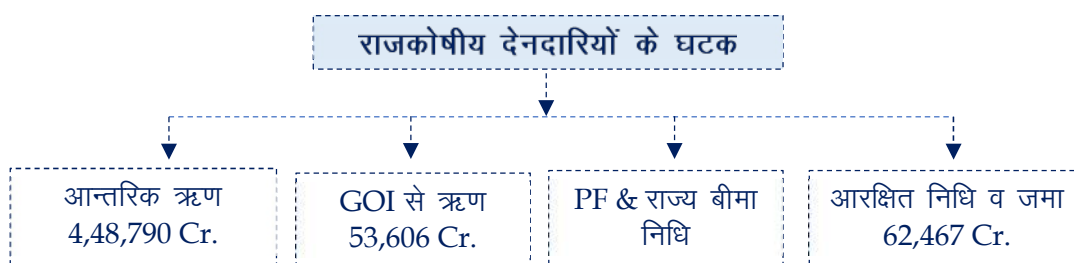
राजकोषीय देनदारियां (Fiscal Liabilities) - $\left(\frac{\text{Debt}}{\text{GDP}}\right)$

31 मार्च, 2025 तक = 6,40,844 करोड़ (12.77 की वृद्धि)

→ यह GSDP का 37.67% है।

→ अतिरिक्त ऋण प्रभाव (GST क्षतिपूर्ति व पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के बाद = 6,07,382 (35.70%)

FRBM Act, 2003 के अनुसार यह GDP का 34% होना चाहिए।



नोट :- वर्ष 2024-25 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 282 प्रतिशत रहा।

राजकोषीय देनदारियां राज्य का राजस्व (कर एवं गैर-कर) का 5.05 गुना है।

राजस्थान वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 :-

- लागू - मई, 2005 में
- संशोधन - 2011, 2021
- उद्देश्य (धारा 3)
 - ✓ राजस्व घाटा समाप्तकरना
 - ✓ राजकोषीय घाटे को धारणीय सीमा में रखना
 - ✓ गैर कर राजस्व में वृद्धि करना मानव कल्याण, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना।

- **सिद्धांत (धारा 4)**
 - ✓ उत्तरदायित्व
 - ✓ पारदर्शिता
 - ✓ स्थिरता
- **लक्ष्य (धारा 6)**
 - ✓ राजस्व घाटा – 0%
 - ✓ राजकोषीय घाटा – 3%
 - ✓ ऋण – GSDP अनुपात – 38.2% (2021 में संशोधन)
(अपवाद स्थितियों में 38.2% + 0.5%)
- **लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति/सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति (धारा 8)**
अधिकतम 5 सदस्य (विशेषज्ञ – वित्त, आर्थिक प्रबंध, योजना, प्रशासन, लेखा, विधि)
- **राज-विकास और गरीबी उन्मूलन निधि** का गठन धारा 6 के तहत।

वित्तीय सेवाएँ : पूंजी तक पहुँच के माध्यम से विकास को सक्षम बनाना

बैंकिंग –

लाभ –

1. 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका।
2. जमा राशि जुटाने व प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वितरण।
3. आधारभूत संरचना विकास में सहायक।
4. जीवन स्तर में सुधार-डिजिटल भुगतान, DBT etc.

राज्य में बैंक शाखाएँ (Sept 2025 तक) :-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक – 50.36%
2. निजी क्षेत्र – 25.09%
3. क्षेत्रीय ग्रामीण – 17.75%
4. लघु वित्त – 6.29%
5. पेमेन्ट बैंक – 0.43%
6. विदेशी – 0.08%

पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि –

बैंकिंग	राजस्थान	भारत
जमाराशि वृद्धि	9.75%	9.70%
साख जमा	89.61%	80.43%
कुल ऋण	13.15%	11.24%

राजस्थान में औसतन 9,080 व्यक्तियों पर
37.31 वर्ग km } एक बैंक

राजस्थान अनुमानित जनसंख्या = 832.78 लाख (1 Oct 2025)

डिजिटल भुगतान हेतु प्रदेश में बैंक शाखाओं के साथ 75000 से अधिक ई-मित्र/माईक्रोएटीएम/कियोस्क संचालित है।

प्रदेश में 1,27,468 बैंक मित्र (बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट) काम कर रहे हैं।

राज्य में बैंक शाखाओं की स्थिति – कुल-9172

1. विदेशी बैंक-7
2. पेमेंट बैंक-40
3. लघु वित्त बैंक-577
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-1628
5. निजी क्षेत्र के बैंक-2301
6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-4619

वित्तीय समावेशन :-

सम्बन्धित योजनाएँ –

1. स्टैण्डअप इंडिया योजना-

- लाभार्थी : SC/ST, महिला उद्यमी
- 10 लाख से 1 करोड़ की ऋण सुविधा
- 7 वर्षों हेतु
- गैर कृषि क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना हेतु।
- 'पूछताछ हेतु पोर्टल' – “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विकसित” (<http://www.standupmitra.in>)

2. अटल पेंशन योजना – असंगठित कामगारों के लिए

- आयु -
- न्यूनतम 18 वर्ष
 - अधिकतम 40 वर्ष
 - 60 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिमाह ₹1000 पेंशन
₹5000 पेंशन

3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना :-

- राज्य DBT सलाहकार बोर्ड – अध्यक्ष – मुख्य सचिव
- 5 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी
- DBT भारत पोर्टल- 126 राज्य योजनाएं व 55 केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएँ इस पोर्टल पर हैं।
- राज्य DBT सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदण्डों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
✓ डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान और उनकी ऑन-बोर्डिंग।

- ✓ आधार अधिनियम की धारा 7 या धारा 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना।
- ✓ सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण।
- ✓ डीबीटी योजनाओं की नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल ऐप उमंग पर उनका एकीकरण।

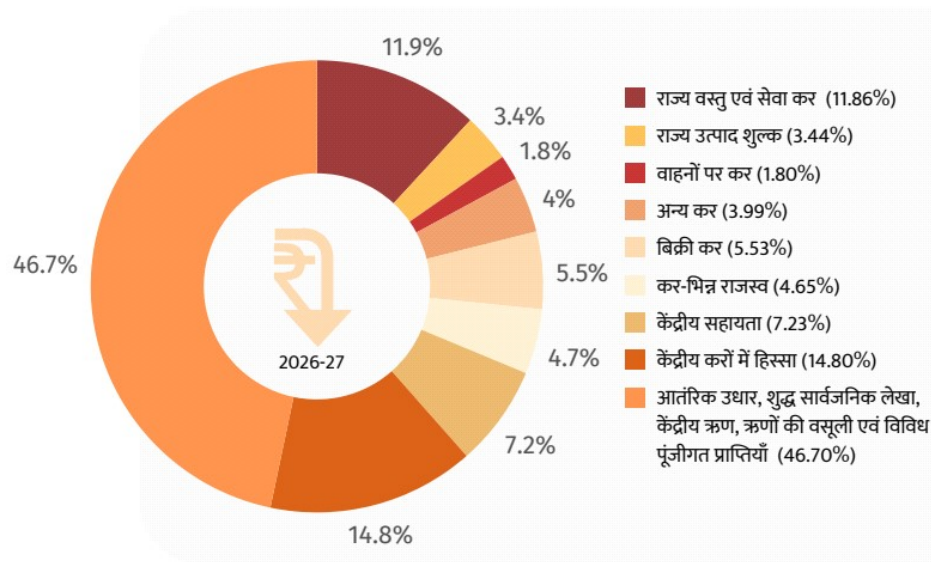
4. अन्य प्रयास :-

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना – राजस्थान में 3.80 करोड़ खाते खोले गए।
- प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना – राजस्थान में 132.82 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – राजस्थान में 295.26 लाख व्यक्तियों को नामांकित किया गया।
- प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम योजना – राजस्थान में कुल 2559 लाभार्थियों को ऋण दिया गया।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – इस योजना के तहत शिशु किशोर तरुण प्लस श्रेणियों में ऋण वितरण।

राज्य के आय व्यय का सार वर्ष (2026-27)

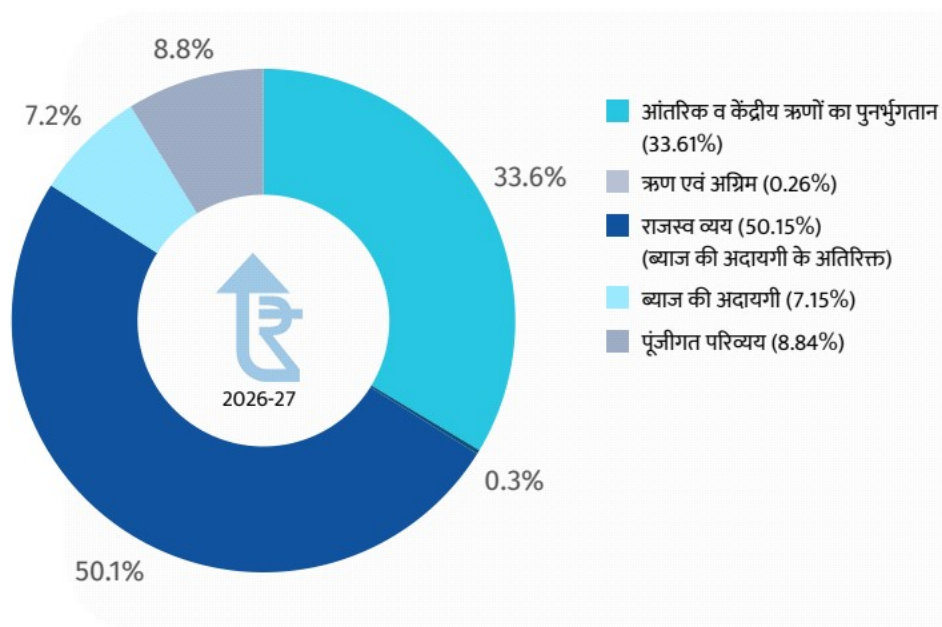
प्राप्तियां

रुपया आता है



व्यय

रुपया जाता है



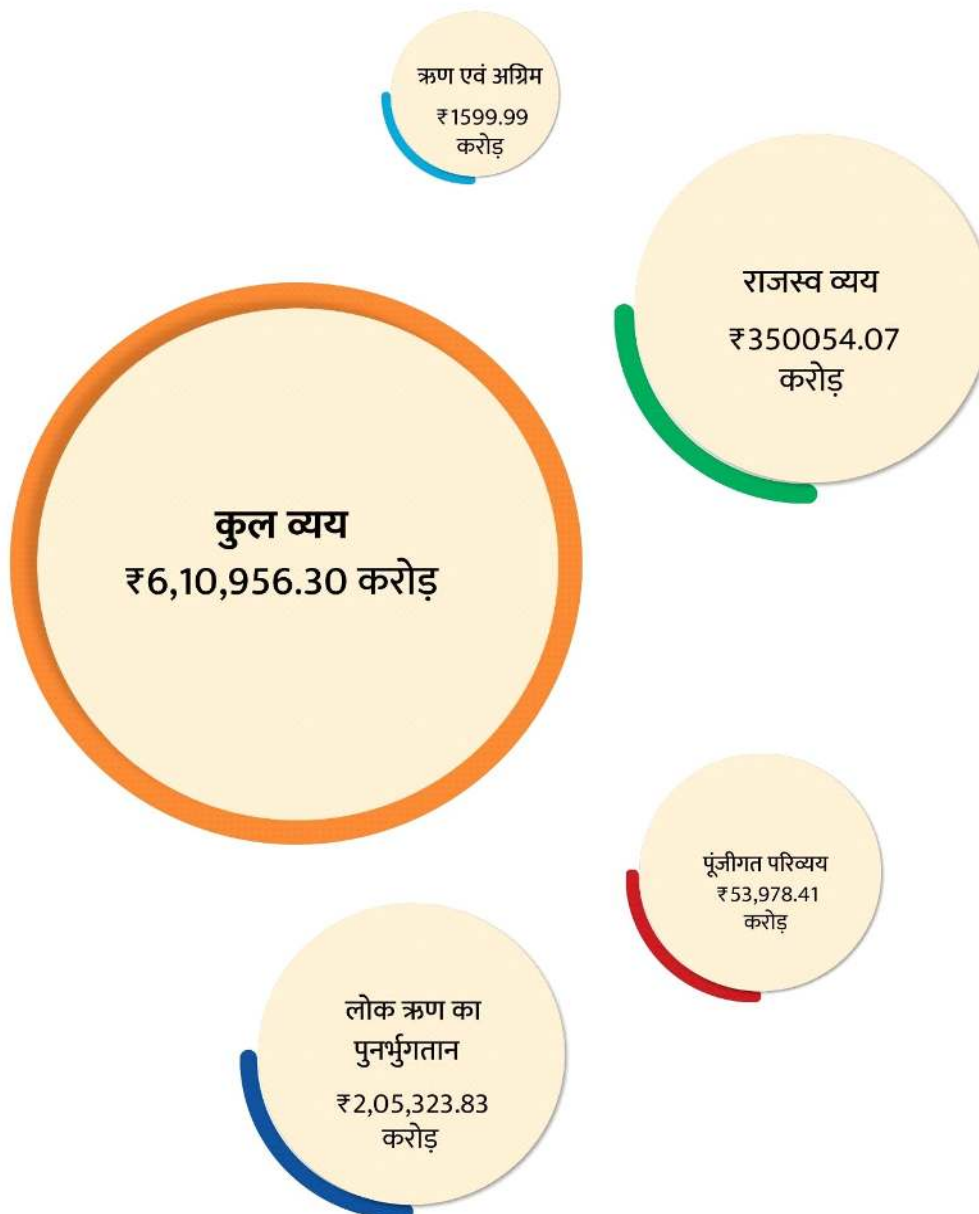
प्राप्तियां

2026-27



व्यय

2026-27



योजनागत प्रावधानों के मुख्य बिन्दु 2026-27

2,62,781.58 करोड़



कृषि-खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण

14398.20 करोड़

5.48%



स्वास्थ्य एवं कल्याण

27069.37 करोड़

10.30%



शिक्षा एवं ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था

46017.40 करोड़

17.51%



सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन

28489.35 करोड़

10.84%



औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

6441.07 करोड़

2.45%



पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास

509.92 करोड़

0.19%



आधारभूत अवसंरचना

58460.44 करोड़

22.25%



जल सुरक्षा एवं अनुकूलता

17220.30 करोड़

6.55%



पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

4536.64 करोड़

1.73%



ग्रामीण विकास

33418.86 करोड़

12.72%



शहरी विकास

20323.61 करोड़

7.73%



प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं

3799.98 करोड़

1.45%



वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति

2096.44 करोड़

0.80%



राजस्थान बजट-2026-27

विकसित राजस्थान @ 2047 विजन

- ◆ प्रेरणा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास'
- ◆ फोकस: आर्थिक समृद्धि, सतत एवं समावेशी विकास
- ◆ आधार: GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति)
- ◆ बजट = 'संकल्प से सिद्धि, नीयत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि'

राजस्थान बजट - 2026-27 मुख्यतः 10 स्तम्भों पर आधारित है :-

1. अव-संरचना का विस्तार।
2. नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि।
3. औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन।
4. मानव संसाधन का सशक्तीकरण।
5. सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
6. पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर।
7. सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन।
8. कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण।
9. हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता।
10. वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था।

Structural Reforms एवं आर्थिक वृद्धि-

- ◆ राज्य अर्थव्यवस्था (GSDP)
 - वृद्धि: 41.39% (वर्ष 2023 से)
 - वर्ष 2026-27 अनुमान: ₹.21,52,100 करोड़
- ◆ प्रति व्यक्ति आय (PCI)
 - वर्ष 2023: ₹.1,67,000 (लगभग)
 - वर्ष 2025-26 तक: ₹. 2,02,349 करोड़

राजकोषीय संकेतक

बजट आकार

6 लाख 10 हजार 956
करोड़ रुपये

राजस्व प्राप्तियां

बजट अनुमानों में 3 लाख
25 हजार 740 करोड़ 14
लाख रुपये

राजस्व व्यय

बजट अनुमानों में 3 लाख
50 हजार 54 करोड़ 7
लाख रुपये

राजस्व घाटा

बजट अनुमानों में 24 हजार
313 करोड़ 93 लाख रुपये

राजकोषीय घाटा

79 हजार 492 करोड़ 52
लाख रुपये (जीएसडीपी
का 3.69%)

पहला स्तम्भ: अव-संरचना का विस्तार

□ पूंजीगत व्यय- (Capital Expenditure)

- ◆ वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय: रु. 30,427 करोड़
- ◆ अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय।

□ सड़क एवं परिवहन विकास-

- ◆ सड़क विकास पर व्यय: रु. 27,860 करोड़
- ◆ नवीन सड़क निर्माण: 16,430 कि.मी.
- ◆ कुल सड़क विकास कार्य: लगभग 42,000 कि.मी.

□ Rural Connectivity विस्तार-अटल प्रगति पथ

- ◆ वर्ष 2024-25-10,000+ आबादी वाले ग्रामीण कस्बे
- ◆ वर्ष 2025-26-5,000+ आबादी वाले ग्रामीण कस्बे
- ◆ Cement Concrete के अटल प्रगति पथ निर्माण।
- ◆ आगामी वर्ष प्रस्ताव = 250 अटल प्रगति पथ
- ◆ अनुमानित लागत = रु. 500 करोड़

□ औद्योगिक संपर्क मार्ग विकास-

- ◆ प्रमुख क्षेत्र-प्रस्तावित व्यय: रु. 400 करोड़
- धरमपुरा-बाड़मेर
- मसूदा-ब्यावर
- कन्याखेड़ी-भीलवाड़ा

□ सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण-

- ◆ प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 11,700+ व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।
- ◆ (Vision 2047): सड़क दुर्घटना मृत्यु में 90% कमी लाने का लक्ष्य।
- ◆ प्रमुख उपाय-
 - ⊗ Intelligent Traffic Management System (ITMS)
 - ⊗ सड़क सुरक्षा सुधार कार्य - Black Spots का सुधार, Junction सुधार, Crash Barrier स्थापना, सड़क सुरक्षा बोर्ड, Road Safety Audit, अतिक्रमण हटाना।
 - ⊗ Driving Test Automation-35 Driving Test Tracks प्रस्तावित।

□ पेयजल : Vision 2047-जल सुरक्षा लक्ष्य-

- ◆ जल सुरक्षा रणनीति के प्रमुख स्तंभ-

○ Robust Governance

○ Sustainable Conservation

○ Equitable Utilisation

- ◆ Universal Access to Safe Water for All - जल जीवन मिशन को गति प्रदान।

◆ हर घर नल से जल-उपलब्धि

- ग्रामीण क्षेत्रों में 14 लाख से अधिक जल कनेक्शन,
- 400+ पेयजल परियोजनाएँ।
- कुल लागत: रु. 24,000 करोड़

◆ प्रमुख परियोजनाएँ-

1. परवन अकावद परियोजना-

- क्षेत्र: बारां, कोटा एवं झालावाड़
- लागत: रु. 3500 करोड़ का व्यय

2. नवनेरा परियोजना-

- क्षेत्र: कोटा एवं बूंदी के गाँव
- लागत: रु. 1100 करोड़ का व्यय।

□ मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी):

- ◆ लागत: रु. 5830 करोड़ से अधिक व्यय।
- ◆ योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाये गये peri&urban area के 6245 गांवों को सम्मिलित किया जायेगा

□ ग्रामीण पेयजल सुदृढीकरण-

- ◆ उद्देश्य: ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्धता।
- ◆ 600 Tube Wells +1,200 Handpumps
- ◆ Summer Contingency = प्रत्येक जिला कलेक्टर को रु. 1 करोड़ उपलब्ध।

□ Centre of Excellence-जल प्रबंधन : जयपुर

- ◆ Bureau of Water Use Efficiency की स्थापना
- ◆ Pilot Basis ij Water Distribution Efficiency कार्य- HCM RIPA ,सचिवालय,जल भवन।

□ Rajasthan State Water Policy

- ◆ उद्देश्य- आमजन को पेयजल सुविधा, Non&Domestic एवं Industrial Units हेतु जल उपलब्धता।

- ◆ प्रावधान- Raw Water o Treated Water के वितरण हेतु नीतिगत व्यवस्था।
 - **ऊर्जा (Power & Renewable Energy)**
 - ◆ Joint Venture & MoUs-
 - केंद्रीय उपक्रमों के साथ Joint Venture
 - लगभग रु. 2 लाख करोड़ निवेश।
 - ◆ सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि : 19,209 मेगावॉट
 - ◆ पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना-
 - 518 मेगावॉट क्षमता स्थापित।
 - 1,30,000+ Rooftop Solar Plants स्थापित।
 - ◆ सौर पार्क विकास-Joint Venture
 - बीकानेर-मेहरासर-दीनसर-बराला व रावड़सर-करणीसर-भाटियान-बीकांलाई
 - जैसलमेर-राघवा-सहुआ
 - कुल क्षमता: 4,830 मेगावॉट
 - अनुमानित व्यय: रु. 2,900 करोड़
 - साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण-कुल व्यय: रु. 21 करोड़
 - ◆ State Load Dispatch Centre (SLDC) की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा हेतु: Security Operation Centre (SOC) व Network Operation Centre (NOC) की स्थापना।
 - 28 लाख से अधिक परिवारों का सर्वे का कार्य पूर्ण।
 - वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध।
 - ii. गुणवत्ता सुधार-
 - बेहतर निर्माण हेतु 35,000 व्यक्तियों को Mason प्रशिक्षण।
 - ड्रेनेज एवं बाढ़ सुरक्षा: सुदृढीकरण
 - ◆ जयपुर=रु. 500 करोड़, ◆ अजमेर=रु. 200 करोड़
 - आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा-
 - ◆ SDRF एवं नागरिक सुरक्षा सुदृढीकरण: व्यय: रु. 60 करोड़ (उद्देश्य: बाढ़, भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि से सुरक्षा।)
 - **पंचगौरव योजना**-आगामी वर्ष: कुल प्रस्तावित व्यय: रु. 150 करोड़
 - **RAJ&SETU (Rajasthan Structured Enabler for Transformative Urban and Infrastructure Financing) Fund स्थापना-**
 - ◆ स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के Infrastructure Projects को बढ़ावा।
 - ◆ Innovative Financing उपलब्ध कराना।
- तीसरा स्तम्भ: औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन**
- **4 R = Rising, Reliable, Receptive, Refine**
 - ◆ “राजस्थान Rising तो है ही, Reliable भी है।”
 - ◆ “राजस्थान Receptive भी है और समय के साथ खुद को Refine करना भी जानता है।”
 - **Plug and Play Facility-**
 - ◆ प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर स्थापना, आगामी वर्ष कार्य प्रारंभ।
 - ◆ Small & Micro Enterprises हेतु।
 - ◆ कुल राशि: रु. 350 करोड़ व्यय।
 - **DMIC-औद्योगिक कॉरिडोर विकास**
 - ◆ Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) के अंतर्गत।
 - ◆ क्षेत्र: जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र।
 - ◆ कुल भूमि आवंटन = 3,600 हेक्टेयर

दूसरा स्तम्भ: नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि

- **Comprehensive Mobility Plan : व्यय: रु. 2,325 करोड़**
 - ◆ ITMS (Intelligent Traffic Management System), Urban Mobility App
 - ◆ सड़क एवं चौराहा सुधार, Flyover निर्माण, Underpass निर्माण, Traffic Solutions, Signal Free Traffic
- **‘मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण-**
 - ◆ ‘सबके लिए आवास’ 2028-29 लक्ष्य
 - i. आवास निर्माण-

❑ **Logistic Eco-System : भूमि आवंटन-**

- ◆ भिवाड़ी : सलारपुर
- ◆ डीडवाना-कुचामन : परबतसर

❑ **DORA : Domestic and Overseas Rajasthani Affairs विभाग का गठन-**

- ◆ उद्देश्य: देश-विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से संवाद एवं जुड़ाव।
- ◆ वर्तमान स्थिति: Rajasthan Foundation के 26 शाखाएँ कार्यशील।
- ◆ आगामी वर्ष: दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा सहित 14 नए शाखाएँ प्रारंभ।

❑ **माटी कला कलाकार प्रोत्साहन-**

- ◆ आगामी वर्ष: 5,000 Electric Wheels ,मिट्टी गूँथने की मशीनें उपलब्ध।
- ◆ प्रस्तावित व्यय: रु. 15 करोड़

चौथा स्तम्भ: मानव संसाधन का सशक्तीकरण

❑ **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना-**

- ◆ 1 लाख युवाओं को, रु. 10 लाख तक का ऋण व 100% ब्याज अनुदान तथा Margin Money अनुदान, आगामी वर्ष, 30000 युवाओं को लाभान्वित किया जायेगा

❑ **Rajasthan State Testing Agency (RSTA)-**

- ◆ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता - National Testing Agency (NTA) की तर्ज पर गठन करके Online Testing सुविधायुक्त, Test Centers का निर्माण किया जाएगा।

❑ **VIBRANT (Value-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing Talent) Programme :**

- ◆ उद्देश्य : विद्यार्थियों के व्यावहारिक नवाचार को startups के रूप में विकसित करने के लिए mentorship, entrepreneurship, incubation सुविधाएँ उपलब्ध हेतु knowledge partners के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में।

❑ **DREAM (Digital Readiness and Empowerment through Assisted Mentoring) Programme-**

- ◆ उद्देश्य : महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल, career guidance तथा digital mentoring व उनको सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और Technology Enabled परामर्श देने के लिए।

❑ **नशामुक्त राजस्थान (Raj-SAVERA)-**

○ **Raj-SAVERA (Rajasthan&Statewide Antidrug Vigilance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness) हेतु प्रयास-**

- Psychotropic Drugs ds Chemist स्तर पर विक्रय की सतत Monitoring के लिए online portal का विकास
- जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड की स्थापना
- Anti-Narcotics Task Force- मुखबिर तंत्र का विकास

❑ **IPR-TT (Intellectual Property Rights and Technology Transfer) Cells का गठन:** विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं में नवाचार, अनुसंधान तथा उद्यमशीलता

❑ **कोटा विश्वविद्यालय : भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ**

❑ **Hospitality, IT व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे customer¢ric क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को अंग्रेजी, Japanese, French, German व Korean भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी।**

6. **Techno Hubs -** Startups को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर एवं कोटा Tinkering Lab, Deep&Tech Labs, Data - AI Labs से युक्त **Techno Hubs** कुल व्यय: रु. 30 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाएँगे

7. **'जादुई पिटारा' -** प्रदेश के 22,746 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री एवं 'जादुई पिटारा' उपलब्ध करवाया जाएगा।

8. **Raj PAHAL (Portable Access for Holistic and Assisted Learning) कार्यक्रम-**
 - ◆ घुमंतु एवं अर्द्ध-घुमंतु समुदाय)गाड़िया लोहार, बंजारा इत्यादि) एवं मजदूर वर्ग के परिवारों के बच्चों हेतु।
 - ◆ प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक 'School on Wheel'(मोबाइल स्कूल)' स्थापित किया जाएगा तथा migration prone क्षेत्रों में 'अस्थायी शिक्षा शिविर' संचालित।
- **State Remote Sensing Application Centre (SRSAC): जोधपुर**
 - ◆ Space Gallery का निर्माण।
 - ◆ **Science Park-जयपुर** : Space एवं Children Gallery का निर्माण।
- **मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र : जोधपुर-** पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा हेतु।
- **Post Kargil युद्धों में हुए शहीद/स्थायी रूप से दिव्यांग सैनिकों** के कक्षा 1-12 में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11-12 में पढ़ने वाली प्रतिभावान पुत्रियों को रु. 2500 वार्षिक छात्रवृत्ति।
- **CM&RISE (Rajasthan Innovative School of Excellence)** 400 विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा जिनमें Career Counselling, Smart Boards, VC Setup तथा Building as Learning Aid जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी।
- **महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय:**
 - ◆ जयपुर के अचरोल में स्थापित किया जाएगा (2024-25 में घोषित)
 - ◆ खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन विश्लेषण के क्षेत्र में पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
 - ◆ NIS, पटियाला की तर्ज पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा।
- **राजस्थान यूथ गेम्स:** ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर इनके आयोजन के लिए रु. 50 करोड़ रुपये आवंटित।
- **एथलीट सहायता:** 2 वर्षों में रु. 40 करोड़, जिसे बढ़ाकर रु.100 करोड़ तक किया जाएगा।
- **जीवन बीमा योजना:** दुर्घटना और मृत्यु की स्थिति में रु. 25 लाख तक।
- **हैंडबॉल अकादमी:** लालगढ़ जाटान, श्रीगंगानगर
- **राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी:** नाथद्वारा, राजसमन्द
- **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SPEED** (स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड एफिशिएंसी डेवलपमेंट): खेल परिषद् की अकादमियों और स्टेडियमों में प्रशिक्षित खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए)
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: वर्ष 2047 तक 'समृद्ध राजस्थान-स्वस्थ राजस्थान' के लिए-**
 - ◆ स्वास्थ्य सेवाओं का Universal Coverage
 - ◆ 77 वर्ष से अधिक जीवन प्रत्याशा
 - ◆ मातृ मृत्यु दर (MMR) को घटाकर 15 प्रति लाख
 - ◆ शिशु मृत्यु दर (IMR) को घटाकर 10 प्रति हजार live births से कम करते हुए सशक्त Emergency Response System का निर्माण
- **नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर -**
 - ◆ रानीखेड़ा(निम्बाहेड़ा)- चित्तौड़गढ़
 - ◆ पालड़ी जोधा - नागौर
 - ◆ कीरों की ढाणी (सांगानेर) - जयपुर
 - ◆ दुराना (मंडावा) - झुंझुनू
- **RAJ-SURAKSHA योजना-**
 - ◆ Rajasthan System for Urgent Response, Accident Stabilization and Hospital Access
 - ◆ सड़क दुर्घटना, प्रसूति, Heart Attack जैसी आपात स्थितियों के लिए 24x7 Critical Care Command Centre] live consultation, ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण।
- **Raj&MAMTA-**
 - ◆ Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All Programme
 - ◆ लक्ष्य: 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य'

- ◆ **SMS JAIPUR : Center of Excellence in Mental Health**
 - ◆ जिला मुख्यालयों -Mental Health Care Cell
 - ◆ **Integrated Raj Swasthya App :** चिकित्सालयों में वाडों की साफ-सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा मरीजों व उनके परिजनों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर व्यवस्था में सुधार।
 - **आयुर्वेदिक औषधालय -**
 - ◆ समेलिया (दूदू)-जयपुर ◆ सुभाष नगर-कोटा
 - **आयुष चिकित्सालय -** सांगानेर, जयपुर
 - **'मोक्ष वाहिनी योजना'-** दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की mortuary से सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क सुविधा
- पांचवाँ स्तम्भ : सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली**
- **Rural Women BPO (Business Process Outsourcing)-** जिला स्तर पर स्थापित।
 - ◆ उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना।
 - **मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना-**
 - ◆ राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिये जा रहे ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी।
 - ◆ **Saksham Centres-** डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए RAJEEVIKA द्वारा संचालित।
 - **BC (Banking Correspondent) सखी-**
 - ◆ राजीविका की स्वयं सहायता समूह की लगभग 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर BC सखी बनाया जाएगा।
 - ◆ 1,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंक सखी के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जायेगा।
 - **राज सखी स्टोर (Raj Sakhi Stores)**
 - ◆ स्थापित-सभी संभागीय मुख्यालयों पर।
 - ◆ उद्देश्य-राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाना।
 - ◆ क्षमता संवर्धन हेतु Centre for Entrepreneurship and Capacity Building
 - **मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना-**
 - ◆ महिला/ SHG को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जाएगी।
 - **11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण-**
 - ◆ उद्देश्य : राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में Mid-Day Meal के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के लिए, SHG से जुड़ी महिलाओं की आजीविका बढ़ाना।
 - ◆ व्यय: लगभग 500 करोड़ रुपये।
 - **राजस्थान राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, विकास एवं शिक्षा नीति-**
 - ◆ Rajasthan State Early Childhood Care, Development and Education Policy
 - ◆ उद्देश्य: राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं प्री-स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराना।
 - **महिला एवं बाल शक्ति संकुल-**
 - ◆ भरतपुर तथा कोटा में स्थापित।
 - ◆ समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए।
 - **किशोरी बालिका योजना का विस्तार-**
 - ◆ वर्तमान: आकांक्षी जिलों-करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही में संचालित।
 - ◆ विस्तार: राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक में।
 - ◆ उद्देश्य: किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करना।
 - **AI आधारित 24x7 लाइव एकेडमिक मॉनिटरिंग की सुविधा-** IIT, दिल्ली के सहयोग से विकसित।
 - ◆ उद्देश्य : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 42 आवासीय विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को बेहतर लर्निंग आउटकम तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी कराना।

❑ **लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण केंद्र-**

- ◆ स्थापित: बांसवाड़ा व उदयपुर
- ◆ उद्देश्य: आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि उत्पादों का प्रसंस्करण हेतु।
- ◆ जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

❑ **श्रम-सेतु (Shram-Setu) मोबाइल ऐप**

- ◆ श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि।
- ◆ सुविधाएं: श्रमिक पंजीकरण, पहचान-पत्र, रोजगार की माँग एवं आपूर्ति, डिजिटल लेबर चौक व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

छठा स्तम्भ : पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर

❑ **पेनोरमा का निर्माण-**

- ◆ संत श्री दुर्बलनाथ जी - बांदीकुई, दौसा
- ◆ वीर दुर्गादास राठौड़ - सिवाना, बालोतरा
- ◆ हाड़ी रानी - सलूम्बर
- ◆ महर्षि दयानन्द सरस्वती-MDS वि.वि., अजमेर
- ◆ वीर तेजाजी - खरनाल, नागौर

❑ **रोप-वे निर्माण-**

- ◆ राजसमंद - अन्नपूर्णा माताजी मंदिर : दयाशाह किला
- ◆ बाकी माता, रायसर (जमवारामगढ़) जयपुर के प्राचीन मंदिर में।

❑ **अल्ट्रा लंग्जरी Special Tourism Zone (STZ) की स्थापना - खुहड़ी-जैसलमेर**

❑ **नवीन पर्यटक सुविधा केन्द्र - कुलधरा, जैसलमेर**

❑ **ब्रज कन्वेंशन सेंटर- भरतपुर में (100 करोड़ रुपये की लागत से)**

❑ **‘थार सांस्कृतिक सर्किट’ का निर्माण- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर**

❑ **वॉर म्यूजियम की स्थापना - झुंझुनू :** राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देना।

❑ **‘लोक नृत्य उत्सव’ का आयोजन - संभाग स्तर पर**

❑ **उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTOs)-** सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा

❑ **सीकर-झुंझुनू तथा भरतपुर-डीग क्षेत्र में नवीन Airports स्थापित किये जाएंगे।**

❑ **शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना-**

- ◆ झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों का पुनरुद्धार।
- ◆ हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

सातवाँ स्तम्भ: सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन

❑ **नवीन आईटी पॉलिसी :** डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करना, IT निवेश को बढ़ाना।

❑ **डिजिटल अवसरचना सुविधा नीति-**

- ◆ राज्य डेटा सेंटर सेवाएँ किफायती दरों पर उपलब्ध कराना, स्टार्टअप्स, MSMEs और नागरिकों को।

❑ **भू-स्थानिक नीति (Geo Spatial Policy)**

- ◆ उद्देश्य : निर्णय क्षमता संवर्द्धन सुनिश्चित करना।
- ◆ क्षेत्र : आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी आदि।

❑ **ड्रोन नीति व स्टेट ड्रोन सेल का गठन**

- ◆ उद्देश्य: ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ◆ क्षेत्र: कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य क्षेत्रों आदि।

❑ **CM-PRAMAN (पॉलिसी, रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेशरबल एक्शन एंड नेक्सस)**

- ◆ समर्पित डेटा एवं नीति रणनीति इकाई।
- ◆ उद्देश्य: परिणाम उन्मुख जनकल्याणकारी योजनाओं की संरचना व साक्ष्य आधारित नीति निर्माण करना।

❑ **मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस-**

- ◆ GIS आधारित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना।
- ◆ उद्देश्य: सरकारी स्वामित्व की बंजर, चारागाह, बीहड़, चरनोत, शामलात भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध कराना।

❑ **सिंगल होलिस्टिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (SHPP) :** सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित करना।

❑ **मिनी सचिवालयों की स्थापना -**

- ◆ केकड़ी (अजमेर) ◆ नदबई (भरतपुर)
- ◆ सांगानेर (जयपुर) ◆ घामगढ़ (अलवर)

❑ **कानून व्यवस्था-**

- ♦ दुष्कर्म प्रकरणों के निस्तारण में औसत समय 106 दिवस से घटाकर 56 दिवस।
- ♦ पाँक्सो प्रकरणों के निस्तारण का समय 102 दिवस से घटाकर 59 दिवस।

❑ **Cyber पुलिस थाना-**

- ♦ **लक्ष्य:** वर्ष 2030 तक समस्त पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना।
- ♦ **आगामी वर्ष :** जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण, जोधपुर आयुक्तालय में एक अतिरिक्त तथा जयपुर आयुक्तालय में दो अतिरिक्त खोले जाएंगे।

❑ **SOG, Anti&Narcotics Task Force एवं Anti&Gangster Task Force** के लिये कार्यालय एवं संसाधनों की व्यवस्था हेतु व्यय: 50 करोड़ रुपये

❑ **सैलरी अकाउंट पैकेज-**

- ♦ उद्देश्य: राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना।
- ♦ लाभ: सैलरी अकाउंट, एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग सुविधायें, रियायती दर पर ऋण तथा बीमा
- ♦ यह सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को भी दी जायेगी।

❑ **मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन-**

- ♦ राजकीय कार्यालयों में महिला कर्मचारियों को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना।
- ♦ कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना ।

❑ **स्टेट पंचायत पुरस्कार-**

- ♦ राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर।

आठवां स्तम्भ : कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण

❑ **लक्ष्य :** वर्ष 2047 तक राजस्थान को Technology Driven अग्रणी कृषि शक्ति बनाना।

❑ **फोकस:** कृषि विकास + कृषक कल्याण + अन्नदाता की आय वृद्धि।

❑ **यमुना जल परियोजना-**

- ♦ यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक लाने की योजना।
- ♦ सीकर, झुंझुनूं, चूरू सहित अन्य जिलों की 30 वर्षों से लंबित पेयजल समस्या।
- ♦ केंद्र सरकार का सहयोग कर हरियाणा से MoU कर प्रदेश को हिस्से का पानी दिलाया गया।

❑ **सूक्ष्म सिंचाई का लक्ष्य-**

- ♦ 2030 तक 51% तक करना।
- ♦ वर्तमान: 24%

❑ **उपनिवेशन क्षेत्र-राहत प्रावधान**

- ♦ उद्देश्य: उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत।
- ♦ कृषि भूमि के पेटे बकाया किस्त राशि पर प्रावधान।
- ♦ अवधि: 1 अप्रैल 2026-30 सितम्बर 2026
- ♦ शर्त: एकमुश्त जमा कराने पर।
- ♦ लाभ: ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

❑ **फसल सुरक्षा-नीलगाय व जंगली जानवरों से संरक्षण-तारबंदी योजना-**

- ♦ लाभार्थी: आगामी वर्ष 50,000 किसान , लक्ष्य: 20,000 किलोमीटर तारबंदी
- ♦ अनुदान राशि: रु. 228 करोड़
- ♦ सामुदायिक तारबंदी प्रावधान: न्यूनतम किसानों की संख्या 10 से घटाकर 7 करने का प्रस्ताव।

❑ **वर्मी-कम्पोस्ट इकाई स्थापना-**

- ♦ लक्ष्य: प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर
- ♦ 5,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतें।
- ♦ कुल ग्राम पंचायतें: 3,496 ग्राम पंचायतें (चरणबद्ध स्थापना)

❑ **Raj-AIMS प्रणाली विकास-**

- ♦ Rajasthan Agriculture Information and Management System
- ♦ उद्देश्य: कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली का विकास
- ♦ उपयोग की जाने वाली तकनीकें-AI/ML,GIS,Remote Sensing, Satellite Imagery

□ **Agro Forestry - Hi&tech Nurseries-**

- ◆ उद्देश्य: Agro Forestry पौध उत्पादन जैसे: नागौरी अश्वगंधा, सोजत मेहंदी
- ◆ स्थापना : जोधपुर, पाली एवं कोटा

□ **मिशन Raj GIFT-**

- ◆ Raj GIFT (Rajasthan & Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods)
- ◆ उद्देश्य: GI आधारित उत्पादों के माध्यम से उत्पादन एवं आजीविका में परिवर्तन।

□ **Centre of Excellence (उत्कृष्टता केन्द्र) स्थापना-**

- ◆ अलवर-CoE = Onion and Vegetables
- ◆ श्रीगंगानगर-CoE = Kinnow
- ◆ बांसवाड़ा-CoE = Mango

□ **Organic Food Market : जोधपुर, कोटा, उदयपुर**

□ **Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund**

- ◆ उद्देश्य: प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा।
- ◆ राशि में वृद्धि = पहले: रु. 1,000 करोड़, अब: रु. 2,000 करोड़

□ **सरस ब्रांड विस्तार-**

- ◆ लक्ष्य: सरस ब्रांड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करना।
- ◆ विस्तार क्षेत्र: NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश।
- ◆ अनुमानित व्यय: रु. 100 करोड़

□ **पोल्ट्री क्षेत्र प्रोत्साहन- Poultry Feed Unit स्थापना**

- ◆ उद्देश्य: उचित मूल्य पर मुर्गी दाना उपलब्ध कराना।
- ◆ स्थापना : तबीजी - अजमेर

नवाँ स्तम्भ : हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता

□ **ग्रीन बजट-मुख्य तथ्य**

- ◆ पिछले वर्ष ग्रीन बजट आवंटन-
रु. 27,850 करोड़+(प्रथम हरित बजट)
- ◆ आगामी वर्ष आवंटन-
रु. 33,476 करोड़ (लगभग 20% वृद्धि)

- ◆ **ग्रीन कवर लक्ष्य:** वर्ष 2047 तक राज्य का ग्रीन कवर: 20%, जलवायु-अनुकूल राज्य।

◆ **मिशन हरियाली राजस्थान-**

- शुरुआत: 7 अगस्त, 2024 (हरियाली तीज)
- अब तक लगाए पौधे: लगभग 19 करोड़
- अगले वर्ष लक्ष्य: 10 करोड़ पौधारोपण
- **नमो नर्सरी:** प्रत्येक जिला मुख्यालय पर।
- **नमो वन:** प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर।

□ **मॉडल उद्यान "Oxyzone": बजट: रु. 32 करोड़**

- ◆ 16 जिलों में - अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर आदि।

□ **कुंभा बायोलॉजिकल पाक -**

- ◆ स्थान: चित्तौड़गढ़, बजट: रु. 31 करोड़

□ **PRITHWI योजना -**

- ◆ Project for Resilient and Integrated Terrestrial Habitats and Wildlife Valorisation Initiative
- ◆ वन्यजीव संरक्षण हेतु योजना।
- ◆ कुल बजट: रु. 1,500 करोड़
- ◆ प्रमुख कार्य: -
 - वन्यजीवों के भोजन आधार में वृद्धि (Prey&base Augmentation)
 - मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना, बचाव और पुनर्वास सुविधाएँ
 - AI आधारित निगरानी, इको-टूरिज्म सर्किट विकास

□ **अरावली अपक्षय भूमि पुनरुद्धार:**

- ◆ बजट: रु. 130 करोड़
- ◆ अरावली पर्वत श्रृंखला में 4,000 हेक्टेयर अपक्षय भूमि को पुनर्स्थापित करना।
- ◆ कार्य: बाउंड्री वॉल, जल संरचनाएँ, स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण
- ◆ खान, पुलिस और वन विभागों द्वारा अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाही की जायेगी।

□ इको-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) -

- ◆ संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बफर क्षेत्र।
- ◆ Zonal Master Plans :
 - जयसमंद- सलूम्वर
 - केसरबाग- धौलपुर
 - तालछापर- चुरू
 - शेरगढ़- बारां

□ वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन-

- ◆ पहली चरण में 25 वेटलैंड के लिये एकीकृत प्रबंधन योजनाएँ।
- ◆ प्रमुख वेटलैंड: मेनार-उदयपुर, खींचन-फलोदी, पुष्कर तालाब-बारां, बड़बेला तालाब-झालावाड़।

□ ईको-पार्क : बनेड़ा (शाहपुरा)-भीलवाड़ा

□ नेचर पार्क : टोडारायसिंह-टोंक

□ वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर : सांभर-जयपुर

□ नेचुरल फार्मिंग उत्कृष्टता केन्द्र (CoE)

श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर

□ CBG प्लांट्स (बायो वेस्ट से ऊर्जा)

नगर निगम जयपुर एवं जोधपुर (हरित ऊर्जा)

□ प्रदूषण नियंत्रण एवं निगरानी-

- ◆ IoT आधारित निगरानी सिस्टम - पाली, जोधपुर, बालोतरा, भीलवाड़ा
- ◆ एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग हेतु अल्टी वॉर्निंग सिस्टम - जोधपुर
- ◆ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला - जयपुर (पर्यावरण शोध के लिए)

□ सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन-

- ◆ बजट: रु. 20 करोड़
- ◆ NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) क्षेत्र में स्थापित।
 - थानागाजी (अलवर)
 - बहरोड़, नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
 - तिजारा (खैरथल तिजारा)
 - बयाना (भरतपुर)

□ Reduce-Reuse-Recycle (RRR) अवसंरचना

- ◆ लागत: रु. 100 करोड़
- ◆ पायलट आधार पर सड़क निर्माण परियोजना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग-
 - फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (FDR)
 - एस्फाल्ट रीसाइक्लिंग
 - मृदा स्थिरीकरण

दसवाँ स्तंभ : वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

□ सेवा क्षेत्र में वृद्धि : वार्षिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी- 5.70% (2023-24) से 11.15% (2025-26) तक।

□ राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य-

- ◆ 350 बिलियन डॉलर (2028-29 तक) तक बढ़ाना।
- ◆ वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य।

□ MSME हेतु स्टाम्प शुल्क राहत -

- ◆ सभी वित्तीय संस्थानों एवं सभी प्रकार के ऋणों पर लागू।
- ◆ स्टाम्प शुल्क दर: 0.125%
- ◆ अधिकतम सीमा: रु. 10 लाख

□ ग्रीन टैक्स संशोधन-

- ◆ प्रदूषण नियंत्रण हेतु ग्रीन टैक्स दरों में संशोधन।
- ◆ लागू - 6 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहन, 15 वर्ष से अधिक पुराने गैर-परिवहन वाहन

□ स्वच्छ ईंधन एवं हरित ऊर्जा-

- ◆ 60 नए CNG (Compressed Natural Gas) स्टेशन
- ◆ 250 EV (Electrical vehicle) चार्जिंग स्टेशन

□ राजकोषीय प्रबंधन एवं समेकन:

1. कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF)

- 2024-25 से RBI के साथ।
- अब तक निवेश: रु. 2,934 करोड़
- यह केंद्र सरकार द्वारा लिए गए market loans को चुकाने के लिए समर्पित निधि है।
- RBI सरकार की ओर से CSF का प्रबंधन करता है।

2. गारंटीड रिडेम्प्शन फंड (GRF)

- 2025-26 से RBI के साथ।
- निवेश: रु. 2,450 करोड़
- राज्य सरकार की गारंटियों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों के जोखिम का प्रबंधन करना।
- केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थानों आदि को दी गई गारंटियों के भुगतान के लिए भारत के सार्वजनिक खाते में GRF की स्थापना की गई है।

3. (CSF) और GRF निवेश के तहत:

- 50% तक निकासी की अनुमति, ब्याज दर: 3.25%
- तुलना : बाजार ब्याज दर = 7.5%, बाजार दरों से लगभग 4% कम

4. State Government Securities (SGS)

- यह प्रक्रिया पहली बार शुरू की जाएगी।
- उद्देश्य: मौजूदा राज्य ऋण का युक्तिकरण।

□ Special Assistance Scheme for Capital Investment (SASCI):-

- ◆ उद्देश्य : राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाना, राज्य को केंद्र सरकार से 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त
- ◆ यह सड़क, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों के विकास में सहयोग करता है।

□ कृषि बजट -

- ◆ वर्ष 2026-27 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र का कुल बजट: रु. 1,19,408 करोड़
- ◆ कुल प्रावधान में से:
- ◆ रु. 69,422.99 करोड़ समेकित निधि से खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
- ◆ कृषि बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 7.59% की वृद्धि हुई है।
- ◆ कृषि बजट राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.55% है।

बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं

(27 फरवरी, 2026)

सड़क

1. **मिसिंग लिंक सड़कों के लिए** :- 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा (बजट प्रावधान - 600 करोड़ रु था।)
2. **प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन सम्बन्धी कार्य हेतु** :- 900 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य प्रस्तावित।

ऊर्जा

1. सभी काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू-रूपान्तरण, अप्रोच रोड के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी या सहायक आयुक्त, उपनिवेशन के स्तर पर ही किये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।
2. राज्य में 33 केवी तक विद्युत कनेक्शनों हेतु स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जायेगी।

नागरिक सुविधायें

1. **जयपुर में मेट्रो रेल परियोजना का द्वितीय चरण** :- जयपुर में 42.80 किलोमीटर लम्बाई एवं 13 हजार 600 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जायेंगे।
2. द्रव्यवती नदी के ऊपर लगभग 36 किलोमीटर लम्बी ऐलिवेटेड रोड की डीपीआर बनायी जायेगी।
3. शहरी क्षेत्रों आवास प्रदान करने हेतु :- **मुख्यमंत्री जन आवास योजना** की समीक्षा कर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लायी जायेगी।
4. नवीन TDR Policy (Transferable Development Rights) लायी जायेगी।
5. आगामी वर्ष, 20 टाउन प्लानिंग योजनायें लायी जायेगी।
6. भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए **भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार** के सहयोग से 150 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।
7. पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अभिशंसा के अनुरूप आगामी वर्ष 9 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराये जाने की घोषणा।

औद्योगिक विकास

1. पचपदरा रिफाइनरी का निर्माण कार्य 91 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है तथा यहाँ क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग-टेस्टिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यहाँ एनसिलरी यूनिट्स विकसित करने के लिए राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया गया है।
2. रिफाइनरी तथा इसकी एनसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के **कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब** विकसित किये जाने की घोषणा की गई है।
3. RIPS-2019 के अन्तर्गत ऐसे प्रोजेक्ट, जिनमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, किन्तु अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है, उनके लिए लाभ लेने की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जायेगी।
4. राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2024 के अन्तर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जायेगी है।

5. नवीकरणीय के ऊर्जा के क्षेत्रों में केवल सोलर मॉड्यूल बनाने वाली इकाइयों को भी RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।
6. दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति।

युवा विकास एवं कल्याण

1. 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने हेतु :-
 - ✓ वर्ष 2026 में एक लाख पदों पर भर्ती किये जाने के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी।
 - ✓ आगामी वर्ष हेतु एक लाख पदों के स्थान पर एक लाख 25 हजार पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किये जाने की घोषणा।
2. **अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग** :- जयपुर (लागत 450 करोड़ रु.)
3. **विद्यालय आधारभूत संरचना कोष** :- (2 हजार करोड़ रुपये)
 - ✓ **उद्देश्य** :- विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत व भवन पुनर्निर्माण के साथ-साथ आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने हेतु।

सामाजिक सुरक्षा

1. **‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी रामजी’ योजना:-**
उद्देश्य :-
 - ✓ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर एवं समावेशी बनाना।
 - ✓ विभिन्न विभागों की योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का कन्वर्जेंस करते हुए इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने, दोहराव की सम्भावना रोकने व गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य करवाने हेतु।**प्रावधान :-**
 - ✓ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से बढ़ाते हुए 125 दिनों की रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया गया है।
 - ✓ श्रमिकों को जहाँ पहले 15 दिन में भुगतान किया जाता था, वहीं अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान।
 - ✓ निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते तथा नियोजित श्रमिक को मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान।
 - ✓ **नोट** :- इस योजना के तहत आगामी वर्ष 4 हजार करोड़ रुपये का व्यय राज्य कोष से किया जायेगा, जिसे आवश्यकता एवं मांग के अनुसार बढ़ाया भी जा सकेगा।
2. **विशेष योग्यजन, वृद्ध, विधवा/एकल नारी व लघु सीमान्त कृषकों को देय सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-**
 - ✓ फरवरी, 2026 में रु. 50 की वृद्धि = $1250 + 50 = 1300$ रूपए मासिक
 - ✓ अगले वर्ष रूपए 150 वृद्धि की घोषणा = $1300 + 150 = 1450$ रूपए मासिक
3. 25 हजार दिव्यांगजन को विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही, 2 हजार 500 दिव्यांगजन को निःशुल्क स्कूटी दिये जाने की घोषणा।
4. **हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना :-** के अन्तर्गत देय सहायता राशि में से 50 प्रतिशत राशि सावधि जमा में विनियोजित की जाती है। अब इसके स्थान पर एकमुश्त राशि का भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खाते में किया जाना प्रस्तावित है तथा पूर्व लम्बित प्रकरणों का निस्तारण भी इसी प्रकार किया जायेगा।

5. नवीन छात्रावासों की घोषणा :-

- ✓ सावित्री बाई फूले छात्रावास :- सांगोद-कोटा तथा लूणकरणसर-बीकानेर
- ✓ देवनारायण बालक आवासीय छात्रावास :- करेड़ा (माण्डल)-भीलवाड़ा

जनजाति कल्याण

1. व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा।
2. **निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनीकिट** :- फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत 8 लाख 50 हजार जनजाति कृषकों को 85 करोड़ रुपये की लागत से।
3. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के 5 हजार युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

1. सड़क, पेयजल, शिक्षण एवं चिकित्सा संस्थानों के उन्नयन के लिए एक हजार 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा।
2. आयुर्वेद औषधालय गड़डा :- (दूदू), आयुर्वेद चिकित्सालय :- सिद्धमुख (चूरु) की घोषणा।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोविन्दगढ़-अलवर में MCH (Maternal and Child Health) Wing प्रारम्भ की जायेगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

1. **नाम परिवर्तन :-**
 - ✓ माउंट आबू → आबू राज
 - ✓ जहाजपुर → यज्ञपुर
 - ✓ कामां → काम वन
2. **नवीन पेनोरमा :-**
 - ✓ झालामण्ड-जोधपुर → श्रीयादे पेनोरमा
 - ✓ नागाणा-बालोतरा → नागणेचिया माता
3. प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्यों तथा अन्य सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा।
4. **झाखरदा (धोरीमन्ना)** - बाड़मेर को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जायेगा।
5. **'हवा होदी' (जमवारामगढ़)** - जयपुर को इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जायेगा। (2 करोड़ रु)

कृषि एवं पशुपालन

1. गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देते हुए 2 हजार 735 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद की व्यवस्था किये जाने की घोषणा।
2. कृषि विपणन के खण्डों का पुनर्गठन करते हुए पाली, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बारां में खण्ड कार्यालय।
3. मण्डी शुल्क की दर को **1.60 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत** तथा आढ़त की दर **2.25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत** किया जायेगा।
4. **गो सेवा नीति, 2026** लाने की घोषणा।

सुशासन

1. अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपये का व्यय करने की घोषणा।
2. वर्तमान में एक हजार 800 से अधिक केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आगामी वर्ष एक हजार अतिरिक्त अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने की घोषणा।
3. 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन (RITI) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों से जिला स्तर तक के लिए विकास का मास्टर प्लान बनाये जाने की घोषणा।
4. **ऑरेन्ज इकोनॉमी इन्सैंटिव स्कीम** लागू किया जाना प्रस्तावित है।
5. **AI एवं क्वांटम कम्प्यूटिंग मिशन** प्रारम्भ किये जाने की घोषणा।
6. हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम हेतु कार्यरत **कालिका पेट्रोलिंग यूनिट** की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जायेगा।
7. दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को 30 जून, 2016 से प्रभावी किये जाने की घोषणा।
8. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, **मिड डे मील कुक** आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा
9. **राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना** के अन्तर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15 हजार रुपये को बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह तथा दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि 7 हजार 500 रुपये को बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा।
10. राजस्थान आवासन मण्डल के माध्यम से विधायक आवास योजना लाये जाने की घोषणा।